खण्ड-244, अंक-1
बुधवार, 27 अग्रहायण, शक संवत् 1885
(18 दिसम्बर, 1963 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 244 में 1 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१–५
प्रश्नोत्तर	५–५८
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६३ (मेज पर रखा गया)	५८
उत्तर प्रदेश दूकान तथा वाणिज्य प्रतिष्ठान अधिनियम के संबंध में याचिका (उपस्थित की गई)	५८
किसी सदस्य द्वारा बिना जांच किये गृह मंत्री पर आरोप लगाने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गयी)	५९–६०
श्री नरसिंहनारायण पांडेय के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (निर्णय सुरक्षित)	६०–७१
कानपुर नगरमहापालिका के अन्तर्गत सम्मिलित गांवों की अर्जित कृषि भूमि को अधिक मूल्य पर बेचने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना ..	७१–७२
विधायकों के सदन में आने की व्यवस्था	७३
श्री बलवानसिंह की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना	७३
उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स विधेयक, १९६३ (विचारोपरान्त पारित) ..	७३–७६
तृतीय विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रतिवेदन (स्वीकृत) ..	७६–९३
तृतीय विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का द्वितीय प्रतिवेदन (स्वीकृत) ..	९३–१०३
तृतीय विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का तृतीय प्रतिवेदन (स्वीकृत)	१०३–१०८
तृतीय विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन (स्वीकृत) ..	१०८–१२०
उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	१२०–१२१
नत्थियां	१२२–१४६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, १८ दिसम्बर, १९६३

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६४

अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)

गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्फन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्केश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती

प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री

राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे मिश्र, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल , श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री

सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट---गृह मंत्री, श्री हरगोविंदसिंह तथा शिक्षा उपमंत्री डाक्टर रामनारायण पाण्डेय भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, १८ दिसम्बर, १९६३

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

श्री श्रीराम, गवर्नमेन्ट एडवोकेट, लखनऊ के स्थानान्तरण पर विचार

**१---श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ के स्टैंडिंग काउंसेल का स्थानान्तरण लखनऊ से इलाहाबाद को अभी हाल में हो गया है ?

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)---

जी नहीं । शायद माननीय सदस्य की मुराद गवर्नमेन्ट एडवोकेट, लखनऊ से है जिनका तबादला हाल ही में लखनऊ से इलाहाबाद करने पर विचार हो रहा है ।

**२---श्री नेकराम शर्मा---

क्या यह सही है कि उक्त स्टैंडिंग कांउसेल मानसिक व शारीरिक रूप से कार्य करने में अयोग्य हो गये हैं ?

श्री जयराम वर्मा---

जी नहीं । स्टैंडिंग कांउसेल के खिलाफ इस किस्म की कोई शिकायत नहीं है ।

**३---श्री नेकराम शर्मा---

क्या यह सही है कि वित्त विभाग ने अतिरिक्त स्टैंडिंग काउंसेल, लखनऊ की पोस्ट को अस्वीकार कर दिया है ?

श्री जयराम वर्मा—

जी नहीं । अतिरिक्त स्टैंडिंग कांउसेल का मामला वित्त विभाग के विचाराधीन नहीं है ।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, यह सही है, मेरा मतलब गवर्नमेंट एडवोकेट से ही है । लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि जब यह मेन्टली और फिजिकली अनफिट हो गये हैं और वित्त विभाग ने दूसरी नई पोस्ट के लिये मना कर दिया है। तो ऐसे अनफिट आदमी को क्यों रखा जा रहा है ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—

माननीय श्रीराम जी, गवर्नमेंट एडवोकेट, लखनऊ में हैं और वह इसलिये यहां आये थे कि उनको पैरेलाइसिस का अटैक हो गया था और कुछ दिनों के लिये वह काम करने के लिये बेकार हो गये थे और अब काम करने के काबिल हैं और समझा गया कि यहां काम हल्का है इसलिये इनको यहां रख देंगे और तीन साल से काम कर रहे हैं । गवर्नमेंट एडवोकेट, त्रिपाठी जी हाईकोर्ट के जज हो गये हैं । इसके बाद सवाल उठा कि आया इनका ट्रांसफर किया जाय या किसी और वकील को रखा जाय । उन्होंने कोशिश भी की और गालिबन कुछ लोगों ने तजवीज पेश की कि उनको इलाहाबाद भेज दिया जाय और एक अतिरिक्त गवर्नमेंट एडवोकेट को रखा जाय, जो उनकी मदद करता रहे ताकि काम चल सके । बहरहाल यह मसला विचाराधीन है और यह सही है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा है कि उनको भेजने से नई पोस्ट क्रियेट करके तनख्वाह देना मुनासिब नहीं है। इसलिये इस मसले पर विचार हो रहा है ।

श्री नेकराम शर्मा—

क्या यह सही है कि श्रीराम जी अयोग्य हैं और काम नहीं कर पाते हैं और इंडस्ट्रीज सेक्रेटरी श्री, श्रीपति के रिश्तेदार हैं और भूतपूर्व मुख्य मंत्री, गुप्ता जी ज्यादा जोर डाल रहे हैं कि उनको ट्रांसफर कर दिया जाय। मैं जानना चाहता हूं कि जब डाक्टर रिपोर्ट दे चुके हैं कि वह अनफिट हैं तो उनका ट्रांसफर के लिये क्यों विचार कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

कहा यह जाता है कि किसी दबाव से यह हो रहा है ।

श्री सैयद अली जहीर—

दबाव का कोई सवाल नहीं है, तजवीज जरूर है । बहरहाल जैसा मैंने कहा, इस पर विचार हो रहा है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब फाइनेंस डिपार्टमेंट की यह राय है कि इनको भेजने से एक अतिरिक्त आदमी रखना पड़ेगा और खर्चा अनावश्यक होगा, तो जब तक सरकार विचार न कर ले तब तक इनको न भेजने का आश्वासन वह देंगे ?

श्री सैयद अली जहीर—

मुख्य मंत्री जी की यह राय है कि यह जगह रख दी जाय और फाइनेंस डिपार्टमेंट को ओवररूल कर दिया जाय । लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी उनसे मैं बातचीत करूंगा ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

अभी मंत्री जी ने कहा कि कुछ लोगों की तजवीज है, तो क्या यह सही है कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री गुप्ता जी तथा एक सेक्रेटरी जिनका अभी जिक्र किया गया है, उनकी तजवीज पर सारी कार्यवाही आरम्भ की गई है ?

श्री सैयद अली जहीर—

श्रीमन्, श्रीपति जी तो बीच में नहीं आते हैं गो उनसे अजीजदारी जरूर है, लेकिन कोई मतलब नहीं है । यह जरूर है कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी ने फाइल में लिखा था कि इनके ट्रांसफर पर गौर किया जाय ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या मंत्री जी मुख्य मंत्री जी से मिलकर इस पर विचार करेंगे, जैसा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने लिखा है और वित्त स्थिति को देखते हुये उनको ट्रांसफर न किया जाय और जब तक विचार हो तब तक कोई कार्यवाही नहीं होगी ?

श्री सैयद अली जहीर—

यह तो मैंने कह दिया कि मैं उनसे फिर बात करूंगा ।

श्री नेकराम शर्मा—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उनके न्याय विभाग ने क्या रिपोर्ट दी है कि यह काम कर सकते हैं या नहीं, फाइनेंस ने तो मना किया है ?

श्री सैयद अली जहीर—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप से अर्ज करूंगा कि डिपार्टमेंट में क्या राय हुई, क्या आर्डर हुये ...

श्री अध्यक्ष—

आपको अधिकार यह है कहने का कि you want to keep it confidential.

श्री सैयद अली जहीर—

यही मैं अर्ज कर रहा हूं ।

श्री नेकराम शर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि मंत्री जी की क्या राय है, मिस्टर श्रीरामा गवर्नमेंट ऐडवोकेट, लखनऊ, मेंटली और फिजिकली यह कार्य करने के लिये फिट हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कह सकता कि बिलकुल अनफिट हैं क्योंकि लखनऊ में गवर्नमेंट ऐडवोकेट, का काम कर रहे हैं । लेकिन यह जरूर है कि उस बीमारी के बाद से वह हल्का काम करते हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव—

माननीय मंत्रीजी ने वित्त विभाग ने जो राय दी थी वह बता दी, माननीय मुख्य मंत्री ने जो राय दी थी वह बता दी, क्या माननीय न्याय मंत्री यह बतायेंगे कि वित्त विभाग के उस निर्णय के बाद जब फाइल उनके पास आयी तो उन्होंने क्या आदेश दिया ?

श्री सैयद अली जहीर—

मैंने अर्ज किया, मैं बात करूंगा इस मामले में ।

श्री नेकराम शर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी जब तक इसमें बात न कर लें तब तक इनका ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्या यह सदन को आश्वासन देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न पूछा गया था । माननीय चन्द्रजीत ने यही पूछा था कि जब तक निर्णय न हो जाय तब तक न भेजे, तो उन्होंने कहा कि आप की बात कनवे करेंगे ।

शहरों का वर्गीकरण

**४—श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि केन्द्रीय सरकार ने प्रदेश सरकार से अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिये शहरों के वर्गीकरण का सुझाव एवं सिफारिशें मांगी हैं? यदि हां, तो प्रदेश के कौन-कौन से शहर किस-किस श्रेणी में रखे गये हैं?

श्री जयराम वर्मा—

केन्द्रीय सरकार से इस प्रकार का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

**५—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सरकार कृपया केन्द्रीय सरकार का वह आदेश सदन की मेज पर रखेगी और बतायेगी कि गोरखपुर शहर जो प्रदेश का सब से अधिक महंगा शहर है, उसे 'ब' श्रेणी में न रखने का क्या कारण है?

श्री जयराम वर्मा—

प्रश्न नहीं उठता।

**६—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर यूनियन ने कोई आवेदन-पत्र इस सम्बन्ध में दिया है? यदि हां, तो वह क्या है और उस पर क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री जयराम वर्मा—

इस सम्बन्ध में पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर यूनियन का कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री कल्पनार्थसिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश में अभी शहरों का जो वर्गीकरण किया गया है, वह किस आधार पर?

श्री जयराम वर्मा—

स्टेट गवर्नमेंट ने ट्रेवलिंग अलाउन्स देने के लिये अपने शहरों का वर्गीकरण किया है लेकिन केन्द्रीय सरकार की बात पूछी गयी थी।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मन्त्री यह बतायेंगे कि राज्य सरकार ने जो शहरों का वर्गीकरण किया जिसके अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों को कुछ सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो केन्द्रीय सरकार से अपने वर्गीकरण को मनवाने के लिये क्या प्रयास किया जा रहा है राज्य सरकार की ओर से?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है—"क्या सरकार कृपया बतायेगी कि केन्द्रीय सरकार ने प्रदेश सरकार से अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिये शहरों के वर्गीकरण का सुझाव एवं सिफारिशें मांगी हैं? यदि हां, तो प्रदेश के कौन-कौन से शहर किस-किस श्रेणी में रखे गये हैं?

श्री रामायणराय—

मैं जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने कोई केन्द्र को सिफारिश की है ?

श्री जयराम वर्मा—

श्रीमान् जी, जैसा प्रश्न था उस तरह की कोई सिफारिश मांगी नहीं गयी है। मैंने बताया था कि स्टेट गवर्नमेंट ने ट्रेवेलिंग अलाउन्स देने के लिये अपने कर्मचारियों को शहरों का वर्गीकरण कर रखा है। गवर्नमेंट आफ इंडिया का दूसरे कामों के लिये वर्गीकरण है। लेकिन जो प्रश्न है उसके बारे में मैंने जवाब दिया, उसके बारे में सिफारिश नहीं मांगी गयी है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें यह जानकारी है कि सारे हिन्दुस्तान में ४० शहरों को 'ब' श्रेणी में रखने का आदेश केन्द्रीय सरकार देने जा रही है और राज्य सरकार से भी राय मांगी गयी है कि आप उत्तर प्रदेश के उन शहरों के नाम बताइए जो हमारे इन ४० के अन्दर आ सकते हैं और इसके लिये प्रयत्न भी हो रहा है कि इलाहाबाद और गोरखपुर उसमें आवें। सरकार के कुछ माननीय मन्त्रिगण भी इसके लिये प्रयत्न कर रहे हैं कि इलाहाबाद को उसमें ले लिया जाय, तो ऐसे प्रयत्न चल रहे हैं? माननीय मन्त्री जी ने शायद फाइल पढ़ी नहीं है, वह फिर से देखकर बतायें कि क्या सरकार ने गोरखपुर का नाम भी उसमें भेजा है ?

श्री जयराम वर्मा—

मैंने तो पहले ही बता दिया कि इस तरह की कोई सिफारिश नहीं मांगी गई है। हर डिपार्टमेंट से जिनसे इसका सम्बन्ध हो सकता है, यह पूछा गया, लेकिन कहीं से ऐसी सिफारिश नहीं मांगी गयी है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इलाहाबाद की जन संख्या ५ लाख से अधिक होते हुए भी और राज्य सरकार को बार-बार लिखते रहने पर और प्रार्थना-पत्र देते रहने पर भी आज तक वहां का 'नगर बी' क्लास में हुआ और सरकार सदैव ही, अध्यक्ष महोदय, यह विश्वास दिलाती रही कि केन्द्रीय सरकार से लिखा पढ़ी हो रही.....

श्री अध्यक्ष—

आप तो बहस कर रहे हैं। आप सवाल पूछिए।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

पांच लाख से ऊपर जन-संख्या होने पर भी केन्द्रीय सरकार को इसमें क्या आपत्ति है, यह सूचना सरकार को है ?

श्री जयराम वर्मा—

श्रीमान् जी, केन्द्रीय सरकार के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। जहां तक स्टेट गवर्नमेंट का ताल्लुक है उसने इसे 'ए'-क्लास में रख दिया है।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

माननीय मन्त्री जी ने उत्तर दिया कि केन्द्रीय सरकार से कोई राय नहीं मांगी गई है। तो इलाहाबाद और गोरखपुर के साथ जो अन्याय हुआ है इसको दूर करने के लिये क्या वह स्वयं केन्द्रीय सरकार को कोई राय भेजेंगे कि यह 'बी'-श्रेणी में कर दिया जाय ?

श्री जयराम वर्मा—

श्रीमान् जी, इसका कोई प्रश्न नहीं उठता। जहां तक हमारा सम्बन्ध है हमने उचित वर्गीकरण कर रखा है।

बीड़ी मजदूर यूनियन, गुरसहायगंज की मांगें

**७—श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद) तथा श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या गुरसहायगंज व फर्रुखाबाद के बीस हजार बीड़ी बनाने वाले मजदूर २४ नवम्बर, १९६३ से आम हड़ताल कर रहे हैं? यदि हां, तो सरकार ने उस हड़ताल को समाप्त कराने के लिये कौन से प्रयत्न किये? यदि नहीं, तो क्यों?

सहकारिता मन्त्री (श्री बनारसीदास)—

जी हां।

सरकार ने विभागीय अधिकारी वहां भेज कर समझौता कराने के कई प्रयत्न किये।

**८—श्री शराफत हुसैन रिजवी तथा श्री कोतवालसिंह भदौरिया—

क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में बीड़ी मजदूर यूनियन, गुरसहायगंज, जिला फर्रुखाबाद का सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि आज की बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए बीड़ी मजदूरी बढ़ाई जाये वरना २४ नवम्बर से बीड़ी मजदूर आम हड़ताल कर देंगे? यदि हां, तो सरकार ने इस आम हड़ताल को रोकने के लिये कौन से उपाय किये? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बनारसीदास—

जी हां।

सरकार ने तुरन्त विभागीय अधिकारियों को वहां समझौता कराने को भेजा। उन अधिकारियों ने दोनों पक्षों की मीटिंग करके झगड़ा निपटाने का प्रयत्न किया था।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या लेबर मिनिस्टर बतायेंगे कि गुरसहायगंज, जिला फर्रुखाबाद में जो २० हजार मजदूर हड़ताल कर रहे हैं उनकी मांगें क्या हैं?

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, यह तो कहना कठिन होगा कि मजदूरों की संख्या २० हजार ही है क्योंकि बाकायदा कोई फैक्ट्री वहां इसकी नहीं है। उन्होंने जो अपना नोटिस छापा था उसमें मांगें इस प्रकार थीं कि प्रति एक हजार बीड़ी बनाने के लिये मजदूरी की दर डेढ़ रुपया से बढ़ाकर पौने दो रुपया कर दी जाय, उनके वेतन से जो कटौती होती है वह बिलकुल बन्द कर दी जाय, गुरसहायगंज में एक श्रम कल्याणकारी केन्द्र खोला जाय, जितने भी औद्योगिक विवाद हैं वह लेबर कमिश्नर के आर्बिट्रेशन के द्वारा तय किये जायं और एक लेबर इन्स्पेक्टर गुरसहायगंज में रखा जाय।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

गुरसहायगंज के मजदूरों की यह मांग है कि उनकी मजदूरी डेढ़ रुपये से बढ़ाकर पौने दो रुपये कर दी जाय, क्या सरकार ने इस सिलसिले में अपने लेबर कमिश्नर को लिखा है कि वह मालिकों और मजदूरों में इस मजदूरी को लेकर समझौता करा दें?

श्री बनारसीदास—

यह तो नहीं लिखा है कि क्या मजदूरी दी जाय लेकिन लेबर कमिश्नर को यह जरूर लिखा है कि दोनों पक्षों को बुलाकर वह समझौते की बातचीत करें । अगर समझौता न हो तो आर्बिट्रेशन के लिये तैयार करें और अगर आर्बिट्रेशन सम्भव नहीं होगा तो गवर्नमेंट विचार करेगी कि उसको क्या करना चाहिये ।

श्री राजेन्द्रसिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो बातचीत अधिकारियों से हुई है उसमें मालिकों ने बात को नहीं माना या मजदूरों ने नहीं माना ?

श्री बनारसीदास—

बातचीत में तो प्रायः मजदूरों का रवैया ज्यादा समझौते की तरफ था और जहां तक एम्प्लायर्स का सवाल है उनकी तरफ से जरा ज्यादा सख्ती थी । वह कहते थे कि हम मजदूरी बढ़ाने के लिये तैयार नहीं हैं । इससे हम बाहर के बीड़ी मैन्यूफैक्चरर्स के साथ में कम्पीट नहीं कर पायेंगे ।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह हड़ताल जो २४ नवम्बर से चल रही है, यह समाप्त हो गई या अभी चल ही रही है ?

श्री बनारसीदास—

यह हड़ताल २४ तारीख से शुरू हुई । उसके बाद उसको खत्म कराने का प्रयास किया गया लेकिन अभी हमको उसके खत्म होने की सूचना नहीं है ।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

क्या श्रम मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जहां तक मजदूरी का सवाल था उसमें इम्प्लायर और मजदूरों के बीच समझौता कराने का सरकार ने प्रयास किया लेकिन कुछ ऐसी मांगें हैं जिन पर सरकार को स्वयं निर्णय लेना है, तो उनके सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिया ?

श्री बनारसीदास—

अभी यह सारे प्रश्न सरकार के विचाराधीन हैं ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो मजदूरों की हड़ताल है और उनकी मांग सरकार के समक्ष आ चुकी है नोटिस के द्वारा, तो सरकार की समझ में उनकी मांग कोई आई है जिसके बारे में सरकार जल्दी आश्वासन दे ?

श्री अध्यक्ष—

सब बातें सरकार के विचाराधीन हैं ।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

इस बात को देखते हुए कि पूरे प्रदेश में बीड़ी के बनाने वाले मजदूर १ लाख के करीब हैं और उनको अलग-अलग मजदूरी दी जाती है १।। रुपये से लेकर २। रुपये तक, तो क्या इसकी जानकारी सरकार को है?

श्री बनारसीदास—

जी हां, कहीं मजदूरी में थोड़ा बहुत अन्तर तो अवश्य है लेकिन हमारी कठिनाई यह है कि मिनिमम वेजेज ऐक्ट के मातहत मजदूरी १।। रुपया है। जहां तक इससे ज्यादा मजदूरी का सवाल है वह इम्प्लायर और मजदूरों के आपसी समझौते से हो सकता है। आर्बिट्रेशन के द्वारा भी किया जा सकता है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

इस बात को देखते हुए कि एक अर्से से यह हड़ताल चल रही है और मजदूरों की रोटी रोजी की समस्या उत्पन्न हो गई है, तो क्या सरकार इसमें समझौता कराने के लिये और उनकी उचित मांग को मनवाने के लिये कोई बोर्ड बैठाने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बनारसीदास—

बोर्ड बैठाने का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है। सिर्फ ३ ही तरीके हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट के अन्तर्गत प्रयास करें या आर्बिट्रेशन के द्वारा। अगर आर्बिट्रेशन विफल हो जाय तो उसके बाद रिफरेन्स के लिये इंडस्ट्रियल लेबर ट्रिब्यूनल के लिये केसेज आते हैं लेकिन वह स्थिति अभी हमारे सामने नहीं आई है।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस तरह की कम मजदूरी दिये जाने की शिकायत पूरे प्रदेश के अन्दर बीड़ी के मजदूरों की है, तो क्या सरकार इस तरह की कोई योजना पर विचार कर रही है कि लेबर कमिश्नर को इस तरह का आदेश दे कि वह पूरे प्रदेश में इस तरह के मजदूरों की जांच करे और बीड़ी के मजदूरों को उचित मजदूरी दिलाई जाय?

श्री बनारसीदास—

इस प्रकार से बीड़ी मजदूरों के लिये कोई निश्चित वेतन नहीं है। उनकी मिनिमम वेजेज ऐक्ट के मातहत १।। रुपये से कम मजदूरी नहीं हो सकती। बाकी जितनी मजदूरी या उनकी कंडीशन आफ सर्विस है वह दोनों दलों में आपसी समझौते से तय की जा सकती हैं इस प्रकार की कई शिकायतें समय-समय पर सामने आती हैं। तमाम प्रदेश के बारे में कहना कठिन है।

तारांकित प्रश्न

पन्नी जी शुगर ऐण्ड जनरल मिल्स, बुलन्दशहर में अपरेंन्टिस

*१—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पन्नी जी शुगर ऐण्ड जनरल मिल्स, पन्नीनगर, बुलन्दशहर में कितने गवर्नमेंट ट्रेण्ड अपरेंन्टिस प्रशिक्षण के वास्ते प्रत्येक वर्ष भेजे जाते हैं?

श्री बनारसीदास—

कानून के अनुसार प्रशिक्षण के लिये अपरेंटिस भेजने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है।

*२—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या पन्नी जी शुगर ऐण्ड जनरल मिल्स, बुलन्दशहर ने निर्धारित संख्या के अनुसार अपरेंन्टिस अपने यहां लिये हैं या नहीं? यदि नहीं लिये हैं, तो क्यों नहीं लिये हैं और उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री बनारसीदास—

जी नहीं। उन्होंने कहा कि गन्ना पेरने के सीजन के चालू होने के बाद अपरेन्टिस लेंगे। चूंकि अभी तक उन्होंने निर्धारित संख्या में अपरेन्टिस नहीं लिये इसलिये उनको नोटिस दिया गया कि क्यों न उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाय।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि जब दूसरी मिलों में इस तरह के ट्रेन्ड अपरेन्टिस एम्प्लाय किये जाते हैं, इस मिल ने उनको क्यों नहीं एप्वाइन्ट किया है? और इसके लिये उनको नोटिस सिर्फ क्यों दिया गया है, उनका चालान क्यों नहीं किया गया?

श्री बनारसीदास—

जैसा मैंने अर्ज किया, सरकार अपने अपरेन्टिस नहीं भेजती, लेकिन मदद करने के लिये जो आई० टी० आई० के ट्रेन्ड अपरेन्टिस हैं उनको सजेस्ट कर सकती है और एम्प्लायर उनको अपने यहां रख सकता है। १९६१ के कानून के मातहत हम नोटिस दे सकते हैं। उसको १९६२ में इन्फोर्स किया गया था और इस मिल को हमने १ मार्च, १९६२ को नोटिस दिया कि आपको अपरेन्टिस रखना चाहिये जिसके उत्तर में उन्होंने कहा कि हम सीजन में रखेंगे। अब उनको २७-११-को नोटिस दिया गया है क्योंकि सीजन शुरू हो गया है-कि आपको निर्धारित संख्या में अपने यहां अपरेन्टिस रखने चाहिये। उनका उत्तर आने के बाद आवयश्यक कार्यवाही की जायगी।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि जब कई बार उनको नोटिस दी जा चुकी है और उन्होंने कम्प्लाई नहीं किया, तो उनका चालान क्यों नहीं किया गया?

श्री बनारसीदास—

कई बार का इसमें सवाल नहीं है २७-११ को शो काज नोटिस उनको दिया गया है कि अक्तूबर या नवम्बर में जब फैक्ट्री शुरू हुई तो अपरेन्टिस उन्होंने क्यों नहीं रखे और उनका जवाब आने के बाद कार्यवाही की जायगी।

श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि इस फैक्ट्री में पिछली बार भी अपरेन्टिस नहीं रखे गये थे इसीलिये मार्च में दो बार नोटिस दिया गया और इस सीजन में भी उन्होंने अपरेन्टिस नहीं रखे हैं और सीजन आधा बीत रहा है, तो सरकार इस बात को देखते ध्यान में रखेगी कि यह सीजन भी इसी तरह से बीत न जाय?

श्री बनारसीदास—

मैंने अर्ज किया कि २७-११ को शो काज नोटिस दिया जा चुका है। अब उनका जवाब आने के बाद आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि इस सम्बन्ध में जो कानून है उसे मानना या न मानना उन लोगों के हाथों में है जिनको इम्प्लाय करना है या यह सरकार के हाथ में है कि वह इस कानून को उनसे मनवावे?

श्री बनारसीदास—

इसके दो हिस्से हैं। अपरेन्टिस का क्लास तय करना, उनकी संख्या तय करना यह गवर्नमेंट के इम्प्लायमेंट एक्सचेंज अफसर का काम है जो ऐडवाइजर कहलाता है, लेकिन उनको रखना इम्प्लायर का काम है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि कितने दिन का नोटिस दिया गया है?

श्री बनारसीदास—

मुद्दत मेरे पास नहीं है। मैंने तारीख बतला दी है।

खजाना कर्मचारियों का वेतन सेवा नियम

*३—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो यू० पी० के खजानों के कर्मचारियों के बारे में जी० ओ० नम्बर ए० वन० ५६७१/एक्स–५ (२९)–५७, तारीख १–२–१९५८ ई० में क्या-क्या सुविधायें दी गयी हैं तथा सर्विस कन्डीशन और पे स्केल के बारे में क्या तय हुआ है?

श्री जयराम वर्मा—

प्रश्न में उल्लिखित राज्याज्ञा में कर्मचारियों के वेतन-क्रम तथा अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में निम्न निदेश दिये गये हैं:—

(१) उन बड़े खजानों में जहां काम अधिक है कोषाधिकारी के कार्य भार को हल्का करने के उद्देश्य से ट्रेजरी हेड क्लर्कों का पद नाम असिस्टेंट ट्रेजरी आफिसर करके २०० रु० तक के बिलों को स्वतन्त्ररूप से पास करने का अधिकार देने के आदेश हैं। इन उक्त आदेशों का आवश्यकतानुसार पालन हो रहा है।

(२) कबाल शहरों व मेरठ के सीनियर ट्रेजरी अफसरों को उक्त राजाज्ञानुसार ७५ रु० प्रतिमास का विशेष वेतन स्वीकृत हुआ या अब उसे बढ़ाकर १०० रु० कर दिया गया है।

(३) राज्याज्ञानुसार खजाने के कर्मचारियों को १ अप्रैल, १९५८ से कलेक्ट्रेट के रेवेन्यू काडर से अलग कर दिया गया है।

४—अभी तक कलेक्टरी के कर्मचारियों में से आफिस सुपरिन्टेन्डेन्टों तथा ट्रेजरी हेडक्लर्कों में से ट्रेजरी अफसरों के पद पर जो पदोन्नति होती है उसके लिये उनके पृथक पृथक सुरक्षित स्थानों की संख्या निर्धारित ही है। उक्त राज्याज्ञा में यह आदेश दिया गया है कि पूरे सुरक्षित स्थानों में से दो तिहाई स्थान ट्रेजरी हेडक्लर्कों तथा एक तिहाई स्थान आफिस सुपरिन्टेन्डेन्टों के लिये निर्धारित कर दिये जायं। इन आदेशों का परिपालन सम्बन्धित सेवा नियमावली में संशोधित करने के पश्चात् ही हो पायेगा।

५—सर्विस रूल्स के बारे में उक्त राज्याज्ञा में यह निदेश था कि ट्रेजरी के मिनिस्ट्रीयल स्टाफ के लिये अलग सेवा नियम बनाये जावें। मिनिस्ट्रीयल स्टाफ के सेवा नियमों का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और अन्य विभागों के परीक्षण के पश्चात् उन्हें लागू किया जायगा।

६—जो क्लर्क बिल पास करते हैं उनके वेतन क्रम के विषय में यह निदेश हुआ था कि उनका वेतन क्रम बढ़ा कर ८५—६—१४५ रु० कर दिया जाय।

उपरोक्त आदेशों को कार्यान्वित कर दिया गया है।

गोरखपुर सदर अस्पताल की इमारत

*४—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के सदर अस्पताल का नव-निर्मित प्राइवेट वार्ड किस ठेकेदार द्वारा बनाया गया है तथा उसका प्राक्कलन क्या था?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—

श्री बृजभूषण गुप्त, ठेकेदार द्वारा प्राक्कलन ३८,१०० रुपये का था।

*५—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त वार्ड का बरामदा के बीच में छत क्रेक हो जाने से चू रहा है? यदि हां, तो सरकार ने उस ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्यवाही की?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

उसके बरामदे की छत न तो क्रेक हुई है और न चू रही है। इसलिए ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी हमारी बात को सूचना मान कर फिर से जांच करायेंगे किसी अपने इंजीनियर के द्वारा और रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखेंगे कि छत चू रही है या नहीं?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

अगर माननीय सदस्य लिख कर दे देंगे तो हम फिर जांच करा लेंगे।

एक सदस्य—

जब सदन में कहा जा रहा है...

श्री अध्यक्ष—

लेकिन कोई सूचना कम हो सकती है तो फिर से सूचना प्राप्त करके माननीय मंत्री लिखकर दे सकते हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

यह जो बिल्डिंग हास्पिटल को ट्रांसफर की गयी तो मुकम्मिल हालत में की गयी, उसके दरवाजे वगैरह सब ठीक थे?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जांच करा लेंगे, जैसी कि माननीय सदस्य की आज्ञा है।

*६—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

[हटा दिया गया।]

*७—श्री गणेशचन्द्र काछी—

[७वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या १५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

क्षेत्र समिति, घोसी का पंचायत मंत्री के विरुद्ध प्रस्ताव

*८—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या विकास मंत्री, दिनांक ६ मार्च, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ५ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय समिति घोसी ने किस दिनांक को किस प्रकार के प्रस्ताव को पंचायत मंत्री को चेतावनी देने के रूप में स्वीकार किया है ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

क्षेत्र समिति घोसी ने दिनांक ६-२-६३ की बैठक में प्रस्ताव संख्या ८ के द्वारा पंचायत मंत्री को भविष्य के लिये कठोर चेतावनी दी है। प्रस्ताव की प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १२२ पर)

*९—श्री रामसुन्दर पांडेय—

उक्त तिथि के प्रश्न संख्या ४ के उत्तर के क्रम में क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ऋण स्वीकृति हो जाने की सूचना किसानों को कब दी गई और क्या उनसे हस्ताक्षर प्राप्त किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर पांडेय--

ऋण दिनांक २७—१२-१९५७ को स्वीकृत हुआ तथा इसकी सूचना दिनांक २-१-५८ को परमिट द्वारा श्री नन्दकिशोर जी ग्राम लखनी तथा अन्य किसानों को दे दी गई और उनके हस्ताक्षर भी प्राप्त कर लिये गये।

आई० टी० ई० औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में छात्रवृत्ति

*१०—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार इस विषय पर विचार करने की कृपा करेगी कि जो आई० टी० आई० औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र सरकार ने खोले हैं, उनमें शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों में ३३ फी सदी विद्यार्थियों को जो २५ रुपया मासिक छात्रवृत्ति दी जाती है, वह २५ रुपया मासिक न देकर हर विद्यार्थी को १० रुपया मासिक छात्रवृत्ति दी जाया करे ?

श्री बनारसीदास—

छात्रवृत्ति का कम करना न तो उचित ही जान पड़ता है और न संभव ही है।

श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार इस विषय पर विचार करने की कृपा करेगी कि जो २५ रुपया माहवार ३३ प्रतिशत को छात्रवृत्ति दी जाती है वह भविष्य में ५० फीसदी को दी जा सके ?

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, नेशनल कार्मशियल वोकेशनल कौंसिल ने इस पर विचार किया था और स्टेट्स के प्रतिनिधियों की यह मांग थी कि उसको ५० फीसदी कर दिया जाय, लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना में अधिक फंड्स न होने के कारण यह स्कीम फिलहाल स्थगित कर दी गई। इसलिये यह संभव नहीं है।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो ३३ परसेंट लोगों को दिया जाता है उसका चुनाव किस आधार पर किया जाता है ?

श्री बनारसीदास—

उसमें दो ही आधार होते हैं। एक तो उनके गार्जियन्स की आमदनी और दूसरे मेरिट।

*११-१२—श्री कल्पनार्थसिंह—

[६ठे गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या २४-२५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

विश्व स्वास्थ्य संघ से प्राप्त औषधियां एवं यंत्र

*१३—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विश्व स्वास्थ्य संघ और भारत सरकार से हुए समझौते के अनुसार कितना रुपया प्रादेशिक सरकार को सन् १९५८ से ३१ मार्च, सन् १९६३ तक प्रतिवर्ष प्राप्त हुआ है और इसमें से कितना-कितना रुपया प्रति वर्ष किस-किस काम में खर्च हुआ है और कहां कहां ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इस समझौते के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संघ से प्रादेशिक सरकार को रुपये प्राप्त नहीं हुए ह बल्कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रयोगार्थ दवाइयां, बिजली की मशीने तथा यंत्र प्राप्त हुए हैं।

श्री कल्पनार्थसिंह—

इस समझौते के अनुसार क्या यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश में टी० बी० ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी सरकार को इसलिए क्या दवाइयों और मशीनों को उसने मंगाना स्वीकार किया ? यदि हां, तो यह दवाइयां और मशीनें कितने रुपये की कुल आयी हैं उत्तर प्रदेश में ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

यह जो दवाइयां और मशीनें दी गई हैं, यदि आदेश हो, तो पढ़ कर पूरा सुना दूं।

श्री अध्यक्ष—

मुख्य-मुख्य आइटम सुना दीजिये।

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इसमें डी० डी० टी० ७५ परसेंट, २०,४३,९०० पौंड, जिसकी कीमत लगभग २६ लाख है। १९५९-६० और ६०-६१ में ३५ माइक्रोसकोप्स पोर्टेबिल सेट विद ईजिल पेपर प्राप्त हुये जिसकी कीमत २६,७३० रुपये है। १९६१-६२ में विलीज स्टेशन वैगन ९,१२० रुपये का, डुप्लीकेटर १,२९३ रुपये का, फिल्म प्रोजेक्टर, २,१३४ रुपये का तथा कुछ और सामान था।

श्री अध्यक्ष—

लिस्ट माननीय सदस्य स्वयं देख लेंगे, उसे छोड़िये।

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

१९६१-६२ में १ लाख ५० हजार का सामान आया, १९६२-६३ में २० हजार का सामान आया जिसमें बहुत से आइटम्स हैं।

श्री कल्पनार्थसिंह—

उत्तर प्रदेश में क्षय रोग बढ़ता जा रहा है, इस चीज को देखते हुये विश्व स्वास्थ्य संघ से क्या सहायता मिली ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, प्रश्न में तो यह पूछा गया था कि सन् १९५८ से ३१ मार्च, १९६३ तक कितना रुपया प्रति वर्ष प्राप्त हुआ, यह प्रश्न दूसरा है।

श्री रामायणराय—

इस समझौते के अनुसार हमारे राज्य को टी० बी० क्लीनिक्स के लिये कुछ एक्सरे यंत्र प्राप्त होने थे जो अभी तक प्राप्त नहीं हुये हैं, उसका क्या कारण है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

इस सम्बन्ध में उनकी कुछ शर्तें होती हैं और वह यह कि जहां यह क्लीनिक्स खुलें वहां कितने डाक्टर हों, कितने विशेषज्ञ हों, उनकी कितनी ट्रेनिंग हो आदि तथा जब जहां पर भी यह सब चीजें पूरी होती हैं वहां पर वह सामान भेजते जाते हैं।

श्री रामायणराय—

देवरिया में भी इसी योजना के अन्तर्गत टी० बी० क्लीनिक्स खुला हैं और वहां पर जितने कर्मचारी जिस योग्यता के होने चाहिये वे हैं भी, पर फिर भी वहां पर एक्सरे यंत्र क्यों नहीं भेजा गया ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

यह तफसील लिख कर माननीय सदस्य मुझे दे दें, मैं इसकी जांच करा दूंगा।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—

इस बात को देखते हुये कि कानपुर में टी० बी० के सब से ज्यादा बीमार हैं, क्या सरकार इस सम्बन्ध में वहां प्राथमिकता देगी और वहां पर डोमीसियलरी ट्रीटमेंट खोलेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

माननीय सदस्या को शायद मालूम नहीं, कानपुर में तो काफी इसके लिये सुविधायें हैं, जबकि कानपुर से ज्यादा टी० बी० मरीजों की संख्या मुरादाबाद में है।

श्री उग्रसेन—

देवरिया जिले में वहां के सिविल सर्जन ने कई बार लिखा एक्सरे यंत्र क लिये, फिर भी वहां पर वह अब तक नहीं भेजा गया..

श्री अध्यक्ष—

आप उसके बारे में माननीय मंत्री जी को लिख कर भेज दें।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या सरकार इटावा जिले में टी० बी० अस्पताल में सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रयत्न करेगी क्योंकि उनकी कमी के कारण वहां मरीजों के दाखले में बड़ी कठिनाई होती है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

यह इस सवाल से कहां उठता है, सूचना चाहिये।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

क्या जौनपुर में टी० बी० क्लीनिक में एक्स-रे की व्यवस्था निकट भविष्य में करने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जहां-जहां की कमियों की बाबत तफसील लिखकर देंगे, उन्हें पूरा करने की कोशिश की जायगी।

श्री कल्पनाथसिंह—

जो समझौता विश्व स्वास्थ्य संघ से दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ है उसके अनुसार गोरखपुर का एक सर्वेक्षण हुआ था और प्रादेशिक सरकार ने भारत सरकार को लिखा था कि गोरखपुर की आबादी और टी० बी० के मरीजों की संख्या को देखते हुये वहां टी०बी० क्लीनिक खोला जाय और वह खोला गया। लेकिन फिर भी जितना उपकरण होना चाहिये, बहुत सी मशीनें वगैरह क्यों नहीं सप्लाई की गईं?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

आप हमें पूरी तफसील दे दें तो हम इसकी जांच करा लेंगे।

श्री भीखालाल—

क्या मंत्री जी ने ज्यादा से ज्यादा ट्रेन्ड परसोनेल का प्रबन्ध किया है ताकि विश्व स्वास्थ्य संघ से फायदा उठाया जा सके?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

सरकार प्रयत्नशील है कि ज्यादा से ज्यादा डाक्टर इसमें ट्रेन्ड हों लेकिन वे वहां जाते ही नहीं हैं।

श्रीमती प्रकाशवती सूद (जिला मेरठ)—

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि एक्स-रे की मशीनें किस मुल्क से खरीदी जाती हैं?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

बहुत से मुल्कों से खरीदी जाती हैं।

स्वास्थ्य सेवा निदेशक, डाक्टर डी० एन० शर्मा के विरुद्ध आरोप

*१४—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अस्पताल, फतेहपुर के सिविल सर्जन, मेडिकल अफसर प्रथम, श्री ए० डी० शर्मा, हेड क्लर्क श्री विश्वनाथ प्रसाद उर्फ राजा बाबू व श्री के० के० पाण्डे कम्पाउन्डरों तथा श्री रामचन्द्र, ड्रेसर और डा० डी० एन० शर्मा, डाइरेक्टर एवं श्री सेठ, सेक्रेटरी, की भ्रष्ट व गुटबन्दी कार्यप्रणाली से सम्बन्धित मेरे दिनांक २५ मई, १९६३ के पत्र उन्हें व मुख्य मंत्री जी को मिले हैं? यदि हां, तो उन पर लिखित आरोपों के बारे में क्या कार्यवाही की गयी?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जी हां, जांच कराई गई परन्तु जो आरोप लगाये गये हैं सिद्ध नहीं होते।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के २३-५-६३ के पत्र में यह भी आरोप है कि जिन डा० डी० एन० शर्मा को सरकार ने ईमानदार मानकर २२ सीनियर डाक्टरों का हक मारकर डाइरेक्टर बनाया, उन्होंने श्री सेठ सेक्रेटरी की सलाह से क्लोरोफार्मा फर्म कानपुर की क्लोरोमाइसीन का कैपसूल जो बाजार में १८ रुपये प्रति सैकड़ा बिकता है,

उसे ४५ रुपये प्रति सैकड़ा की दर से एप्रूव कराके सन् १९६१-६२ में हजारों रुपये का निजी फायदा किया ? यदि हां, तो इस आरोप की जांच जिस अधिकारी द्वारा कराई गई ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

इसकी जांच हो चुकी है और यह आरोप निराधार पाया गया। जांच मिस्टर बनर्जी ने, जो हमारे एक अफसर हैं, की थी। पूर्व हेल्थ मिनिस्टर ने इस फाइल को स्टडी किया और उनका भी यही फैसला है कि चार्ज निराधार है।

श्री हरीशंकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

जब इसमें सेक्रेटरी तक इनवाल्व्ड हैं तो मि० बनर्जी का रैंक क्या है जिन्होंने जांच की थी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

वह डिप्टी डाइरेक्टर मेडिकल हैं।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

जब आरोप निराधार सिद्ध हुए तो क्लोरोफार्मा फर्म, बिरहाना रोड, कानपुर को इस प्रश्न के बाद उक्त सेक्रेटरी और डाइरेक्टर द्वारा बन्द क्यों करा दिया गया ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

इसकी सरकार को कोई सूचना नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या जांच करने वाले अफसर ने कैथवार साहब से भी बयान लिया ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जितनी बातें इससे सम्बन्धित थीं सब इनके सामने हुईं। इनसे बयान लिया गया, जिरह हुई।

त्रिवेदीगंज ब्लाक में मार्ग निर्माण योजना

*१५—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील हैदरगढ़ (बाराबंकी) के ब्लाक त्रिवेदीगंज के बी० डी० ओ० ने छंदरौली से बाबा हसवापुर (खेरा) श्रमदान मार्ग व हैदरगढ़ ब्लाक के बी० डी० ओ० ने हैदरगढ़, सुबेहा मार्ग तथा हैदरगढ़ —महराजगंज मार्गों को पक्का बनाने पर व्यय होने वाले धनराशि का एस्टीमेट १९६१-६२ या १९६२-६३ में जिला नियोजन विभाग को भेजा है ? यदि हां, तो क्या और इन सड़कों पर अलग-अलग कितना धन व्यय करने का एस्टीमट है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

ग्रामीण जन शक्ति योजना के अन्तर्गत हैदरगढ़ से सुबेहा तथा हैदरगढ़ से बछरावां तक कंकड़ की सड़क के निर्माण कराने की योजना बनाई गई थी। इनकी अनुमानित लागत निम्न प्रकार है :

हैदरगढ़ से सुबेहा—१० मील—३,५०,००० रु०।

हैदरगढ़ से बछरावां—४ मील—१,४०,००० रु०।

छंदरौली से बाबा हसवापुर (खेरा) श्रमदान मार्ग को पक्का बनवाने के लिये कोई भी योजना नहीं बनाई गई थी।

*१६—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त एस्टीमेट किस योजना के अन्तर्गत बनवाया गया है और इसके अनुसार कब तक इन सड़कों को पक्का बनाने का कार्य आरम्भ किया जायगा ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह एस्टीमेट ग्रामीण जन शक्ति योजना के तृतीय चरण के अन्तर्गत बनवाये गये थे। परन्तु संकटकालीन स्थिति के कारण योजना आयोग ने यह स्कीम केवल बहुत ही पिछड़े इलाकों में होने के हेतु आदेश दिये थे। बाराबंकी जिला पिछड़े हुये क्षेत्रों में नहीं आता। अतः इन योजनाओं को नहीं लिया जा सका।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

अध्यक्ष महोदय, यह हो सकता है कि बाराबंकी जिला अभी पिछड़े जिलों में शामिल न हो, लेकिन यह सड़कें जो एस्टीमेट में दिखाई गई हैं यह उस क्षेत्र को बड़ी सड़कों से मिलाती हैं जोकि बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, उनकी आर्थिक और सामाजिक दशा बहुत ही खराब है तो क्या सरकार फिर से विचार करेगी, और जांच करायेगी कि यह पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और उन सड़कों को वहां की योजना में लिया जाय ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

पिछड़े हुये जिलों की प्रवेश में एक सूची है और चूंकि यह उसमें नहीं था, इसलिये उसको नहीं लिया गया।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

इस बात को देखते हुये कि सुबेहा से हैदरगढ़ तक १८ मील लम्बी सड़क बनाई गई है जो बाबा हसवापुर ने श्रमदान द्वारा बनवाई है, उसके रख-रखाव के लिये इस जिले की योजना पर सरकार विचार करेगी ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

ब्लाक्स के अन्दर जो श्रमदान से काम चलते हैं उनमें पक्के काम होते हैं और ब्लाक के बजट से भी कुछ कार्यों के लिये व्यवस्था रहती है।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

क्या सरकार को यह मालूम है कि आप की जो पिछड़े जिलों की लिस्ट बनी है वहां पर करोड़ों रुपया खर्च होने के बाद अब वह जिले बहुत आगे बढ़ गये हैं और जो जिले उस लिस्ट में शामिल नहीं है वह पिछड़ गये हैं जैसे हरदोई, बाराबंकी आदि ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इतना रुपया खर्च करने के बाद भी स्टडी टीम कहती है कि वह अभी अधिक पिछड़े हैं।

श्री शीतलप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वह पिछड़े हुये जिले कौन-कौन से हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

मेरे कार्यालय में माननीय सदस्य चाहें तो देख सकते हैं।

*१७–१९—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

[३१ अक्तूबर, १९६३ को प्रश्न ९७–९९ के अन्तर्गत उत्तर दिये जा चुके हैं।]

*२०—श्री शिवनार्थसिंह (जिला कानपुर)—

[हटा दिया गया ।]

पत्रकारों के लिये वेज बोर्ड

*२१—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या श्रम मंत्री यह बतलायेंगे कि प्रेस ऐक्ट के मुताबिक जो सन् १९६० या १९६१ में वेतन बोर्ड पत्रकारों के लिये बना उसने क्या-क्या सिफारिशें पत्रकार व सम्वाददाताओं के लिए की थीं और उस पर अमल कराने के लिये सरकार द्वारा क्या-क्या कार्रवाई की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास—

पत्रकारों के लिये सन् १९६० या १९६१ में प्रेस ऐक्ट के मुताबिक कोई वेतन बोर्ड नहीं बना ।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता ।

श्री लखपतराम शर्मा—

क्या सूचना मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६० और १९६१ के ऐक्ट के अनुसार वेतन बोर्ड का निर्माण नहीं हुआ तो वह किस सन् में हुआ और उसकी सिफारिशों को अमल में लाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री बनारसीदास—

इसके लिये वर्किंग जर्नलिस्ट कन्डीशन्स आफ सर्विस एन्ड मिसलेनियस प्राविजन्स ऐक्ट, १९०५ है जिस के मातहत वेज बोर्ड कायम किया गया था और उसकी सिफारिशें १० मई, सन् १९५७ को प्राप्त हुई थीं । केन्द्रीय सरकार ने उन को स्वीकार किया, लेकिन उस ऐक्ट को चैलेन्ज किया गया और फलस्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने उसको अल्ट्रावायरस करार दिया ।

श्री लखपतराम शर्मा—

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद उस पर दोबारा कोई कार्यवाही की गई या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास—

उसके बाद वर्किंग जर्नलिस्ट फिक्सेशन आफ रेट्स ऐंड वेजेज आर्डिनेंस, १९५८ के मातहत एक कमेटी बनायी । उसकी रिकमन्डेशन्स को उक्त ऐक्ट की धारा ६ के मुताबिक गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने १९५८–५९ के अन्दर इसको स्वीकार कर लिया जिसकी मुख्य सिफारिशें जो थी, जहां तक हमारे प्रदेश का सम्बन्ध है उसके अन्दर २६ अखबारों का ऐस्टेब्लिशमेंट आता है । उनमें से ३ ऐस्टेब्लिशमेन्ट्स को छोड़ कर सब ने कार्यान्वित कर दिया ।

श्री रामायणराय—

मंत्री जी बतायेंगे कि वह कौन से अखबार हैं जिन्होंने उसको कार्यान्वित नहीं किया ?

श्री बनारसीदास—

रामपुर का "निजाम" वाराणसी का "संमार्ग" कानपुर का "प्रताप" । जहां तक "निजाम" का प्रश्न है एडीटर के बारे में कोई रिकमन्डेशन है नहीं । बाकी दो आदमियों का सवाल है उनको रिकमन्डेशन के मुताबिक वेजेज नहीं दिये गये । लेकिन सरकार उसमें सहायता नहीं कर सकती । उनसे कहा गया कि वह अपने एरियर्स के लिये प्रार्थना करें, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

वर्किंग जर्नलिस्ट् को प्रान्त के अन्दर जो ऐक्रेडिशन कार्ड्स जारी किये जाते हैं तो उनके देने का क्या मकसद है ?

श्री बनारसीदास —

यह प्रश्न इसमें श्रीमान्, नहीं आता ।

श्री लखपतराम शर्मा—

मंत्री जी बतायेंगे कि जिन समाचार-पत्रों के मालिकों ने सिफारिशों को नहीं माना ऐसे अखबारों को जो सरकार विज्ञापन आदि की सुविधा देती थी उनको देना बन्द कर देगी ?

श्री बनारसीदास —

यह प्रश्न पैदा नहीं होता । फिक्सेशन के मातहत यदि किसी कर्मचारी को वेतन नहीं मिला है तो वह सरकार के पास प्रार्थना कर सकता है और सरकार उनके ड्यूज को अखबारों से रिकवर कराने का प्रयत्न कर सकती है । कानपुर के कुछ कर्मचारियों ने उसका लाभ उठाया है और सरकार ने उन्हें वेतन दिलाने के लिये कार्यवाही की और वेतन कुछ लोगों को दिया गया ।

बहेड़ी कोआपरेटिव स्टोर की दुकान में गबन

*२२—श्री हरीशकुमार गंगवार —

क्या सरकार को ज्ञात है कि कस्बा बहेड़ी, जिला बरेली में १९४९ में स्थापित कोआपरेटिव सोसाइटी, बहेड़ी द्वारा संचालित बहेड़ी कोआपरेटिव स्टोर की दुकान में १९५२ में गबन हुआ, तथा मैनेजर को ३ वर्ष का कारावास तथा ५०० रुपया जुर्माना हुआ और इन्स्पेक्टर समिति तमाम सामान बरेली ले आये ? यदि हां, तो सरकार द्वारा हिस्सेदारों को हिस्से तथा लाभ का रुपया अब तक न दिलाये जाने का कारण क्या है ?

श्री बनारसीदास —

कोआपरेटिव यूनियन, बहेड़ी द्वारा संचालित स्टोर की दूकान में गबन होने तथा अभियुक्त को दन्ड मिलने की बात सही है । लेकिन स्टोर की दूकान का कोई सामान इन्स्पेक्टर या अन्य व्यक्ति बरेली नहीं ले गया ।

उक्त यूनियन १९५२ से ही निष्क्रिय (Defunct) है और उसके पास कोई पूंजी नहीं है जिससे कि हिस्से की वापसी की जा सके ।

यूनियन को इस समय ३,१३६ रुपया ५० नये पैसे की हानि है, अतः लाभ-वितरण का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हरीशकुमार गंगवार —

मंत्री जी बतायेंगे कि इस कोआपरेटिव यूनियन की लागत क्या थी, किस पूंजी से शुरू की गई थी और हिस्से का रुपया कहां गया ?

श्री बनारसीदास —

यह तो आपने स्वयं प्रश्न में लिया कि १९५२ के अन्दर श्री सेवाराम सेल्समैन थे, तो उनके द्वारा ११,६०० रु० का गबन हुआ । पुलिस में रिपोर्ट लिखायी गई, अदालत में मुकदमा चला और वहां से सजा हुई जिसको हाईकोर्ट ने अपहैल्ड किया और उन पर डिग्री हुई । उन्होंने अपील की, लेकिन इसी बीच वह जेल में चले गये, जिसके कारण स्टे हो गई । अब वह जेल से बाहर निकलकर आये हैं तो उनकी अपील की सुनवाई होगी ।

इस सोसायटी के असेट्स २५,८२० रु० २६ न० पै० तथा जिम्मेदारी २८,९५६ रु० ७६ न० पै० है। इस तरह से ३, १३६ रु० ५० न० पै० का नुकसान होता है।

श्री हरीशकुमार गंगवार —

इस दुकान में जो कपड़ा आदि बचा हुआ था उस तमाम को इंस्पेक्टर, बरेली ले आये। तो क्या सरकार इतने पोर्शन की फिर से जांच करायेगी ?

श्री बनारसीदास —

इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने की, कोशिश की, लेकिन दिक्कत यह है कि यह मामला अदालत के अन्दर है। सारा रेकार्ड वहां है। इसलिये मेरे लिये यह कहना कठिन है कि निश्चयपूर्वक कोई बात मैं कह सकूं।

*२३–२४—श्री शिवनाथसिंह —

[१२ दिसम्बर, १९६३ को प्रश्न १४१–१४२ के अन्तर्गत उत्तर दिये जा चुके हैं]

एस० बी० शकर मिल, बिजनौर के कर्मचारियों का बोनस

*२५—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बिजनौर स्थित एस० बी० शकर मिल के कर्मचारियों को १९५०–५१ का बोनस अभी तक नहीं दिया गया है जब कि सरकार द्वारा मिल मालिकों का ध्यान भी उस ओर दिलाया जा चुका है ? यदि हां, तो उक्त बोनस श्रमिकों को कब तक दे दिया जायगा तथा मिल मालिकों पर अब तक न देने के बारे में क्या कार्यवाही की जायगी ?

श्री बनारसीदास —

जी हां, एस० बी० शुगर मिल, बिजनौर सीजन १९५०–५१ में लीज पर सेठ बनारसीदास के पास थी और जब उक्त सीजन के बोनस देने का आदेश सरकार द्वारा घोषित किया गया तो मिल में दूसरा लेसी (Lessee) नियुक्त कर दिया गया था। यह प्रश्न कि बोनस भुगतान की जिम्मेदारी किस पर है, सिविल कोर्ट के समक्ष गया जिसने सेठ बनारसी दास को बोनस दिये जाने के लिये जिम्मेदार ठहरा दिया है। सरकार द्वारा प्रयत्न किया जा रहा है कि वह शीघ्र इसका भुगतान कर दें।

*२६—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (अनुपस्थित)—

क्या यह सत्य है कि उक्त मिल के मालिकों ने १९६० तथा १९६१ के बोनस के बारे में अभी तक घोषणा भी नहीं की है ? यदि हां, तो क्यों तथा वह कब तक दिया जायगा ?

श्री बनारसीदास —

सरकारी आदेश में इस मिल द्वारा १९६०–६१ के बोनस के वितरण के बारे में कोई घोषणा नहीं की गई है क्योंकि जो समिति उक्त सीजन के बोनस के प्रश्न पर विचार करने के लिये बनाई गई थी उसके सदस्यों में इस मिल द्वारा दिये जाने वाले बोनस की रकम के सम्बन्ध में मतभेद था।

*२७—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त मिल में १९६०–६१ के कुछ महीनों के प्रोविडेन्ट फन्ड का रुपया स्लिप में नहीं दिखाया गया ? यदि हां, तो उस धन का क्या हुआ ? क्या सरकार जांच करने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसीदास --

इस मिल के श्रमिकों के वर्ष १९६०-६१ के प्राविडन्ट फन्ड का रुपया अभिलेखों में दिखा दिया गया है।

प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

जिला परिषद्, बरेली द्वारा स्कूल इमारतों को हस्तान्तरित करने में अनियमितता

*२८--श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या सरकार को ज्ञात है कि बरेली जिला परिषद् के अध्यक्ष महोदय ने ७ लाख रुपये से अधिक की लागत से निर्मित परिषद् के दस से अधिक जूनियर हाई स्कूलों की इमारत बिना राज्य सरकार की अनुमति के प्राइवेट संस्थाओं को हाई स्कूल व इन्टर कालेज खोलने के लिये नाम मात्र किराये पर हस्तान्तरित कर दी हैं ? यदि हां,तो क्या सरकार इन इमारतों को वापस लेने के आदेश जारी करेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय--

सरकार को ज्ञात हुआ है कि जिला परिषद् बरेली में १० जूनियर हाई स्कूलों की इमारतें, जिनकी लागत तीन लाख से लेह हजार है, प्राइवेट संस्थाओं को हाई स्कूल व इंटर कालेज खोलने के लिये किराये पर हस्तान्तरित की थीं। ७ स्कूलों की इमारतों के हस्तांतरण के संबंध में नियमानुसार स्वीकृति जिला परिषद् ने प्राप्त कर ली थी परन्तु तीन इमारतों का मामला अभी विचाराधीन है। जिला परिषद् को नियमों की इस उपेक्षा पर कठोर चेतावनी दे दी गई है और उन्हें लिखा गया है कि जिस अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा उक्त अनियमितता घटी है, इसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय।

*२९--श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या सरकार को ज्ञात है कि हस्तातरण किये जाने के बाद भी उपरोक्त हाई स्कूल व इन्टर कालेजों को भवन, फर्नीचर तथा अन्य प्रकार से जिला परिषद् द्वारा सहायता दिलवाई गयी ? यदि हां, तो अब तक प्रत्येक विद्यालय पर परिषद द्वारा भवन समेत कितना व्यय किया गया व उनसे अलग-अलग कितना किराया वसूल किया जाने को था और कितना वसूल हुआ ?

श्री बंशीधर पांडेय--

वांछित सूचनायें संलग्न हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १२३ पर)

श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में धारा ९ के अनुसार दो हजार से ज्यादा की लीज को ट्रान्सफर करने के लिये स्टेट गवर्नमेन्ट की परमिशन की जरूरत होती है तो वहां जो ३० वर्ष के लीज पर इमारतें दी गयी हैं और १०० रुपये साल का बहुत नामिनल किराया रखा गया है तो क्या इन स्कूलों को ट्रांन्सफर करते समय स्टेट गवर्नमेन्ट से परमिशन ली गयी थी ?

श्री बंशीधर पांडेय--

आपको पहले सूचित किया कि ७ स्कूलों के सम्बन्ध में उन्होंने जिलाधीश की स्वीकृति ले ली और ३ की अभी नहीं हुई है जिसके कारण जिला परिषद् को चेतावनी दी गयी है।

श्री अध्यक्ष--

वह कहते हैं कि सरकार की इजाजत की आवश्यकता है, जिला परिषद् की नहीं।

श्री बंशीधर पांडेय—

जिस धारा का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है उसमें यह है कि १० वर्ष से ३० वर्ष के अन्दर की लीज की परमिशन कलेक्टर देगा और ३० वर्ष से ऊंची लीज के लिये स्टेट गवर्नमेंट की पर्मिशन की आवश्यकता होगी ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

उसमें यह है कि दो हजार या ढाई हजार की प्रापर्टी के लिये स्टेट गवर्नमेन्ट की परमिशन की जरूरत होगी, चाहे लीज कितने ही वर्ष का हो ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो डिफरेंस आफ ओपीनियन की बात है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मेरी सूचना को सही मानकर माननीय मंत्री जी फिर से जांच करायेंगे कि जिला बोर्ड की धारा ९ के अनुसार इन सब इमारतों का हस्तांतरण हुआ है या नहीं ?

श्री राममूर्ति—

यह जो अनियमिततायें बरती गयी हैं इसीके लिये जिला परिषद् को चेतावनी दी गयी है और कहा गया कि जिन अफसरों के जरिये से यह अनियमितता बरती गयी है उन पर रिस्पांसिबिलिटी फिक्स की जाय ताकि सरकार विचार कर सके ।

महाराजगंज ब्लाक से पंचायत निरीक्षक के विरुद्ध शिकायत

*३०—श्री उमाशंकर—

क्या विकास मंत्री ३ अप्रैल, १९६३ के प्रश्न संख्या ७ के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित पंचायत निरीक्षक के सम्बन्ध में जांच का क्या परिणाम निकला और सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री राममूर्ति—

जैसाकि गत ३ अप्रैल को माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या ६ के उत्तर में बताया जा चुका है कि सम्बन्धित पंचायत निरीक्षक के विरुद्ध निम्नलिखित शिकायतें प्राप्त हुईं—

(१) जनता, विधायकों, प्रमुख तथा उप प्रमुख तथा प्रधानों के साथ अशिष्ट व्यवहार करना,

(२) रिश्वत लेना,

(३) न्याय पंचायतों के अभिलेखों में हेर-फेर करके गलत उल्लेख करना,

(४) पंचायत मंत्रियों से रुपया ले कर अवकाश स्वीकार करना,

(५) रूपया स्वीकृत होने के उपरान्त भी अनुदान रोक देना, तथा

(६) शराब पीकर बाजार की गलियों और सड़कों पर घूमते हुये प्रतिष्ठित व्यक्तियों को अपमानित करना ।

उपर्युक्त शिकायतों की जांच एस० डी० ओ० द्वारा कराई गई और निराधार पाई गईं । एस० डी० ओ० की गोपनीय जांच से ज्ञात हुआ कि वह कभी-कभी शराब पीते हैं परन्तु सार्वजनिक स्थानों में नहीं । फिर भी शराब पीने के सम्बन्ध में उनको शासन द्वारा चेतावनी दे दी गई और उनका स्थानान्तरण अन्य जिले में कर दिया गया है ।

विकास क्षेत्र अधिकारी, दहगवां के विरुद्ध शिकायत

*३१—श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ८ या ९ अप्रैल, १९६३ को विकास क्षेत्र, दहगवां, जिला बदायूं के बी० डी० ओ० के विरुद्ध उन्हीं के स्टाफ के अन्य कर्मचारियों का कोई शिकायती-पत्र मिला था ? यदि हां, तो वह क्या था तथा उसमें क्या हुआ ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी हां, मार्च, १९६३ के वेतन समय से न मिलने तथा क्षेत्र विकास अधिकारी द्वारा कर्मचारियों को तंग किये जाने के बारे में शिकायत की गई।

*३२—उल्फतसिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ८ तथा ९ अप्रैल, १९६३ को उक्त विकास क्षेत्र कार्यालय क्यों बन्द रहा तथा उस की ताली किस के पास थीं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

चूंकि क्षेत्र विकास अधिकारी को ८ व ९ अप्रैल की मीटिंग में जाना था इसलिये दिनांक ८ व ९ अप्रैल, १९६३ को उनका कक्ष बन्द रहा। हां, ८ तारीख को अन्य तीन कमरों में से दो कमरे कुछ समय के लिये खुले रहे तथा ८ व ९ तारीख को स्टोर का कमरा बराबर खुला रहा तथा ९ को अन्य कमरे कुछ समय खुले रहे। क्षेत्र विकास अधिकारी के कक्ष की कुंजी उक्त अधिकारी के पास, अन्य तीन कमरों में से एक की कुंजी एक कनिष्ठ सहायक के पास, दूसरे की एक चपरासी के पास तथा स्टोर रूम की स्टोर कीपर के पास थी।

*३३—श्री उल्फतसिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं स्थित ब्लाक दहगवां के कर्मचारियों का मार्च का वेतन अप्रैल मास को किस तारीख को दिया गया तथा क्यों ?

श्री बंशीधर पांडेय—

उक्त ब्लाक के कर्मचारियों को मार्च का वेतन २० अप्रैल, १९६३ को दिया गया।

चूंकि वेतन के बिल जिन पर ट्रेजरी ने कुछ आपत्ति लगा रक्खी थी क्षेत्र विकास अधिकारी को १० अप्रैल, १९६३ को आवश्यक पूछताछ करने के बाद प्राप्त हो सके उन्होंने आपत्ति का निवारण करके बिल फिर ट्रेजरी भेजा तथा वहां से पास हो जाने के बाद बिल १८ अप्रैल को केश किये गये। १९ अप्रैल, १९६३ को वापस ब्लाक पहुंचने पर २० अप्रैल, १९६३ को वेतन का वितरण किया गया।

श्री उल्फतसिंह यादव—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि ब्लाक के कर्मचारियों ने शिकायत की ? उसमें क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, इस ब्लाक में बड़ी पार्टीबन्दी अफसरों के बीच में थी। जब यह प्रश्न सरकार के सामने आया तो उस की जांच करायी गयी और कुछ अफसरों का ट्रांसफर किया गया, कुछ की सेवायें समाप्त कर दी गयीं, कुछ के कैरेक्टर रोल्स में उनके खिलाफ सख्त एन्ट्री कर दी गयी।

नोट—तारांकित प्रश्न ३३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

हरिजन नर्सें

*३४—श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

क्या सरकार बतायेगी कि क्या स्टाफ नर्सों की नियुक्ति तथा तरक्की में हरिजनों को प्राथमिकता दी जाती है?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

स्टाफ नर्सों की नियुक्ति तथा तरक्की में हरिजनों को प्राथमिकता नहीं दी जाती।

*३५—श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या सरकार बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में स्टाफ नर्सों में कुल कितनी हरिजन नर्सें हैं?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

सेलेक्शन ग्रेड में बी० डी० ओजं०, सहकारी समितियों द्वारा ऋण, बीज, खाद का वितरण

*३६—श्री पूरनलाल (जिला हरदोई)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष कितने बी० डी० ओज० को Selection Grade में लिया गया? उसमें कितने हरिजन और कितने पिछड़ी जाति के लोग लिये गये?

श्री राममूर्ति—

इस वर्ष १०९ बी० डी० ओज० स्पेशल ग्रेड में लिए गए इनमें से एक हरिजन तथा पांच पिछड़ी जातियों के हैं।

*३७—श्री पूरनलाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ब्लाकों के अन्तर्गत साधन सहकारी समितियों द्वारा जो ऋण काश्तकारों को दिया जाता है, क्या उसके साथ खाद का देना अनिवार्य है? यदि हां, तो कितने प्रति सैकड़ा?

श्री राममूर्ति—

साधन सहकारी समितियों के कृषक सदस्यों को सहकारी ऋण पर सिंचित क्षेत्र में उतनी खाद की मात्रा लेना चाहिए जो कृषि निदेशक द्वारा विभिन्न फसलों के लिये प्रति सैकड़ा निर्धारित की गई है। असिंचित क्षेत्रों के लिए न्यूनतम १० रु० प्रति एकड़ खरीफ की फसल के लिए और ७।। रुपये प्रति एकड़ की फसल के लिए निर्धारित किया गया है। ऐसे क्षेत्रों के लिए जो खाद के उपयोग के लिए उपयुक्त न हों, छूट दी जाने की विशेष व्यवस्था भी है। इस प्रकार अब सहकारी ऋण के साथ जो खाद दी जाने की व्यवस्था है उसमें ऋण का कोई निश्चित प्रतिशत खाद के रूप में नहीं दिया जाता बल्कि खाद की मात्रा क्षेत्रफल और फसल के हिसाब से उपरोक्त ढंग से निकाली जाती है।

*३८—श्री पूरनलाल—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि सरकार द्वारा ब्लाकों के अन्तर्गत जो बीज काश्तकारों को वितरण के लिए दिया जाता है उस बीज के वितरण न होने पर उसकी कीमत का भुगतान वहां के ग्राम सेवक व पंचायत मंत्रियों पर पड़ता है?

श्री राममूर्ति—

ब्लाकों के अन्तर्गत सहकारी बीज भण्डार वितरण के पश्चात् बीज के अवशेष भाग को स्वयं ही बेचने का प्रबन्ध करते हैं और ग्राम सेवक व पंचायत मंत्रियों से उस की कीमत का कोई भुगतान नहीं कराया जाता है।

कृषि विभाग के बीज गोदामों से वितरित बीज की कीमत ग्राम सेवकों व पंचायत मंत्रियों से वसूल करने के आदेश नहीं हैं।

विकास क्षेत्र, मोठ में ग्राम सेवकों का वेतन

*३९—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले के कुछ ग्राम सेवक भूमि संरक्षण प्रशिक्षण के पश्चात् १३ सितम्बर, १९५९ से ३० सितम्बर, १९५९ तक ड्यूटी में उप स्थत रहते हुये भी इस अवधि का पारिश्रमिक (वेतन) पाने से वंचित रहे? यदि हां, तो वेतन न दिये जाने का कारण क्या है इसी अवधि का वेतन प्राप्त करने निमित्त सम्बन्धित ग्राम सेवकों ने खण्ड विकास अधिकरी, मोठ को क्रमशः २३ अगस्त, १९६० व ६ फरवरी, १९६१ तथा अतिरिक्त जिलाधीश नियोजन को १८ फरवरी, १९६३ व ३० अप्रैल, १९६३ को निवेदन-पत्र दिये? यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री राममूर्ति—

जी हां।

विकास क्षेत्र, मोठ में स्वीकृत पदों से अधिक ग्राम सेवकों की नियुक्तियां हो जाने के कारण वेतन न दिया जा सका।

चार आवेदन पत्रों में से केवल १८-२-६३ का आवेदन पत्र जिला नियोजन कार्यालय, झांसी में प्राप्त नहीं हुआ।

उक्त आवेदन पत्रों पर वेतन सम्बन्धी कार्यवाही झांसी मंडल के अधिकारियों द्वारा की जा रही है।

बुलन्दशहर अस्पताल के मुरली मेहतर की पेन्शन

*४०—श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

श्री मुरली मेहतर, सदर अस्पताल, बुलन्दशहर के पेंशन का मामला अब तक निर्णीत न होने का क्या कारण है जब कि उन्हें अवकाश प्राप्त किये २ वर्ष से अधिक हो रहे हैं?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

श्री मुरली मेहतर के पेंशन का मामला निर्णीत न होने का कारण यह है कि यह मामला महालेखापाल, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के कार्यालय में दीर्घ काल से अनिर्णीत पड़ा था क्योंकि उन सभी कर्मचारियों के पेंशन के मामले जिनकी आयु संबंधित अस्पताल के प्रांतीयकरण के ३० वर्ष से ऊपर सरकार के विचाराधीन थे। श्री मुरली मेहतर के पेंशन का मामला भी इसी कोटि में आता था। पेंशनरी राइट संबंधी विषय में आवश्यक आदेश राजाज्ञा संख्या २०९-३९ ए/बी, १०/१९८/५७, दिनांक ९-९-१९६३ में जारी कर दिये गये। तदनुसार श्री मुरली मेहतर की पेंशन महालेखापाल के पत्र संख्या PAP/LKO १२८०, दिनांक १-१०-६३ के द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। सिविल सर्जन, बुलन्दशहर ने अपने दिनांक २८-१०-६३ के पत्र के साथ इनकी Last Pay Certificate. भी महालेखापाल को भेज दी है।

*४१—श्री गेंदासिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या कर्मचारियों के पेंशन के कुछ मामले ऐसे हैं जो जिला बोर्ड अथवा जिला परिषद् से सबन्ध रखते थे और वे इस समय सरकार के अधीन आ गये हैं? यदि हां, तो ऐसे कितने हैं और उस पर क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

जूट वेतन मण्डल का प्रतिवेदन

*४२—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार को जूट वेतन मण्डल का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है? यदि हां, तो क्या उस की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर सरकार रखने की कृपा करेगी तथा बतायेगी कि उक्त मण्डल की सिफारिशें कब तक लागू कर दी जायेंगी?

श्री बनारसीदास—

जी हां।

जूट वेतन मंडल के प्रतिवेदन की प्रतिलिपि श्रम मंत्री के कार्यालय में उपलब्ध है, जिसे देखा जा सकता है।

उक्त मंडल की सिफारिश को जल्द से जल्द लागू करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक त्रिदलीय सम्मेलन २४ दिसम्बर, १९६३ को बुलाया जा रहा है।

विकास क्षेत्र, मोठ में ग्राम सेवकों का वेतन

*४३—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या विकास मंत्री को जानकारी है कि वार्षिक इन्क्रीमेंट न मिलने के सम्बन्ध में झांसी जिले के विकास खण्ड, मोठ के ग्राम सेवकों ने खण्ड विकास अधिकारी को क्रमशः २३ अगस्त, १९६० व ६ फरवरी, १९६१ तथा अतिरिक्त जिलाधीश नियोजन को १८ जनवरी, १९६३ व १८ फरवरी, १९६३ को आवेदन-पत्र दिये हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री राममूर्ति—

झांसी जिले के मोठ ब्लाक के एकमात्र ग्राम सेवक श्री चन्द्रपालसिंह सेंगर से प्रसंगगत आवेदन-पत्र प्राप्त हुये। अवशेष वेतन भुगतान की दिशा में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

*४४-४५—श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

[६ठें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

लेक्चरर इन मेडिसिन के रिक्त स्थान

*४६—श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज में "लेक्चरर इन मेडिसिन" के लिए लोक सेवा आयोग द्वारा कोई साक्षात्कार किया गया था? यदि हां, तो उसमें किसकी नियुक्ति की गयी?

श्री बाऊदयाल खन्ना—

जी हां, गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कालेज, कानपुर में "लेक्चरर इन मेडिसिन" के लिये लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा साक्षात्कार किया गया था। आयोग की सिफारिश शासन के विचाराधीन है।

*४७—श्री शिवेन्द्रप्रताप—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इस समय प्रदेश के विभिन्न सरकारी मेडिकल कालेजों में "लेक्चरर इन मेडिसिन" की कितनी जगहें खाली हैं या १ वर्ष में खाली होने वाली हैं?

श्री बाऊदयाल खन्ना—

इस समय प्रदेश के निम्नलिखित सरकारी मेडिकल कालेजों में "लेक्चरर इन मेडिसिन" की कितनी जगहें खाली हैं उनके सामने दी हुई हैं:

१—मेडिकल कालेज, कानपुर	..	..	.. एक पद
२—मेडिकल कालेज, आगरा	..	..	.. एक पद

जहां तक "लेक्चरर इन मेडिसिन" की १ वर्ष में खाली होने वाली जगहों का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में शासन के पास कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

कोआपरेटिव मिल्क यूनियन, मेरठ पर बकाया

*४८—श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कोआपरेटिव मिल्क यूनियन, मेरठ को जो कि बन्द हो चुकी है सरकार द्वारा कुल कितना धन अनुदान तथा ऋण के रूप में दिया गया था?

श्री बनारसीदास—

कोआपरेटिव मिल्क यूनियन, मेरठ को जो कि अब बंद हो चुकी है, सरकार द्वारा २,८१,६०४ रुपया अनुदान के रूप में तथा १,१२,५२६ रुपया ऋण के रूप में दिया गया था।

*४९—श्री बसन्तसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऋण का अभी कितना रुपया उस यूनियन पर बाकी है तथा उसे वसूल करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री बनारसीदास—

मूल ऋण में अब कुछ भी बाकी नहीं है। केवल २,७५४ रुपये की धनराशि जो साधारण तथा दंडनीय ब्याज (Simple and penal interest) की है अब बाकी है। उसकी वसूली के लिये अपाकर्ता (Liquidator) से पत्र व्यवहार किया जा रहा है।

*५०—श्री बसन्तसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त यूनियन के पदाधिकारियों के नाम क्या हैं?

श्री बनारसीदास—

कोआपरेटिव मिल्क यूनियन, मेरठ दिनांक १२-९-१९६२ से अपाकरण (Liqudation) के अन्तर्गत है और इस कार्य के लिये सर्वप्रथम श्री राजपाल सिंह अपाकर्ता (Liquidator) नियुक्त किये गये। इस समय श्री ओ० सी० वर्मा इस पद पर कार्य कर रहे हैं।

*५१-५२—श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद) तथा श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—

[१२ दिसम्बर, १९६३ को प्रश्न संख्या १४३-१४४ के अन्तर्गत उत्तर दिये जा चुके हैं।]

*५३-५५—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

[१२ दिसम्बर, १९६३ को प्रश्न १४५-१४७ के अन्तर्गत उत्तर दिये जा चुके हैं।]

*५६—श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

[१३ दिसम्बर, १९६३ को प्रश्न १४० के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

*५७—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

[१२ दिसम्बर, १९६३ को प्रश्न १४९ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

मिठाइयों के लिए स्वीकृत रंग

*५८—श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिठाइयों में रंगों की मिलावट करने के लिये सरकार ने स्वास्थ्य की दृष्टि से कौन-कौन से रंगों को स्वीकृत किया है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

प्रिवेन्शन आफ फूड एडलट्रेशन रूल के अनुसार स्वास्थ्य की दृष्टि से मिठाइयों में केवल निम्नलिखित रंगों का प्रयोग स्वीकृत किया है :—

रंग का साधारण नाम	रंग की सूचक संख्या
१—लाल पौन्यिों ४ आर	१८५
लाल कारमोइसीन	१७९
लाल रेड ६ बी	५७
लाल रेड एफ बी	२२५
लाल एसिड मैजेन्टा	६९२
लाल फास्ट रेड-ई	१८२
लाल एमारन्थ	१८४
लाल एरीथ्रोसीन	७७३
२—पीला टारट्राजीन	६४०
पीला सनसेट एलो एफ सी-एफ	..
नीला ब्लू बी आर एस	६७२
इन्डिगो कारमाईन	११८०
४—काला	
ब्रीलियेन्ट ब्लैक बी० एन०	

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित प्राकृतिक रंगों का भी प्रयोग किया जा सकता है।

१—कोचीनीयल या कारमाइन।
२—कैरोटीन और कैरोटोनोइड्स।
३—क्लोरोफील।

132686

४—सैक्टोप्लेमीन ।
५—कैरोमेल ।
६—एनाटो ।
७—रतनजोत ।
८—सैफून (जाफरान)
९—करी क्युमिन (हल्दी से प्राप्त) ।

इलाहाबाद मेडिकल कालेज के निम्न श्रेणी के कर्मचारियों की शिकायत

*५९—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि इलाहाबाद के मेडिकल कालेज के निम्न श्रेणी के कर्मचारियों की शिकायत सरकार के पास आयी है ? यदि हां, तो वे शिकायतें क्या हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

एक भूतपूर्व कर्मचारी की शिकायत प्रिंसिपल के पास आई है तथा दो शिकायती पत्र इन कर्मचारियों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा प्राप्त हुए हैं । शिकायतें एनाटोमी के प्रोफेसर के इन कर्मचारियों के प्रति दुर्व्यवहार , रिश्वत लेने, नौकरी से निकाल देने, घर पर काम लेने और उन्हें छुट्टी न देने, इत्यादि तथा एनाटोमी विषय में अधिक विद्यार्थियों के असफल हो जाने के संबंध में हैं ।

*६०—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि इलाहाबाद मेडिकल कालेज के अन्तर्गत स्वरूपरानी अस्पताल में कितने मरीजों को अस्पताल में रखने का प्रबन्ध है?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

१७८ ।

*६१—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतलायेंगी कि इलाहाबाद मेडिकल कालेज के कितने कर्मचारी १ साल के अन्दर अस्पताल से निकाले गये तथा कितने कर्मचारियों ने इस्तीफा दिया ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

एक साल (१९६२) में तीन कर्मचारी निकाले गए तथा चार ने इस्तीफा दिया ।

मोदीनगर काटन एवं सिल्क मिल्स में बोनस

*६२—श्री ऊदल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मोदीनगर काटन एवं सिल्क मिल्स में बोनस सन् १९६२ का नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो वह कब तक दे दिया जायगा ?

श्री बनारसीदास—

मोदी स्पिनिंग एन्ड वीविंग मिल्स, मोदीनगर, जिला मेरठ के सेवायोजकों ने १९६१-६२ के आर्थिक वर्ष के लिये मजदूरों को ६,०३,००० रु० की धनराशि बोनस के रूप में घोषित की, जिसका वितरण भी हो चुका है ।

वाराणसी मानसिक चिकित्सालय

*६३—श्री ऋषिनारायण शास्त्री (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार वाराणसी के पागलखाने को जो इस समय केवल कैदियों के लिये रक्खा गया है, पूर्वी जिलों की बढ़ती हुयी आवश्यकताओं को देखकर सार्वजनिक उपयोग के लिये खोल देगी, जिससे वहां की गरीब जनता भी उससे लाभान्वित हो सके ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

पूर्वी जिलों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर वाराणसी मानसिक चिकित्सालय की वर्तमान ३३१ शय्याओं में से १०० शय्याओं को निरपराधी मानसिक रोगियों के उपकार के लिये परिवर्तित करने का प्रस्ताव शासन ने १९६१-६२ में स्वीकार कर लिया था, परन्तु राष्ट्रीय संकट के कारण इस योजना को कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

असन्दरा डिस्पेंसरी में डाक्टर न होना

*६४—श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी के अन्तर्गत असन्दरा डिस्पेंसरी में डाक्टर कब से नहीं है और क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

डाक्टरों की अत्यधिक कमी के कारण इस डिस्पेंसरी में दिनांक २-१२-६२ से डाक्टर नहीं है।

*६५—श्री गिरजाप्रसाद—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि असन्दरा में डाक्टर न होने के कारण अप्रशिक्षित, अमान्यता प्राप्त तथा अनुभवहीन डाक्टर डिस्पेंसरी के आस-पास के गावों में गलत तरीके से इन्जेक्शन लगा रहे हैं जिससे लोगों की मृत्युएं भी हुई हैं ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में जांच कराने की कृपा की जायगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

अभी तक इस प्रकार की कोई शिकायत शासन को नहीं प्राप्त हुई है। यदि माननीय सदस्य उन लोगों के नाम व पते सरकार के पास भेज दें जो उनकी जानकारी में मर गये हैं तथा जो गलत इन्जेक्शन लगा रहे हैं तब अवश्य ही जांच करवाई जायगी।

सहसवान ब्लाक जीप से दुर्घटना

*६६—श्री उल्फतसिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक १८ सितम्बर, १९६३ के आस-पास बदायूं जिले के ब्लाक सहसवान की जीप से कोई दुर्घटना हो गई ? जिससे कि जीप में बैठी एक महिला की मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह जीप कहां जा रही थी, उसे कौन चला रहा था और दुर्घटना क्यों हुई ?

श्री राममूर्ति—

जी हां। जीप मरम्मत तथा सर्विसिंग के लिये बदायूं जा रही थी। जीप चालक द्वारा चलाई जा रही थी और अचानक सड़क की खराबी से दुर्घटना हो गई।

स्वतंत्रता दिवस पर मोदीनगर मिल खुला रहना

*६७--श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर), श्री जमादारसिंह (जिला मेरठ) तथा श्री ऊदल--

क्या सरकार को पता है कि मोदीनगर सिल्क एवं काटन मिल, जिला मेरठ को १५ अगस्त, सन् १९६३ को भी चालू रक्खा गया जब कि पूरे देश में उस दिन पूरी तनख्वाह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने की गजटेड छुट्टी थी ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ? क्या सरकार को पता है कि मैनेजमेन्ट ने उस दिन एक नोटिस लगाया था कि उस दिन को डबल तनख्वाह दी जायगी ?

श्री बनारसीदास--

इस नाम की कोई मिल नहीं है । शेष सूचना देने का प्रश्न नहीं उठता ।

*६८--श्री विजयपालसिंह, श्री जमादार सिंह तथा श्री ऊदल--

[९ दिसम्बर, १९६३ को प्रश्न संख्या ५२ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

मोदी स्पिनिंग ऐण्ड वीविंग मिल्स कं०, लिमिटेड, मोदीनगर

*६९--श्री विजयपालसिंह, श्री जमादारसिंह तथा श्री ऊदल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मोदीनगर सिल्क मिल में प्रतिमाह करीब ५०-६० विनता मशीने बन्द रहती हैं और उस दिन की मजदूरों को मंहगाई तथा आधी तनख्वाह नहीं दी जाती ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री बनारसीदास--

मोदी नगर स्पिनिंग एन्ड वीविंग मिल्स कं०, लिमिटेड मोदीनगर की सिल्क मिल में कोई विनता मशीन न तो पहले बन्द थी और न अब बन्द रहती है। अतः प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का सवाल नहीं उठता।

पंचायत मंत्रियों का वेतन

*७०--श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पंचायत सेक्रेटरी के पद को अब तक स्थायी क्यों नहीं किया जा सका ?

श्री राममूर्ति--

पंचायत मंत्री गांव पंचायतों के कर्मचारी हैं जिनके पास धन की इतनी कमी है कि उनका वेतन शासन द्वारा प्रदत्त अनुदान से दिया जाता है । ऐसी परिस्थिति में पंचायत मंत्रियों को स्थायी करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

*७१--श्री रघुनाथसिंह--

क्या इस पद के स्थायी करने, वेतन-क्रम निर्धारित करने तथा प्राविडेन्ट फण्ड कटने आदि के सम्बन्ध में सरकार ने क्या निश्चय किया है ?

श्री राममूर्ति--

पंचायत मंत्रियों के स्थायी करने व प्राविडेन्ट फन्ड कटने का कोई प्रश्न इस समय शासन के विचाराधीन नहीं है । वेतनक्रम प्रारम्भ से ही निर्धारित है।

*७२—श्री विजयपालसिंह तथा श्री ऊदल—

[हटा दिया गया ।]

*७३—श्री हरिगैनराम (जिला वाराणसी)—

[१२ दिसम्बर, १९६३ को प्रश्न संख्या १५० के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

फतेहपुर जिले में विकास केन्द्रों की सड़कें व जीपें

*७४—श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर) तथा श्री रघुवीरसहाय कंथवार—

क्या उत्तर प्रदेश सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिला फतेहपुर के कौन कौन ब्लाक केन्द्र ऐसे हैं जो जिला केन्द्र फतेहपुर या अपने तहसील केन्द्रों से पक्की सड़कों द्वारा आज तक नहीं मिलाये जा सके हैं ? उनकी जिला केन्द्र और अपनी तहसील केन्द्र से दूरी कितनी है और कितने मील पक्की सड़क और कितने मील कच्ची सड़क की यात्रा करनी पड़ती है ?

श्री राममूर्ति—

जनपद फतेहपुर के असोथर, देवमई, अमौली तथा धाता ब्लाक ऐसे हैं जो जिला केन्द्र फतेहपुर या अपने तहसील केन्द्र से पक्की सड़कों द्वारा आज तक नहीं मिलाये जा सके हैं । उनकी जिला केन्द्र से दूरी क्रमशः २२, ३०, ३९ तथा ४४ मील एवं तहसील केन्द्र से क्रमशः २२,२०, २३ तथा २२ मील है। इन ब्लाक केन्द्रों से जिला केन्द्र के लिये क्रमशः १३, २३, ३२ तथ २८ मील पक्की सड़क एवं क्रमशः ९, ७, ७ तथा १६ मील कच्ची सड़क की यात्रा करनी पड़ती है और तहसील केन्द्र के लिये क्रमशः १३, १४, १६ तथा ६ मील पक्की सड़क एवं क्रमशः ९, ६, ७ तथा १६ मील कच्ची सड़क की यात्रा करनी पड़ती है ।

*७५—श्री दीपनारायणसिंह तथा श्री रघुवीरसहाय कंथवार—

क्या उत्तर प्रदेश सरकार को यह पता है कि धाता ब्लाक के केन्द्र धाता में बरसात के ४–५ मास तक पहुंचने में बेहद परेशानी होती है और सिराथू से ११ मील कच्ची सड़क पानी में डूबी रहती है ? क्या सरकार उक्त कच्ची सड़क को इसी तृतीय पंचवर्षीय योजना में पक्की कराकर उक्त ब्लाक केन्द्र में पहुंचने की कठिनाई दूर करने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—

जनपद फतेहपुर के ब्लाक केन्द्र धाता तक बरसात के ४–५ मास तक पहुंचने में बेहद परेशानी होती है । जिला केन्द्र फतेहपुर से ब्लाक केन्द्र धाता पहुंचने के लिये सिराथू तक ३९ मील पक्की सड़क तथा सिराथू से धाता तक १० मील कच्ची सड़क की यात्रा करनी पड़ती है। बरसात के दिनों मे उक्त कच्ची सड़क की दशा बहुत ही दयनीय रहती है। जिले की तृतीय पंचवर्षीय योजना में उक्त कच्ची सड़क को पक्की कराने की कोई योजना नहीं है ।

*७६—श्री दीपनारायणसिंह तथा श्री रघुवीरसहाय कंथवार—

क्या उत्तर प्रदेश सरकार यह बतलायेगी कि जिला फतेहपुर के किन-किन ब्लाकों में सरकारी जीपें हैं और किन-किन में नहीं ? इस विषम व्यवहार को कब तक मिटाया जा सकेगा ? यदि हां, तो क्या सरकार इस भिन्नता को दूर करने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—

जनपद फतेहपुर के ब्लाक बहुवा, भिटौरा, असोथर, हसवा, मलवां, खजुहा, देवमई, ऐरायां हथगाम तथा विजयीपुर में सरकारी जीपें हैं और ब्लाक तेलियानी, अमौली तथा धाता, में सरकारी जीपों की सप्लाई ब्लाकों के लिये बन्द है ।

*७७-७८—श्री रतीपाल—

[१२ दिसम्बर, १९६३ को प्रश्न संख्या १५१ के अन्तर्गत उत्तर दिये जा चुके हैं।]

गोरखपुर में गांजे का अवैध व्यापार संबंधी स्मृति-पत्र

*७९—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक २५ अगस्त, १९६३ को जब गृह मंत्री गोरखपुर गये थे, तब राजनीतिक पार्टियों द्वारा गांजे के अवैध व्यापार से संबंधित कोई स्मृति-पत्र दिया गया था? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखेगी और बतलायेगी कि उस स्मृति-पत्र में उठाये गये सवालों पर कौन-सी कार्यवाही की गई?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां। कथित स्मृति-पत्र में लिखित आरोपों की जांच हो रही है। स्मृति-पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखना जनहित में नहीं है।

दहगवां ब्लाक भवन के लिए जमीन

*८०—श्री उल्फतसिंह यादव—

क्या सरकार को मालूम है कि ग्राम दहगवां, तहसील सहसवान, जिला बदायूं में जहां पर दहगवां ब्लाक का भवन बनने वाला था, उक्त स्थान पर हरिजनों का कब्रिस्तान था और उस भूमि को जमींदारों ने हरिजनों को कब्रिस्तान के लिये दे रखा था? यदि हां, तो क्या सरकार स्थान की जांच कराकर उक्त भूमि हरिजनों को वापस करने की कृपा करेगी?

श्री राममूर्ति—

ग्राम समाज तथा लेखपाल के रिकार्ड के अनुसार यह भूमि कब्रिस्तान की नहीं है। परन्तु मौके पर हाल की २-३ कब्रें मौजूद हैं जो एक तरफ हैं।

*८१—श्री उल्फतसिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भवन के भूमि की पैमाइश करने में कुछ खेतों की पैमाइश लेखपाल द्वारा गलत हो गई है? यदि हां, तो क्या सरकार पुनः जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही कराने की कृपा करेगी?

श्री राममूर्ति—

भवन के भूमि की नाप सार्वजनिक निर्माण विभाग के ओवरसियर तथा तहसील सहसवान के लेखपाल ने दिनांक १४ व १५ सितम्बर, १९६२ में की थी परन्तु उस समय से इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति अब तक नहीं आई है। अतः पुनः जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

सहारनपुर में ताड़ी की दुकान

*८२—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को मालूम है कि सहारनपुर शहर में ताड़ीखाने ऐसे स्थानों पर स्थित हैं जो कि शांति तथा व्यवस्था की दृष्टि से अत्यन्त अहितकर हैं और जहां रोज गुंडे ताड़ी पीने के लिये वहां एकत्र होकर नागरिकों को परेशान किया करते हैं तथा जिनको हटाने के लिये वहां की जनता बराबर आन्दोलन कर रही है? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है और क्या उन गुन्डों को वहां से हटाकर बस्ती से बाहर करने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

सहारनपुर शहर में ताड़ी की केवल एक दुकान है जो बहुत सालों से नवाबगंज मुहल्ले में थी और जनता को पहले कभी इस दुकान के विरुद्ध कोई शिकायत कभी नहीं थी। इस वर्ष जब दुकान नये अनुज्ञापी को मिली तो जनता ने असन्तोष प्रकट करते हुये इस बस्ती के बाहर हटाने की मांग की। फलस्वरूप अस्थायी तौर पर दुकान हटा कर बस्ती के बाहर कर दी गई है। अब कोई शिकायत नहीं है।

धसान व लखेरी नदियों के बीच अस्पताल की आवश्यकता

*८३—श्री काशीप्रसाद द्विवेदी (जिला झांसी)—

क्या सरकार को पता है कि झांसी जिले की जरौल तहसील में धसान नदी व लखेरी नदी के बीच एक ऐसा क्षेत्र है जहां वर्षा में जनता के चिकित्सा के साधन नहीं हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उस क्षेत्र में ऐलोपैथिक अस्पताल बनवाने का विचार करेगी?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

झांसी जिले में जरौल नाम की कोई तहसील नहीं है। धसान व लखेरी नदियों के बीच का कुछ भाग गरौठा तहसील में पड़ता है। इस क्षेत्र की जनता अपनी चिकित्सा सम्बन्धी आवश्यकताएं गरौठा एलोपैथिक औषधालय से पूरा करती है।

औद्योगिक विवादों के निर्णय

*८४—श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १९६२-६३ के वित्तीय वर्ष में इंडस्ट्रियल ट्रिब्युनल लेबर कोर्ट तथा पंचों ने कितने औद्योगिक विवाद में फैसले किये?

श्री बनारसीदास—

वित्तीय वर्ष १९६२-६३ में कथित फैसले जो गजट में प्रकाशित हुये उनकी संख्या ७०५ थी।

*८५—श्री मंगलदेव—

क्या श्रम मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उनमें से कितने फैसले श्रमिकों के पक्ष में हुये और कितने विपक्ष में हुये?

श्री बनारसीदास—

श्रमिकों के पक्ष तथा विपक्ष में फैसलों की संख्या क्रमश: ४४७, २५८ थी।

गांव पंचायत, बरईगढ़ के प्रधान का रिक्त स्थान

*८६—श्री ज्वालाप्रसाद (जिला कानपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि तहसील घाटमपुर, जिला कानपुर में किन-किन गांव पंचायतों में प्रधानों (सभापतियों) के स्थान रिक्त हैं? उनके रिक्त होने के कारण क्या हैं?

श्री राममूर्ति—

तहसील घाटमपुर, जिला कानपुर में केवल गांव पंचायत, बरईगढ़ का प्रधान पद रिक्त है। इसके रिक्त होने के कारण माननीय हाई कोर्ट, इलाहाबाद की निषेधाज्ञा है।

*८७—श्री ज्वालाप्रसाद —

रिक्त स्थानों के प्रधानों का चार्ज किसके पास है ? रिक्त स्थानों का चुनाव सरकार कब तक करायेगी ?

श्री राममूर्ति —

गांव पंचायत, बरईगढ़ के प्रधान पद का चार्ज श्री रामनारायन गुप्त के पास है। रिक्त स्थान के लिये चुनाव माननीय हाई कोर्ट के आदेश प्राप्त होने पर कराया जायेगा।

*८८-८९—श्री कैलाश (जिला देवरिया) तथा श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

[१२ दिसम्बर, १९६३ को प्रश्न संख्या १५३-१५४ के अन्तर्गत उत्तर दिये जा चुके हैं।]

शाहजहांपुर जिले में ब्लाक संबंधी जीपें, बी० डी० ओ० निगोही व तिलहर के खिलाफ शिकायतें

*९०—श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर) तथा श्री केशवसिंह (जिला शाहजहांपुर)—

क्या नियोजन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि जिला शाहजहांपुर में निगोही ब्लाक के बी० डी० ओ० ने १५ अगस्त, १९६३ के पुनीत पर्व पर तवायफें बुलवा कर नाच करवाया और तवाइफें रात को ब्लाक के कार्यालय में ठहरीं ?

श्री राममूर्ति —

जी नहीं।

*९१—श्री सुरेन्द्रविक्रम तथा श्री केशवसिंह—

क्या नियोजन मंत्री जी को यह पता है कि जिला शाहजहांपुर के तिलहर ब्लाक के बी० डी० ओ० ने फर्जी टी० ए० चार्ज किया जिसकी सूचना ए० डी० ओ० ऐनीमल हस्बेंडरी या वेटेरिनरी असि टेंट सर्जन, तिलहर के अधिकारियों को दी ? यदि हां, तो वह सूचना किस आधार पर थी और उस पर डी० पी० ओ०, शाहजहांपुर अथवा जिलाधीश, शाहजहांपुर ने क्या ऐक्शन लिया ?

श्री राममूर्ति —

शाहजहांपुर के ब्लाक तिलहर के बी० डी० ओ० ने फर्जी टी० ए० चार्ज नहीं किया इस ब्लाक के वेटेरिनरी असिस्टेंट सर्जन ने क्षेत्र विकास अधिकारी के विरुद्ध १६ जुलाई, १९६३ को मित्तरपुर बरूआ ग्राम को बिना यात्रा किये हुये यात्रिक भत्ता चार्ज करने की शिकायत अवश्य की थी।

इस शिकायत की जांच जिला कृषि अधिकारी और जिला नियोजन अधिकारी द्वारा की गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधीश महोदय ने क्षेत्र विकास अधिकारी को वेटेरिनरी असिस्टेंट सर्जन के पत्र पर गलत टिप्पणी देने और ९ घंटे की लगातार यात्रा पर जब कि वह यात्रा कुछ मिनटों के लिये ब्लाक कार्यालय पर रोक की गई पूरा दैनिक भत्ता प्राप्त करने के निमित्त कठोर चेतावनी देते हुये आधा भत्ता वापस करने के आदेश दिये।

*९२—श्री सुरेन्द्रविक्रम तथा श्री केशवसिंह—

क्या नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर में कितने बी० डी० ओज० के पास जीप गाड़ियां हैं और उनमें से कितनी चालू हैं ?

श्री राममूर्ति —

शाजहांपुर जिले में १४ ब्लाक हैं जिनमें ९ बी० डी० ओज० के पास जीप गाड़ियां हैं। उनमें ६ जीप गाड़ियां चालू हालत में हैं और शेष तीन गाड़ियां चालू हालत में नहीं हैं।

दहगवां ब्लाक में मिलावट संबंधी मुकदमे

*९३—श्री उल्फतसिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं, ब्लाक दहगवां के सेनिटरी इंस्पेक्टर ने मिलावट के बारे में कितने चालान वित्तीय वर्ष १९६१–६२ तथा १९६२–६३ में किये ? उनमें से कितने मुकदमें छूट गये और कितनों को सजा हो गई ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

दहगवां ब्लाक के सेनिटरी इन्स्पेक्टर द्वारा १९६१–६२ में एक चालान किया गया जिसमें मुकदमा सफल नहीं हुआ। १९६२–६३ में भी एक चालान किया गया जिसमें अपराधी को सजा हुई।

जिला परिषद् चुनाव अनियमित घोषित करने पर व्यय

*९४—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा), कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर), श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) तथा श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जून, १९६३ में जिला परिषद् के चुनाव की अनियमित घोषणा से सरकार को कितना धन, घोषणा करने, उसको वापस करने तथा परिणाम स्वरूप मुकदमेबाजी में व्यय करना पड़ा ?

श्री राममूर्ति —

७ जिलों को छोड़कर अन्य जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार जिला परिषदों के सम्बन्ध में हाई कोर्ट में मुकदमें तथा उसके परिणाम स्वरूप २८ जून, १९६३ को होने वाले अध्यक्षों के चुनाव स्थगन में सरकार को लगभग १३,००० रु० व्यय करना पड़े ?

*९५—श्री राजेन्द्रसिंह, कुंवर श्रीपालसिंह, श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी तथा श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

[६ठे गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या १२६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

मिर्जापुर की अल्मूनियम फैक्टरी में हड़ताल

*९६—श्री रामप्यारे मिश्र (जिला मिर्जापुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि माह सितम्बर, सन् १९६३ में अल्मूनियम फैक्ट्री (रेनकूट मिर्जापुर) में हड़ताल के कौन कौन से कारण थे ? यदि हड़ताल गैर कानूनी (इल्लीगल) थी, तो उस समय सरकार ने कौन-कौन से प्रभावकारी कदम हड़ताल समाप्ति के लिये, लिये थे और कौन-कौन से कदम सरकार इस प्रकार की हड़ताल को एवायड करने के लिये सोच रही है, जबकि इस उद्योग से उत्पन्न वस्तुयें सुरक्षा तथा निर्यात के लिये उपलब्ध होना आवश्यक है ?

श्री बनारसीदास —

उस हड़ताल के मुख्य कारण निम्नलिखित थे :

(१) हिन्डेलको श्रमिक संघ को स्थाई आदेश प्रमाणकर्ता अधिकारी ने रिप्रेजेन्टेटिव श्रमिक संघ घोषित किया था जिसके विरुद्ध दूसरी यूनियन, राष्ट्रीय श्रमिक संघ ने इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, इलाहाबाद के समक्ष अपील की जो रद्द हो गई। इसके बाद श्रमिकों ने हड़ताल की।

(२) एक कर्मचारी, श्री रघुनन्दन मिस्त्री को ४–९–१९६३ से कार्यमुक्त किये जाने का विरोध।

हड़ताल में प्रमुख भाग लेने वालों को निरन्तर समझाया गया कि वे यह अवैधानिक हड़ताल न करें।

इस समय इस उद्योग में स्थिति शांतिमय है। अत: इस सम्बन्ध में सोचने का प्रश्न नहीं उठता।

*९७—श्री रामप्यारे मिश्र—

[५वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या १६९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

आई० टी० आई०, देवरिया में भर्ती

*९८—श्री कैलाश, श्री कल्पनार्थसिंह तथा श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़) —

क्या यह सही है कि देवरिया गोरखपुर आई टी० आई० में शिक्षार्थियों के भर्ती के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की शिकायतें की गई हैं? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री बनारसीदास —

जी नहीं।

*९९—श्री कैलाश, श्री कल्पनार्थसिंह तथा श्री दौलतलाल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपरोक्त इन्स्टीट्यूट में भर्ती के लिये इस वर्ष कितने हरिजनों ने आवेदन-पत्र दिये थे और कितने उसमें से लिये गये?

श्री बनारसीदास —

१२६ अभ्यर्थियों ने आवेदन-पत्र दिये थे और उनमें से २१ लिये गये।

*१००—श्री दौलतलाल तथा श्री कल्पनार्थसिंह —

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आई० टी० आई०, देवरिया में कितने लड़के इस वर्ष लिये गये हैं और वे कितने किस-किस जिले के कितनी-कितनी संख्या में हैं?

श्री बनारसीदास —

आई० टी० आई०, देवरिया में इस वर्ष १८४ लड़के लिये गये हैं जिनकी जिलेवार सूची इस प्रकार है:

देवरिया	१७२
आजमगढ़	२
गोरखपुर	३
बस्ती	३
गाजीपुर	२
इलाहाबाद	६
छपरा (बिहार)	१

*१०१—श्री दौलतलाल तथा श्री कल्पनार्थसिंह —

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आई० टी० आई०, देवरिया के प्रिंसिपल इसके पूर्व कहां से आये?

श्री बनारसीदास—

बलिया।

*१०२—श्री दौलतलाल तथा श्री कल्पनार्थसिंह —

क्या सरकार बतायेगी कि उपरोक्त इंस्टीट्यूशन में भर्ती करने के लिये कोई कमेटी बनी थी ? यदि हां, तो उसकी नियमावली क्या थी और भर्ती उन नियमों के अनुसार हुई या नहीं ? यदि नियमावली नहीं बनी थी, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास —

जी हां। कमेटी बनी थी। भर्ती के नियम इस प्रकार थे :

(१) अभ्यर्थी की आयु साधारणतया १६ से २५ वर्ष तक होनी चाहिये।

(२) योग्य एवं उपयुक्त मामलों में यदि अभ्यर्थी अन्य प्रकार से ठीक हो तो आयु सीमा में ढिलाई की जा सकती है।

(३) ड्राफ्ट्स मैन (सिविल एवं मैकेनिक) इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक (इंस्ट्रूमेंट) मैकेनिक रेडियो, टूल मेकर, वाइरलेस आपरेटर, मैकेनिक (रेफ्रीजिरेटर) सर्वेयर तथा स्टेनोग्राफरी (अंग्रेजी एवं हिन्दी) व्यवसाय के अभ्यर्थियों को कम से कम हाई स्कूल पास या उसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिये। विज्ञान तथा गणित से हाई स्कूल पास करने वालों को प्राथमिकता दी जाती है।

(४) अन्य व्यवसाय के अभ्यर्थियों को हाई स्कूल या उसके समकक्ष से दो दर्जा नीचे पास होना चाहिये।

(५) अभ्यर्थियों को जिस व्यवसाय के लिये भर्ती किया गया हो, उसके लिये शारीरिक रूप से सामर्थ्य होनी चाहिये।

(६) २० प्रतिशत स्थान हरिजनों तथा परिगणित जाति के अभ्यर्थियों के लिये सुरक्षित रहते हैं।

(७) अन्य बातें समान होने पर स्वर्णकारों एवं उनके आश्रितों को भर्ती में प्राथमिकता दी जाती है।

भर्ती, साधारणतया उपरोक्त नियमों के अनुसार ही की गई है।

*१०३—श्री विजयसिंह (जिला जालौन) —

[६ठे बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१०४—श्री रघुनाथसिंह—

[६ठे बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१०५—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

[६ठे बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

दुवारी ग्राम में चिकित्सालय खोलने की मांग

*१०६—श्री मेवालाल जायसवाल (जिला इलाहाबाद) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री दिनांक २५ सितम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७ के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी, आजमगढ़ ने ५ प्रकार के विषयों के सम्बन्ध में अलग अलग रिपोर्ट क्या दी है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

दिनांक २५-९-६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७ के उत्तर में कहे गये पांच प्रकार के विषयों की जांच कर जिला स्वास्थ्याधिकारी, आजमगढ़ ने निम्नलिखित रिपोर्ट दी है:

१--ग्राम दुवारी तथा उसके ५ मील की परिधि में चिकित्सा संबंधी सुविधाओं का अभाव है ।

२--ग्राम दुवारी एवं उसके ५ मील की परिधि की जन संख्या क्रमशः ९००० तथा २०,००० है ।

३--कर्मचारियों एवं चिकित्सालय के लिये भवन उपलब्ध है ।

४--ग्राम दुवारी में चिकित्सालय स्थापित करने के लिये जिला परिषद्, आजमगढ़ ने अपनी स्वीकृति दे दी है ।

५--स्थानीय जनता के सहयोग से चित्सिालय के लिये श्री रामसुन्दर पान्डेय, सदस्य विधान सभा उत्तर प्रदेश ने पांच हजार रुपये नकद देने का आश्वासन दिया है ।

*१०८-१०९--श्री लखीसिंह --

[६ ठे बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

पेन्शन के विचाराधीन मामले ।

*११०-श्री बिपिनबिहारी तिवारी (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ३० अगस्त, १९६३ को सरकार के पास पेंशन देने के ऐसे कितने व्यक्तियों के मामले विचाराधीन थे, जिन्हें अवकाश ग्रहण किये एक वर्ष से अधिक हो गया था परन्तु जिन्हें पेंशन मिलना प्रारम्भ नहीं हुआ ?

वित्त मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

२,७८४ । इनमें से बहुतों को स्वीकृति पूर्व (ऐन्टीसिपेटरी) पेंशन मिल रही है ।

*१११--श्री बिपिनबिहारी तिवारी (अनुपस्थित)--

जब कि नियम यह है कि कर्मचारी के अवकाश ग्रहण करने के एक वर्ष पूर्व से ही पेंशन के कागजात बन जाने चाहिये जिससे कि अवकाश ग्रहण करते समय में ही उसे पेन्शन मिल जाय फिर भी इस विलम्ब का कारण क्या है तथा उसे दूर करने के लिये सरकार क्या योजना बना रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी --

भाग १--पदों के पेन्शन योग्य होने में सन्देह, वेतन अथवा भत्ते अधिक मिल जाने पर उन्हें वापस न करना, विशेष अथवा स्थानापन्न वेतन का पेन्शन के लिये गिने जाने में सन्देह, कर्मचारियों के विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही या न्यायालय में कार्यवाही का होना, पाकिस्तान तथा सेना में की गई सेवाओं का सत्यान करना, सेवा के रिकार्ड का अधूरा होना, सेवा पुस्तिका का खो जाना, वेतन क्रमों के बदल जाने पर वेतन के ठीक निर्धारण में सन्देह, स्थायीकरण और अवकाश की स्वीकृति के आदेश जारी होने में विलम्ब, कर्मचारी द्वारा देर में प्रार्थना-पत्र देना तथा रिटायरमेन्ट बेनीफिट्स रूल्स के प्रकाशन में देरी ।

भाग २--पेशन के मामलों का शीघ्र निपटारा करने के लिये शासन ने निम्न लिखित कदम उठाये हैं--

(१) पहले गजेटेड कर्मचारियों की पेंशन केवल सरकार ही दे सकती थी। अब कर्मचारी चाहे गजेटेड हो या नान-गजेटेड विभागध्यक्ष अथवा नियुक्ति करने वाला अधिकारी पेन्शन की स्वीकृति प्रदान कर सकता है।

(२) पहले पेंशन के कागज एकाउन्टेन्ट जनरल को भेजे जाते थे। वह कागजों को जांचकर देय पेंशन की धनराशि सूचित कर कागज वापस कर देता था तत्पश्चात पेंशन की स्वीकृति प्रदान कर कागज पुनः एकाउन्टेन्ट जनरल को भेजे जाते थे। तब वह पेंशन पेमेन्ट आर्डर जारी करता था। अब पेंशन की स्वीकृति के आदेश के साथ आवश्यक कागज एकाउन्टेन्ट जनरल को एक ही बार में भेज दिये जाते हैं और वह उक्त स्वीकृति के आधार पर देय पेंशन की अदायगी के आदेश जारी कर देता है। इससे समय की काफी बचत हो गई है।

(३) सरकारी ऋण जैसे घर बनाने के लिये लिया गया ऋण, वेतन का अधिक भुगतान, सरकारी मकान के किराये की न अदायगी आदि के कारण भी पेन्शन स्वीकृत होने में काफी देर लग जाती थी। अब यह आदेश दिये गये हैं कि यदि रिटायर होने वाले कर्मचारी के जिम्मे कुछ रुपया आता है जिसकी ठीक-ठीक धनराशि ज्ञात करने में कुछ देरी लगेगी तो ऐसे कर्मचारी से कहा जाय कि वह किसी उपयुक्त स्थायी सरकारी कर्मचारी की जमानत दे दे अथवा अनुमानित धनराशि से २५ प्रतिशत अधिक नकद रुपया जमा कर दे या ग्रेच्युटी के १० प्रतिशत या १,००० रु० की धनराशि में जो कम हो जमा कर दे। ऐसा करने पर उसकी पेन्शन स्वीकृत कर दी जाय।

(४) रिटायर बेनफिट रूल्स के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को पेन्शन रूल्स के लिये विकल्प देने का अधिकार दिया गया था। जिन कर्मचारियों की विकल्प देने की अन्तिम तिथि तक विकल्प दिये बिना ही मृत्यु हो जाती थी, उनके मामले में पेन्शन नियमों को लागू करने के आदेश सरकार द्वारा दिये जाते थे। अब यह आदेश दिये गये हैं कि पेन्शन स्वीकृति करने वाला अधिकारी एकाउन्टेन्ट जनरल के परामर्श से यह आदेश दे सकता है। अतः ऐसे मामलों की सरकार के पास आने की आवश्यकता नहीं रही।

(५) मुख्यालय में स्थित एक पेन्शन इन्स्पेक्टर के अतिरिक्त नवम्बर, १९६१ में पांच और पदों का सृजन किया गया। ये इन्स्पेक्टर इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, बरेली और मेरठ डिवीजनों के कमिश्नरों के कार्यालयों में तैनात किये गये हैं। प्रत्येक इन्स्पेक्टर को दो डिवीजनों का चार्ज मिला है। ये इन्स्पेक्टर विभिन्न कार्यालयों में जाकर पेन्शन के मामलों का शीघ्र निपटारा करनेमें सहायता प्रदान करते हैं। ये इन्स्पेक्टर शासन के मुख्यालय पर स्थित ज्येष्ठ लेखा अधिकारी की देख-रेख तथा नियन्त्रण में कार्य करते हैं।

(६) सरकारी कार्यालयों तथा एकाउन्टेन्ट जनरल के कार्यालय के बीच पेन्शन के मामलों के बारे में पत्र-व्यवहार करने में काफी समय लग जाता है। इस समय को बचाने के लिये एकाउन्टेन्ट जनरल के कार्यालय से पेन्शन पार्टियां विभिन्न कार्यालयों में जाकर स्थल पर ही आपत्तियां दूर कर पेन्शन के मामलों का निपटारा करती हैं। इन पार्टियों के लखनऊ आने पर वित्त विभाग के एक अधिकारी को विशेषाधिकार दे दिये गये थे ताकि इन पार्टियों द्वारा उठायी गई आपत्तियों पर आवश्यक सरकारी आदेश शीघ्र जारी हो जायं। ज्येष्ठ लेखा अधिकारी भी कार्यालयों में जाकर पेन्शन के मामलों का निपटारा करवाते हैं।

(७) विभागाध्यक्षों को आदेश दे दिये गये है कि वे अपने विभाग में एक अधिकारी को पेन्शन के मामलों के सम्बन्ध में उचित समय पर कार्यवाही करने के लिये उत्तरदायी बना दें।

औद्योगिक प्रशिक्षालय, इलाहाबाद में छात्रवृत्ति

*११२–श्री छांगुर––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि औद्योगिक प्रशिक्षण प्रशिक्षालय, इलाहाबाद में नवम्बर, १९६२ में कुल कितने प्रशिक्षार्थी भरती किये गये ?

श्री बनारसीदास––

३५३ ।

*११३–श्री छांगुर––

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद औद्योगिक प्रशिक्षालय में प्रशिक्षार्थियों को स्टाइपेन्ड देने का क्या आधार है ?

श्री बनारसीदास––

प्रशिक्षार्थियों की आर्थिक दशा तथा योग्यता के आधार पर स्टाइपेन्ड दिया जाता है ।

*११४–श्री छांगुर––

क्या सरकार यह बतानेकी कृपा करेगी कि नवम्बर, १९६२ में भरती किये गये सभी हरिजन प्रशिक्षार्थियों को स्टाइपेन्ड दी जाती है ? यदि नहीं, तो कितने ऐसे प्रशिक्षार्थी हैं जिन्हें स्टाइपेन्ड नहीं दी जाती है और क्यों ?

श्री बनारसीदास––

जी हां ।

नैशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ के प्रिन्सिपल के विरुद्ध जांच रिपोर्ट

*११५–श्री बसन्तसिंह––

क्या यह सही है कि नैशनल होमियोपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ के वर्तमान आर० एम० ओ० का टर्म (Term) ३१ अगस्त, १९६३ को समाप्त हो गया है ? यदि हां, तो उन्हें अभी तक क्यों नहीं हटाया गया ?

श्री दाऊदयाल खन्ना––

कथित आर० एम० ओ० की नियुक्ति दिनांक अगस्त ११, १९६१ से दो वर्ष के लिये अनन्तिम रूप से हुई थी । पद की अवधि बढ़ाने का मामला कालेज की प्रबन्धकारिणी समिति के विचाराधीन है ।

*११६––श्री बसन्तसिंह––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने नेशनल होमियोपैथिक मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल के विरुद्ध कोई जांच नियुक्त की थी ? यदि हां, तो उसने क्या रिपोर्ट दी है ? क्या सरकार उसे सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना––

जांच समिति होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद्, उत्तर प्रदेश ने नियुक्त की थी । रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है और विचाराधीन है । अतः सरकार इसे अभी सदन की मेज पर रखना उचित नहीं समझती ।

*११७–११८—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

[६ ठे बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*११९–१२०—श्री जसरामसिंह—

[६ ठे बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*१२१—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

[५ वें गुरुवार के लिए प्रश्न संख्या १६६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

कानपुर तथा गोरखपुर जिलों में पेमेन्ट आफ वेजेज ऐक्ट के अन्तर्गत मुकदमे

*१२२—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या श्रम मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर और गोरखपुर जिले के पेमेन्ट आफ वेजेज ऐक्ट के अन्तर्गत इस समय कुल कितने मुकदमे अदालत में चल रहे हैं और उपरोक्त मुकदमे कुल कितने-कितने रुपये देय के दाखिल हैं ?

श्री बनारसीदास—

कानपुर तथा गोरखपुर जिलों में पेमेन्ट आफ वेजेज ऐक्ट के अन्तर्गत चल रहे मुकदमों तथा उनमें देय कुल रुपयों की परिस्थिति निम्न लिखित है—

जिला	मुकदमों की संख्या	देय धनराशि
		रु०
कानपुर	७	७,९४२.००
गोरखपुर		..
योग ..		७९४२.००

*१२३—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या श्रम मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि क्या इस प्रकार के कोई आदेश-उपरोक्त अदालतों को गये हैं कि इस प्रकार के मुकदमे का फैसला शीघ्र किया जाय ? यदि हां, तो उक्त आदेश की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे और क्या केन्द्रीय श्रम मंत्री का कोई पत्र इस सम्बन्ध में मिला है ? यदि हां, तो उक्त आदेश क्या है ?

श्री बनारसीदास—

जी नहीं ।

कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी, बाजपुरा संबंधी मुकदमे

*१२४—श्री मैनेजरसिंह—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी, बाजपुर (नैनीताल) के श्रमिक संघों द्वारा सन् १९५९ से अक्तूबर, १९६३ तक प्रादेशिक संराधन अधिकारी के समक्ष कितने औद्योगिक विवाद उपस्थित किये गये हैं ?

श्री बनारसीदास—

उक्त अवधि में श्रमिक संघों द्वारा प्रादेशिक संराधन अधिकारी बरेली, के समक्ष कुल १७ औद्योगिक विवाद लाये गये ।

*१२५—श्री मैनेजरसिंह—

क्या उपरोक्त औद्योगिक विवादों में से कोई विवाद अभिनिर्णय (ऐडजुडिकेशन) के लिये रेफर किया गया है ? यदि हां, तो उस की क्रम-संख्या वर्ष सम्बन्धित श्रमिक तथा प्रार्थी यूनियन का नाम क्या है ?

श्री बनारसीदास—

जी हां । उक्त विवादों में से ४ विवाद अभिनिर्णय के लिये भेजे जा चुके हैं जिनका पूर्ण विवरण तालिका के रूप में संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १२४ पर)

*१२६-१२७—श्री चन्द्रजीत यादव—

[६ ठे बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

बलिया जिले के लिए टी० बी० अस्पताल

*१२८—श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)—

क्या यह सही है कि जिला बलिया में टी० बी० अस्पताल खुलने को था पर अब उस अस्पताल के खोलने का विचार स्थगित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

यह सही नहीं है कि बलिया में टी० बी० अस्पताल खोलने के विचार को स्थगित कर दिया गया है ।

*१२९-१३१—कुंवर रुकुमसिंह राठौर—

[६ ठे बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*१३२—श्री होरीलाल यादव—

[६ ठे बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

ग्रामीण जन-शक्ति योजनान्तर्गत कार्य

*१३३—श्री शिवनाथसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर जनपद में जन-शक्ति के उपयोग योजना के अन्तर्गत १९६२-६३ के लिये कितना धन स्वीकृत हुआ ?

श्री राममूर्ति—

कानपुर जनपद में ग्रामीण जनशक्ति योजना के अन्तर्गत १९६२-६३ में कोई धन स्वीकृत नहीं हुआ है ।

*१३४—श्री शिवनाथसिंह—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि कितने कार्य उक्त योजना में प्रारम्भ कर दिये गये हैं, और कितने कार्य निकट भविष्य में प्रारम्भ होंगे ?

श्री राममूर्ति—

प्रदेश के अन्य जिलों में (जो कि विशेष पिछड़े हुये जिले हैं) उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत ८९ प्रायोजनाओं पर काम आरम्भ हो गया है तथा निकट भविष्य में लगभग ४५ अन्य प्रायोजनाओं पर काम आरम्भ हो जाने का अनुमान है।

*१३५—श्री गिरजाप्रसाद—

[६ ठे बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१३६-१३७—श्री गिरजाप्रसाद—

[५वें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या १२१-१२२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

सिनेमा स्टाफ यूनियन, वाराणसी की मांगें

*१३८—श्री ऊदल—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिनेमा स्टाफ यूनियन, वाराणसी के मंत्री ने एक दरख्वास्त श्रम मंत्री जी को २७ अगस्त, १९६३ को कुछ मांगें जिसमें संशोधित वेतन [illegible] व ग्रेड के सम्बन्ध में दी थीं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई? क्या सरकार को पता है कि आज भी सिनेमा कर्मचारीगण ३५ रुपये तथा ४५ रुपये माहवार पर मय महंगाई वेतन के कार्य कर रहे हैं?

श्री बनारसीदास—

जी हां। इस विषय में एक दरख्वास्त दिनांक २७ अगस्त, सन् ६२ को प्राप्त हुई थी। अधिकारियों के प्रयास द्वारा पक्षों में २४ नवम्बर, सन् ६३ को एक समझौता हो गया जिसकी एक शर्त यह है कि ५० रु० तक मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को २५ प्रतिशत महंगाई दी जाय।

*१३९—श्री गंगाप्रसादसिंह—

[हटा दिया गया।]

बलिया जिले में मार्ग निर्माण योजना

*१४०—श्री गंगाप्रसादसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि Man Power Utilization Scheme (मानव शक्ति से सम्बन्धित प्रयोगात्मक योजना) के अन्तर्गत कोई मार्ग जिला बलिया में लिया गया है? यदि हां, तो कौन-कौन और यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राममूर्ति—

जी हां। इस योजना के अन्तर्गत बलिया जिले में कुल ५ जन मार्ग लिये गये हैं जिनका विवरण संलग्न सूची में दिया है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १२५ पर)

विभिन्न विभागों में एकोनामी

*१४१—श्री नेकराम शर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने १९६० से १९६३ मार्च तक क्या-क्या एकोनामी किस-किस विभाग में की है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

समय-समय पर सरकार ने जो-जो एकानोमी विभिन्न विभागों में की थी उनकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १२६-१२७ पर)

*१४२—श्री नेकराम शर्मा—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि कितनी पोस्ट्स तथा विभाग कम किये हैं या विभाग एक दूसरे में मिला दिये हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

समय-समय पर ४,३०२ पोस्ट्स कम की गई थीं। जहां तक विभाग का सवाल है वह दूसरी सूची में संलग्न है। चूंकि ऐकोनामी की एक निरन्तर क्रिया है, पोस्ट्स व विभाग घटते भी रहते हैं व बढ़ते भी रहते हैं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १२६-१२७ पर)

मिश्रित चिकित्सा प्रणाली के छात्रों की मांगें

*१४३—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मिश्रित चिकित्सा प्रणाली के छात्रों का कोई मांग-पत्र सरकार को मिला है, जिसमें कि यह मांग की गई है कि (क) जोशी कमेटी की रिपोर्ट लागू की जाय, (ख) मिश्रित चिकित्सा प्रणाली के स्नातकों के लिये उनका स्तर व वेतन-क्रम पृथक हो जोकि पी० एम० एस० द्वितीय से कम न हों, (ग) विश्वविद्यालय तक स्तर लाने के लिये एक पूरक पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाय?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां। मांगपत्र प्राप्त हुए हैं।

*१४४—श्री नाथूराम शिक्षक—

यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि वह इन मांगों के बारे में क्या विचार कर रही है और क्या सरकार उक्त मांगों को स्वीकार करने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

मांगें अभी सरकार के विचाराधीन हैं।

वित्त विभाग से पत्र-व्यवहार की भाषा

*१४५—श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश नें सन् १९६२-६३ में कितने पत्र अपने कार्यालय से सेंट्रल गवर्नमेंट में भेजे हैं? उसमें हिन्दी के कितने तथा अंग्रेजी के कितने हैं?

श्री जयराम वर्मा—

सन् १९६२-६३ में सचिवालय के वित्त विभाग से ७८ पत्र भारत सरकार को भेजे गये जो सब अंग्रेजी में थे क्योंकि भारत सरकार अंग्रेजी में ही पत्र-व्यवहार करती है।

*१४६—श्री शारदानन्द—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सचिवालय के वित्त विभाग में पूरे प्रान्त से १९६२-६३ में कितने पत्र हिन्दी में आये हैं और उसमें से कितने पत्रों के उत्तर हिन्दी में भेजे गये हैं?

श्री जयराम वर्मा—

हिन्दी में आये पत्रों की न कोई पत्रावली पृथक रखी जाती है और न कोई पृथक प्राप्ति पंजी (Receipt Register) ही।

*१४७—श्री शारदानन्द—

हिन्दी में प्राप्त पत्रों के जो उत्तर अंग्रेजी में दिये गये हैं उनका कारण क्या है?

श्री जयराम वर्मा—

जो पत्र हिन्दी में प्राप्त होते हैं उनका उत्तर जहां तक सम्भव होता है हिन्दी में ही दिया जाता है किन्तु चूंकि वित्त विभाग में जो काम होता है उसका सम्बन्ध अधिकांशतया वित्तीय नियमों और लेखा कार्य सम्बन्धी प्रक्रिया आदि से होता है जिनका हिन्दी अनुवाद अभी उपलब्ध नहीं है, अतः कभी-कभी उत्तर अंग्रेजी में ही देने पड़ जाते हैं।

कठिरांवा में महिला औषधालय खोलने पर विचार

*१४८—श्री जमादारसिंह तथा श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गांव कठिरांव, परगाना पन्द्रह, जिला वाराणसी जो जौनपुर जिले की सरहद पर है वहां से आठ-नौ मील के अन्तर्गत कोई जनाना अस्पताल नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार वहां पर एक महिला अस्पताल खोलने का विचार करेगी?

श्री बाऊदयाल खन्ना—

जी हां। कठिरांव में महिला औषधालय खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, परन्तु इसी प्रकार की अन्य स्थानों की आवश्यकता, इस कार्य के लिये उपलब्ध सीमित धनराशि, व महिला डाक्टरों और महिला कम्पाउन्डरों की कमी को देखते हुये यह कहना कठिन है कि कब तक यह प्रस्ताव क्रियान्वित हो सकेगा।

*१४९-१५०—श्री जयगोपाल (जिला सहारनपुर)—

[६३ बुधवार के लिए स्थगित किये गये।]

*१५१-१५२—श्री बाबूलाल (जिला प्रतापगढ़)—

[६ठे बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

*१५३-१५५—श्री राजेन्द्रसिंह यादव—

[६ठे बुधवार के लिए स्थगित किये गये।]

बृजमनगंज ब्लाक में बांध बनाने की स्वीकृति

*१५६—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले की फरेदा तहसील में ब्लाक बृजमनगंज के अन्तर्गत जो बांध दौलतपुर सौरहा राजपुर Man Power Scheme के अन्तर्गत द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनने वाला था, तथा जिसके अन्तर्गत प्राक्कलन भी तैयार होकर रुपया मंजूर हो गया था इस सम्बन्ध में अब क्या प्रगति है? क्या सिंचाई मंत्री कृपया जांच करा कर एक रपट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री राममूर्ति—

गोरखपुर जिले के फरेंदा तहसील के ब्लाक ब्रजमनगंज के अन्तर्गत दौलतपुर सोरहा राजपुर बांध ग्रामीण जनशक्ति योजना के तृतीय चरण में स्वीकृत हो चुका है तथा इसके लिये धन का भी प्रबन्ध हो चुका है। अभी यह योजना प्राविधिक उप समिति (टैक्नीकल सब कमेटी) के विचाराधीन है, जिसकी स्वीकृति मिलने पर इसको कार्यान्वित किया जा सकेगा।

*१५७—श्री ऊदल—

[६ठे बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

बरेली–बदायूं सड़क पक्की करने की प्रार्थना

*१५८—श्री सुरेन्द्रविक्रम—

क्या सरकार को पता है कि फतेहगंज (पूर्वी) जिला बरेली से जिला बोर्ड की एक कच्ची सड़क दातागंज, जिला बदायूं तक गई है जो क्रमशः बरेली, शाहजहांपुर व बदायूं तीन जिला परिषदों के क्षेत्र में जाती है जिसको इस आपत्तिकालीन समय में उत्तरी क्षेत्र से सम्बन्धित होने के कारण वह पक्का कराने की कृपा करेगी तथा इस मार्ग के बीच स्थित रामगंगा नदी पर बरेली वाला पीपों का पुल भी लगवाने की व्यवस्था करेगी क्योंकि संकटकालीन स्थिति में इस सड़क का बहुत ही अधिक महत्व है?

श्री राममूर्ति—

यह सड़क जिला परिषद्, शाहजहांपुर, जिला परिषद्, बरेली तथा जिला परिषद्, बदायूं के अधिकार में है। इस सड़क को बनवाने का उत्तरदायित्व उक्त परिषदों का है परन्तु धनाभाव के कारण वे इस कार्य को करवाने में असमर्थ हैं।

बरेली के पुल के पीपे अब यहां उपलब्ध नहीं हैं। उन्हें सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया है।

खुर्जा में सड़ा अनाज पकड़ा जाना

*१५९—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या जिला बुलन्दशहर के खुर्जा नामी स्थान पर सितम्बर, १९६३ में ३०० मन खड़े अनाज से लदी ट्रकें पकड़ी गई हैं और बाद में वह सड़ा अनाज जमीन में गड़वा दिया गया और क्या यह भी सच है कि वहीं पर ७०० मन और सड़ा अनाज सील करके भी रखा गया है? यदि हां, तो ऐसे व्यापारियों के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है और अब तक इस सम्बन्ध में कितने व्यापारियों का चालान हुआ है?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

इटावा जिले में भूमि संरक्षण कार्य

*१६०—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिले के अन्तर्गत भूमि रक्षण योजना कब से लागू की गई है और अब तक जिले की प्रत्येक तहसील में अलग-अलग कितने एकड़ भूमि को कटान से बचाने के लिये बांध बनाकर खेती योग्य बना लिया गया है?

श्री राममूर्ति—

भूमि संरक्षण का कार्य कृषि विभाग द्वारा इटावा जिले में अभी तक आरम्भ नहीं किया गया। विकास अन्वेषणालय द्वारा एक अग्रगामी योजना भूमि संरक्षण की सन् १९५२–५३ में भाग्यनगर ब्लाक में चालू की गई थी जिसमें कि वहां के कृषकों के सहयोग से और शिक्षा द्वारा इस काम को चलाने के लिये चेष्टा की गई थी। इस कार्य में सफलता मिली और अब यह योजना भाग्यनगर और अजीतमल ब्लाकों के ४८ गांवों में फैल गई है जिसके अन्तर्गत लगभग ३२,५०० एकड़ भूमि को संरक्षण से उचित खेती योग्य बना लिया गया है।

उपरोक्त दोनों विकास खंड जिनमें यह भूमि संरक्षण कार्य आरम्भ किया गया औरैया तहसील के अन्तर्गत आते हैं। इस प्रकार तहसीलवार आंकड़े देने का प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

अदालत पंचायत, कोटवाधाम के सदस्य

१—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)—

क्या पंचायत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अदालत, पंचायत श्री कोटवाधाम (कोटवा जगजीवन दास) ब्लाक दरियाबाद, जिला बाराबंकी में कौन-कौन सदस्य हैं तथा उनकी शिक्षा सम्बन्धी योग्यतायें एवं प्रत्येक की आयु क्या-क्या है ?

श्री राममूर्ति—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

खजुहा विकास खण्ड की जीप

२—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर अन्तर्गत विकास खंड खजुहा, की जीप, दिनांक २३ जुलाई, १९६३ व १३ सितम्बर, १९६३ को क्या दौरे पर गयी ? यदि हां, तो क्षेत्र के किन-किन ग्रामों में तथा किस-किस कार्य निमित्त और किस अधिकारी के नियंत्रण में ?

श्री राममूर्ति—

विकास खंड खजुहा, जनपद फतेहपुर की जीप दिनांक २३–७–६३ को ग्राम अमौली, विकास खंड अमौली,जिला नियोजन अधिकारी, फतेहपुर की आज्ञानुसार अमौली भट्ठे का निरीक्षण के लिये खंड विकास अधिकारी, खजुहा के नियंत्रण में दौरे पर गई थी। यद्यपि अमौली का भट्ठा विकास खंड, खजुहा के अन्तर्गत नहीं है परन्तु विकास खंड, खजुहा के अमौली के निकट स्थित ग्रामों में लघु सिंचाई अथवा अन्य निर्माण कार्यों जिन्हें शासकीय अनुदान दिया गया था, को पूर्ण कराने हेतु ईंट की व्यवस्था विकास खंड खजुहा के एलाटमेंट में कोयला देकर की गई थी, अतः दिये गये कोयले से उत्पादित ईंटों के वितरण का निरीक्षण एवं उचित व्यवस्था हेतु खंड विकास अधिकारी, खजुहा अमोली गये थे।

दिनांक सितम्बर १३, १९६३ को विकास खंड, खजुहा जनपद, फतेहपुर की जीप कहीं भी दौरे पर नहीं गई।

बदायूं जिले में दाइयां

३—श्री उल्फतसिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं के सभी ब्लाकों में ऐसी दाइयां कितनी हैं, जो कि अपने स्थान पर ३ साल की अवधि से, अधिक समय से कार्य कर रहीं हैं और उनका स्थानान्तरण कहीं अन्यत्र नहीं किया गया है ?

श्री बाऊदयाल खन्ना—

ऐसी दाइयां केवल १२ हैं।

दहगवां ब्लाक में रहट के लिए तकावी

८—श्री उल्फतसिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बदायूं जिले के ब्लाक दहगवां द्वारा तकावी जो रहट खरीदने के लिए दी जाती है, उससे रहट खरीदने के लिए कुछ दुकानें निश्चित कर दी गयीं हैं कि तकावी लेने वाला अनिवार्य रूप से वहीं से खरीदे ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं।

बहादुरगंज में मातृ-शिशु कल्याण केन्द्र न होना

५—श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बहादुरगंज, जिला गाजीपुर में मातृ-शिशु-कल्याण केन्द्र खुलने वाला है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बाऊदयाल खन्ना—

जी नहीं।

बी० डी० ओ०, सोरों का दौरा

६—श्री बेदराम (जिला एटा)—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १९६३ से ३० सितम्बर, १९६३ तक बी० डी० ओ०, सोरों, जिला एटा ने तिथिवार किन-किन ग्रामों का दौरा किया तथा किस-किस तिथि को कहां-कहां नाइट हाल्ट किया ?

श्री राममूर्ति—

बी० डी० ओ०, सोरों, जिला एटा ने १ जनवरी, १९६३ से ३० सितम्बर, १९६३ तक जिन-जिन ग्रामों का दौरा किया तथा जिस-जिस तिथि को जहां-जहां रात्रि निवास किया उसका ब्योरा संलग्न सूचियों† में है।

७—श्री रघुवीरसहाय कैथवा—

[१२ दिसम्बर, १९६३ को प्रश्न संख्या ३९ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

बदायू जिले में अस्थायी बी० डी० ओ०, ए० डी० ओ०

८—श्री उल्फतसिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बदायूं जिले में कितने बी० डी० ओ० तथा ए० डी० ओ० ऐसे हैं जो कि अभी अपने पदों पर अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं ?

श्री राममूर्ति—

इस समय बदायूं जिले में १६ क्षेत्र विकास अधिकारी तथा ७७ सहायक क्षेत्र विकास अधिकारी ऐसे हैं जो अभी तक अपने पदों पर अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं।

---

† छापी नहीं गयीं।

सहारनपुर से ताड़ी की दुकान हटाना

९—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह सहारनपुर के ताड़ीखानों को वहां से हटा कर बस्ती से बाहर करने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

सहारनपुर शहर में ताड़ी की केवल एक दुकान है जो बहुत सालों से नवाबगंज मुहल्ले में थी। इस वर्ष जनता के असन्तोष प्रकट करने पर उसे अस्थायी तौर पर बस्ती के बाहर हटा दिया गया है।

कानपुर जिले में ग्रामसेवकों की पदोन्नति

१०—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कानपुर जिले के ग्राम सेवकों की पदोन्नति कनिष्ठता या वरिष्ठता पर की गयी या अन्य आधारों पर?

श्री राममूर्ति—

कानपुर के जिले के ग्राम सेवकों की पदोन्नति वरिष्ठता एवं श्रेष्ठता के आधार पर की गई।

११—श्री रामकिशोर वर्मा—

ऐसे कितने तथा कौन-कौन से ग्राम सेवक हैं, जो समय-समय पर भिन्न-भिन्न स्तर के सहायक विकास अधिकारी के पदों पर कार्य कर चुके हैं, तथा किन-किन को अब रिवर्ट कर कनिष्ठ ग्राम सेवकों को पदोन्नति दी गयी? यदि नहीं, तो वस्तु स्थिति क्या है?

श्री राममूर्ति—

ऐसा कोई वरिष्ठ ग्राम सेवक नहीं है जिसको प्रत्यावर्तित कर के कनिष्ठ ग्राम सेवक को पदोन्नति दी गई हो।

बदायूं जिले में क्षेत्र विकास अधिकारियों का तबादला न होना

१२—श्री जुगलकिशोर (जिला बदायूं)—

विधान सभा के ३ अप्रैल, १९६३ के अतारांकित प्रश्न सं० २ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या कारण है कि जिला बदायूं में ६ ए० डी० ओ० तथा ३ बी० डी० ओ० जो एक ही ब्लाक में तीन साल से अधिक समय से नियुक्त हैं उनके स्थानान्तरण की सरकार ने कोई व्यवस्था क्यों नहीं की?

श्री राममूर्ति—

क्षेत्र विकास अधिकारी को एक विकास क्षेत्र में साधारणतया पांच साल तक नियुक्त रखा जाता है। सहायक विकास अधिकारी जो कि अराजपत्रित अधिकारी होते हैं, एक विकास क्षेत्र में अनिश्चित अवधि तक रह सकते हैं।

१३—श्री रघुनाथसिंह—

[६ ठे गुरुवार के लिए प्रश्न संख्या २२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

१४—श्री जसरामसिंह—

[६ठे बुधवार के लिए स्थगित किया गया।]

१५-१६—श्री गेंदासिंह—

[५ वें गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ८७-८८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

१७-१९—श्री सुखदेवप्रसाद—

[६ ठे बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

२०-२१—श्री मैनेजरसिंह—

[६ठे बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

कच्चे आढ़ती

२२—श्री श्रीराम—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या कच्चे आढ़ती सेल टैक्स से बरी हैं? यदि बरी हैं, तो जिला सेल्स टैक्स आफिसरों को किस सन् में सरकार ने यह आदेश दिये हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

उत्तर प्रदेश सेल्स टैक्स ऐक्ट के अन्तर्गत कच्चे अढ़तियों को व्यापारी से पृथक कोई मान्यता नहीं प्रदान की गई है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह जिस नाम से पुकारा जाय, यदि वह ऐक्ट की धारा २ (ग) में इंगित रूप से व्यापार करता है तो वह कर का देनदार माना जायगा, अन्यथा नहीं। अतः इस विषय पर सरकार द्वारा कोई आदेश जारी किये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

२३-२४—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

[६ठे बुधवार के लिए स्थगित किये गये।]

बाराबंकी जिले में सुपरवाइजर, कृष्णकुमार सिंघल का निलम्बन

२५—श्री मेड़ीलाल (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जनपद के ऊपर श्री कृष्ण कुमार सिंघल, सहकारी सुपरवाइजर जो लगभग छः माह से निलम्बन काल पर चल रहे थे, पूरी तनख्वाह के साथ बहाल किये गये हैं? यदि हां, तो उनके निलम्बन के वेतन की कटौती किस अधिकारी के वेतन से राजकीय आदेश, १९५२ के अनुसार की जा रही है?

श्री बनारसीदास—

जी हां।

उनके ४ माह के निलम्बन काल के वेतन की कटौती किसी अधिकारी के वेतन से नहीं की जा रही है। शासकीय आदेश सुपरवाइजरों पर नहीं लागू होता क्योंकि वे सरकारी कर्मचारी नहीं हैं।

बिजनौर जिले में सीमेंट वितरण

२६—श्री श्रीराम—

क्या विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि बिजनौर जिले में नियोजन विभाग को राज्य सरकार के ऐसे आर्डर दिये गये हैं कि प्रत्येक ब्लाक से उन्हीं लोगों को सीमेंट के परमिट दिये जावेंगे जो कुयें बनवाने के लिये मांगेंगे, जो सिंचाई करने के लिये कुयें बनाने के निमित्त कर्ज लेंगे?

श्री राममूर्ति—

जी नहीं।

२७–२८—श्री छांगुर—

[६ठे बुधवार के लिए स्थगित किये गये।]

श्रम विभाग से हिन्दी में पत्र-व्यवहार

२९—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश ने सन् १९६२–६३ में कितने पत्र अपने कार्यालय से सेंट्रल गवर्नमेन्ट में भेजे हैं और उसमें हिन्दी के कितने हैं तथा अंग्रेजी में कितने ?

३०—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्रम विभाग में पूरे प्रान्त से १९६२–६३ में कितने पत्र हिन्दी में आये हैं और उसमें से कितने पत्रों के उत्तर हिन्दी में भेजे गये हैं ?

३१—हिन्दी में प्राप्त पत्रों के जो उत्तर अंग्रेजी में दिये गये हैं, उनका कारण क्या है ?

श्री बनारसीदास—

हिन्दी तथा अंग्रेजी में भेजे गये पत्रों का कोई अलग-अलग ब्यौरा नहीं रखा जाता। इसलिये यह सूचना देना अत्यन्त कठिन है। फिर भी, जो पत्र हिन्दी में प्राप्त होते हैं उनका उत्तर साधारणतया हिन्दी में ही दिया जाता है।

खपटिहा अस्पताल के निर्माण का स्थगन

३२—श्री बृजमोहनलाल गुप्ता (जिला बांदा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम खपटिहा, जिला बांदा में जब अस्पताल बनाना स्वीकार हो चुका था, तब निर्माण-कार्य शुरू न होने की क्या वजह है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

खपटिहा, जिला बांदा में अस्पताल के निर्माण का कार्य, देश में संकटकालीन स्थिति उत्पन्न होने के कारण स्थगित कर दिया गया है।

३३—श्री बृजमोहनलाल गुप्त—

क्या मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि उपरोक्त निर्माण-कार्य में क्या प्रगति हो रही है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

प्रश्न नहीं उठता।

विकास क्षेत्र अधिकारी, जैतपुर

३४—श्री मदनपालसिंह (जिला हमीरपुर)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास क्षेत्र जैतपुर (बेलाताल), जिला हमीरपुर के बी० डी० ओ० महोदय तीन साल से बराबर उसी जगह नियुक्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधिकारी का स्थानान्तरण करने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—

जो हां, विकास क्षेत्र जैतपुर, जिला हमीरपुर के क्षेत्र विकास अधिकारी तीन वर्ष से उसी क्षेत्र में नियुक्त हैं। शासकीय अ देशानुसार एक क्षेत्र विकास अधिकारी एक विकास क्षेत्र में पांच वर्ष तक सा ारण .या नियुक्त रक्खा जात. है।

३५—श्री मदनपालसिंह—

[६ वें बुधवार के लिए स्थगित किया गया।]

३६-३८—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

[६ ठे बुधवार के लिए स्थगित किये गये।]

३९—श्री हरीशकुमार गंगवार—

[६ठे बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

जिला अस्पताल, सहारनपुर में एक्स-रे मशीन

४०—श्री जयगोपाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को मालूम है कि एक्स-रे मशीन, जिला अस्पताल, सहारनपुर, अक्सर खराब रहती है? यदि हां, तो १ जनवरी, १९६२ से १५ अक्तूबर, १९६३ तक कितनी बार व कितने समय के लिये बन्द रही?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

यह बात कुछ हद तक सत्य है कि जिला अस्पताल, सहारनपुर की एक्स-रे मशीन अक्सर खराब रहती है। यह मशीन १-१-६२ से -- -६२ तक और २६-९-६३ से ११-१०-६३ तक खराब रही और उस को ठीक कराने के लिये तुरन्त उचित कार्यवाही की गई और वह ठीक करा ली गयी थी।

४१—श्री जयगोपाल—

क्या सरकार विचार कर रही है कि वहां एक और छोटी एक्स-रे मशीन लगवाये ताकि छोटे काम उस पर हों और बड़ी पर लोड कम हो जाय? यदि हां, तो कब तक?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां। जिला अस्पताल, सहारनपुर के पुराने भवन में एक १०० एम० ए० एक्सरे मशीन रखी हुई है और स्वास्थ्य सेवा निदेशक ने इस मशीन को नये अस्पताल भवन में लगाने के लिये हाल ही में अपनी स्वीकृति दे दी है। आशा है कि शीघ्र ही यह मशीन वहां लग जायगी।

४२—श्री जयगोपाल—

[६ ठे बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

४३—श्री रतीपाल—

[६ ठे बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

कृत्रिम अंग

४४—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृत्रिम अंगों के बनाने का कोई कारखाना खोला जाने वाला है? यदि हां, तो वह कब तक तथा कहां खोला जायगा?

श्री बाऊदयाल खन्ना—

जी नहीं। कृत्रिम अंग बनाने का एक कारखाना गांधी मेमोरियल तथा असोसिएटेड अस्पताल, लखनऊ में जो लखनऊ विश्वविद्यालय के अन्तर्गत है तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में स्थापित किया जा रहा है। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने लखनऊ विश्वविद्यालय को १,५०,००० रुपये १९६२–६३ में भवन निर्माण के हेतु दिया है। भवन निर्माण का कार्य पूरा हो जाने के उपरान्त कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६३

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६३ को सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १२८–१३१ पर)

उत्तर प्रदेश दूकान तथा वाणिज्य प्रतिष्ठान अधिनियम के संबंध में याचिका

श्री मुकुटबिहारी लाल (जिला बाराबंकी)—

आदरणीय विधान सभा, उत्तर प्रदेश, में उत्तर प्रदेश दूकान तथा वाणिज्य प्रतिष्ठान अधिनियम को प्रदेश की समस्त नगरपालिकाओं, टाउन एरियाओं तथा नोटीफाइड एरियाओं में अविलम्ब लागू करने के सम्बन्ध में श्री गोपाल सिंह सेवक तथा श्री शिव हर्ष आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं जो इस प्रकार है :—

"याचकगण आदरणीय सदन से निम्नलिखित निवेदन करते हैं :—

(१) यह कि उत्तर प्रदेश दूकान तथा वाणिज्य प्रतिष्ठान राज्य सरकार द्वारा पारित प्रदेश के सीमित नगरों में ही लागू किया गया है।

(२) यह कि राज्य में अभी ३८ नगरपालिकायें, २६७ टाउन एरियायें तथा ३५ नोटीफाइड एरियायें शेष हैं जहां कि उक्त अधिनियम लागू नहीं किया गया है।

(३) यह कि उक्त अधिनियम में कुछ कमियां होने के बावजूद भी जो गुण हैं उनका लाभ प्रदेश के एक बहुत बड़े हिस्से के लोग नहीं उठा पाते हैं।

(४) यह कि राज्य की समस्त नगरपालिकाओं, टाउन एरियाओं तथा नोटीफाइड एरियाओं की जनता तथा व्यापारियों की यह मांग है कि उनके क्षेत्र में उक्त अधिनियम अविलम्ब लागू किया जाय।

(५) यह कि उक्त क्षेत्र में अभी तक अधिनियम न लागू किये जाने से सरकार के प्रति घोर उत्तेजना व्याप्त हो रही है।

अस्तु याचकगणों की यह प्रार्थना है कि सरकार से यह सिफारिश की जाय कि उक्त अधिनियम राज्य की समस्त नगरपालिकाओं, टाउन एरियाओं तथा नोटीफाइड एरियाओं में लागू कर दिया जाय तथा इस दृष्टि से और भी उचित आदेश दिये जायं।"

किसी सदस्य द्वारा बिना जांच किये गृह मंत्री पर आरोप लगाने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार की सूचनायें मेरे पास दो आयी हैं आज। एक माननीय मुकन्दीलाल जी की है और दूसरी नरसिंहनारायण पांडेय जी की है..

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, कल मैंने आपकी सेवा में एक भेजी थी।

श्री अध्यक्ष—

आपकी आयी है और इसी सम्बन्ध में माननीय राम सुन्दर पांडेय जी और माननीय बंशीलाल जी की भी है। दोनों एक ही विषय—गिरफ्तारियों—से सम्बन्धित हैं। मैंने अभी उसे देखा नहीं है....

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, वह तो मैंने कल शाम आपके दफ्तर में भेज दी थी और आपने कहा था कि कल विचार किया जायगा।

श्री अध्यक्ष—

शाम को जो दिया वह आज सवेरे दिया हुआ समझा जायगा। वह मैं देख नहीं पाया हूं। देख लूंगा। मैं दो ही सूचनाएं देख पाया हूं, एक माननीय मुकन्दीलाल की है और एक माननीय नरसिंहनारायण पांडेय की है। माननीय मुकन्दीलाल जी की सूचना इस प्रकार है:—

"अध्यक्ष महोदय, मैं आइटम ४ के अन्तर्गत आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और यदि आप उचित समझें तो इस विषय पर विशेषाधिकार कमेटी की राय अथवा निर्णय सदन को बताया जाय आया किसी सदस्य के लिये यह उचित है कि बिला पूरी जांच किये ऐसा आक्षेप पुलिस या गृह मन्त्री पर करे कि अमुक (श्री राजेन्द्र कुमार जैन) विद्यार्थी को पुलिस ने मारपीट कर गायब कर दिया, जब कि गृह मन्त्री की तहकीकात से कल सदन को मालूम हुआ कि श्री राजेन्द्र कुमार को उसके परिवार के लोगों ने कलकत्ते भेजा। वह जिन्दा है। और जैसा श्री ऊदल जी ने सदन को बताया आजकल मो Mhow M. P. में है। ऐसा गलत बयान अथवा आक्षेप सदन की मर्यादा और उसके मान पर आघात कर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रदर्शन करता है।"

मैं इस आदरणीय सदन को एक बात बताना चाहता हूं और वह यह है कि इस सदन के सभी सदस्यों को अगर पूर्ण वाक्स्वातन्त्र्य (complete freedom of speech) का अधिकार न मिले तो यहां बहस नहीं हो सकती। अपनी अपनी सूचना के अनुसार प्रत्येक आदरणीय सदस्य अपनी बातें इस सदन के समक्ष रख सकता है। हमारा गौरव इसी में है कि यदि एक आदरणीय सदस्य कोई विचार या बात इस आदरणीय सदन के समक्ष रखे तो हम मानें कि वह बोनाफाइड यानी नेकनीयती से रख रहा है जबतक कि हमारे पास कोई ऐसे आधार उपस्थित न हों इस परिणाम पर पहुंचने के लिये कि वह मालाफाइडी, किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से इस प्रश्न को रख रहा है। मैं यह समझता हूं कि अगर ऐसे प्रश्न हम विशेषाधिकार

[श्री अध्यक्ष—]

सामिति को भेजने लगे तो फिर कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदरणीय सदस्य अपने विचार यहां न कर सकेगा। इस विषय में हमें केवल एक बात का ध्यान रखना है कि जो बात प्रस्तुत हो वह एक डिकोरम के साथ, शिष्टता के साथ और भद्रता के साथ हो ताकि हम लोग शान्त वातावरण में, उच्च स्तर पर अपने विचार व्यक्त कर सकें। इतना ही मैं कह सकता हूं। मेरा ऐसा मत है कि इस सूचना में भी कोई ऐसी बात नहीं है और मैं समझता हूं कि माननीय पांडेय जी ने जो उनको सूचना थी उसके आधार पर एक विचार रखा। उसका स्पष्टीकरण हो गया और वह मामला समाप्त हो गया।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

मैं जरा इसमें निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मुकन्दीलाल जी, मैं आपकी भावनाओं का आदर करते हुए भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी शोभा इसी में है कि हम इस बात को मान लें कि सब नेकनीयती से प्रश्न को रखते हैं।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—

यही कारण है कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। सवाल यह है कि क्या हम लोग बिना अच्छी तरह से जांच किये हुए ऐसा आक्षेप कर सकते हैं जैसा कि किया गया? यह सवाल बड़े महत्व का है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मैं भी एक वाक्य कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

पांडेय जी, वह समाप्त हो चुका है। अब उसमें बहस नहीं करनी चाहिये। मैं उनकी बात समझ गया हूं। मैं निवेदन कर रहा था कि हम यह मानते हैं। नेकनीयती में प्रयोग कर रहा हूं बोनाफाइड के लिये। इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व को समझ कर हर चीज को नाप तौल कर एक बात कह रहा है, यह विश्वास है। इसलिये अधिक विचार न करके उपयुक्त बात यह है कि ऐसे प्रश्न न उठाये जायं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय नरसिंहनारायण जी की सूचना बहुत लम्बी है। मैंने पढ़ी नहीं है।

मैं इसको पढ़े देता हूं। वह इस प्रकार है कि—

मैं अध्यक्ष महोदय, की आज्ञा से विशेषाधिकार की अवहेलना का एक प्रश्न श्री उग्रसेन, नेता सोशलिस्ट दल, काशीनाथ मिश्र, सदस्य विधान सभा, श्री रावेश्याम शर्मा, श्री शिवनाथ सिंह तथा चौधरी रतीपाल जी जो एक पार्टी तथा गुट के सदस्य हैं, के विरुद्ध उठाना चाहता हूं। आशा है कि ऐसा करने की आज्ञा अध्यक्ष महोदय देने की कृपा करेंगे।

विधान सभा के समिति सदस्यों के विशेषाधिकार वही हैं जो ब्रिटेन के हाउस आफ कामन्स के हैं तथा उसके समिति और सदस्यों के हैं। अनुच्छेद (१९४) (३) भा० संविधान। उपरोक्त सदस्यों ने कल विधान सभा में जान बूझकर गलत बयानी की तथा मुझे स्वतंत्रतापूर्वक सदन में कार्य करने से विशेषाधिकार के एक प्रश्न को उठाकर जो वाक्ये से बिल्कुल परे है, रोका, प्रचार किया और जनता तथा सदन में मेरी प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाया। उनका ऐसा करने का कारण केवल यह है कि गोरखपुर जिले से श्यामदेउरवा उप-चुनाव में मेरे पार्टी के..."

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

जी हां।

श्री अध्यक्ष—

आप की पार्टी क्या है?

श्री नरसिंहनारायणं पांडेय—

संयुक्त समाजवादी दल।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

"उम्मीदवार श्री शिब्बनलाल सक्सेना के विरुद्ध श्री राजनारायण सिंह सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं। इस हेतु मन्त्री परिषद् के वरिष्ठ सदस्यों, भूतपूर्व मुख्य मन्त्री, श्री चन्द्रभान् गुप्त तथा गोरखपुर जिले के तस्कर व्यापारियों से सांठगांठ कर इन लोगों ने चुनाव हेतु रुपया प्राप्त किया है....."

यह सब बातें इसमें नहीं आनी चाहिये।

(आवाजें—पढ़ दीजिये)

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

श्रीमन्, मैं एक रूलिंग उपस्थित कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं अभी पढ़ रहा हूं, आप रूलिंग किस बात की दे रहे हैं। आप रूलिंग दीजिये जब मैं खत्म कर लूं। बहस करने से पहले आप रूलिंग पेश करते हैं, यह समझ लीजिये।

"उपरोक्त अधिकारी के विरुद्ध पुलिस तथा सी० आई० डी० तक की रिपोर्ट है कि इस का धंधा गोरखपुर जिले में तस्कर व्यापार गांजा, चरस आदि को प्रोत्साहन देना है तथा इसी हेतु जिले से तबादले हेतु भी प्रान्तीय सरकार को लिखा है परन्तु तत्कालीन मन्त्री जी ने उपरोक्त व्यक्तियों के प्रभाव में आकर उस स्थान से उन्हें नहीं हटाने दिया जब कि वह अधिकारी गोरखपुर जिले का रहने वाला भी है...."

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

श्रीमन्, पूरा पढ़ दिया जाय, बड़ी कृपा होगी, जैसा आपने कल पढ़ा था।

श्री अध्यक्ष—

"अतः उपरोक्त माननीय सदस्यों ने जानबूझ कर राजनैतिक प्रचार हेतु मुझे सदन की सेवा स्वतन्त्रतापूर्वक न करने देने, जनता तथा माननीय सदन के सदस्यों की निगाह में गिराने तथा वाक्यात को गलत ढंग से रख कर अपने लक्ष्य तथा राजनैतिक प्रचार कर उप-चुनाव पर प्रभाव डालने हेतु यह षड़यन्त्र मेरे तथा प्रो० शिब्बनलाल सक्सेना के विरुद्ध जो एक साजिश के अन्तर्गत

[श्री अध्यक्ष]

मन्त्रि-परिषद् के सदस्यों के इशारे पर किया गया है, कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यह पार्टी तथा इस के सदस्य पहले भी मेरे विरुद्ध सदन के बाहर तथा विधान सभा के परिसर के अन्दर पर्चे बांटे थे——"

यह जो आपने लिखा है, अगर थोड़ी देर के लिये यह मान भी लिया जाय कि आपके विरुद्ध लोगों ने रख दिया तो वह संबंधित आपके बही खातों से था। ऐसा नहीं होना चाहिये, माननीय नरसिंहनारायण जी, जिससे किसी को यह भ्रम हो कि आप बदला ले रहे हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय——

मेरी बदला लेने की कोई नीयत नहीं थी। मेरे भाषण को पढ़ लें। मैंने किसी मंत्री का नाम नहीं लिया, इस सदन की गरिमा को ऊंचा रखने की कोशिश की। लेकिन शिवनाथ सिंह जो सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य हैं, उन्होंने जानबूझ कर मेरा और मेरे रिश्तेदार का नाम लिया।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष——

देखिये, बैठिये।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)——

चलिये चुनाव में लड़ लिया जाय। (शोर)

श्री अध्यक्ष——

बैठिये, बैठिये।

नरसिंहनारायण पांडेय——

जमानत जब्त हो जायगी

श्री उग्रसेन——

बहुत गर्मी दिखा रहे हैं। माननीय चन्द्रभानु गुप्त ने गर्मी दिखाई थी .....

श्री अध्यक्ष——

बैठ जाइये, बैठ जाइये।

(श्री उग्रसेन बैठे-बैठे कुछ कहते रहे और शोर होता रहा।)

श्री अध्यक्ष——

आप खामोश रहें, माननीय उग्रसेन जी

[* * *]

(श्री दीपनारायणसिंह के खड़े होने पर)

माननीय दीपनारायण सिंह, आप उठ कर जाइये। मैं इसको स्वीकार नहीं कर रहा हूं। जब मैंने इसको स्वीकार नहीं किया तो आप किस बात को आप उपस्थित कर रहे हैं?

श्री दीपनारायण सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल आपने माननीय उग्रसेन की पार्टी के विशेषाधिकार के प्रस्ताव को जो माननीय नरसिंह नारायण के विरुद्ध रखा गया था और जो आज माननीय नरसिंह नारायण जी ने उनके विरुद्ध रखा। दोनों को सदन में पढ़ा और कहा कि [****]

श्री अध्यक्ष—

क्या प्रोपोजीशन है आपका ?

श्री दीपनारायणसिंह—

प्रोपोजीशन यह है कि रिफ्लेक्शन आन दि कंडक्ट आफ ए मेम्बर इम्प्युटिंग सर्टेन मोटिव्स टु हिम वाज हेल्ड टु बी ए ब्रीच आफ प्रिविलेज। यह मेटर आया था टाइम्स आफ इंडिया रिपोर्ट आफ दि कमेटी आफ प्रिविलेजेज आफ दि बाम्बे असेम्बली, १३ अप्रैल, १९५३। तो जब आपने दोनों प्रस्ताव पढ़े जिसमें एक दूसरे के खिलाफ सीरियस चार्जेज हुये। [****] तो इस उत्तर प्रदेश की जनता में और बाहर की जनता में हमारे जनतंत्र के जो यह नुमाइन्दे हैं और जो यह असेम्बली है, उसका जो रूप सामने आता है और अखबार वाले उसको प्रकाशित करते हैं, उससे इस सदन का अपमान हो रहा है [****] तो आप विशेशाधिकार समिति को इसे भेजें जिसमें [****] स्वस्थ जनतंत्र की परम्परा कायम हो। मेरी बा अदब आपके द्वारा सदन से यह प्रार्थना है।

श्री अध्यक्ष—

देखिये, माननीय दीपनारायण जी, यह जो नजीर आपने पढ़ी है उसमें यह दिया हुआ है कि अगर सदन के बाहर का कोई व्यक्ति इस प्रकार की बात करे तो उसके ऊपर यह कार्य होता है। सदन के अन्दर वाले के लिये नहीं। सदन के अन्दर जो कुछ होता है उसके लिये तो हमारे नियम हैं।

[× × × × ×]

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

अध्यक्ष महोदय, जहां तक इन आरोपों का संबंध है जो मैंने सुना है। आरोप काफी गंभीर हैं। दोनों तरफ से काफी गंभीर आरोप लगाये गये हैं। मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि सत्य के हित में, न्याय के हित में, सफाई के साथ इसकी जांच होनी चाहिये, इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिये और इसकी सफाई कराने की कृपा आप करें।

***श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—**

मैं इस संबंध में एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपने इन प्रश्नों को लेने के पहले ही यह कहा था कि सदन का जो स्थान है, प्रजातंत्र में इसकी जो महत्ता और गरिमा है उसको ध्यान में रख-कर ही सारी बातें होनी चाहिये और यह बात सही है कि उसका सबसे बड़ा दायित्व माननीय सदस्यों

[****] श्री अध्यक्ष की आज्ञानुसार हटा दिया गया।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

के ऊपर है कि वह किस प्रकार की बातें यहां पर करते हैं, किस प्रकार के प्रश्न यहां पर लाते हैं। हमें इस बात की पूरी स्वतंत्रता है जिसको कि आपने भी कृपाकर के कहा है कि इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगना चाहिये। मैं इस संबंध में पिछले तीन चार दिनों से सोचता हुआ काफी परेशानी का अनुभव कर रहा हूं। जिस प्रकार की बातें यहां उठ रही हैं और जिस प्रकार से समाचार-पत्रों के अन्दर भी जा रही हैं उनको देखते हुये हमें इसके ऊपर कोई न कोई निर्णय करना आवश्यक हो गया है। पहली बात तो यह है कि माननीय नरसिंहनारायण पांडेय ने नाम न लेते हुये भी मंत्रि परिषद् के एक सदस्य के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगाये और उस संबंध में उन्होंने कुछ प्रमाण भी यहां रखे। नाम न लेते हुये उन्होंने यह बात कही लेकिन यह किसी से छिपा नहीं है कि किस आदमी के विरोध में यह बात थी। अगर इसका कोई निराकरण नहीं निकलता है, इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं होता है तो स्वयं उस व्यक्ति के हित में, इस प्रदेश के मंत्रि परिषद् के हित में और सदन के माननीय सदस्यों के हित में भी यह एक गलत परम्परा कायम होगी कि इतने गंभीर आरोप इतने हल्के फुल्के ढंग से टाल दिये जायं। इसके बाद इसी संबंध में सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों ने उससे भी गंभीर आरोप लगाये कि नरसिंहनारायण पांडेय और उनके रिश्तेदार इस काम को करते हैं और उन्होंने फर्जी बहीखाते यहां पेश किये। यह स्वयं एक बड़ा गंभीर आरोप है और आज नरसिंह नारायण पांडेय जी ने उससे भी गहरे आरोप लगाये सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों के ऊपर, जिसको कि आपने पढ़ते समय स्वयं अनुचित कहा। इसको अगर आपने पहले अपने कक्ष में पढ़ लिया होता तो शायद ज्यादा अच्छा होता क्योंकि जिस प्रकार की भाषा थी उसके ऊपर स्वयं आपने एतराज किया, ऐसी भाषा प्रयोग में नहीं लानी चाहिये थी। अगर ऐसी बातें यहां पढ़ी जायगी तो वह प्रोसीडिंग्स में आ जायेंगी और रेकार्ड का पार्ट हो जायेंगी। और फिर जब एक माननीय सदस्य के विरोध में कोई बात यहां कही जायगी या पढ़ी जायगी तो वह भी चाहते हैं कि जो हम आरोप लगाते हैं वह भी पढ़े जायं। यह आरोप एक सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य माननीय उग्रसेन और मिश्र जी पर काफी गंभीर आरोप हैं। अगर यह सत्य है तो पूरे प्रदेश में बुरा प्रभाव पड़ेगा और लोग समझेंगे कि विधान सभा के सदस्य आज इस प्रकार से तस्कर व्यापार के साथी हैं। इसलिये न्याय के हित में और प्रजातन्त्र के हित में, सदन का गौरव और सदन की प्रतिष्ठा के हित में, यह उचित होगा कि आप सरकार से इस बात की सिफारिश करें कि सरकार इन आरोपों की जांच करायें और जो अपराधी हो उसको दंड मिले। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सरकार से इस बात की सिफारिश करें कि सरकार इसकी जुडिशल इन्क्वायरी कराये।

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

श्रीमन्, चूंकि ऐसे गंभीर आरोप लगाये गये हैं और अब यह सब चीजें हमारी जानकारी में भी आ गई हैं तो इस प्रान्त का होम मिनिस्टर होने के नाते, मेरा यह फर्ज हो जाता है कि उसकी इन्क्वायरी कराऊं। तो मैं आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि जो बहीखाता आपके पास है वह भी हमको दें दें। यह भी आपके अधिकार की बात है कि जो आरोप लगाये गये उसकी इन्क्वायरी हो या नहीं। वह भी मैं आपकी आज्ञा से कर सकता हूं लेकिन जो गांजा बेचने का रैकेट है उसके लिये तो मेरा फर्ज है कि मैं उसकी इन्क्वायरी कराऊं।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—

श्रीमन्, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से इस बात की दरख्वास्त करूंगा कि वह इन्क्वायरी किसी पुलिस अफसर को न देकर किसी के द्वारा जुडिशल इन्क्वायरी करायें ताकि उसकी इन्क्वायरी कम से कम इस तरह की हो सके जिसकी सत्यता व उस पक्षपात पर इस सदन के मेम्बरों को विश्वास हो सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी हाईकोर्ट के जज द्वारा इन्क्वायरी, जुडिशल इन्क्वायरी और विशेषाधिकार समिति को भेजने की सब बातों को मानने के लिये तैयार हैं हमने इस बात को पहले भी कहा है।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का आभारी हूं कि उन्होंने इन्क्वायरी की बात स्वीकार की, परन्तु मैं यह चाहता हूं कि चूंकि अब यह मसला बड़ा अहम हो गया है और बड़े संगीन आरोप हैं तो एक्जिक्यूटिव के द्वारा इन्क्वायरी न होकर इम्पार्शल जुडिशल इन्क्वायरी हो, तो ज्यादा उचित होगा। यह मैं आपके द्वारा माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करता हूं।

*श्री छत्रपति अम्बेश (जिला आगरा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो अभी आप कह चुके हैं कि जो शब्द आपने प्रयोग किये हैं वह असंसदीय है और आपने वापस लेने की बात कही। इस आदरणीय सदन के अन्दर इन शब्दों का जो प्रयोग किया गया है उससे एक वर्ग विशेष के लोगों के अपमान की बात है। यदि इस प्रकार से विधान के अन्दर होता है तो यह कहा जा सकता है कि यह कार्य ऐसा है जिसमें यह होता है। दूसरी बात यह है कि अभी जो यादव जी ने बात कही तो उसके बाद माननीय गृह मंत्री जी ने अपनी बात कही। अब उसके बाद मैं यह समझता हूं कि यह कहना कहां तक उचित होगा किन्तु फिर भी मैं निवेदन कर रहा हूं। मुझे याद है और अपनी पर्सनल जानकारी के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप इस हाउस में और इस हाउस के बाहर भी कुछ माननीय सदस्यों ने या बाहरी लोगों ने गवर्नर को भेजे हैं और मैं यह कह सकता हूं कि उनके आधार पर आज तक उनके अन्दर, जहां तक मेरी जानकारी है, कोई इस प्रकार की इन्क्वायरी का प्रश्न पैदा नहीं हुआ। प्रश्न यह है कि जो आरोप एक माननीय सदस्य देता है उसके अन्दर कहां तक जान है। इस प्रकार के आरोप जो माननीय सदस्य ने बतलाये हैं उनमें कोई उनके संबंधी भी संबंधित हैं यह बात आई है। वह कहां तक उचित है? मेरा मतलब यह है कि यह कहां तक उचित होगा कि एक सदस्य जो चाहे दूसरे सदस्य के विरुद्ध लिख कर दे दे और फिर उसकी इन्क्वायरी हो। उसकी बेस पर उसकी जांच हो, यह कहां तक उचित है?

श्री अध्यक्ष—

यह आपका एक सुझाव है।

श्री छत्रपति अम्बेश—

इस प्रकार हाउस की व्यवस्था यह हो जायगी कि जो चाहे जिस किसी सदस्य के खिलाफ लिख कर कुछ दे देगा और इस चीज को सम्हालना बड़ा मुश्किल हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—

यह मेरे विचार करने की बात नहीं है।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरे भावों का ख्याल रख कर मुझे मौका दिया। मैं चाहता हूं कि इसकी सी० आई० डी० द्वारा इंक्वायरी होनी चाहिये।

[× × × ×]

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि दो दिन से जिस प्रकार चीजें सदन में रखी जा रही हैं उनका आम जनता पर असर पड़ता है। एक सदस्य ने मंत्री पर एक आरोप लगाया और फिर भ्रष्टाचार का आरोप डी० आई० जी० और एक माननीय सदस्य के खिलाफ लगा। तो मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस मामले को कैबिनेट लेविल पर विचार करके सेंटर में भेज दें तो अच्छा होगा। यहां का गुप्तचर विभाग पूरा पता लगा पाये या न लगा पाये।

श्री अध्यक्ष—

यह तो किसी प्रस्ताव द्वारा ही संभव है। बहस में यह नहीं हो सकता।

श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस में लिखा है कि—

"certain matters cannot be debated, save upon a substantive motion which admits of a distinct vote of the House. Among these may be mentioned the conduct of the sovereign, the heir to the throne, the Governors-General of the D minions; the Lord Chancellor, the Speaker, the Chairman of Ways and Means, members of either house of Parliament.....'

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब सप्लीमेन्टरी पेश हो रहा था उसके विवाद में कोई सदस्य किसी दूसरे सदस्य पर जो मंत्री है इस प्रकार का आरोप नहीं लगा सकते। अगर उनको इस प्रकार के आरोप लगाने हैं तो इस के लिये उन्हें एक सब्सटेंटिव मोशन लाना पड़ेगा और तभी उस पर विचार हो सकता है।

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

मैं निहायत अदब से आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि मुझे इस सदन का मेम्बर होने का गौरव १९४६ से है। इस समय जो सिलसिला चला है कि हम किसी एक सदस्य के खिलाफ कोई चीज लिख कर दे दें और इतना ही नहीं उसका सदन में जिक्र भी कर दें, तो आज एक वातावरण अपने सारे देश में है बदकिस्मती से कि जितनी बुरी बात हो, जैसे ही अखबार में छपती है, उसे सब लोग सत्य मान लेते हैं। भले ही उसका कंट्रेडिक्शन हुआ करे चौथे छठे पेज पर, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता और नतीजा यह होता है कि किसी भलेमानुस की छीछालेदर हो जाती है और उसकी पुश्तों तक पर दाग लग जाता है। तो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि अगर किसी सदस्य के खिलाफ या किसी मंत्री के खिलाफ शिकायत हो, तो वह आपको लिख कर दे और आप अपने जरिये से, यह होम मिनिस्टर के जरिये से या किसी और जरिये से उसकी इंक्वायरी करा लें कि प्राइमा फेसी केस है या नहीं। अगर प्राइमा फेसी केस हो तो उस पर आप चाहे जुडिशियल इंक्वायरी करायें या और कोई, लेकिन अगर वैसे ही यहां कहना शुरू कर देंगे कि

[× × ×] मा० अध्यक्ष की आज्ञानुसार हटा दिये गये।

यह बेईमान है, इसके घर वाले बेईमान हैं तो पब्लिक की निगाह में वह बेईमान हो गया चाहे वह बेईमान न हो । इसलिये मेरी दरख्वास्त है कि ऐसे मामलों पर आप कांफीडेंशल तरीके से प्राइमाफेसी केस है या नहीं, यह जानने की कोशिश करें और उसके बाद उसका जिक्र सदन में होना चाहिये । ऐसे ही, सदन में ऐसे मामलों का जिक्र नहीं होना चाहिये ।

*श्री वीरसेन (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, यह प्रिविलेज के प्रश्न जो आपके सामने हैं, मैं समझता हूं कि आपको निश्चय सिर्फ यह करना है कि यह प्रश्न प्राइमा फैसी प्रिविलेज के हैं या नहीं ? और अगर आप यह निश्चय करते हैं कि यह सवाल प्रिविलेज के हैं तो और कोई रास्ता नहीं है, आपको प्रिविलेज कमेटी को भेज देना चाहिये । अगर यह प्रिविलेज का प्रश्न नहीं बनता है तो इसे रिजेक्ट किया जाय । माननीय होम मंत्री ने कहा कि इन्क्वायरी की जाय । वह मैं समझता हूं, उन्होंने तस्कर व्यापार के बारे में जो रैकेट है उसका जिक्र किया और उसकी इंक्वायरी कराना चाहते हैं, लेकिन प्रिविलेज का क्वेश्चन जुदा सवाल है, वह इंक्वायरी का सवाल नहीं हो सकता है । मैं समझता हूं कि कोई भी सवाल जो कि किसी माननीय सदस्य के कैरेक्टर पर रिफ्लेक्ट करता है और किसी की इनकैपेसिटी दिखाता है या सदन की सेवा करने में, स्वतंत्रतापूर्वक व्यवहार करने से रोकता है या ऐसी टेंडेंसी है जो रोकने की तरफ ले जाती हो, तो वह प्रिविलेज का सवाल बन जाता है । अब यह कहना कि किसी माननीय मंत्री ने जो इस माननीय सदन के सदस्य हैं, ऐसा काम किया है जो उनको जनता की निगाह में नीचे गिराता है और उसके साथ सदन को भी नीचे गिराता है, मैं समझता हूं कि यह सदस्य की स्वतंत्रता पर प्रभाव डालता है, उसके मान पर प्रभाव डालता है । मिसाल के तौर पर आचार्य कृपालानी के बारे में "ब्लिट्ज" के एडीटर ने एक आर्टिकिल छाप दिया जिसमें उनको "कृपालूनी" कहा गया, जिसका मतलब पागल की संज्ञा देना था । जब लोक सभा में यह प्रश्न आया तो उसमें 'ब्लिट्ज" को प्रिविलेज का दोषी पाया गया और रिप्रामांड हुआ । इसके अतिरिक्त आपके सामने पहले भी इस प्रकार का एक प्रश्न आ चुका है जिसमें माननीय नरसिंहनारायण जी के खिलाफ परचे बंटे थे, उसकी आपके सामने रिपोर्ट आने वाली है, चौथा प्रतिवेदन है । उसमें यही बात कही गयी थी कि माननीय सदस्य के खिलाफ वह बातें कही गयी हैं जो उनके चरित्र पर लांछन लगाती हैं जिससे उनका और सदन का अवमान होता है । उसी प्रकार के ये भी आरोप है ।

श्री अध्यक्ष—

अगर माननीय वीरसेन इजाजत दें तो मैं उनसे यह प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या गवर्नमेंट के ऊपर यहां क्रिटिसिज्म हो सकता है या नहीं और क्या कोई माननीय सदस्य यह कह सकता या नहीं कि अमुक मंत्री काम ठीक नहीं कर रहा है, या उसके यहां फेवरटिज्म होता है, या उसके विभाग में करप्शन है ?

(कह सकता है, जरूर कह सकता है की आवाजें ।)

अगर कह सकता तो क्या आप यह बहस कर सकते हैं कि यह ब्रीच आफ प्रिविलेज हो गया ?

श्री वीरसेन—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय शिवराजसिंह जी ने मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस का हवाला दिया था.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

देखिये, मुझे तो रूलिंग देनी थी, अगर आप अब भी बोलना चाहते हैं तो बोल लें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री वीरसेन——

अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय शिवराजसिंह जी ने कहा आपको यह देखना पड़ेगा कि सरकार का क्रिटिसिज्म हो सकता है या नहीं और अगर कोई चीज किसी मेम्बर के कैरेक्टर पर प्रभाव डालती है तो उस विषय में यहां कुछ कहा जा सकता है या नहीं ? मेरी राय में अगर कोई मिनिस्टर ऐज ए मिनिस्टर कोई काम करता है और वह गलत है तो उसके खिलाफ नो कांफीडेंस मोशन आ सकता है किन्तु अगर उसका कोई काम ऐज ए मेम्बर है तो उसके खिलाफ प्रिविलेज का मोशन आ सकता है । इसी तरह का पहले भी एक प्रश्न प्रीविलेज कमेटी को भेजा गया है । मेरी राय यह है कि आप इस सवाल को प्रीविलेज कमेटी को भेजें । अगर यह स्टेटमेंट सही है, तब तो यह प्रश्न उठेगा कि सदन को क्या कार्यवाही आगे करना है, अगर गलत होता है, तो जिसने गलत आरोप लगाये हैं उनके खिलाफ ऐक्शन लेने के लिये सदन विचार करेगा ।

(श्री शिवसम्पति शर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री दीपनारायणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, आप नियम २८९ देखें, जिसमें यह है कि कोई सदस्य किसी सदस्य पर व्यक्तिगत आरोप लगा सकता ....

श्री अध्यक्ष—

मैं उसे जानता हूं । मैं शर्मा जी को बुला चुका हूं, आप कृपया बैठें ।

श्री शिवसम्पति शर्मा (जिला जालौन)—

मैं अपने प्रश्न का आपसे उत्तर चाहता हूं कि क्या किसी जाति विशेष पर इस सदन में हम लांछन लगा सकते हैं ? आपने, यहां पर जो बातें हुई, उसको अनुचित समझते हुये उसकी उपमा एक जाति विशेष से दी ....

श्री अध्यक्ष—

वह अब समाप्त हो गया । आप कृपया बैठिये । वह कार्यवाही में नहीं रहेगा ।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

मुझे यह निवेदन करना है कि यहां पर जो विशेष धिकार का प्रश्न उठाया गया है वह माननीय नरसिंह नारायण पांडेय जी को लेकर सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से है । इधर की तरफ से तो कोई प्रस्ताव है नहीं । श्रीमन्, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार के मंत्री तो सुबह से शाम तक इन मानवीय शिष्टाचार की हत्या में शामिल हैं ही, हम तो अनेकों बातें सुनते ही हैं, किन्तु यह मामला सोशलिस्ट पार्टी और नरसिंहनारायण जी की पार्टी के बीच का है, इसे तय हो जाना चाहिये और जनता को मालूम हो जाना चाहिये कि यह क्या बात है । जरा इस बात की सफाई हो जाय विरोधी पार्टियों में, इसलिये आप इसे विशेषाधिकार समिति में भेजने की कृपा करें कि कौन इनमें तस्कर का व्यापार करता है । कांग्रेस सरकार के मंत्रियों को तो उनकी गालियों की बौछार सुनना ही पड़ता है ।

(व्यवधान)

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि यह प्रजा सोशलिस्ट दल पर आरोप नहीं लगाया है ।

श्री जे० पी० मिश्र—

यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख सदस्य, श्री नरसिंहनारायण पांडेय तथा सोशलिस्ट पार्टी का ही यह नक्शा आपके सामने आया है, इससे विरोधियों को अपनी शक्ल का पता चल जायेगा । इसलिये इसको विशेषाधिकार में भी दिया जाय और सी० आई० डी० और

हाईपावर जज द्वारा सबकी समझ में उनका नक्शा आ जाय और प्रदेश की जनता की समझ में भी पूरा नक्शा आ जाय और सरकार के मंत्रियों पर तो रोज तरह-तरह की बौछार होती ही रहती है, वह भी साफ हो जाय ।

श्री अध्यक्ष—

बस हो गया, बैठिये ।

*श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष इस समय २ महत्वपूर्ण प्रश्न है । एक तो यह कि विशेषाधिकार का वह प्रश्न है जिसे आपने अभी अस्वीकार कर दिया और दूसरा प्रश्न यह है कि माननीय गृहमंत्री जी ने इंक्वायरी करने का वचन दिया है । गृहमंत्री जी को कोई अधिकार नहीं है इन्कवायरी की घोषणा करने का । आप देखें कि इसमें कैबिनेट के मंत्री के बिषय में भी आरोप है, माननीय नरसिंहनारायण पांडेय जी ने जो प्रश्न उठाया है उससे संबंधित एक मंत्री जो हैं, वह कोई भी हों लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है । लोकसभा में जब सिराजुद्दीन कांड आया तो उसकी इंक्वायरी प्रधान मंत्री जी ने स्वयं की थी और एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा वह इंक्वायरी कराई गई थी । लेकिन यहां पर जब माननीय गृह मंत्री जी उसकी घोषणा कर देते हैं तो उसका मतलब होता है कि उन्होंने प्राइमा-फेसी केस को स्वीकार कर लिया और अगर वह स्वीकार हो गया तो बहीखाते क्यों उनके पास हैं और अगर प्राइमाफेसी वह स्वीकार हो गया तो वह अब सदन का केस नहीं रहा, वह तो अब जनता का प्रश्न बन गया । उन्होंने इंक्वायरी का वचन दिया है, अब यह उन पर है कि वह किसके द्वारा । पुलिस के द्वारा या सी० आई० डी० के द्वारा जांच करावें और इस तरह से सदन के समक्ष कोई रिपोर्ट आई तो उस पर विश्वास नहीं किया जायगा । इसलिये अगर उन्होंने इन्क्वायरी की बात मानी है तो माननीया मुख्य मंत्री घोषणा करें कि वह सदन की मांग के अनुसार किसी जज से इन्क्वायरी करायेंगी जैसे कि मुख्य मंत्री पंजाब, श्री कैरो के खिलाफ कराई जा रही है । अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम समझेंगे कि मंत्री जी कहीं अंधेरे में इन्क्वायरी करते रहे । इसलिये मैं आप के द्वारा निवेदन करूंगा कि जब गृह मंत्री जी ने इन्क्वायरी कराना कबूल कर लिया है तो किसी जज के द्वारा जुडोशियल इन्कवायरी होना चाहिये और दूसरे आपने विशेषाधिकार के प्रश्न को अस्वीकार कर दिया है लेकिन आप ने हमेशा इस बात को माना है कि सदन का निर्णय सर्वोपरि है और आपको उस पर कभी एतराज नहीं होगा । इसलिये सदन की इच्छा है और वह बहुमत या सर्वसम्मति से चाहता है कि विशेषाधिकार में यह प्रश्न दिया जाय । चाहें नियमों में आता हो या न आता हो, आप इन दोनों प्रश्नों को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दें ।

*श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं । हमारी प्रार्थना यह है कि जिस समय इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर आप सदस्यों की राय ले रहे थे तो श्री जे० पी० मिश्र ने कुछ ऐसे ढंग से इस प्रश्न पर अपने विचार व्यक्त किये कि प्रजासोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी और विरोधी दल के लोगों की कलई खुल रही है और उनकी तरफ सब मामला ठीक है ।

मैं मान्यवर, बहुत दुख के साथ आग्रह करना चाहता हूं, यदि इस प्रश्न के सभी पहलुओं पर गम्भीरता से सदन विचार करना चाहता है तो २,३ बातों को ध्यान में रखना होगा । पहली बात तो यह है कि क्या नरसिंहनारायण पांडेय ने ....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

मैं जानना चाहता हूं कि विशेषाधिकार पर आप कुछ कह रहे हैं, क्या प्रोपोजीशन आपका है ?

श्री रामायणराय—

जी हां, आपने सबको इजाजत दी....

श्री अध्यक्ष—

मैं क्या जानूं । वह क्या कहना चाहते हैं ।

श्री रामायणराय—

आपको मदद मिलेगी यह तय करने में कि इसके साथ क्या फैसला करें ।

श्री अध्यक्ष—

मुझे बहुत मिल चुकी है । माननीय जे०पी०मिश्र ने क्या कहा, इस पर आप न कहकर यह बतायें कि क्या होना चाहिये ।

श्री रामायणराय—

माननीय नरसिंहनारायण जी ने अतिरिक्त अनुदानों पर बोलते हुए एक तथ्य सदन के सामने पेश किया । मेरी जहां तक जानकारी है माननीय चन्द्रजीत यादव जी को, तथा अन्य बहुत से सदस्यों को मुझे स्वतः भी कुछ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं आग्रह करना चाहता हूं कि यह कोई पहली घटना नहीं है । माननीय जे०पी० मिश्र को मालूम होना चाहिये कि इसी सदन में वर्तमान वित्त मंत्री और तत्कालीन शिक्षा मंत्री के खिलाफ भी काफी लम्बे चौड़े आरोप आये थे किसी कम्पनी के साथ उल्टा-सीधा सौदा करने के । माननीय नेकराम शर्मा स्वतः भुक्तभोगी हैं कि किस तरह से उनके साथ घटनायें हुई और उनकी चर्चा हुई । मैं कहना चाहता हूं सबसे पहली कमजोरी होती है उस चेयर की जो ऐसा कोई विषय, जो सदन की गरिमा को गिराने वाला है उसकी चर्चा यहां चलने दें । मैं समझता हूं गरिमा वहां गिरती है । अगर वह चीज आब्जेक्शनेबिल थी, अगर उसका संबंध अतिरिक्त अनुदानों से नहीं हो सकता था, मुझे याद है उस दिन माननीय कृष्णानन्द राय जी ने नियमों का हवाला देते हुये कहा था कि इस अनुदान के संबंध में इसकी चर्चा नहीं हो सकती । लेकिन उस समय भी चेयर से इसके ऊपर कोई समुचित व्यवस्था नहीं हुई । इसलिये मैं कहना चाहता....

श्री अध्यक्ष—

क्या प्वाइंट है ?

श्री रामायणराय—

आप स्वतः किसी भी प्रश्न के ऊपर अगर एक ही दृष्टि से विचार करें तो मैं समझता हूं, सदन की गरिमा बढ़ेगी । कल ही एक प्रश्न आया प्रपत्र के संबंध में....

श्री अध्यक्ष—

आप कनफ्यूज न कीजिये ।

श्री रामायणराय—

मैं कह रहा था कि चेयर को प्रत्येक ऐसे प्रश्न पर एक ही प्रकार की व्यवस्था देनी चाहिये । समय-समय पर चेयर के द्वारा एक ही नेचर के प्रश्नों पर अलग अलग प्रकार की व्यवस्था दी गई, जिसकी वजह से ऐसी गड़बड़ियां पैदा होती रही हैं । इसलिये मैं कहना चाहता हूं

कि आज जो प्रश्न पेश है इस पर निर्णय देते हुए ऐसे ही प्रश्नों पर पहले आपने क्या फैसला दिया है. मैं समझता हूं उसको जरूर स्मरण रखेंगे। जहां तक मेरा अपना विचार है, मैं समझता हूं आज सदन की गरिमा उधर के लोगों के आपसी झगड़े और दलबन्दी के प्रभाव से गिर रही है। मैं कहना चाहता हूं कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी का नाम लेकर माननीय जे०पी० मिश्र साहब ने जिस तरह के शब्द....

श्री अध्यक्ष—

अच्छा इसको समाप्त कीजिये। अब रोज-रोज इस पर बहस नहीं होगी।

श्री रामायणराय—

उन्होंने विरोधी दलों के विरुद्ध जो आरोप लगाये हैं। मैं आपसे कहूंगा आप प्रोसीडिंग देख कर उसे निकालने की मेहरबानी करें।

श्री जे०पी० मिश्र—

व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री अध्यक्ष—

(श्री रामसुन्दर पांडेय के खड़े होने पर) आप कृपया बैठें। विवाद बढ़ रहा है। कल हमने इस प्रश्न पर करीब पौन घंटे तक विचार किया। सबके विचार मैंने सुन लिये। अगर आप फिर से दोहराइयेगा तो यह उचित नहीं होगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि माननीय जे०पी० मिश्र जी ने इस गरीब बल का नाम भी ले लिया है। इतने कागजात इस तस्कर व्यापार के संबंध में आपके पास गये हैं उसमें प्रजासोशलिस्ट पार्टी का नाम नहीं है। तो फिर माननीय जे०पे० मिश्र जी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का नाम क्यों उसमें घसीट रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—

उसी वक्त उन्होंने शुद्ध कर दिया था कि प्रजा सोशलिस्ट नहीं, युनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी।

श्री हरगोविन्दसिंह—

मैं एक गलतफहमी साफ कर देना चाहता हूं। नेकराम शर्मा जी ने जैसा कहा मेरा वैसा मतलब नहीं था। गोरखपुर में इस तस्कर व्यापार की खबर मुझ को भी थी। एक जगह तलाशी कराई। वहां से करीब १ मन या डेढ़ मन गांजा निकला। जिससे मैं यह समझता हूं कि वहां इस प्रकार का व्यापार काफी प्रचलित है। चूंकि वह मेरी नोटिस में आ गया है जो वही उन्होंने दी है वह आप हमको दे दें, उसकी मैं जांच करा लूंगा क्योंकि वह हमारी नोटिस में आ गयी है।

कानपुर नगरमहापालिका के अन्तर्गत सम्मिलित गांवों की अर्जित कृषि भूमि को अधिक मूल्य पर बेचने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

"कानपुर नगरपालिका के अन्तर्गत १४२ गांवों को शामिल करके उन गांवों की सारी कृषि योग्य भूमि को विभिन्न योजनाओं के नाम पर औसतन चार नये पैसे प्रतिगज में अर्जित

[श्री अध्यक्ष]

की जा रही है और वही अर्जित की हुई भूमि ८ रुपया गज से १५० रुपया गज तक बेंची जा रही है । यही नहीं बहुतायत जमीन शहरी सजावट में बरबाद करने की योजना है ।

उक्त गांवों की हजारों एकड़ जमीन में किसानों ने अथक, अटूट परिश्रम करके फसल तैयार की है । महापालिका की ओर से जमीन पर कब्जा करने के अभिप्राय से किसानों पर दमनात्मक कार्यवाही की गयी । जिसको शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल गत महीना माननीय मुख्य मंत्री से मिला । माननीय सुचेता जी ने तैयार खड़ी फसल को बरबाद न करने व अन्य लोगों पर न्यायोचित विचार करने का आश्वासन दिया था ।

माननीय मुख्य मंत्री उक्त आश्वासन के बावजूद किसानों की विवशता को पराकाष्ठा पर पहुंचाने के लिये ताकि वे भाग जायं दिनांक १२ दिसम्बर, १९६३ को महापालिका अधिकारी ने सैकड़ों कर्मचारियों को लेकर पनकी कटरा, साहपुर, मासमऊ को खड़ी हुई हरी फसल को उखाड़कर नष्ट-भ्रष्ट कर दिया और बराबर फसल बरबाद कर रहे हैं और किसानों को बराबर तंग किया जा रहा है ।"

माननीय मन्त्री इस पर कब बयान देंगे ? इसको मैंने स्वीकार कर लिया है ।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री चतुर्भुज शर्मा) —

सूचना मुझे मिल गयी है । कुछ समय आप दे दें । कल या परसों तक का समय दे दिया जाय ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया) —

पहले जो मोशन चल रहा था उस पर आपने क्या व्यवस्था दी ?

श्री अध्यक्ष—

आपने इतनी बहस कर ली । मैं विचार करके निर्णय दूंगा ।

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई) —

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको समाचार-पत्रों से और रेडियो पर यह समाचार प्राप्त हुआ होगा कि माननीय वित्त मन्त्री ने अपना त्याग-पत्र दे दिया है । सदन आज भी बैठा है और कल भी बैठ रहा था और मैं समझता हूं कि सदन में इस बात की सूचना आनी आवश्यक थी जैसी कि हाउस आफ कामन्स में प्रथा है । यदि कोई स्टेटमेंट भी देना चाहते थे तो वह भी सदन में आना आवश्यक था । इसलिये आप कृपा करके सूचना दिलायें ।

श्री अध्यक्ष—

जहां तक मैंने देखा है कि माननीय वित्त मन्त्री ने शायद कांग्रेस हाई कमांड को लिख कर भेजा है ।

सामुदायिक विकास मन्त्री (श्री राममूर्ति) —

अध्यक्ष महोदय, आपने तो स्वयं अखबार में पढ़ा होगा कि यह सारी खतो किताबत ए० आई० सी० सी० के जनरल सेक्रेटरी से हुई है । हम लोग तो कुछ इसके बारे में जानते नहीं ।

श्री शारदाभक्तसिंह —

जैसा मैंने निवेदन किया, समाचार-पत्रों में है कि वह इस्तीफा मुख्य मन्त्री जी के पास भेज दिया गया है और राज्यपाल का भी जिक्र है । जब ऐसी स्थिति है तो हाउस को उनके द्वारा सूचना मिलनी चाहिये ।

श्री राममूर्ति —

चूंकि मुख्य मन्त्री जी का जिक्र किया गया तो फिर तो आप उन्हीं से मालूम कर लें ।

विधायकों के सदन में आने की व्यवस्था

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली) —

एक बार इस सदन में यह निर्णय हुआ था कि विधायकों के आने-जाने के समय सड़क पर व्यवस्था ठीक कर दी जायगी लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था ठीक नहीं है। एक कांस्टेबिल खड़ा रहता है लेकिन वह रोकता नहीं और गाड़ियां निकलती रहती है। आज ऐसा हुआ कि जब मैं आ रहा था तो दो मोटरें आपस में भिड़ गयीं और मैं बाल बाल बच गया। मोटर में बैठी सवारियों को काफी चोटें आयीं।

श्री अध्यक्ष—

यूनाइटेड किंगडम में ऐसी प्रथा है कि जिस वक्त वहां पार्लियामेंट में सदस्य जाते हैं तो उस रास्ते को रिजर्व कर लिया जाता है और कोई सवारी उस रास्ते से नहीं गुजरती है। प्रश्न यह हमारे सामने है कि क्या आप चाहेंगे कि उस प्रकार की व्यवस्था यहां हो जाय? फिर चार आदमी हमारे सम्बन्ध में क्या कहेंगे यह आप सोच लीजिये, तब हम उस पर विचार करेंगे।

श्री बलवानसिंह की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास यह वायरलेस आया है सुपरिन्टेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल का—

"Sri Balwan Singh, M. L. A. admitted to jail on December 16, 1963, under section 125, D. I. R."

तो यह सूचना मैंने आपको दे दी।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

१६ तारीख को जेल गये और १८ को सूचना मिली, इस पर आप कुछ करेंगे?

श्री अध्यक्ष—

आपने उसको दे तो रखा है, उस पर निर्णय मालूम हो जायगा।

*उत्तर प्रदेश होम-गार्ड्स विधेयक, १९६३—(क्रमागत)†

प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स विधेयक, १९६३

[जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश होम-गार्ड्स के संघटन की व्यवस्था करने के लिये विधेयक

प्रस्तावना

यह इष्टकर है कि उत्तर प्रदेश होम-गार्डस् के नाम से एक दल के संघटन की व्यवस्था की जाय जिसकी सेवाओं का उपयोग आपात-काल में विभिन्न कर्तव्यों के लिये किया जा सके और जो शान्ति और सुव्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस दल के सहायक के रूप में भी काम कर सके :

---

*२१ अक्तूबर, १९६३ की कार्यवाही में छपा है।

†१७ दिसम्बर, १९६३ की कार्यवाही से।

अतएव भारतीय गणतंत्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

श्री मुमताज मुहम्मद (जिला बुलन्दशहर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तावना में निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं। प्रस्तावना के आरम्भ में तीसरी और चौथी पंक्ति में से "शान्ति और सुव्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस बल के सहायक के रूप में भी काम कर सके" हटा दिया जाये और उसके स्थान पर "कि सैनिक नमूने पर एक सेवक तथा रक्षक दल हो जो अनेक प्रकार की सेवाओं के अतिरिक्त समय पर शान्ति और सुव्यवस्था बनाये रखने के लिये भी काम कर सके" रख दिया जाय।

इस दल के लिये बहुत जरूरी है कि वह सैनिक प्रकार का हो। इसका अनुशासन और इसका ढंग फौजी होना चाहिये। इसके आफिसर्स इसका कमान्डेन्ट जनरल जहां तक हो सके सैनिक होने चाहिये। लेकिन इसमें पोलिटिकल सफरर या पुलिस के अधिकारी रख लिये गये हैं। अफसोस है इसको पुलिस का आक्जिलरी फोर्स बनाने पर विशेषता दी गयी है। लेकिन इसकी जो ड्यूटीज हैं, सेक्शन ५ देखिये, उसमें ५ फंक्शन्स इसके रखे गये हैं, उनका कोई लिहाज इस प्रस्तावना में नहीं रखा गया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस जनता में बदनाम हो चुकी है, लोगों का इस पर विश्वास नहीं रहा है। अगर इसको भी पुलिस का आक्जिलरी फोर्स बना दिया गया तो जो लोगों की इसमें दिलचस्पी है, जो इसके लिये शुभ कामनायें हैं वह खत्म हो जायेंगी। लिहाजा मेरे संशोधन को माननीय मंत्री जी को मान लेना चाहिये।

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

स्वीकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि "प्रस्तावना के आरम्भ में तीसरी और चौथी पंक्ति में से "शान्ति और सुव्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस दल के सहायक के रूप में भी काम कर सके" हटा दिया जायें और उसके स्थान पर "कि सैनिक नमूने पर एक सेवक तथा रक्षक-दल हो जो अनेक प्रकार की सेवाओं के अतिरिक्त समय पर शान्ति और सुव्यवस्था बनाये रखने के लिये भी काम कर सकें" रख दिया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

माननीय, मैं यह संशोधन शीर्षक में पेश करता हूं कि—

"इस विधेयक के दीर्घ शीर्षक में "होम-गार्ड्स" को ब्रैकिट्स में रख कर इससे पहले "गृह रक्षक दल" रख दिया जाय।

यह बात जरूरी है। कल जब इस बिल पर बहस हुई तो सबने यह ही राय जाहिर की कि इसका नाम हिन्दी में होना चाहिये। लेकिन मंत्री जी ने सदन के जजबात को ठेस पहुंचाई जब उन्होंने कहा कि केन्द्रीय सरकार की यह मर्जी है लिहाजा इसका नाम होम-गार्ड्स ही होना चाहिये और सारे प्रदेशों में यही नाम है। लिहाजा जो मेरा संशोधन है उससे दोनों बातें पूरी हो जाती हैं। एक तो यह कि सदन का जो खयाल है कि हिन्दी में इसका नाम होना चाहिये। दूसरे यह कि इसको ब्रेकिट्स में रखने से दूसका मतलब भी पूरा हो जायगा चूंकि मंत्री जी को अंग्रेजी में ज्यादा दिलचस्पी है और वह अंग्रेजी में ज्यादा बातचीत भी करते हैं और हमारी केन्द्रीय सरकार की भी यही मर्जी है वह भी पूरी हो जाती

है। लिहाजा मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि होम गार्ड् स से पहले 'गृह रक्षक दल' रख दिया जाय और ब्रेकिट्स में 'होम-गार्ड् स' कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि इस विधेयक के दीर्घ शीर्षक में "होम गार्डस्" को ब्रेकिट्स में रख कर इससे पहले "गृह रक्षक दल" रख दिया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ—

पक्ष में—४२,

विपक्ष में—७१।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हरगोविन्दसिंह—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम गार्ड् स विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है और विधान सभा द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मैं इसका विरोध करता हूं। श्रीमन्, जैसा कि इस बिल को इस आदरणीय सदन से माननीय मंत्री पास कराने जा रहे हैं, इस बिल को अगर कानून के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता पढ़ेगी ....

श्री अध्यक्ष—

इसमें सिर्फ तीन मिनट बोलना है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या श्रीमन्, यह तो तृतीय वाचन है?

श्री अध्यक्ष—

बात यह है कि कल ही इसको समाप्त हो जाना चाहिये था। वह रह गया।

श्री काशीनाथ मिश्र—

इस बिल में सरकार ने सारा अधिकार इस कानून से अपने हाथ में ले लिया है। इस कानून का शीर्षक होम गार्ड देकर सारी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ एक तरह से गद्दारी की गयी है। होम गार्ड को सिविल गार्ड का शब्द अंग्रेजी राज्य में अंग्रेजी शासन को बनाये रखने के लिये आई० सी० एस० अफसरों ने १९४० में दिया था जब लड़ाई चल रही थी। इन दोनों का इतिहास अंग्रेजी शासन को बनाये रखने के साथ जुड़ा हुआ है। इस तरह से होम गार्ड को बना कर माननीय मंत्री सारे प्रदेश में अपनी पार्टी का प्रसार कराना चाहते हैं। यह कांग्रेस संगठन का आग्जिलियरी फोर्स होगा, न कि मिलिटरी फोर्स का आग्जिलियरी फोर्स होगा। क्योंकि माननीय हरगोविन्द सिंह जिला बलिया में गये थे। हमारे मुकाबिले में बृजबिहारीसिंह लड़ रहे थे। वह प्रान्तीय रक्षक दल के अफसर भी हैं और जिला परिषद् के सदस्य भी हैं। डेढ़ सौ रुपये तनख्वाह पाते हैं। जब माननीय हरगोविन्द सिंह गये थे तो वह झंडा लेकर अगवानी में प्रान्तीय रक्षक दल का स्वागत करवा रहे थे। अगर होम गार्ड का यही काम रह जायगा तो

[श्री काशीनाथ मिश्र]

चीन और लद्दाख में तथा प्रदेश की क्या रक्षा करेंगे ? कांग्रेस के संरक्षण के लिये यह बिल तैयार करके जनता का पैसा खर्च किया जा रहा है। इसलिये मैं आदरणीय सदन के सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि आप इस बिल को पास न होने दें।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स विधेयक, १९६३, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है और विधान सभा द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

तृतीय विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रतिवेदन

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि तृतीय विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, जरा बतला दें कि हरएक का अलग-अलग होगा, तब ठीक होगा ?

श्री अध्यक्ष—

ठीक है।

*श्री कमलासिंह यादव—

प्रथम प्रतिवेदन श्री हरिनन्दन शरण भटनागर के नाम से जो प्रार्थना-पत्र कागजात तलब करने के लिये विधान सभा को दिया गया था, उससे सम्बन्धित है। तो जहां तक कागजों को भेजने का सवाल है उसके बारे में जो निर्णय समिति ने लिया है उससे मैं भी सहमत हूं। सिर्फ एक चीज है जिसके बारे में मेरी असहमति है। वह यह है।

इस प्रतिवेदन के पृष्ठ तीन पर यह दिया हुआ है—"लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम ३८३ में यह उपबन्ध है कि लोक सभा या उसकी किसी समिति के अथवा लोक सभा सचिवालय के सब अभिलेख, दस्तावेज और पत्र सचिव की अभिरक्षा में रहेंगे और वह किन्हीं ऐसे अभिलेखों, दस्तावेजों या पत्रों को, अध्यक्ष की अनुज्ञा के बिना, संसद भवन के बाहर नहीं ले जाने देगा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, १९५८ में लोक सभा के उक्त नियम के समकक्ष कोई नियम नहीं है और न कोई ऐसा ही उपबन्ध है जिसके द्वारा सदन के अधिकारियों की अभिरक्षा में रखे गये हुये लेख्यों को न्यायालय में उपस्थित करने की प्रक्रिया विहित की गयी हो।

श्रीमन्, इससे यह मालूम होता है कि हमारे यहां कोई भी नियम नहीं बनाया गया। इस सम्बन्ध में, मैं कांस्टीट्यूशन की धारा १८७ की तरफ श्रीमान का ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि—

१८७—(१) राज्य के विधान मंडल के सदन या प्रत्येक सदन का पृथक सांचविक कर्मचारी वृन्द होगा :

परन्तु विधान परिषद् वाले राज्य के विधान मंडल के बारे में इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं किया जायगा कि वह ऐसे विधान मंडल के दोनों सदनों के लिये सम्मिलित पदों के सृजन को रोकती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(२) राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा राज्य के विधान मंडल के सदन या सदनों के साचविक कर्मचारी-वृन्द में भर्ती का, तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का, विनियमन कर सकेगा ।

(३) खंड दो के अधीन जब तक राज्य का विधान मंडल उपबन्ध नहीं करता तब तक राज्यपाल यथास्थिति विधान सभा के अध्यक्ष से, या विधान परिषद् के सभापति से परामर्श करके सभा या परिषद् के साचविक कर्मचारी वृन्द में भर्ती के, तथा नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के, विनियमन के लिये नियमों को बना सकेगा तथा इस प्रकार बने कोई नियम उक्त खंड के अधीन बनी किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रह कर ही प्रभावी होंगे ।

श्रीमन्, यह चीज इसमें दी हुई है । लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि हमारी विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम २४५ और २४६ में यह दिया है कि हमारे यहां एक प्रतिनिहित विधायन समिति बनायी जायगी जिसका काम यह होगा कि वह देखे कि संविधान द्वारा प्रदत्त या अन्य वैध प्राधिकारी द्वारा प्रत्यायोजित विनियम नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्ति का प्रयोग ऐसे प्रत्यायोजन के अन्तर्गत उचित रूप से किया जा रहा है । २४६ में उसके कर्तव्यों में यह भी दिया हुआ है कि वह विशेष रूप से इस बात पर भी विचार करेगी कि उसके प्रकाशन में या विधान मंडल के समक्ष रखे जाने में अनुचित विलम्ब हुआ प्रतीत होता है या नहीं । तो सबसे पहली चीज तो यह है कि चिराग तले अंधेरा । दूसरे विभाग जितने इस प्रदेश के हैं जिनके बारे में नियम बनाने का सरकार को अधिकार है, उनके ऊपर तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी बराबर काम करती रही और दूसरे विभागों से हम बराबर पूछते रहे कि नियम बने या नहीं । माइन्स और मेटलर्जी में करीब १६ लाख का फायदा भी इन नियमों के बनने से हुआ जिसका कि सरकार हमेशा नुकसान उठा रही थी । डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के जरिये वह आदेश भेजा गया था कि माइन्स वगैरह से सम्बन्धित नियम बनाकर भेजे जावें और उस नियम को देखने से हम लोगों को यह मालूम हुआ कि करीब १६ लाख का फायदा इस प्रदेश को हुआ है उस से । तो इस तरीके पर अगर उन नियमों को पहले बना दिया गया होता, जोकि रिसेन्टली बने हैं, तो मैं समझता हूं कि कई लाख का फायदा इस प्रदेश का होता ।

श्रीमन्, इस तरह डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी की यह पावर है कि जितने रूल्स हर डिपार्टमेंट के बनाये जायं, उन डिपार्टमेंट के रूल्स को वह देखे कि वह कानून के मुताबिक बनाये गये हैं, उसके मुताबिक बने हैं या नहीं । असल बात यह है कि कमेटी तो हमने बना दी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की जो कि दूसरे डिपार्टमेंट के रूल्स को चेक करे लेकिन खुद का जहां तक सम्बन्ध है उसके लिये नियम नहीं बनाये हैं । जहां तक इस विधान सभा का सम्बन्ध है और इस सचिवालय का सम्बन्ध है, ४१ लाख रुपया इस पर खर्च होता है विधान सभा और कौंसिल पर । करीब ६ लाख रुपया हम असेम्बली के सचिवालय पर खर्च करते हैं । २ लाख रुपया कौंसिल के सचिवालय पर खर्च करते हैं लेकिन, श्रीमन्, आज तक कोई भी नियम इसके लिये नहीं बने हैं और न नियमावली बनी है कि जितने अधिकारी होंगे वह किस तरह से किन नियमों के अधीन रखे जायेंगे, कौन से नियमों का पालन किया जायगा उनके सम्बन्ध में । इसीलिये, श्रीमन् मैंने कहा कि चिराग तले अन्धेरा । हम दूसरों के लिये प्राविधान करते हैं लेकिन हम खुद उसको नहीं कर पाते हैं, जो हमारी ड्यूटी है । यही नतीजा है कि सचिवालय के लिये कोई भी नियम आज तक नहीं बने हैं । इसी कारण से माननीय अध्यक्ष ने जैसा कि इस प्रतिवेदन में दिया हुआ है एक अभिलेख १८३ के अन्तर्गत दिया है । जो १८७ में दिया हुआ है वह यह दिया हुआ है कि गवर्नर यदि नियम नहीं बनायेगा तो उस वक्त गवर्नर, अध्यक्ष या कौंसिल के चेयरमैन की राय लेकर वह नियम बनायेंगे लेकिन जो अध्यक्ष जी ने यह अभिलेख १८३ का बनाया है उससे यह जाहिर नहीं होता है कि गवर्नर के आदेश से इनको बनाया है या शासन ने इनको बनाया था, जो लागू हैं । इसके साथ-साथ यह भी है कि जब यह मामला भटनागर साहब का आया था तो एक बड़ी कठिनाई पड़ी । जब हमारे नियमों के अन्दर कोई भी ऐसा नियम नहीं बनाया गया तो क्या किया जाय ? इसलिये श्रीमन्, ३१७ का प्रयोग किया गया ३१७ क्या

[श्री कमलासिंह यादव]

है—वह श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से पढ़े देता हूं—"ऐसे समस्त प्रश्नों का जिनको इन नियमों में विशेष रूप से व्यवस्था नहीं की गयी है और इन नियमों के सविस्तार कार्यान्वित करने से सम्बद्ध समस्त प्रश्नों का ऐसे ढंग से विनियमन किया जायेगा, जैसा कि अध्यक्ष, समय-समय पर निदेश करें।' तो जब श्रीमन्, कोई चीज नहीं है और सब जगह साइलेंन्ट है तो फिर किस से गाइड हों। तो उस वक्त १८३ की बात सामने आई। इस पर अध्यक्ष महोदय की जो डाइरेक्शन होगी तो तब सफाई होगी लेकिन यह १८३ बहुत दिनों का है। लेकिन यह संविधान के विरुद्ध है ....

श्री अध्यक्ष—

यह जो आप कह रहे है कि नियम बनाये जांय, इसकी तो आखिर में सिफारिश की गई है। इसके बारे मे ज्यादा विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं है। मेन चीज तो कागजात भेजने की है।

श्री कमलासिंह यादव—

कागजात भेजने की बात मैंने कह दी। उसमें दिक्कत पड़ी। मैं सदन को कागजात भेजने की जो दिक्कत पड़ी उस संबंध में बतलाना चाहता हूं। क्या जरूरत आ पड़ी कि हम इसको विशेषाधिकार समिति को भेजें। असल बात मैं यह बतलाना चाहता हूं कि क्या दिक्कत पड़ी और क्यों इसको विशेषाधिकार समिति को भेजा गया ? अगर हमारे रूल्स बने होते पहले और नियमों के अन्दर यह चीज दी गई होती जैसी कि पार्लियामेन्ट में दिया गया है, तो यह प्रश्न न उठता। इस दिक्कत की वजह से विशेषाधिकार समिति को यह प्रश्न भेजा गया और ज्यादा खर्च करना पड़ा। मैं इसलिये कह रहा हूं कि प्राविधान में भी इसका जिक्र है। कोई नियम जब सचिवालय का नहीं है कागजात के मुताल्लिक जैसाकि नियम ३८३ पार्लियामेंट का है, इसी कारण ३१७ का प्रयोग करने का अधिकार श्रीमान् को मिला। दूसरी चीज यह है कि १८३ में जो नियम अध्यक्ष द्वारा बनाये गये है वे विषय के अनुकूल नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आपका मतलब क्या है ? इसे आपके पास नहीं भेजना चाहिये था ?

श्री कमलासिंह यादव—

मेरा मतलब यह है कि जैसे हम दूसरों की नुक्ताचीनी करते है कि डिले नहीं होनी चाहिये नियम बनाने में। तो हमारे यहां नियम बनाने में डिले क्यों हुई ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न तो सिर्फ यह है कि जो कागजात अदालत ने मांगे थे वह हमको देने थे और वह दे दिये गये। आपकी आज्ञा से दे दिये गये और इसे विशेषाधिकार समिति ने तय किया और उनको आपके द्वारा हमने भेजा है। यही प्रश्न है। अब इसमें जो त्रुटियां हैं वह तो नियमों के सम्बन्ध में है और उनके लिये अलग बात हो सकती है। इस समय विस्तार से उनमें जाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव—

जो कार्यवाही हुई, उसमें जो दिक्कत आई। वही मैंने आप के सामने रखी है। अगर वह दिक्कत पहले से रिमूव कर दी जाती तो यह बात यहां न आती। तो यह कागजात को भेजने का प्रश्न विशेषाधिकार समिति को भेजने का प्रश्न नहीं था। किसी अफसर को प्रमोशन देना अध्यक्ष का एक हेड आफ दि डिपार्टमेंट के नाते काम है ....

श्री अध्यक्ष—

आप कितना समय लेंगे ।

श्री कमलासिंह यादव—

अभी कम से कम १० मिनट मुझे चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

तो हम उठते हैं और दो बजे फिर उठेंगे ।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १३ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री कमलासिंह यादव—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले यह बता रहा था कि आर्बिट्रेरी पावर्स स्पीकर्स के इस्तेमाल किये गये, इसलिये कि हमारे यहां नियम सचिवालय के नहीं है ।

अब श्रीमन्, एक दिक्कत और हम लोगों के सामने है कि अगर माननीय अध्यक्ष से कोई बात हमें पूछनी होगी तो हम यहां सदन में उनसे क्वेश्चन नहीं कर सकते, जैसा कि रूल ४४ में दिया गया है कि—

"Questions to the Speaker shall be by private notice. Such questions may either be answered by a written reply or in his chamber."

तो यह दो चीजें हैं । स्पीकर के खिलाफ हम कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि कोई जवाब देने वाला नहीं है । अगर जवाब अध्यक्ष महोदय देंगे तो चैम्बर में देखे या इन राइटिंग देंगे । तो यह एक नयी परिस्थिति खड़ी हो जाती है कि जो सबार्डिनेट कर्मचारी हैं डिपार्टमेंट में उनको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता । स्पीकर महोदय, जैसी कि परिपाटी चली आ रही है, चाहे प्रैक्टिकल रूप में हो या न हो, हम उम्मीद यही करते हैं कि वह किसी पार्टी के मेम्बर नहीं होंगे । इसलिये इंडिपेंडेन्ट उनके लिये कहा जाता है । जब स्पीकर इंडिपेंडेन्ट है तो उसका डिपार्टमेंट भी इंडिपेंडेंट होना चाहिये ताकि बनारसी दास जी भी हस्तक्षेप करना चाहें और किसी चीज को बैक-डोर से ले आना चाहें तो उसका प्रिवेंशन हो सके । तो एग्जिक्युटिव का इनफ्लुएंस इस पर नहीं होना चाहिये । कोई अधिकारी जिसको गवर्नमेंट के जरिये से प्रोमोशन मिलता है या अप्वाइंटमेंट होता है उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी, यह जरूर है । इसी कारण हम यह देखते हैं कि अभी जब सदन बुलाया गया था तो सदन के अन्दर यह समस्या खड़ी हो गयी थी कि इस सदन को सेक्रेटरी लेजिस्लेचर द्वारा बुलाया जाना चाहिये था या सेक्रेटरिएट के सेक्रेटरी द्वारा । इस पर काफी बहस भी हो चुकी है । यह दिक्कत सब इसीलिये है कि हमारा विधान मंडल सचिवालय स्वतंत्र नहीं है, हालांकि नियमों में यह है कि हाउस को सेक्रेटरी लेजिस्लेचर द्वारा ही बुलाया जायेगा । अगर किसी भी अधिकारी का एप्वाइंटमेंट होगा तो उसके लिये वित्त विभाग तथा लेजिस्लेटिव विभाग की स्वीकृति उसके लिये लेना आवश्यक होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

समिति की यह मेन रिकमंडेशन नहीं है, इसलिये इस बात को बहुत संक्षेप में कह लीजिये ।

श्री कमलासिंह यादव—

ठीक है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

व्यवस्था का सवाल है । श्रीमन्, जिस प्रश्न पर यहां विवाद चल रहा है वह मामला न्यायालय के विचाराधीन है, अतः उस पर यहां विवाद नहीं हो सकता, इस पर आप व्यवस्था दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

किसी फैक्ट्स पर विचार नहीं हो रहा है । जो पेपर्स कोर्ट ने मांगे थे वह हमने दे दिये, जो नहीं थे वह नहीं दिये ।

श्री कमलासिंह यादव—

आप श्रीमन्, नियम १८३ देखने की कृपा करें । १८३ (२) में यह है कि जब सदन का सत्र न हो रहा हो तो अध्यक्ष महोदय कोर्ट में कागजात भेज देंगे ताकि केस में डिले न हो । डिले को बचाने के लिये इस नियम द्वारा अध्यक्ष महोदय को यह अधिकार दिया गया है । लेकिन अगर आप इस केस को देखें तो आपको मालूम होगा कि इसमें कितनी देर हुई है । २७-२-६३ को न्यायालय से कागजात तलब किये गये थे और इसका निर्णय ११ जुलाई, १९६३ को हुआ ....

श्री उपाध्यक्ष—

समिति ने अंतरिम रिपोर्ट के जरिये अध्यक्ष महोदय को पेपर्स भेजने के लिये जरूरत दे दी थी और पेपर्स पहले ही भेज दिये गये थे ।

श्री कमलासिंह यादव—

अगर भेज दिये गये तो यह प्रश्न इससे नहीं उठता । मगर वहां इसके भेजने की जरूरत क्या थी ?

श्री उपाध्यक्ष—

हाउस आफ कामंस में तथा लोक सभा में भी यही प्रथा है । उसमें कोई विशेषाधिकार का प्रश्न निहित है या नहीं, यह जानने के लिये वहां भेज दिया जाता है ।

इसमें उनको अधिकार तो है लेकिन उनकी इच्छा पर भी है कि जब सदन न हो रहा हो तो उनको भेजना ही होगा ।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं इसको यह समझता हूं कि प्रोमोशन्स वगैरह के मामले ऐडमिनिस्ट्रेटिव हैं और हम लोगों से सम्बद्ध, या कानून से संबंधित, कोई मामला है तो उसे विशेषाधिकार समिति में रखना चाहिये । लेकिन प्रोमोशन का सवाल एक राइट है । अगर कोर्ट का कोई इंटरप्रीटेशन हो तो वह ऐडमिनिस्ट्रेटिव बात है, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है ।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना प्रस्ताव विचार के लिये सदन के सामने रखता हूं ।

श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)—

नियमों में स्पष्ट है, यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, कि कोई सदस्य यहां इस प्रस्ताव को रखेगा कि इस प्रतिवेदन पर विचार किया जाय । जब सदन उसे स्वीकार करले तो यह रखा जायगा कि नियम ८३ में इसे स्वीकार किया जाय । उसके बाद आप वादविवाद की आज्ञा देंगे । यहां एक नावल प्रोसीज्योर अख्तियार किया जा रहा है । पहले उनके प्रस्ताव पर वोटिंग करा लीजिये, तब हमें मौका दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

मोशंस के लिये जो कायदा है उसमें बोल सकते हैं। यह सही है कि कमेटी की रिपोर्ट आधे घंटे में तय हो जानी चाहिये।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, सदन के अवमान का प्रश्न है, सदन के मेम्बरों के अवमान का प्रश्न है। नियमावली में कहीं समय नियत नहीं है। मुलजिम के....

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें मुलजिम का कोई सवाल नहीं है। समय तो नियमों में नियत नहीं है, लेकिन स्पीकर संक्षेप में विवाद होने के बाद वोट के लिये रखेगा।

*श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—

यहां और लोक सभा में, जहां तक मेरी जानकारी है, हमें दो भिन्न प्रकार देखने को मिल रहे हैं। लोक सभा की प्रोसीडिंग्स को मैंने देखा। ब्लिट्ज के मामले में जब विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन आ गया तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक रिट दाखिल किया और कुछ समय चाहा था। लोक सभा के अध्यक्ष ने यह व्यवस्था दी थी कि जिस किसी मामले में हम पार्टी हों, हमको आदरणीय सदन से भी अगर मत लेना है —२,३ प्रश्न उसमें विवादास्पद थे कि माननीय अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट के सामने जाना चाहिये या नहीं, माननीय अध्यक्ष को एटरनी-जनरल के द्वारा अपने मुकदमे की पैरवी करानी चाहिये या नहीं, इत्यादि, इत्यादि, प्रश्नों के ऊपर वादविवाद हुआ था। मैं दो एक रिलेवेंट पोर्शन उसके पढ़ना चाहता हूं। जिससे इस महत्व के प्रश्न पर समुचित प्रकाश पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि—

"I am not going to allow a conflict between this House and the Supreme Court. If the Supreme Court takes a decision that I must appear, I have no objection to appear."

एक तो उनका यह विचार था। जहां उस मुकदमे के डिफेंड करने का सवाल उठा, उस बारे में उन्होंने साफ-साफ यह कहा कि जब कभी यह प्रश्न सामने आवे तो हमारा यह पुनीत कर्त्तव्य हो जाता है कि हम पार्लियामेंट से राय ले लें। उसकी सम्मति के बिना हम नहीं जा सकते। इस मामले में कुछ ऐसा नहीं हुआ। माननीय सदन बैठा हुआ था। माननीय सदन के सामने यह प्रश्न नहीं लाया गया और माननीय अध्यक्ष महोदय ने पैरवी भी प्रारम्भ कर दी। मैं स्वयं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय अध्यक्ष ने....

श्री उपाध्यक्ष—

रिपोर्ट तो सिर्फ इस बात के ऊपर है कि कुछ पेपर्स जो तलब किये थे वे भेजे जावें या नहीं। उसमें विशेषाधिकार का सवाल है या नहीं। अध्यक्ष महोदय, इसमें पार्टी हैं, वह जावें या न जावें, यह प्रश्न नहीं है। सवाल केवल पेपर्स का था। उसके बारे में यह रिपोर्ट है।

श्री रामायणराय—

कमला सिंह जी आपकी सेवा में प्रारम्भ से ही यह निवेदन कर रहे थे कि संविधान की धाराओं के मुताबिक अगर विधान सभा के कोई नियम बन गये होते तो मैं ऐसा समझता हूं कि इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। हुआ क्या? ३,३ महीने तक वे कागजात नहीं भेजे जा सके। इस गड़बड़ी का प्रधान कारण यह है कि हमारे यहां आज कोई नियम नहीं हैं। इतना ही नहीं, संविधान में है कि हमारा सेक्रेटरियेट स्वतंत्र

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामायणराय]

होगा । लेकिन नियमों के अभाव में, जो शक्तिशाली पुरुष हैं, माननीय बनारसीदास जी में उन की सेवा में निवेदन कर रहा हूं, हमारे संविधान में है कि हमारा सचिवालय स्वतंत्र होगा । उपाध्यक्ष जी, आप भी हमारी इस बात को स्वीकार करेंगे । लेकिन हो क्या रहा है ?

माननीय अध्यक्ष ने अपने पी०ए० के काडर को मर्ज कर दिया सेक्रेटेरियेट के पी०ए० क काडर में । यह नहीं होना चाहिये था, इससे हमारा सचिवालय स्वतंत्र नहीं रह जाता है । इस सब अव्यवस्था का मूल कारण है कि १३ वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक नियमों का निर्माण नहीं हुआ । नियमों के अभाव में आपको भी कठिनाई होती है । कभी कोई सलाह आपको मिल जाती है तो कोई फैसला हो जाता है । इस केस में भी आप अगर देखें तो यह साधारण बात थी लेकिन इसमें भी गड़बड़ी पैदा हुई । मैं आपसे यह आग्रह कर रहा हूं कि सीधी बात थी कि उन्होंने प्रार्थना की थी कि हमको कागजात भेजने की इजाजत दी जाय, उस मामले में सदन से आज्ञा ली गई होती । अगर उसमें कोई फैसला हुआ या माननीय सदस्य पार्टी बनाये गये तो उस फैसले को भी हमारे सामने आना चाहिये था । अगर कोई मुकदमा प्रारम्भ हुआ और माननीय अध्यक्ष ने उसकी पैरवी प्रारम्भ की, तो उसे भी हमारे सामने आना चाहिये था । लेकिन यह सब गड़बड़ी हो रही है और मैं आप की राय से सहमत हूं कि ऐसे मामलों में हमें बहुत जल्द निर्णय लेना चाहिये । यह मामूली प्रश्न नहीं है । इसी को लेकर एक बहुत बड़ी भूल बहुत दिन से चली आ रही है, उसकी ओर हमारा ध्यान जाना चाहिये । वह कोई साधारण भूल नहीं है । उसके कारण हमारी विधान सभा की पूरी स्वतंत्रता क्रमशः समाप्त की जा रही है । चाहे सेक्रेटरी जनरल के अप्वाइंटमेंट का प्रश्न हो, चाहे स्पीकर के पी०ए० का प्रश्न हो, आज परिस्थिति यहां तक हो गई है कि स्पीकर का पी० ए० किसी मिनिस्टर का पी०ए० हो जायगा और किसी मिनिस्टर का पी०ए० स्पीकर का पी० ए० बना दिया जायगा । इन सब बातों को रोकने की संविधान ने एक ही व्यवस्था की है कि इस सारे काम के लिये कोई रूल्स बनाये जायें और नियमों के निर्माण के लिये कोई विधेयक लाया जाय ताकि निश्चित हो जाय कि सचिवालय में रेक्रूटमेंट और प्रमोशन कैसे होंगे . . . .

श्री कृष्णानन्द राय—

इसमें सेक्रेटेरिएट का प्रश्न कहां है ? इसमें केवल कागजात भेजने का सवाल था ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें केवल इतनी सी बात है कि एक कर्मचारी ने आफेंड होकर मुकदमा दायर किया तो जो कागजात तलब किये गये हैं वह भेजे जायं या नहीं, कमेटी की रिपोर्ट में केवल इतना ही प्रश्न है, विशेषाधिकार का इस में कोई प्रश्न नहीं है । आप को इस पर ही कहना है कि वह भेजे जायं या नहीं ।

श्री रामायणराय—

केवल यही सवाल नहीं है . . . .

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—

माननीय कृष्णानन्द राय जी ने प्रश्न उठाया उस पर मैं कहूंगा कि यह बिलकुल संबंधित सवाल है कि अदालत को इन कागजात के मांगने की जरूरत क्यों पड़ी, इस पर हम विचार कर सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

जरूरत तो इस लिये पड़ी कि केस दायर हुआ और उस में कागजात तलब किये गये ।

श्री रामायणराय—

लेकिन यह केस पैदा क्यों हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष—

इससे इस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है ।

श्री रामायणराय—

किस तरह से सचिवालय में भर्ती की जायगी, किस तरह से तरक्की दी जायगी, यह आज तक कुछ तय नहीं है और नियमों के अभाव में ही यह मुकदमा पैदा हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष—

रिपोर्ट पर जो बहस हो रही है वह इस को लेकर नहीं है ।

श्री रामायणराय—

अगर आप चाहते हैं कि हम इसे बिना बहस के ही पास कर दें, इस तरह से चेयर की ओर से इंटरप्शन हो यह ठीक नहीं है, यह हमारे बुनियादी अधिकारों पर हमला हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

यहां हमले की कोई बात नहीं है, मैं अर्ज करूंगा कि अब इस पर काफी हिन्ट हो गया । बहस उसी तक सीमित रखिये जो चीज इस वक्त पेश है ।

श्री वीरसेन (जिला मेरठ)—

श्रीमन्, यह जो रिपोर्ट है इसके २ हिस्से हैं । एक हिस्सा तो संबंध रखता है कागजात के अदालत में भेजने से और दूसरा भाग ताल्लुक रखता है कमेटी की उस सिफारिश से कि नियम बनाये जायं । तो चूंकि इस विषय में भी रिपोर्ट में सिफारिश है तो नियमानुसार उस पर चर्चा हो सकती है ।

श्री उपाध्यक्ष—

थोड़ा सा हिंट कर दें और कभी और मौका हो तो बहस कर लें ।

श्री रामायणराय—

आप प्रतिवेदन पढ़ते तो मालूम होता, उस में साफ कहा गया है कि नियम विभाग के लिये नहीं हैं, वे बनाये जायं । पता नहीं क्यों आप चाहते हैं कि हम इस पर अपने विचार व्यक्त न करें । आप साफ बतायें आप चाहते क्या हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैं चाहता हूं कि जो मेन चीज है उस पर बहस कीजिये और अन्य चीजों पर आप हिन्ट कर सकते हैं ।

श्री रामायणराय—

माननीय कृष्णानन्द राय कुछ समझते हों और आप कुछ समझते हों और आपकी समझ से काम चल जाय तब तो ठीक है, लेकिन इस प्रतिवेदन से जो सवाल पैदा हुए हैं उन पर ठीक ढंग से विचार व्यक्त कर सकें इसका हमें पूरा अधिकार है ।

श्री उपाध्यक्ष—

उसे कह दें लेकिन संक्षेप में ।

श्री रामायण राय—

श्रीमन्, आप संविधान का १८७ अनुच्छेद देखें ।

"187. (2) The Legislature of a State may by law regulate the recruitment, and the conditions of service of persons appointed, to the secretarial staff of the House or Houses of the Legislature of the State."

मैं जानना चाहता हूं १३ वर्ष बीत गये आज तक यहां के कानून बने ? अगर बने होते तो यह मुकदमा ही न उठता । मैं सदन को बताना चाहता हूं कि संविधान की इस पवित्र मंशा के खिलाफ आज स्पीकर साहब आये दिन विभिन्न पदों पर ऐसे फैसले कर रहे हैं । जिनका नतीजा यह होगा कि यह सेक्रेटेरियट जनरल सेक्रेटेरियट से सम्बद्ध हो जायगा । एक सरकारी अफसर का जनरल सेक्रेटरी के स्थान पर नियुक्त होना, स्पीकर के पी०ए० को जनरल सेक्रेटेरियट के काडर में मर्ज कर देना, यह ऐसे उदाहरण हैं जिनमें वेस्टेड इंटरेस्ट काम कर रहे हैं । आप सुनना नहीं चाहते । रेक्रूटमेंट की क्या हालत है ? . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

रेक्रूटमेंट का इससे क्या सवाल है ?

श्री रामायणराय—

मैं रूल्स के बारे में कह रहा हूं कि १९५३ में लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती हुई । उसके बाद से जितनी भर्तियां हुई हैं वे किस परीक्षा के आधार पर हुई, कैसे भरी गई ? कोई परीक्षा नहीं होती है, मनमाने ढंग से यहां के पद भरे जाते हैं । अगर नियम होते तो शायद किसी को अधिकार प्राप्त न होता । आप लोगों को सुन कर हैरानी होगी कि लीव वैकेंसी में जगह होती है उसके भरने के लिये दुनिया में कहीं इम्तहान नहीं होता बल्कि जो नीचे काम करने वाले होते हैं उन्हीं को प्रोमोट किया जाता है . . .

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

माननीय रामायण राय जी ने जो प्रश्न पैदा किया विधान सभा सचिवालय के पृथक होने का, उसके लिये संविधान में व्यवस्था है, इसको किसी सबस्टेंटिव मोशन के द्वारा लाया जा सकता है । एक नान-आफिशियल प्रस्ताव टेबिल हुआ है और बैलट में आ गया है, उस पर यह बहस कीजियेगा ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

वह तो और गड़बड़ पैदा करने वाला है ।

श्री बनारसीदास—

इस समय तो प्रश्न डाकूमेन्ट्स भेजने का था, उसको विशेषाधिकार समिति को भेजा गया, उन्होंने फैसला किया कि कोई ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर है ?

श्री उपाध्यक्ष—

प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि इस समय जो बहस माननीय रामायण राय जी कर रहे हैं वह बिलकुल मौजूं नहीं है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

यह तो बनारसीदास जी ने कहा नहीं, बल्कि आप कह रहे हैं ।

श्री रामायणराय—

इसलिये यह मौजू नहीं है कि आज मैं जो कुछ कह रहा हूं, मैं समझता हूं कि सदन अन्धकार में डाला गया था। मैं व्यक्तिगत रूप से यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की गड़बड़ी नहीं होना चाहिये। मैंने एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पूछा। उसे तारांकित कर दिया गया। फिर उसे स्थगित कर दिया गया। सरकारी विभाग आये दिन गड़बड़ी करते हैं। असेम्बली सेक्रेटेरियट सरकार का गुलाम बन गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

इस तरह का एसपर्शन ठीक नहीं है।

श्री रामायणराय—

मैं प्रमाण दूंगा। इस प्रतिवेदन ने इस महत्व के प्रश्न पर काफी प्रकाश डाला। यदि आज हम निश्चय कर देते हैं तो निकट भविष्य में जल्दी से जल्दी हमारे सेक्रेटेरियट के नियम बन जायेंगे जो बहुत अच्छा होगा। बनारसी दास जी ने कहा कि कोई प्राइवेट मेम्बर का प्रस्ताव आया हुआ है, तो यह कर्तव्य माननीय बनारसीदास जी का स्वयं का है।

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने कहा कि रिजोल्यूशन आया है।

श्री रामायणराय—

तो इस पर विधिवत् बिल लाना आपका काम है और आप इस कमी को दूर करने की कोशिश करें।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

बनारसीदास जी से एश्योरेंस दिलवा दीजिये कि वह लाने वाले हैं।

*श्री कृष्णानन्दराय—

उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा माननीय सदस्यों को भ्रम उत्पन्न हो गया है। उसका मैं स्पष्टीकरण कर दूं। यह बात सही है कि असेम्बली सेक्रेटेरियट के बारे में कोई रूल्स नहीं बने हुये हैं। जहां तक इस प्रतिवेदन का ताल्लुक है, इस प्रतिवेदन पर विचार किया जाय। इस प्रतिवेदन में सेक्रेटेरियट के बारे में कोई क्वैश्चयन इंवाल्व नहीं कर रहा हूं। कुछ डाक्युमेंन्ट्स मांगे गये थे जो सेक्रेटेरियट के अधिकार में थे। वे डाक्युमेन्ट्स भेजे जायें या न भेजे जायें? मुझे यह निवेदन करना है कि लोकसभा में एक नियम ३१८ है डाक्युमेन्ट्स के भेजने के संबंध में। हमारे यहां रूल्स आफ प्रोसीजर में यह सही बात है कि नियम नहीं हैं। लेकिन रूल ३१७ में लिखा हुआ है कि जिस चीज में स्पष्ट नियम न हो स्पीकर को इनहेरेंट अधिकार है कि बाई आर्डर वह रेगुलेट कर सकता है। ३१८ नम्बर का जो आदेश है उसके मातहत इस प्रकार के डाक्युमेन्ट्स जो सेक्रेटेरियट के कब्जे में हैं उनको अदालत में भेजने की व्यवस्था है। उसमें पूर्णरूप से निर्देश किया गया है कि सत्र न चलता हो तो स्पीकर साहब स्वयं भेज दें और बीच आफ प्रिविलेज का कोई डाक्युमेंट इन्वाल्व हो तो कमेटी के पास भेज दें। लिहाजा इस संबंध में कोई विवाद की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामायणराय—

कार्यवाही की सिफारिश है उसे माननीय कृष्णानन्द राय जी पढ़ लें, समिति के इस निश्चय को माननीय अध्यक्ष की सेवा में प्रस्तुत कर दिया गया। कमेटी के सामने यह भी प्रश्न आया कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामायण राय]

असेम्बली सेक्रेटेरियट सर्विसेज के बारे में कोई रूल्स हैं या नहीं। संविधान के अनुच्छेद १८७ के अन्तर्गत कोई कानून या रूल्स नहीं बने हैं।

*श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

भाई कृष्णानन्द राय जी को कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। मुझे उनसे यह आशा नहीं थी। एक सीधा सवाल है कि कुछ धांधली हुई। प्रिविलेज का क्वेश्चन बना। भटनागर साहब कोर्ट में गये। एक रिट दायर हुई। यहां से कागजात मांगे गये। इसके तहत में है क्या? क्यों ये सब अनियमितताएं बरती गयीं? यह इसलिये हुआ कि संविधान की धारा १८७(३) के अनुसार हमने कोई नियम नहीं बनाये क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है—

"Until provision is made by the Legislature of the State under sub-clause (2) the Governor may, after consultation with the Speaker of the Legislative Assembly or the Chairman of the Legislative Council, as the case may be, make rules regulating the recruitment and the condition of service of persons appointed to the Secretariat staff of the Assembly or the Council and any rule so made shall have effect subject to the provision of any law made under that sub-clause."

अगर हम सचिवालय के नियमों को बना लिये होते तो ये धांधलियां न हुई होतीं। जैसा अभी माननीय रामायण राय जी ने कहा था, इन रूल्स के न बनने के कारण अध्यक्ष महोदय ने, जैसा मन में आया, कभी किसी को प्रोमोट कर दिया, किसी ट्रांसलेटर को लायब्रेरियन बना दिया, कभी जो कोई लोअर डिवीजन में परमानेन्ट है और अपर डिवीजन में उसे होना चाहिये था वह नहीं हो पाया, अपनी मर्जी से या जैसा उनको एडवाइस किया गया उन्होंने निर्णय लिया। वह निर्णय उनके विवेक पर निर्भर था। यदि नियम बन गये होते तो ये गड़बड़ियां पैदा न होतीं। श्री भटनागर इसीलिये कोर्ट में गये कि कोई रूल्स थे नहीं, श्री दीक्षित को सुपरिटेन्डेन्ट बना दिया गया जिससे उनको दुःख हुआ। अगर ये रूल्स बन गये होते तो मेरा निश्चित मत है और माननीय कृष्णानन्द जी का भी यह विश्वास होगा कि ऐसी आर्बिट्रेरी पावर्स स्पीकर को न मिली होतीं। तो एक निवेदन मैं संसदीय विभाग के मंत्री महोदय से यह करूंगा कि वे सदन में घोषणा कर दें कि शीघ्र से शीघ्र हम इस संबंध में नियम बना देंगे। यह सचिवालय सरकार से बिलकुल स्वतंत्र होना चाहिये। अगर असेम्बली विभाग सरकारी सचिवालय से मिला दिया गया तो न तो हमारी आजादी रहेगी और न श्रीमन्, आपकी आजादी रहेगी। चाहे हाउस आफ कामन्स को देखिये या दुनिया भर की जितनी और असेम्बली हैं उनको देखिये, सब के सचिवालय बिलकुल स्वतंत्र होते हैं। उनके एप्वाइंटमेन्ट्स, स्पीकर जो नियम बने हैं, उनके अन्तर्गत करते हैं। लेकिन अगर आपने इस सचिवालय को जनरल सेक्रेटेरियट से मिला दिया तो सारी स्वतंत्रता समाप्त हो जायगी। माननीय स्पीकर और आप, श्रीमन्, जानते हैं कि कितना प्रेशर पड़ता है आपके ऊपर.....

श्री उपाध्यक्ष—

गलत बात है।

श्री नेकराम शर्मा—

आप यही कहें और कहना भी यही चाहिये, लेकिन स्थिति यही है।

श्री उपाध्यक्ष—

इस तरह की बातें कहना कोई शोभा की बात तो है नहीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

शोभा की बात चाहे न हो लेकिन है तो दरअसल असलियत ।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, मैं सत्य आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास यह सूचना है कि आप कोशिश करते हैं और ईमानदारी से सही फैसला लेने की कोशिश करते हैं लेकिन होता यही है जो स्वाभाविक है कि असर पड़ता है, मित्रों का पड़ता है, सरकार का पड़ता है । इतना मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सरकार से आश्वासन दिला दें कि विधान सभा सचिवालय को वह शीघ्र से शीघ्र स्वतंत्र करेंगे और उसके सचिवालय पर सेक्रेटेरियट का कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। नियम उसके बना दिये जायं । १९५३ में परीक्षा हुई थी उसके बाद से कोई परीक्षा नहीं हुई लेकिन प्रोमोशन हो गये, डिमोशन्स हो गये, अपर डिवीजन क्लर्क लोअर डिवीजन बना दिये गये, लोअर अपर डिवीजन में ले लिये गये ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो आप कह चुके । रिपीट क्यों करते हैं ?

श्री नेकराम शर्मा—

अच्छा, मैं रिपीट नहीं करता लेकिन इतना नम्र निवेदन करता हूं कि विधान सभा सचिवालय को स्वतंत्र कराइये, उसके सचिवालय के नियम, सेवा नियम बनाइये जिससे आप भी मनमानी न करने पायें । जल्दी से जल्दी वह नियम बन जाने चाहिये ।

*श्री वीरसेन—

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो रिपोर्ट सदन के सामने है इसके २ पहलू हैं । एक पहलू मुख्य और दूसरा उस मुख्य प्रश्न से उठेगा है । मुख्य प्रश्न यह है कि अदालत में कोई कागजात अगर मांगे जायं तो वह अदालत में भेजे जायं या नहीं और दूसरा प्रश्न उससे जुड़ा हुआ है कि नियम तो कोई ऐसे हैं नहीं, नियम स्पष्ट नहीं हैं फिर किस तरीके से उनको भेजने का निश्चय किया जाय और इसीलिये अध्यक्ष महोदय ने इसको प्रिविलेज कमेटी के विचारार्थ भेजा था ।

श्री कृष्णानन्द राय—

नियम में है ।

श्री वीरसेन—

जो है वह स्पष्ट नहीं है । तो यह अर्ज कर रहा था कि उसके बाद एक करण इंस्ट्रूमेन्ट स्पीकर महोदय ने जारी किया और वह जारी किया है लोक सभा के तरीके के आधार पर । इसमें जो रिपोर्ट पेज ४ पर लोक सभा में ऐडाप्ट की गयी और कमेटी ने रिकमेंट किया है उसका जिक्र है और उसी के तजुर्बे पर माननीय अध्यक्ष ने करण बना दिये हैं। उसका हवाला मैं आपके सामने देना चाहता हूं— "जब सब के साथ सदन या सदन की किसी समिति की कार्यवाही से संबद्ध अथवा सदन के सचिव की अभिरक्षा में रखे हुये किसी लेख्य को न्यायालय में उपस्थित करने का कोई निवेदन प्राप्त हो तो अध्यक्ष द्वारा वह मामला विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया जायगा ।"

अब इसमें सवाल २ हैं। एक मुख्य सवाल है कि सदन की कार्यवाही से संबंधित वह कागजात होने चाहिये और क्या उन पर सदन इजाजत दे सकता है। दूसरा प्रश्न है कि कौन से कागजात दिये जा सकते हैं, कौन से कागजात ऐसे हैं जो इस नियम के परे भी आ सकते हैं । प्रजातांत्रिक पद्धति में प्रिविलेज का जो प्रश्न है वह इस सदन की मान मर्यादा की रक्षा करने के लिये होता है और वही इस सदन पर लागू होता है । कोई

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री वीरसेन]

इसे कागज जो सदन की कार्यवाही से संबंधित हैं या सदन की किसी कमेटी की कार्यवाही से संबंधित हैं उसके ऊपर यह प्रश्न उठ सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष—

तीसरे और हैं जो सचिव के संरक्षण में हों ।

श्री वीरसेन—

मैं उस पर आने वाला हूं । उसके बारे में मैं बाद में जिक्र करूंगा क्योंकि मैं उस पर अलग से अर्थ लगाने वाला हूं । तो यह २ चीजें मुख्य हैं, प्रधान हैं कि कोई भी कागज जो भी सदन के विशेषाधिकार के अधीन आते हैं वह कागज हाउस की प्रोसीडिंग्स से संबंधित हों या सदन की किसी कमेटी की प्रोसीडिंग्ज से संबंधित हों और ऐसे कागज यदि किसी पदाधिकारी के कब्जे में हैं तो उसके बारे में यह नियम लागू हो सकते हैं, लेकिन सदन की कार्यवाही से जिनका संबंध नहीं है जो सेक्रेटेरियट के किसी क्लर्क के एप्वाइंटमेंट या डिस्मिसल वगैरह से ताल्लुक रखते हों, वह सदन की कार्यवाही का अंग नहीं है, भाग नहीं है तो वह किसी तरह से भी इन नियम की परिधि में नहीं आ सकता है । मैं यह कहता हूं कि अगर नियम न भी होते तो भी सारे के सारे कागजात जो सेक्रेटेरियट से ताल्लुक रखते हैं वह प्रिविलेज का प्रश्न नहीं बन सकता है । मैं यह कहता हूं कि इस नियम में जो यह लिखा है कि सचिव की अभिरक्षा में रखे हुये हों तो वह बहुत ब्राड इंटरप्रिटेशन किया गया है । इसका मतलब यह नहीं है कि सेक्रेटेरियट की कोई भी फाइल हो, किसी विषय से मुतल्लिक हो, वह उसके प्रोटेक्शन में आगई । यह गलत चीज है । जो चीज प्रमोशन, डिमोशन वगैरा से ताल्लुक रखती है उसका सदन की प्रोसीडिंग्स से कोई ताल्लुक नहीं है । अगर कर दिया जायगा तो न्याय के मामले में अवरोध हो जायगा, रोक हो जायगी क्योंकि हर एक आदमी प्रोटेक्शन सीक करने लगेगा । मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस नियम के अर्थ यह नहीं हो सकते हैं कि सचिव के कमरे में जो भी कागजात हों वह सब उसके प्रोटेक्शन में आ जायेंगे ।

श्रीमन्, अब मैं २ का हवाला देना चाहता हूं । उसमें लिखा है कि सदन का सत्र न हो रहा हो तो इमर्जेन्ट केसेज में न्यायालय में उपस्थित करने की अध्यक्ष अनुमति दे सकेंगे जिससे न्याय में विलम्ब न हो । श्रीमन्, उद्देश्य यह है कि यदि किसी व्यक्ति के अधिकार निहित हैं और वह कोर्ट में जाता है तो उसके मामले में फैसले में देर नहीं होनी चाहिये । यह प्रजातांत्रिक पद्धति का भी मूल सिद्धान्त है कि वह सदन किसी के अधिकार के बीच में नहीं आ सकता है कि जो प्रश्न अदालत में उठ सकता हो अगर किसी के अधिकार का दावा किया जा सकता है तो उसके लिये यह सदन नहीं कह सकता है कि यह अदालत फैसला नहीं कर सकती है । तो मेरा कहना यह है कि जो सवाल कागजात के बारे में यह नियम इनवोक किया गया वह गलत किया गया । इनको बिना सदन की सलाह के भेज देना चाहिये था क्योंकि वह ऐसे कागजात नहीं थे जिनका ताल्लुक सदन की प्रीसीडिंग्स से हो और नियम का ठीक से पालन न करने की वजह से ३-४ महीने तक कागजात रुके । एक मेरा प्रश्न यह है, उपाध्यक्ष महोदय ।

दूसरे माननीय सदस्यों ने बहुत ज्यादा शिकायत की है कि नियम १८७ के मातहत नियम बनने चाहिये और उपाध्यक्ष महोदय, आपने भी इसके मुताल्लिक रिपोर्ट के अन्त में सिफारिश की है कि नियमों के न होने से बड़ी दिक्कत है और आपने लिखा है कि नियम नहीं थे इसीलिये यह झगड़ा हुआ, इसलिये नियमों का होना जरूरी है । मैं इससे इत्तफाक करता हूं और संविधान की मर्यादा की रक्षा के लिये ही नहीं, बल्कि जो सेक्रेटेरियट के इम्पलाइज हैं उनके अधिकारों की रक्षा हो और इक्वटी और जस्टिस के आधार पर काम हो । माननीय सदस्यों ने जो शिकायत की हैं अगर वे सही हैं जैसे किसी जूनियर असिस्टेंट को, अपर डिवीजन के असिस्टेन्ट को सुपरसीड करके प्रमोट कर दिया गया तो यह इरेंगुलेरिटी है । इसलिये नियम बनने चाहिये । यह सवाल बहुत अहम है, इसका फैसला हो जाना चाहिये । कई सदस्यों ने

मिसाल दी कि बिना पी० एस० सी० की सलाह के फैसला हो गया। किसी का कन्फर्मेशन हो गया उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन की सलाह नहीं ली गयी। इस वजह से यह सारी की सारी गड़बड़ियां हैं कि नियम नहीं हैं। जैसा जिसका विहम आया फैसला कर दिया।

एक बात और है अगर स्पीकर किसी मामले में पार्टी है तो सारे के सारे मामले इस सदन की सलाह से डिफेंड होने चाहिये क्योंकि नियम में यह है कि आवेदन-पत्र जो है कागजात के मांगने का जो प्रोसीडिंग्स से ताल्लुक हो उसके लिये सदन अनुमति देगा। तो कोई भी ऐसा मामला जिसमें स्पीकर पार्टी हो या जिसमें उसके अधीन सर्विसेज इनवाल्व्ड हों, अगर उन्हें डिफेंड करना है तो बिना सदन की इजाजत के नहीं हो सकता। अगर किसी कोर्ट का फैसला खिलाफ हो गया तो भी अगर अदालत में जाना है तो इस सदन की बिना अनुमति के नहीं हो सकता। यह भी एक चीज है जो मुझे पता चली है। बिना ला डिपार्टमेंट की ओपीनियन के बिना किसी की सलाह लिये हुये स्पीकर अपील में चले गये। मैं समझता हूं कि वह भी नियम के खिलाफ है। पहले सदन से सलाह लेकर रेजोल्यूशन पास करवाना चाहिये कि हम को सूट डिफेंड करना है, अगर सदन इजाजत दे देता है तो डिफेंड करना चाहिये। यह जो इर्रेगुलरिटीज हो रही हैं, चूंकि लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, चूंकि नियमों का हनन हो रहा है इसलिये मैं चाहता हूं कि अनुच्छेद १८७ के अन्तर्गत नियम जरूर बनने चाहिये। इस-लिये जो प्रस्ताव माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, इस प्रतिवेदन के जैसा कि वीरसेन जी ने कहा दो मुख्य भाग हैं। एक तो वह जिस विषय को विशेषाधिकार समिति को रेफर किया गया था और दूसरा उस संबंध में जो अनुच्छेद १८७ के अन्तर्गत नियम बनाने से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद १८७ के दो भाग हैं। उपखंड (१) में लिखा है कि अलग सेक्रेटेरियट होना चाहिये। दूसरा जो भाग है वह यह है कि लेजिस्लेचर रेक्रूटमेंट और कंडीशन्स आफ सर्विस आफ पर्सन्स अप्वाइन्टेड टु दि सेक्रेटेरियल स्टाफ आफ दि हाउस और हाउसेज आफ दि लेजिस्लेचर को रेगुलेट कर सकता है। लेकिन साथ ही उसमें यह भी लिखा है उपखंड (३) में—

"Until provision is made by the Legislature of the State under clause (2), the Governor may, after consultation with the Speaker of the Legislative Assembly or the Chairman of the Legislative Council, as the case may be, make rules regulating the recruitment, and the conditions of service of persons appointed, to the secretarial staff of the Assembly or the Council, and any rules so made shall have effect subject to the provisions of any law made under the said clause."

इसलिये जहां तक सर्विसेज की कंडीशंस का सवाल है यह तो नहीं कहा जा सकता कि रूल्स नहीं हैं। यह जरूर है कि १८७ में पृथक रूल्स नहीं बनाये गये हैं लेकिन यह आरोप लगाना कि उसकी वजह से स्पीकर की स्वतंत्रता खत्म हो गयी है या माननीय नेकराम शर्मा ने जैसा कहा, उन पर प्रभाव पड़ सकता है अगर प्रभाव का मतलब परसुएशन से है तो जनतांत्रिक प्रणाली में दलील के द्वारा विवाद के द्वारा परसुएड किया जाता है। और स्पीकर अगर परसुएड नहीं किये जा सकते आरग्यूमेन्ट्स के द्वारा तो मैं समझता हूं कि वह भी एक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ऊपर आक्षेप ही होगा। तो हम तो यह समझते हैं कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का दिमाग खुला होना चाहिये और परसुएशन करना उचित है, कोई अनुचित बात उसमें नहीं है। जिस तरह से कि उधर के माननीय सदस्यों को अपना पक्ष रखने का अधिकार है तो इस तरफ भी माननीय सदस्यों को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। तो प्रतिवेदन में जो सिफारिश की गई है और माननीय रामायणराय जी ने जो प्रश्न पैदा किया सेक्रेटरिएट का यह एक ऐसा सवाल है कि जिसके सम्बन्ध में इस वक्त उत्तर देना उचित नहीं होगा। इसमें आर्थिक प्रश्न भी है और उसके और क्या इम्प्लीकेशंस होंगे उन पर भी विचार करना पड़ेगा।

[श्री बनारसीदास]

जहां तक रूल्स का संबंध है रूल्स गवर्नर के बनाये हुये इस संबंध में हैं। लेकिन इस पर अवश्य विचार करने का प्रयत्न किया जायगा कि विधान सभा और विधान परिषद् के जितने भी अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके रिक्रूटमेंट और उनकी कंडीशंन आफ सर्विस के संबंध में रूल्स बनाये जायं।

श्री भगवानसहाय—

माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, इस प्रतिवेदन के लास्ट चैप्टर को माननीय रामायण राय जी ने पढ़ा था। इस कमेटी के सभापति आप स्वयं थे। यह सब गलतियां जो हुई हैं वह क्यों हुई हैं। इसमें लिखा है कि समिति के इस निश्चय को माननीय अध्यक्ष की सेवा में प्रस्तुत कर दिया गया। कमेटी के सामने यह भी प्रश्न आया कि असेम्बली सेक्रेटेरियट सर्विसेज के बारे में कोई रूल्स नहीं हैं। संविधान के अनुच्छेद १८७ के अन्तर्गत कोई कानून या नियम अभी तक नहीं बने हैं, इसलिये कमेटी यह महसूस करती है कि अनुच्छेद १८७ के अन्तर्गत ऐसा कानून बनाना आवश्यक है। अतः समिति यह रिफारिश करती है कि. . (व्यवधान) ऐसे नियम बनाये जायं।"

डिप्टी साहब, जहां तक माननीय कृष्णानन्द राय जी का सवाल है उन्होंने जो आपत्ति उठायी, उससे मुझे ताज्जुब हुआ। वह खुद इस कमेटी के सदस्य थे और यह जो प्रतिवेदन आया है यह उनकी सिफारिश से आया है जिसमें कि उनका भी हाथ है।

श्री कृष्णानन्दराय—

मैंने कोई आपत्ति नहीं उठायी। मैं तो एक स्पष्टीकरण कर रहा था।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो अपनी रिपोर्ट के खिलाफ आपत्ति उठायी है यह भी सदन का अपमान है। इसलिये मैं विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दे रहा हूं आपके विरुद्ध। ऐसा था तो आप वहां अपना डिसेंट नोट लिखते।

श्री वीरसेन—

मैं एक बात कहना चाहता था कि माननीय दीपनाराय सिंह ने विशेषाधिकार का सवाल उठा दिया। माननीय सदस्य शायद इस बात को नहीं जानते कि राय कभी भी बदली जा सकती है। माननीय सदस्य ने जो कमेटी में राय दी थी, उसे बदल सकते हैं। इसलिये इसमें कोई विशेषाधिकार का प्रश्न बनता ही नहीं।

श्री भगवानसहाय—

श्रीमन्, सवाल यह है कि जब से संविधान लागू हुआ है तब से आज तक करीब करीब १३–१४ वर्ष का समय बीत गया। इस बीच में ऐसे कोई कानून या नियम नहीं बनाये गये जो कि आर्टिकिल १८७ के अन्तर्गत बनने जरूरी थे। माननीय बनारसी दास जी ने जो तर्क पेश किया उससे मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि हर बात की डार्क साइड को वह हमेशा प्लीड किया करते हैं और उन्होंने अगर ऐसा तर्क सदन के सामने पेश किया तो उससे मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उनसे मैं इसी बात की उम्मीद करता था। लेकिन यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इस कमेटी के चेयरमैन थे, आपने सिफारिश की थी कि नियम और कानून बनाये जायं। तो कानून कोई भगवान तो नहीं बनायेंगे। सदन भी नहीं बनायेगा। सदन के हकूक के मुहाफिज आप हैं। या तो आप उनको इनीशियेट करते या बनारसीदास जी इनीशियेट करते विधायिका विभाग के मिनिस्टर होने के नाते। लेकिन बनारसी दास जी क्यों करने लगे? सारे हाउस की हकतलफी करना उनका काम है।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

यह भी विशेषाधिकार में आ गया।

श्री भगवानसहाय—

चलाइए, वह भी चलाइए ।

इस प्रकार से उनका सोचना मुझे कोई ताज्जुब की बात नहीं मालूम होता है। आखिर इसको इनिशियेट कौन करता ? मैं आपके माध्यम से स्पीकर साहब से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने इस कानून के बनाने में क्या प्रयत्न किया ? आपने इसके लिये क्या किया ? अगर आपने इस कानून को बनवाने में भी कोशिश नहीं की तो आपने इस सदन के हकूक की रक्षा नहीं की, हकतलफी की। क्या मैं यह जान सकता हूं कि अगर ऐसी बात हुई तो क्यों ? कानून भगवान तो नहीं बनायेगा और कोई इंडीवीजुअल भी नहीं बनायेगा। न मुझे इसकी अकेले ताकत है और न रामायण राय जी को ताकत है। इसका इनिशियेट होना था बनारसीदास जी के जरिये से और बहुत पहले इस काम को हो जाना चाहिये था। इस पर अगर तारीख को देखा जाय तो यह रिपोर्ट ११ जुलाई १९६३ की है। क्या मैं जान सकता हूं कि १९६३ की जुलाई के बाद इस सिफारिश के होने के बाद आपने क्या कदम उठाये ? आपने कानून बनवाने के लिये क्या कदम उठाये ? हाउस को यह बात जानने का पूरा अधिकार है। आपने इस हाउस के साथ इन्साफ नहीं किया और इसकी हकतलफी की जो कानून बनवाने का प्रयास नहीं किया। यह कह देना कि यह इस मसले से संबंधित नहीं है और इसको टाल देना यह भी सदन के अधिकारों की अवहेलना का सवाल है। मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि यह हमारे हकूक के अन्दर नहीं है। हम इस बात को देखें कि आखिर यह सवाल पैदा क्यों होता है। आप भी उस तस्वीर में आते हैं तो मैं आपसे भी जानना चाहता हूं कि आखिर यह कानून क्यों नहीं बनाया गया ? यह कानून न बनाये जाने का क्या कारण था ? आप और स्पीकर साहब दोनों इस बात पर सोते रहे। अगर आपने इसके लिये प्रयत्न नहीं किया तो इस सदन को यह जानने का अधिकार है कि क्यों प्रयत्न नहीं किया ? अगर आपने कोई कदम नहीं उठाया और कोई प्रयत्न नहीं किया तो सदन को उसका कारण जानने का अधिकार है ? ११ जुलाई सन् १९६३ के बाद आपने अपनी सिफारिश के ऊपर कोई कदम नहीं उठाया। स्पीकर साहब भी उसके ऊपर सो गये।

इस सदन को इसके ऊपर यह निष्कर्ष निकालने के लिये आजादी है और सदन या सदन के सदस्य इसके संबंध में जो भी सोचें वह सही होगा। सवाल यह है कि आखिर यह सारा मसला उठा क्यों ? यह इसलिये उठा कि आपके यहां कुछ इम्पलाइज हैं। किसी का प्रमोशन हुआ और किसी का डिमोशन हुआ। किसकी हकतलफी होती है और किसकी नहीं होती। मुझे इससे मतलब नहीं। कौन अच्छा है और कौन बुरा है, यह मैं नहीं जानता, वह तो आपका अधिकार है या स्पीकर साहब का अधिकार है, लेकिन सदन का यह अधिकार है कि स्पीकर का सेक्रेटरियट आजाद हो। मेरी जानकारी है कि जब से यह कांस्टीट्यूशन आया है निरन्तर आपके सेक्रेटेरियेट को गवर्नमेंन्ट के अधीन करने का एक सिस्टेमेटिक और आर्गनाइज्ड प्रयत्न है। माननीय बनारसीदास जी अगर बुरा न मानें तो मैं यह कहूंगा कि अभी इनके जरिये से ऐसा आदेश आया है कि जिसके जरिये से आपके कागजात सरकार के पास सीधे नहीं जा सकते हैं बल्कि उनको जुडिशल सेक्रेटरी के द्वारा भेजना पड़ेगा। आपके माध्यम से मैं बनारसीदास जी से जानना चाहता हूं कि यह इस सेक्रेटरियेट को गुलाम बनाने का कानून है या सेक्रेटरियेट को आजाद बनाने का कानून है ? आज भले ही बनारसीदास जी मिनिस्टर हों और इस तरीके से उन कानूनों को तोड़-मरोड़ दें और इस हाउस के हकों की हकतलफी करें और इस सेक्रेटेरियेट की आजादी को खतरे में डालें, लेकिन मैं बनारसीदास जी से बहुत अदब के साथ कहूंगा कि वह समय आ सकता है कि वे इधर बैठे हों और इधर के लोग उधर बैठे हों। यह सेक्रेटेरियट आजाद रहे इसमें हर सदन के सदस्यों का फायदा है और इससे प्रजातंत्र की परम्परा भी पड़ेगी व सुरक्षा भी होगी।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने काफी टाइम ले लिया है ।

श्री भगवान सहाय—

मैंने काफी टाइम नहीं लिया है और इस पर जितना भी टाइम लिया जाये वह थोड़ा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

सदन का निर्णय है कि इस सब को आज समाप्त करना है । आप अपने आर्गूमेंट्स को रिपीट कर रहे हैं इसलिये दो मिनट में समाप्त कर दीजिये ।

श्री भगवान सहाय—

मैं हाउस के निर्णय के अनुसार ही बोल रहा हूं और अब मैं दूसरे सवाल पर आ गया हूं कि आखिर यह मसला क्यों उठा ? यह इसलिये उठा कि आपका कोई कानून नहीं है, जो हैं वे २०, २५ साल पुराने हैं.....

श्री काशीनाथ मिश्र—

मसला तो इसलिये उठा कि स्पीकर की समझ में नहीं आया, बड़ी भारी गलती हुई और अब इसको खत्म किया जाय, यह एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस के लिये जरूरी है ।

श्री भगवानसहाय—

मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा । मैं एक बात यह जानना चाहता हूं कि स्पीकर महोदय ने अपने इनीशियेटिव पर स्वतः इसे डिफेंड करने और अपील करने का आदेश कैसे दे दिया ? आप तो हमारे हकूक के मुहाफिज हैं तो आपने यह कैसे सोच लिया कि इसकी अपील भी कर दी जाय और इसे डिफेंड भी कर लिया जाय । लोक सभा के स्पीकर ने एक नजीर जो हमारे सामने रखी ब्लिट्स के केस में और जिसको रामायणराय जी ने कहा था, उसे अगर आप देखें तो उसमें उन्होंने इसके लिये हाउस से अधिकार प्राप्त किया था कि केस डिफेंड किया जाय या नहीं और एटर्नी जनरल की सर्विसेज को यूटिलाइज किया जाय अथवा नहीं । मैं समझता हूं कि इस प्रतिवेदन को पेश करके स्पीकर साहब ने अब अपनी जिम्मदारी को बहुत बढ़ा लिया है जिस जिम्मेदारी के प्रति वे अब तक उदासीन रहे हैं और आज जब सदन को उससे अवगत कराया है तो मैं आशा करता हूं आपसे, क्योंकि बनारसीदास जी तो सुनेंगे नहीं, उनको इसमें दिलचस्पी नहीं है, और आप के जरिये स्पीकर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि यह जो सिफारिश आप ने की है उसे जल्दी ही कार्यरूप में परिणत करने की कोशिश की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि तृतीय विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री कृष्णानन्दराय—

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन तृतीय विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार करे । श्रीमन्, यह काम अब बहुत आसान हो गया है इसलिये कि इस पर काफी विवाद हो चुका है । मिश्र जी को भ्रम हो गया है कि शायद....

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं आपसे ज्यादा इसको समझा हूं। स्पीकर को इसे समिति को नहीं भेजना चाहिये था। समिति ने अक्ल का, लेकिन स्पीकर ने गलत काम किया है। अदालत कागज मांगती है तो स्पीकर को भेजना चाहिये।

यह तो स्पीकर को समझ नहीं थी, नासमझ थे, इसलिये भेज दिया।

श्री कृष्णानन्दराय—

मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस पर काफी विवाद हो चुका है और सदन को इसे स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री कमलासिंह यादव—

मुझे भी खुशी है कि सदन इसको स्वीकार कर रहा है। प्रतिवेदन में साफ तरीके पर लिखा गया है कि नियम भी इसके जल्द से जल्द बना दिये जांय, तो इस प्रस्ताव के साथ नियम बनाना भी स्वीकार हो जायगा। इसलिये मुझे खुशी है और इसलिये इसे स्वीकार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन तृतीय विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

तृतीय विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का द्वितीय प्रतिवेदन

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि तृतीय विधानसभा की विशेषाधिकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, यह माननीय गयाप्रसाद मेहरोत्रा जी जो सदस्य हैं उन्होंने मुंशीराम मिश्र, सब-इंसपेक्टर के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था। प्रतिवेदन जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है उसके देखने से मालूम होता है कि पूरी कार्यवाही जो विशेषाधिकार समिति ने की है वह अब भी अपूर्ण है। इस संबंध में मैं इसके अंतिम शब्द पढ़ देना चाहता हूं—

"श्री सभापति—

आप लिखकर दे दें कि इस प्वाइंट पर एवीडेंस पेश करेंगे।

श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—

मैं इसी प्वाइंट पर दूंगा कि उन्होंने यह जानकर भी कि मैं विधायक हूं, मुझे रोका। उनका कहना है कि मुझे मालूम नहीं था कि मैं विधायक हूं, लेकिन उन्होंने जब मैंने अपनी आइडेंटिटी जाहिर कर दी तो फिर भी रोका।

श्री सभापति—

ठीक है, अब आप बाहर जाकर लिखित भेज दें।"

श्रीमन्, इसके बाद क्या कार्यवाही हुई, मेहरोत्रा जी ने कोई लिखित आवेदन पत्र दिया, गवाहों की सूची ली गयी या नहीं या कोई एवीडेंस लिया गया इसके ऊपर, यह कमेटी साइलेंट

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

है और मुझे ताज्जुब होता है यह देखकर कि विशेषाधिकार समिति में जहां बहुत से पढ़े-लिखे लोग हैं वहां पर ऐसी चीज हो कि सिर्फ अथयूज्ड और कम्पलेनेंट, दो की शाहदत पर, एक निर्णय ले लिया जाय और वह भी अधूरा। कमसे कम इतना होना चाहिये था कि या तो कम्पलेनेंट से शहादत के लिये पूछा जाता कि देना चाहते हैं या नहीं या समय देना चाहिये था कि इतने समय के अन्दर नहीं दी गयी तो बन्द कर देंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। श्री मेहरोत्रा की तरफ से कोई तथ्य नहीं आया है कि मैं शहादत नहीं दूंगा और कोई शहादत नहीं ली गयी। यह एक अजीब-गरीब केस है। यह बिला शहादत के निर्णय लिया गया है कि कोई एवीडेंस और आफेंस नहीं बनता। यह केस तो करीब करीब दीपनारायण जी का जो प्रतिवेदन है उससे मिलता-जुलता है। माननीय दीपनारायण जी की कंडीशनल अपोलाजी है और मिश्र जो सब-इंसपेक्टर है उसने भी कंडीशनल अपालोजी मांगी है। तो इस प्रकार से एक कंडीनशल अपोलाजी एक आदमी मांगे और कहा जाय कि इसपर अब कोई कार्यवाही न की जाय, यह एवोडें नहीं बनता, मुझे बड़ा ताज्जुब है।

मुंशीराम सब-इंसपेक्टर ने यह कहा कि श्रीमान् जी, यह पहले कम्पलेंट क्या है। मैं पहले कम्पलेंट पढ़ दूं कि वह क्या है – "माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं दल के अपने कमरे के सामने सदन की ओर जा रहा था तो श्री मिश्र, सब-इन्स्पेक्टर ने आकर मुझको असभ्यतापूर्ण रूप से हटाने की कोशिश की तथा मेरे प्रति अपमानजनक रवैया अपनाया। सदस्यों को सदन के रास्ते में जाने से रोकना सदन के कार्यों में बाधा डालना है।" इस शिकायत पर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया गया था। अगर वाकई मेहरोत्रा जी को रोका गया तो यह काफी है और इससे विशेशाधिकार की अवहेलना हुई है। अब इस बारे में जो प्रश्न किये गये थे वे इस प्रकार थे। श्री मुंशीराम मिश्रा, सब-इन्सपेक्टर ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि "श्रीमान् जी कहने का मतलब यह है कि कम्पलेंट को मैंने सुना है। यह मैं नहीं मानता हूं कि माननीय सदस्य को मैंने कमरे में जाने से रोका और न ही कभी भी पब्लिक सर्विस में होते हुये ऐसी हिम्मत कर सकता हूं। मैं माननीय सदस्य को जानता भी नहीं था। जिस समय हल्ला मचा हुआ था और मानदीय सदस्य सदन से जबरदस्ती निकाले जारहे थे, तो उस समय माननीय सदस्य भी वहां पर आये और रास्ते पर खड़े हो गये। उनकी देखा देखी और भी बहुत लोग इकट्ठे हो गये। मैंने बहुत ही नम्रतापूर्वक यह कहा कि श्रीमान् जी, जरा यहां से थोड़ा सा हट जाइये ताकि यह रास्ता बन्द न हो जाय। इस बात से माननीय सदस्य को गुस्सा आया और मेरी उपरोक्त बात नाराजगी की बाइस हुई। उन्होंने यहां तक कहा कि नौकरशाही इस प्रकार नहीं चलेगी। इसी बीच में कोतवाल साहब आ गये और पूछने पर मेरा नाम बताया। मैं रिक्वेस्ट करता रहा...." फिर सभापति जी ने यह सवाल किया कि अगर आप एपालोजाइज कर लें तो सारा मामला ही खत्म हो जाय। इस पर मिश्रा जी ने कहा "मैं तो अब भी यही निवेदन करूंगा कि हम तो पब्लिक सरवेन्ट हैं। अगर मैंने कोई बात कही हो जो माननीय सदस्य की शान के विरुद्ध हो तो आप जो चाहें उसकी सजा दें।" उसके बाद फिर एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा "सिर्फ मुझे यह कहना है कि अगर आप मेरी गल्ती समझते हैं तो मुझे क्षमा कर दें।" तो भीड़ में यह हो सकता है कि कोई आदमी आइडेन्टटी न जानता हो और कोई गलती कर जाय। माननीय मेहरोत्रा जी ने यह कहा है कि जब मैंने आइडेन्टिटी बतला दी तो उन्होंने मुझे नहीं रोका। तो जब एक आदमी ने अगर गलती की और वह माफी मांग रहा है तो यह काफी था। मगर यह कहा जाय कि इसमें कोई आफेन्स नहीं बनता तो यह ताज्जुब की बात है और उस वक्त जब कि कम्पलेनेंट को अपनी शहादत पेश करने का कोई अवसर ही न दिया गया हो।

इसमें यह भी जिक्र नहीं है कि मेहरोत्रा जी ने शहादत पेश करने से इनकार किया हो। कमेटी को उनकी शहादत पेश करने के बाद ही अपनी सिफारिश पेश करनी चाहिये थी। इसलिये इस प्रतिवेदन को समिति को वापस कर देना चाहिये पुनः विचार के लिये। न्याय हर एक

के लिये एक सा होना चाहिये चाहे वह किसी सब इन्सपेक्टर के खिलाफ हो या किसी मेम्बर के खिलाफ हो। तो या तो इसको वापस कर दिया जाय और समिति से यह कहा जाय कि वह पूरी शहादत लेने के बाद इसको पेश करे या जिस तरह से माननीय दीपनारायणसिंह जी वाला मामला खत्म किया गया है उस तरह से इसको भी खत्म किया जाय क्योंकि उसके लिये क्षमा याचना ही काफी है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री बेचनराम (जिला मिर्जापुर)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा उसके बारे में केवल एक उत्तर मैं देना चाहता हूं। यह प्रश्न गयाप्रसाद महरोत्रा जी ने उठाया था और विशेषाधिकार समिति ने उस पर अपनी रिपोर्ट दी है। इसमें उनके द्वारा दिये गये बयान और जिरह के संबंध में मैं कुछ स्पष्टीकरण दे देना चाहता हूं। श्री सभापति ने गया प्रसाद जी से कहा था कि अगर वे कोई एवीडेंस देना चाहते हैं तो लिख कर दे दें कि हम इस विषय में साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते हैं कि हमको सब-इंस्पेक्टर जानता था और बावजूद इसके उसने जानबूझकर हमारा अपमान किया। इस बारे में सभापति ने अपनी स्पष्ट आज्ञा दे दी। अब श्रीमन्, साक्ष्य प्रस्तुत करने के भी कोई नियम होते हैं और उसकी कोई अवधि भी होती है अनिश्चित अवधि के लिये किसी चीज को रोका नहीं जा सकता। अगर गयाप्रसाद मेहरोत्रा जी ने लिखकर दिया होता और उसके बाद साक्ष्य न ली गयी होती तब तो यह हो भी सकता था कि फिर से साक्ष्य लिये जाने के बारे में यह सदन कहता। लेकिन जब सभापति महोदय ने मेहरोत्रा जी को लिखकर देने के लिये कह दिया था तो उनको बिना समय नष्ट किये हुए साक्ष्य के बारे में लिखकर देना चाहिये था और उसके लिये समय और दिन नियत कराना चाहिये था। लेकिन उन्होंने अपने इस अधिकार को अवेल नहीं किया और इस प्रकार से अपने एक अधिकार को उन्होंने स्वयं ही समाप्त कर दिया। इसलिये जो साक्ष्य उस समय मौजूद थीं उन्हीं के आधार पर जो समिति ने अपना निर्णय लिया है और जो रिकमेंडेशन की है, उसका पालन होना चाहिये।

*श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह उस दिन की बात है जब कि सोशलिस्ट विधायकगण इस सदन से निकाले जा रहे थे और असेम्बली कोरीडोर्स को पुलिस ने एक कान्सेंन्ट्रेशन कैम्प बनाया हुआ था और पुलिस के द्वारा आने जाने के मार्ग में बाधा डाली जा रही है और बिना जानने की कोशिश किये रोका जा रहा था। जब मैं पार्टी रूम से आ रहा था तो मुझे मिश्रा सब-इंस्पेक्टर ने रोकने की कोशिश की। जब मैंने उससे पूछा कि क्यों रोक रहे हो तो उन्होंने कहा कि यह जानने का कोई अधिकार नहीं है। इस परिशिष्ट ६ में जो उन्होंने पुलिस में अपनी रिपोर्ट लिखाई उस पर आप गौर करें। एक वाक्य से ही आप समझ जायेंगे कि उन की क्या जहनियत थी। उन्होंने लिखाया था कि "मैं २२-३-६३ को असेम्बली ड्यूटी पर था, करीब पौने २ बजे गेलरी के गेट पर ड्यूटी दे रहा था। मेरी खास ड्यूटी भीड को हटाना था, उसी समय एक सज्जन रास्ते पर आकर खड़े हो गये, जिस तरह मैं और लोगों को सभ्यता से हटा रहा था उसी तरह उनको भी यह कहकर हटाना चाहा कि आप के बीच में खड़े हो जाने से दूसरों के आने जाने में रुकावट पड़ती है। मेरी यह बात उनको बुरी लगी और बजाय हटने के व रास्ता साफ करने के कहने लगे और इस हद तक बढ़ गये कि अपशब्द का प्रयोग करने लगे, वह बोलचाल और पोशाक से नेता मालूम हो रहे थे लिहाजा मजबूरन मैं खामोश रहा।" आप समझ सकते हैं कि एक सब-इंस्पेक्टर विधायक के बारे में यहां पुलिस स्टेशन पर इस प्रकार से रिपोर्ट लिखाये और जब उससे कहा जाय कि वह अपनी अनकन्डीशनल अपालाजी दे दे तो मामला खत्म हो जायगा लेकिन इस पर भी वह तैयार न हो। इसके अलावा मैंने जो साक्ष्य के लिये समय मांगा था और मैंने एक पत्र भी भेजा था कि मैं कुछ साक्ष्य

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा]

प्रोड्यूस करना चाहता हूं और उसका पार्टी आफिस की पियनबुक में भी रिकार्ड मौजूद है लेकिन उसके बाद भी पता नहीं कि क्या हुआ ।

श्री कमलासिंह यादव—

एक बात मैं कहना चाहता हूं ताकि भ्रम न हो। इस में जो सिफारिश है वह यह है कि कोई आफेंस नहीं बनता यानी कम्पलेंट एप्रूव नहीं हुई और शहादत नहीं ली गई और साक्ष्य नहीं सुने गये और कह दिया गया कि कोई आफेंस नहीं हुआ। इसलिये यह सिफारिश गलत है कि आफेंस नहीं बनता ।

दूसरे यह कि रिमान्ड किया जाय, माननीय दीपनारायण जी का है कि यह मामला ड्राप किया जाय क्योंकि उनकी बिना शर्त माफी है, तो दोनों में अन्तर है ड्राप करने में और उनकी रिकमेन्डेशन में। इसलिये मैं दोनों के अन्तर को साफ करना चाहता हूं ।

श्री बेचनराम—

जो दीपनारायण जी का बताया है कि दोनों एक ही हैं तो माननीय दीपनारायणजी ने तो लिखित रूप से प्रश्न को उठाया है लेकिन सब-इंस्पेक्टर के संबंध में केवल ओरल बात थी और वह साक्ष्य नहीं दे सके इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री दीपनारायणसिंह—

श्रीमन्, चूंकि मेरा नाम लिया जा रहा है इसलिये मैं दो, तीन बातें कह दूं ताकि मैंने जो कुछ कमेटी के सामने कहा था वह साफ हो जाय। यह ४८ पेज पर दिया गया है कि, जब श्री कृष्णानन्द राय जी ने पूछा कि :

"आपके कोई शब्द अपमानजनक नहीं हैं और न आपका मंशा स्पीकर के पद को अपमानित करने का ही है, लेकिन कल्चर्ड तथा सभ्य समाज में यह प्रथा है कि कोई उन शब्दों को इस स्प्रिट में ले या सुनने वाला उन को अपमानजनक समझे तो वह रिग्रेट शो करता है। अगर प्रिविलेज कमेटी या हाउस आप के कुछ शब्दों को अपमानजनक समझती है तो आपको रिग्रेट शो करने में क्या आपति है ?"

श्री दीपनारायण सिंह ने उत्तर दिया कि "कोई आपति नहीं है ।" इस स्प्रिट के अनुरूप ही २९ को मैंने पत्र लिखा था। स्पीकर साहब ने २८ के पत्र में कहा यह शब्द बढ़ा दो ताकि मेरी गरिमा हो, शायद वह आपके पास न आया हो, उसमें मैं ने वह शब्द बढ़ा दिये। मैं एक लाइयर हूं और हम लायर्स का तो पेशा भी ऐसा है कि अगर चेयर पर कोई काठ का उल्लू भी बैठता है तो उसे भी योर आनर कहते हैं ।"

श्री उपाध्यक्ष—

यह उससे सम्बन्धित नहीं है, यह आगे आयेगा ।

श्री दीपनारायणसिंह—

मैं इसी पर बोल रहा हूं अपने पर नहीं बोल रहा हूं इसलिये मेरे नाम को इस तरह से घसीटा न जाय, पहले पूरी रिपोर्ट को वह पढ़ लिया करें ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जायं। (श्री कृष्णानन्द राय का नाम पुकारे जाने पर)

श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा—

श्रीमन्....

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने कृष्णानन्द राय जी को बुलाया है, आप क्यों बोलने लगे, आप बैठ जायं ।

श्री दीपनारायणसिंह---

आपकी आज्ञा है तो बैठा जाता हूं ।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कमलासिंह तथा एक और सदस्य ने प्रश्न उठाया है सदन के अवमान के सम्बन्ध में तो समिति की रिपोर्ट देखें उससे मालूम होगा कि समिति का विचार रहा है कि कोई भी सदस्य सदन में आने या जाने से या काम करने से न रोका जाय न अपमानित परिस्थिति में रखा जाय। यह समिति ने स्वीकार किया है और यह हमारा प्रिविलेज है। लेकिन जैसा बेचन राम जी कह रहे थे कि यह कम्प्लेन्ट किसी डाकूमेंटरी चीज पर आधारित नहीं थी बल्कि ओरल थी कि मिश्रा सब-इंस्पेक्टर ने उनको रोका है और अपमानित किया है। आप श्रीमन्, उस समिति के सभापति रहे हैं और वहां जितने सदस्य मौजद थे सब लोगों ने एक मत से रिपोर्ट दी है। यदि माननीय कमलासिंह, माननीय गयाप्रसाद मेहरोत्रा के बयान को देखें जो वादी थे तो कोई कमेटी जो जुडिशियल सेंस रखेगी सिवाय इस नतीजे के और किसी दूसरे नतीजे पर नहीं आ सकती थी। एक स्थान पर माननीय गयाप्रसाद मेहरोत्रा जी ने कहा कि "इस पर मैंने कहा कि मैं असेम्बली का मेम्बर हूं कि मुझे अन्दर जाना है। वह हरएक को हटा रहे थे, इन्होंने स्पेसिफिकली मुझसे नहीं कहा, लेकिन क्राउड से जरूर कह रहे थे कि रास्ता खाली करो।" उस दिन की परिस्थिति मालूम है कि सदन में काफी शोर हो रहा था, चारों तरफ पुलिस थी.....

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)---

मैं जानना चाहता हूं कि माननीय कृष्णानन्द राय कमेटी से कोई अलग बात प्रस्तुत करना चाहते हैं, जो कमेटी ने राय रखी है वह हमारे सामने है ?

श्री कृष्णानन्द राय---

माननीय कमला सिंह जी ने एक प्रश्न रखा है कि उनको गवाही देने का मौका नहीं दिया गया। तो यह जो बयान था उसके वाक्य पढ़ कर मैंने सुनायें। तो मेहरोत्रा जी अपने बयान में नहीं कहा कि उनको सदन में जाने से रोका गया, और क्राउड को रोक रहे थे। जब आइडेन्टिटी डिस्क्लोज की तो मुझको नहीं रोका गया ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

माननीय सदस्य का बयान स्वयं उस सम्बन्ध में हो चुका है। जो रिपोर्ट है उससे अलग अगर कुछ नहीं कहना है तो आप क्यों बोल रहे हैं ?

श्री कृष्णानन्दराय---

इस रिपोर्ट के अलावा अगर कोई बात कही जाय तो उसके बारे में स्थिति साफ होनी चाहिये। इस रिपोर्ट में लिखा है कि माननीय मेहरोत्रा जी ने कभी नहीं कहा स्पेसिफिकली कि उनको रोका गया है। और यहां तक कहा कि मिश्रा जी ने कोई अपमानजनक शब्द नहीं कहे, बल्कि दूसरों से कहे। इसलिये स्पष्टीकरण करना जरूरी था।

श्री कमलासिंह यादव---

मैं दूसरा प्रस्ताव रखना चाहता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष---

आपका प्रस्ताव है, दो दफा बोल चुके हैं और फिर समय लेना चाहते हैं। जो बातें रिपोर्ट में हैं वही बता रहे हैं।

*श्री कमलासिंह यादव---

नई बात बता रहा हूं। जो समिति के मेम्बर रहे हैं जो उनके बयान के मुताल्लिक कहा है। जहां तक गाली गलौज का सवाल है उसको छोड़िये, लेकिन अपमानजनक शब्द के बारे में फील कर लिया है कि इसको नहीं कहा, लेकिन साथी ने कहा। लेकिन इतना साफ कहा है कि सब-इंस्पेक्टर ने रोका है। रिपोर्ट में है "मुंशी राम मिश्रा---मुझे से पहले आप को किसी और से भी कुछ बात हुई थी या किसी ने आपको रोका था? श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा "नहीं"। हमारी पार्टी रूम के सामने यह खड़े हुए थे। वैसे तो एक सज्जन और थे जो कह कर चलते बने। उन्हें मैं पहचान सकता हूं। मिश्रा जी ने मुझे रोका था। आखिर में सभापति ने माननीय गया प्रसाद जी से पूछा कि "आप लिख कर दे दें कि इस प्वाइंट पर एवीडेंस पेश करूंगा। इसके जवाब में माननीय मेहरोत्रा जी ने कहा कि मैं इसी प्वाइंट पर दूंगा कि उन्होंने यह जान कर भी कि मैं विधायक हूं मुझे रोका। तो श्रीमन् दो बातें हैं। एक पर तो वे ईल्ड कर गये और एक ही के बारे में जहां तक रखने का सवाल है उस पर वे अपनी एवीडेंन्स और सबूत देने को कहते हैं और अगर उस वक्त कोई सबूत नहीं लिया गया था, उसके बाद यह दलील पेश की जाय कि उन्होंने यह तो कहा ही नहीं और दूसरी बात कही तो मैं समझता हूं कि ऐसे सरकम्सटान्सेज में जब कि कोई शहादत या सबत नहीं लिया गया, तो मैं चाहता हूं कि यह माननीय सदन द्वारा इसके बारे में मेरा निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

वह पास हो गया। उस पर मैं वोट लूंगा। जो कुछ भी सबस्टैंश्यिल मोशन होगा उस पर आप अमेंडमेंट ला सकते हैं।

श्री कमलासिंह यादव---

उन्होंने तो अपना सबस्टैंश्यिल मोशन रख दिया।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि तृतीय विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री कृष्णानन्द राय---

नियमों के अनुसार मैं आपके प्रस्ताव के बाद यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन तृतीय विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन को स्वीकार करता है और निर्णय करता है कि श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री मुंशीराम मिश्रा, सब-इंस्पेक्टर, पुलिस के विरुद्ध उठाये गये प्रश्न के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं बनता है। अतः इस मामले को समाप्त किया जाय।

*श्री कमलासिंह यादव---

श्रीमन्, मैं....

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष---

एक प्रस्ताव हो गया, उस पर अगर आप अमेंडमेंट देना चाहते हैं तो आप अमेंडमेंट दे सकते हैं। अमेंडमेंट भी लिख कर दें।

श्री कमलासिंह यादव---

अमेंडमेंट भी दूंगा। उसको मैं सारांश में बताता हूं।

श्री कृष्णानन्द राय---

जब अमेंडमेंट नहीं है तो इस पर ही बोलें।

श्री उपाध्यक्ष---

आप अमेंडमेंट दे दीजिए।

श्री कमलासिंह यादव---

उपाध्यक्ष महोदय, मूल प्रस्ताव की दूसरी पंक्ति में शब्द 'स्वीकार' और 'करता है' के बीच 'नहीं' शब्द रख दिया जाय और अन्तिम शब्द के संबंध में 'विशेषाधिकार की अवहलना का प्रश्न नहीं बनता है अतः उसको समाप्त किया जावे' के स्थान पर निम्न लिखित शब्द रख दिये जायं 'पुनः विशेषाधिकार समिति को वापस किया जाय कि समिति शेष शहादत श्री गया प्रसाद जी को लेकर पुनः प्रतिवेदन प्रस्तुत करें'।

श्री उपाध्यक्ष---

आपका प्रस्ताव निगेटिव है, आप निगेटिव संशोधन प्रस्तुत नहीं कर सकते।

श्री कमलासिंह यादव---

वही तो मैंने पढ़ा।

श्री उपाध्यक्ष---

बस इतना कह दीजिये कि विशेषाधिकार समिति को भेज दिया जाय। आप लिख कर और भेज दीजिए।

श्री दीपनारायणसिंह---

मेरा मत है कि इस प्रतिवेदन को अस्वीकार किया जाय और उन पुलिस अधिकारी को अपराधी माना जाय।

माननीय उपाध्यक्ष, संसार के अन्दर यह सदन कोर्ट है, विशेषाधिकार समिति नहीं है। अतः समिति की रिपोर्ट निर्णय नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

कैसे नहीं ली जायगी---अगर आपको कोई अमेंडमेंट देना है तो दे दीजिए।

श्री दीपनारायणसिंह---

यह विशेषाधिकार समिति का कार्य नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप जरा सुनिए शान्ति से। सवाल यह है कि एक प्रस्ताव हुआ और उसमें एक अमेंडमेंट हुआ। आप और कोई अमेंडमेंट चाहें तो रख सकते हैं लेकिन निगेटिव अमेंटमेंट नहीं रख सकते।

श्री दीपनारायणसिंह--

क्या एक प्रस्ताव के दो अमेंडमेंट नहीं हो सकते ?

श्री उपाध्यक्ष--

निगेटिव नहीं हो सकता, दो, तीन, और चार हो सकते हैं। आप यह अमेंडमेंट रखें कि सब-इंस्पेक्टर को दोषी मान कर दंडित कीजिये।

श्री दीपनारायणसिंह--

मेरा अमेंडमेंट तो यही है कि जो प्रतिवेदन विशेषाधिकार समिति ने सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है उसे अस्वीकार करके अपराधी सब-इंस्पेक्टर को दोषी मान कर दंडित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

'विशेषाधिकार समिति ने सदन के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है उसे अस्वीकार करके' इसे आप नहीं रख सकते। केवल यह अमेंडमेंट रख सकते हैं कि सब-इंस्पेक्टर को दोषी मान कर उसे दंडित किया जाय।

श्री दीपनारायणसिंह--

मैं आपके समक्ष एक रूलिंग इसी तरह की रखता हूं :

"On February 8, 1957, Mr. G. R. Strauss, M. P., wrote a letter to the Paymaster General, complaining about the way in which the London Electricity Board was disposing of non-ferrous metal scrap.

On October 30, 1957, the Committee reported (i) that Mr. Strauss's letter of February 8, 1957, was a "proceeding in Parliament" and (ii) in threatening a libel action both the London Electricity Board and its solicitors acted in breach of the privilege of Parliament. The Attroney General who disagreed with these findings raised a further question whether in treating the issue of a writ as a breach of privilege the House would be contravening the Parliamentary Privileges Act, 1770.

On July 9, 1958, by a narrow majority, the House of Commons rejected the report of the Committee of Privileges and decided that Mr. Strauss's letter to the Paymaster General was not a "Proceeding in Parliament" within the meaning of the Bill of Rights."

जिस तरह से कमिटिंग कोर्ट हर केस को कमिट नहीं करता लेकिन फिर भी सेशन कोर्ट्स को यह अधिकार रहता है कि जो केस कमिट न किया गया हो उसे भी वह कमिट कर ले और कमिटिंग कोर्ट के निर्णय को रद्द कर दे। मेरा यह मत है कि सदन अपने कंटेम्प्ट के मामले में एक मात्र सुप्रीम अथारिटी है। इस पुलिस इंस्पेक्टर को दंडित करने के लिये विशेषाधिकार समिति की जो रिपोर्ट है उसे यह सदन अस्वीकृत करे और खुद उसको दंडित करे, यह मेरा संशोधन है और यह संविधान की रूलिंग के अनुसार है। आप इस मानी हुयी परिपाटी को हटा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

कोई परिपाटी नहीं हटाई जा रही है। मैं आपसे यह अर्ज कर रहा हूं कि आप निगेटिव अमेंडमेंट को छोड़ कर पाजिटिव जितना हिस्सा है उसे लिखकर दे दें, मैं उसे मंजूर कर लूंगा। केवल इस पर आप जोर दें कि सब-इंस्पेक्टर को दोषी मान कर उनको दंडित किया जाय।

श्री दीपनारायणसिंह—

कमेटी ने निर्दोष सिद्ध किया अतः जब उसे रिजेक्ट यह हाउस करेगा तभी वह दोषी माना जायगा, तो प्रस्ताव व हमारा संशोधन एक दूसरे पर दोनों आश्रित हैं, दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। दोनों पार्ट हैं, एक संशोधन में लाने होंगे। मैंने यह पूरी रूलिंग दे दी कि सदन द्वारा समिति की रिपोर्ट को रिजेक्ट किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय दीपनारायण जी, जैसा मैंने बताया है, अगर उस रूप में आप अपना अमेंडमेंट रखना चाहें तो लिख कर भेज दीजिये और जिस ढंग से आप कहते हैं वह मैं स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं। जब हमारे रूल्स मौजूद हैं तो रूलिंग का कोई संवाल नहीं होता।

श्री दीपनारायण सिंह—

आपके कार्यवृत्त में उनका कोई संशोधन तो मौजूद है नहीं। आपका संशोधन जबानी लिया गया.....

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसी बात न कहिये। उनसे भी मैंने कहा कि लिख कर भेज दीजिये और आपसे भी यही कहा। अगर आप लिख कर नहीं भेजेंगे तो मैं उसे कैसे पुट करूंगा?

*श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि इस विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का आपने अवसर दिया। मै अन्य आदरणीय सदस्यों से यह आशा करता हूं कि वे भी इस प्रतिवेदन की गम्भीरता को समझेंगे। इस सदन का सदस्य होना एक गौरव की बात है। जैसी गरिमा इस सदन की संविधान के अन्तर्गत है, मैं यह समझता हूं कि उसके विरुद्ध अगर कोई आचरण होता है तो वह निस्सन्देह निन्दनीय है।

माननीय गया प्रसाद मेहरोत्रा ने एक शिकायत इस सदन में प्रस्तुत की, विशेषाधिकार की अवहेलना की। उन्होंने इस सदन में उस समय भी बयान दिया था और आज भी जिस भाव का प्रदर्शन किया है और जिस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है, उससे यह स्पष्ट जाहिर होता है कि माननीय गया प्रसाद जी के दिल में आज भी वही ठेस है जो ठेस श्री मुन्शीराम मिश्रा, सब-इंस्पेक्टर, ने पहुंचायी थी। मैं आपके द्वारा उपनेता सदन और दूसरे आदरणीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आज यह बात माननीय गयाप्रसाद मेहरोत्रा की हो सकती है और कल कोई उस तरफ बैठे हुये माननीय सदस्य के साथ भी हो सकती है। इसमें कहीं भी सब-इंस्पेक्टर मुन्शीराम मिश्रा ने खेद प्रकट करने की कोशिश नहीं की, हर बात में अगर मगर लगाने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, मुझे इस बात पर भी अफसोस है कि इस समिति में इस बात पर विचार नहीं किया गया कि श्री मुन्शीराम मिश्रा ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है और जिस तरह से अपने भाव प्रदर्शित किये हैं उनसे समिति की भी मर्यादा कोई बढ़ती नहीं थी। श्रीमन्, मैं निश्चय तौर पर इस मत का हूं कि माननीय गया प्रसाद के मामले को यह सदन पुनः विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करे और जब फिर समिति का प्रतिवेदन आये तब उस पर विचार किया जाय।

*श्री श्रीपत मिश्र (जिला सुल्तानपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रतिवेदन है इसके सम्बन्ध में माननीय कमला सिंह जी ने एक अंश इसका पढ़ा था जिसमें यह था, कि माननीय सदस्य गया प्रसाद जी ने यह कहा था कि इस बात पर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्रीपत मिश्र]

साक्ष्य दूंगा कि यह सब-इंस्पेक्टर उनको पहले से जानता था। पूरा प्रतिवेदन पढ़ने पर मैंने देखा कि इसमें इस प्वाइंट पर कि आया मिश्र जी, सब-इंस्पेक्टर, इनको जानते थे या नहीं जानते थे, केवल २ ही आदमियों के बयान हैं, या तो माननीय गया प्रसाद जी का जो कह रह थे कि वह सब-इंस्पेक्टर मुझे पहले से जानता है और या मिश्रा जी, सब इंस्पेक्टर का जो यह कह रहे हैं कि वह नहीं जानते थे। इसके अलावा और कोई बात नहीं दिखाई देती जिससे यह मालूम हो कि वह इनको जानता था या नहीं जानता था। क्या समिति ने किसी और गवाही को नहीं लिया? क्यों नहीं लिया? और उसके बाद इस प्रतिवेदन में यह मान लिया कि वह उनको नहीं जानता था। जब दो ही बयान---गया प्रसाद जी और मिश्रा जी के थे, तो इनमें कौन-सा ठीक था और ऐसी बात कौन सी गया प्रसाद जी के कहने में सामने आयी जिसकी वजह से उनकी बात को मान लिया गया कि वह गलत है और मिश्रा जी की बात को मान लिया गया कि वह सही है? यही मुख्य बात थी। हर जगह का तरीका है कि जब कोई गवाही लेना चाहता है तो समय लेता है, तारीख लेता है। मैं बड़े अदब से यह प्रार्थना करूंगा कि एक तरीका तो यह होता है कि जिसको गवाही देनी होती है वह गवाही देता है, लेकिन यह समिति की जिम्मेदारी है कि जिस तथ्य की जांच के लिये वह मुकर्रर हुई उसकी जानकारी के लिये जो भी उपलब्ध साक्ष्य हो सकते हों वह सब प्राप्त किये जायं। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्वाइंट इस केस का था। वह माननीय सदस्य गया प्रसाद जी को पहले से जानता था या नहीं, इसको जानने के लिये विशेषाधिकार समिति ने क्या प्रयास किया? अगर माननीय सदस्य, गया प्रसाद जी ने यह कह कर कि वह बयान दिलवायेंगे उन्होंने नहीं दिलवाया, तो समिति ने क्यों नहीं प्रयास किया कि इस मुख्य बात की जानकारी की जाय?

श्री बेचनराम---

इसको सिद्ध करने की जिम्मेदारी किस पर थी?

श्री श्रीपत मिश्र---

मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप बोलेंगे और अपनी बात कहने का आपको मौका मिलेगा। तो मैं कह रहा था कि यह प्वाइंट महत्वपूर्ण था। अगर समिति यह कह देती कि यह प्वाइंट महत्वपूर्ण नहीं है तब तो मुझे कुछ कहना नहीं। लेकिन समिति और सदन यह समझता है कि यह प्वाइंट महत्वपूर्ण था कि वह उनको जानता था या नहीं जानता था। तब फिर प्रश्न यह होता है कि इस सम्बन्ध में कौन से साक्ष्य लेने के प्रयास समिति ने किये। किसी से पूछा? किस से पता लगाया और कैसे पता लगाया? जब कि गयाप्रसाद जी की बात नहीं मानी गई तो किस आधार पर मान लिया कि मिश्रा जी की बात सही है? मैं कहूंगा कि इस तरह से किसी के खिलाफ विशेषाधिकार का सवाल उठे और बुलाकर वैसे ही एक की बात मान लें और दूसरे की न मानें, तो यह गलत परम्परा है। कोई चीज ऐसी होनी चाहिये थी जो मिश्रा जी की बात मानने के लिये ज्यादा उपयुक्त होती। अगर ऐसा नहीं था तो एक का बयान मान लेना और दूसरे का न मानना मुनासिब नहीं था, उचित नहीं था। इसलिये मेरा विचार है कि इस पर फिर से विचार होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---

दो अमेंडमेंट पेश हुये, जिनमें माननीय कमला सिंह जी ने जो अपना अमेंडमेंट रखा है वह निगेटिव फार्म में रखा है। इसलिये मुझे अधिकार है कि मैं चाहूं तो ओरीजनल प्रस्ताव रखूं या अमेंडमेंट। मैं ओरीजीनल प्रस्ताव रख रहा हूं।

श्री कमलासिंह यादव---

श्रीमन्, यह तो बड़ी दिक्कत हो जायगी।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर यह पास हो जायगा तो कोई प्रस्ताव नहीं रहेगा या फिर निगेटिव अंश निकाल दें।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, वह तो आपको हक है। लेकिन हमें मौका देना चाहिये था ताकि मैं भी अपना इम्प्रेशन डाल सकता। यहां तो पार्टीबाजी का सवाल हो जाता है।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह प्रतिवेदन पुनः विशेषाधिकार समिति को वापस किया जाय कि समिति शेष शहादत श्री गया प्रसाद जी की लेकर पुनः प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन तृतीय विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन को स्वीकार करता है और निर्णय करता है कि श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा, सदस्य विधान सभा, द्वारा श्री मुंशीराम मिश्रा, सब इंस्पेक्टर पुलिस, के विरुद्ध उठाये गयें प्रश्न के संबंध में विशषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं बनता है अतः इसको समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

तृतीय विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का तृतीय प्रतिवेदन

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि तृतीय विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, यह जो तीसरा केस विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द किया गया था वह माननीय भूपसिंह जी एम० एल० ए० के मुताल्लिक था। यह कहा जाता है कि माननीय भूपसिंह जी के खिलाफ १०७/११७ जाब्ता फौजदारी का मुकदमा चला। पी० एम० अग्रवाल जी, एस० डी० सी० का काम कर रहा था उसने यह आदेश दिया था। उसका यह फैसला हुआ कि पांच सौ रुपये का जमानत मुचलका दाखिल करें। उस पर भूपसिंह ने स्टेआर्डर की दरख्वास्त दी जिसको मैजिस्ट्रेट ने अस्वीकार किया। उस के बाद अपील जज के यहां की, मि० गोयल के यहां। जज ने बहस सुनने के बाद उनकी दरख्वास्त खारिज करदी और हथकड़ी लगवा कर मैजिस्ट्रेट के पास भेज दिया। वहां पर जमानत देने के बाद छोड़े गये। करीब एक मील की दूरी तक यह हैंडकफ्ड ले जाये गये। अगर इस प्रतिवेदन को शुरू से आखिर तक देखा जाय तो इसमें किसी की कोई भी शहादत नहीं ली गयी है। पहली बात इसमें यह थी कि हैंडकफ्ड किये गये या नहीं, दूसरे यह था कि विशेषाधिकार की अवहेलना हुई या नहीं। जहां तक हैंडकफ करने का सवाल है, जज ने साफ लिखा है, उसको मैं पढ़ देना चाहता हूं—

"What happened to Sri Bhup Singh, M.L.A., outside the Court, is not known to me, but I reliably understand that Sri Bhup Singh, M.L. A. was not at all handcuffed on his way to the Court below or at any other stage."

हम लोगों ने मैजिस्ट्रेसी की बात भी देखी है और जजी की बात भी देखी है। जज साहब के स्टेटमेंट से यह साफ जाहिर होता है और यही वजह है कि हमेशा इस सदन के अन्दर जितने सदस्य रहे हैं वह प्रेस करते रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव और जूडिशियरी का सेपरेशन होना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

भीमन्, कोई भी मैजिस्ट्रेट या और कोई आफिसर गलती करता है तो वह खींचतान की बात करता है, क्लीयरकट बातें नहीं करता। लेकिन जूडिशियल आफिसर की बात आप देखें, जज ने कितना क्लीयरकट अपनी गलती को स्वीकार किया है। मैं उसे पढ़ देना चाहता हूं। अन्त में १७ पेज पर यह दिया है—

"In this case, there has been a delay. According to the rules, I must have promptly and immediately informed the Hon'ble the Speaker. Unfortunately at that time, I was not aware of the relevant provisions in this regard and I hastened to inform the Hon'ble the Speaker immediately the moment my attention was drawn to the relevant provisions. I very sincerely and honestly apologize and regret for the delay. It will be very kind of the House if it accepts the apology tendered by me."

श्रीमन्, यह कैरेक्टर जुडिशियरी का स्पीक करता है। इसमें अंग्रेजों के जमाने में जो कैरेक्टर आफिशियल्स कारहा है वही कैरेक्टर आज भी हम पाते हैं। कितना इम्पार्शियल है वह! अगर गलती की है तो क्लीयरकट उसका ऐडमीशन है कि हमने गलती की है और मेरी नाजानकारी की वजह से यह गलती हुई। उनकी जानकारी नहीं थी कि इन्फार्मेशन तुरन्त देनी चाहिये, इसलिये उनसे डिले हुई और इसके लिये उन्होंने अपालाजी टेंडर की है। इसलिये मैं कहूंगा कि जुडिशियरी जो इतनी केयर अपनी डीलिंग्स में रही है और उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया है, इसलिये सदन इस प्रतिवेदन को स्वीकार करे।

श्री उपाध्यक्ष—

(श्री वीरसेन से) आप जरा संक्षेप में ही अपनी बात कहियेगा। समय बहुत कम है और सबको आज ही होना है।

*श्री वीरसेन (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट में दो सवाल हैं। जैसा माननीय कमला सिंह जी ने कहा, एक तो सवाल है कि हैंडकफ माननीय सदस्य को किया गया या नहीं और दूसरा सवाल यह कि इन्फार्मेशन देर से देने से प्रिविलेज का प्रश्न बना या नहीं। मेरा कहना यह है कि विशेषाधिकार समिति ने जो इस बारे में जांच करनी चाहिये थी कि हैंडकफ उनको किया गया या नहीं, वह जांच उसने नहीं की और सिर्फ जो ऐडीशनलसेशंस जज ने एक लेटर लिख दिया, उस लेटर पर ही विश्वास करलिया...

श्री उपाध्यक्ष—

वह स्वयं यहां आये थे, लेटर पर ही विश्वास नहीं कर लिया। यहां आकर उन्होंने क्षमा-याचना की थी।

*श्री बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा)—

क्षमा जो मांगी है वह तो डिले के लिये मांगी है। नियम ८४, ८५ और ८६ का जो पालन नहीं किया गया उससे उसका कोई कंसर्न नहीं है।

श्री वीरसेन—

यह सवाल ऐसा है कि अगर माफी भी उन्होंने मांगी, वैसे तो मैं ऐसा समझता हूं कि माफी डिले के लिये मांगी है लेकिन हैंडकफ जो किया गया इस संबंध में समिति की कोई फांइडिंग नहीं है और न ही समिति ने कोई जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है। यह एक बहुत ही अहम

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सवाल था और इसके बारे में समिति को जानकारी प्राप्त करनी चाहिये थी और अपनी फाइंडिंग देनी चाहिये थी। दूसरा सवाल सदन में सूचना देने का जो है, उसमें १८ तारीख को माननीय सदस्य की गिरफ्तारी हुई और उसी दिन वह छोड़ दिये गये। सूचना २० तारीख को भेजी गई। मैं मानता हूं कि सेशन जज ने माफी मांगी है देर के लिये। लेकिन लॉ में, इग्नोरेंस आफ ला इज नो एक्सक्यूज। एक सेशन जज को अगर यह पता न हो कि किसी सदस्य के गिरफ्तार होने पर सदन को सूचना तुरन्त देनी चाहिये तो मैं समझता हूं कि यह उसकी इनकाम्पीटेंस है। और इस दलील के ऊपर कि उसने माफी मांग ली है, उसको माफी नहीं मिलनी चाहियें। उसको उसके लिए दंड मिलना चाहिये। किसी भी मामले में किसी को लॉ इस दृष्टि से नहीं देखता है कि अगर किसी ने कोई अपराध कर दिया है तो वह अपराध इस वजह से कर दिया है कि वह कानून को नहीं जानता था, इसलिये उसको माफ किया जाय। मैं समझता हूं कि यह बात गलत है कि इसको ऐसे ही पास किया जाय। सेशन जज के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये और यह रिपोर्ट को सदन को पास नहीं करना चाहिये।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसा विश्वास था कि माननीय वीरसेन जी ने प्रिविलेज के नियमों का काफी अध्ययन किया है। उन्होंने इस बात को समझने का प्रयास किया होता कि विशेषाधिकार समिति के हाथ इस मामले में बंधे हुये थे तो वह विरोध नहीं करते। यदि वह नियमों को देखें तो हमारे सदन के या विशेषाधिकार के वही नियम है जो पहले मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। उसके बाहर हम नहीं जा सकते। यह दुख की बात है कि हमारी असेम्बली ने या पार्लियामेंट ने भी कोई प्रिविलेज का लॉ नहीं बनाया है। संविधान में एक बात लिख दी गई है कि हाउस आफ कामन्स की जो परम्परा होंगी, वही यहां पर होंगी। जिस समय हमारा संविधान बनाया गया, उसी समय यह लिख दिया गया कि वही प्रिविलेज हमारे भी होंगे। ऐसी स्थिति में चूंकि जनता के आदमी से भी प्रिविलेज का प्रश्न पड़ता है, इसलिये उसके बाहर यदि हम जांय तो उसका मन्शा नहीं हो सकता।

जब हम अपने संविधान की धारा को देखते हैं, हाउस आफ कामन्स के प्रिविलेजेज को देखते हैं और अपने रूल्स आफ प्रोसीजर को देखते हैं तो यदि क्रिमिनल आफेन्स में कोई मेम्बर अरेस्ट होता है तो इसके संबंध में लागू नहीं होगा। इसलिये कोई ला बना हुआ नहीं है। यदि कोई माननीय सदस्य पार्लियामेंट का या असेम्बली का क्रिमिनल केस में अरेस्ट होता है, हैंडकफ होता है तो हमारे हाथ बंधे हुए हैं। उस पर प्रिविलेज का सवाल नहीं आ सकता लेकिन यदि सिविल केस में हैंडकफ होता है या एरेस्ट होता है तो प्रिविलेज का सवाल होता है। हाउस आफ कामन्स में, भी जब सिविल केस होता है तो प्रिविलेज का सवाल होता है। क्रिमिनल केस में एरेस्ट होती है तो प्रिविलेज का सवाल नहीं होता। यदि कोई मेम्बर सिविल केस में एरेस्ट होता है तो उसकी सूचना जरूर आनी चाहिये। उसी संबंध में इस प्रश्न को प्रिविलेजेज कमेटी को एग्जामिन करना पड़ा। फिर मुन्सिफ महोदय ने यह कहा कि मुझे उन नियमों का पता नहीं था कि किस फार्म पर कितनी जल्दी सूचना भेजनी चाहिये। जैसा कमलासिंह जी ने कहा, उन्होंने क्षमा मांगी और कमेटी के सामने मांगी, तो उसको कमेंटी ने पर्याप्त समझ कर उसको ड्राप कर दिया।

*श्री बनवारीलाल विप्र—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब यह विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था तो माननीय भूपसिंह जी, माननीय खेमचन्द जी और माननीय भगवानदास जी यादवेन्दु मेरे साथ थे। उस वक्त पूरी गम्भीरता के साथ हमने इसको देखा और खासकर हमने एडीशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब के जजमेंट को देखा तो उसस साफ जाहिर था कि उनको हैंडकफ किया गया था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बनवारीलाल विप्र]

इस समय यहां पर भूपसिंह जी नहीं हैं क्योंकि उस वक्त भूपसिंह जी ने एडीनशल जज साहब के जजमेंट को स्पष्ट किया था। उसमें था कि इनको हैंडकफ किया जाय लेकिन उनके हस्ताक्षर करने के बाद जो ४ लाइन थीं उससे स्पष्ट होता था कि माननीय भूपसिंह को हैंडकफ किया गया क्योंकि माननीय जज साहब ने यह स्पष्ट लिखा था कि भूपसिंह जी के हथकड़ी न लगाई जाय। इसलिये साफ हो गया कि पहले हथकड़ी लगाई गई और उसके बाद यह आदेश दिया गया। उसके बाद जब यहां पर माननीय अध्यक्ष से शिकायत की तब उसके बाद सदन में यह बात आयी कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है अथवा नहीं। माननीय अध्यक्ष ने इसे विशेषाधिकार का प्रश्न समझ कर समिति को सौंपा इसलिये कि उनको हथकड़ी लगायी गयी थी। इसकी प्रोसीडिंग्स में सब से पहले समिति का निर्णय एडीशनल जज को बुलाने का हुआ जवाब देने के लिये। उन्होंने जो बयान किया, वह इस प्रकार है—

"(1) Sri Bhup Singh, M.L.A.'s criminal appeal from an order, dated January 3, 1963, passed by Sri P. M. Agarwala, Magistrate First Class, Aligarh, binding him down under Section 107, read with Secton 117, Criminal Prodecure Code, and asking him to execute a personal bond for a sum of Rs. 500 and furnish two sureties each in the like amount in order to keep the peace for a period of one year, was dismissed by me on March 18, 1963.

(2) It is correct to say that Sri Bhup Singh, M. L. A., along with others was taken into police custody. But it is incorrect to say that he was handcuffed.

(3) It is a fact that Sri Bhup Singh, M. L. A., and others, while they were still in the Court, stated that they were prepared to execute the required personal bonds and furnish the required sureties. Consequently they were ordered to be sent to the Court below at once for the said purpose which Court was informed by telephone also in this regard.

(4) What happened to Sri Bhup Singh, M. L. A., outside the Court is not known to me, but I reliably understand that Sri Bhup Singh, M.L. A., was not at all handcuffed on his way to the Court below or any other stage.

(5) Unfortunately, my attention was not drawn towards rules 84, 85 and 86 of the Prakriya Niyamawali at the time of dismissing the appeal. My office drew my attention to rule 15 of the General Rules (Criminal) but on March 20, 1963, I immediately sent a letter to the Hon'ble the Speaker, Vidhan Sabha, Uttar Pradesh, in accordance with its provisions. I respectfully concede that delay did take place in sending the said letter, which is very much regretted."

वही आगे कहते हैं कि :

"In this case, there has been a delay. According to the rules, I must have promptly and immediately informed the Honb'el the Speaker. Unfortunately at that time, I was not aware of the relevant provisions in this regard and I hastened to inform the Hon'bie the Speaker immediately the moment my attention was drawn to the relevant provisions. I very sincerely and honestly apologize and regret for the delay. It will be very kind of the House if it accepts the apology tendered by me."

तो माननीय जज ने इस तरह से अपनी बात कह कर जो अपराध बनता है उसे छिपा दिया है। उनको अपराध पर रोशनी डालनी चाहिये थी।

श्री उपाध्यक्ष—

यह ठीक है कि माननीय सदस्य को हथकड़ी लगाना गलत बात है लेकिन फिर भी वह प्रिवेलेज का सवाल तो नहीं बनता। इस पर तो आप रोशनी डालिये।

*श्री बनवारीलाल विप्र—

श्रीमन्, मैं आपसे यह निवेदन कर दूं कि मैं सदन के सम्मान के लिये यह निवेदन कर रहा हूं। अगर कोई इस तरह की बात होती है तो हमारा फर्ज है कि हम उसको सदन की जानकारी में लायें और उसको उससे अवगत करायें। हम तो यह चाहते हैं कि सदन उन एडीशनल जज महोदय को समन करे और वे यहां सदन के समक्ष आकर माफी मांगें।

श्री प्रेमसिंह—

मैं सिर्फ जज महोदय के बारे में कहना चाहता हूं कि जज कितना फेयर होता है। नियम की जानकारी होते ही उसने यहां सूचना भेज दी। यह काफी है। उन्होंने जब अपनी गलती मान ली तो वह बहुत काफी है, अब अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता शेष नहीं रहती।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि तृतीय विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कृष्णानन्दराय—

मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन तृतीय विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन को स्वीकार करता है और श्री एम० सी० गोयल, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की क्षमा याचना को स्वीकार करते हुये निर्णय करता है कि सर्वश्री बनवारीलाल विप्र, भगवानदास यादवेन्द तथा खेमचन्द, सदस्य, विधान सभा, द्वारा, श्री पी० एम० अग्रवाल, एस० ओ० सी०, कोल, अलीगढ़, एवम् श्री एम० सी० गोयल, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अलीगढ़, के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर अब आगे कोई कार्यवाही न की जाय।

*श्री वीरसेन—

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सदन के सामने यह अर्ज किया कि यह कोई दलील नहीं है कि किसी ने क्षमा याचना की तो उसको माफ किया जाय और इस बिना पर कि किसी जज को उसकी जानकारी न थी। माननीय कृष्णानन्द राय जी ने यह मत व्यक्त किया कि इस सदन के कुछ बन्धन हैं जिनके कारण क्रिमिनल आफेन्स में यह सदन कोई ऐक्शन नहीं ले सकता। वे वकील हैं, मैं उनकी जानकारी के लिये बताऊं कि वे दफा १०७/१७ को देखें। उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा अहम मसला है। यह देखना चाहिये था समिति को कि लगाया गया आरोप सही था या नहीं। समिति अपने इस फर्ज में फेल हुई है।

दूसरा सवाल यह है कि जज महोदय, जो कि कानून के ज्ञाता हैं, जिनको लर्नेड जज कहा जाता है, जिन्होंने यह कहा कि उनको इस नियम की जानकारी नहीं थी, और दो दिन बाद उन्होंने उसकी सूचना सदन को दी, वह कहां तक ठीक थी? मैं समझता हूं कि यह दलील ऐसी नहीं है जिसकी वजह से माफी स्वीकार की जाय। सिर्फ यह बात कि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है सजा के लिये काफी है। कोई यह नहीं कह सकता कि मुझे मर्डर की सजा का पता नहीं था, इसलिये माफ कर दिया जाय। मामूली बात के लिये एक सदस्य को १ मील तक पैदल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री वीरसेन]

घसीटा जिससे लोग देखें कि इस असेम्बली के मेम्बर की हमने यह इज्जत की है। इसमें सदन के अवमान का प्रश्न है और इसे समिति को वापिस भेजना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन तृतीय विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के तृतीय प्रतिवेदन को स्वीकार करता है और श्री एम० सी० गोयल, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, की क्षमा को स्वीकार करते हुये, निर्णय करता है कि सर्वश्री बनवारीलाल विग्र, भगवानदास यादवेन्दु तथा खेमचन्द्र, सदस्य विधान सभा, द्वारा श्री पी० एम० अग्रवाल, एस० ओ० सी०, कोल, अलीगढ़, एवं एस० सी० गोयल, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अलीगढ़, के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार के प्रश्न पर अब आगे कोई कार्यवाही न की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि क्या किसी माननीय सदस्य को लाठी डंडा लेकर सदन में आने का अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर उन्हें इजाजत मिली हुई है तो।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)--

मैंने अध्यक्ष महोदय से अनुमति ली हुई है।

श्री उपाध्यक्ष--

बद्री प्रसाद जी पालीवाल के पैर में तकलीफ है।

✓तृतीय विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि तृतीय विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, यह बहुत ही सिम्पिल केस है। माननीय नरसिंह नारायण जी के खिलाफ एक पर्चा बांटा गया और उसके बारे में ३-४ आदमियों--सर्वश्री कमला सिंह, राम सुन्दर पांडेय, दौलत लाल, मेवा लाल और मैनेजर सिंह....

श्री काशीनाथ मिश्र--

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय कमलासिंह जी तो उसकी एक पार्टी ही है, वे कैसे इसको पेश कर सकते हैं?

श्री उपाध्यक्ष--

उसको कोई भी मेम्बर कर सकता है।

श्री कमलासिंह यादव--

मैं तो अब उसके ऊपर सदस्य की हैसियत से अपने विचार प्रकट कर रहा हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं पर्चे के भीतर तो जाना नहीं चाहता क्योंकि उस पर्चे को सभी माननीय सदस्यों ने पढ़ा है। जो मुख्य बात उसमें कही गयी थी वह यह कि जब नरसिंह नारायण पांडेय ने यह देखा कि प्रश्न विधान सभा के दूसरे सदस्य ने रख दिया है तो प्रश्न आने के एक दो दिन पहले प्रश्न-कर्त्ताओं में अपना नाम जुड़वा लिया। यह पृष्ठ १०, परिशिष्ट ४, पर दिया हुआ है। इस तरह की अनेक बातें उनके आचरण के विरुद्ध हैं। यदि उसमें प्रस्तुत बातों का लेखा-जोखा लिया जाय तो यह चीज श्री नरसिंह नारायण पांडेय के विरुद्ध ही नहीं हैं वरन् वह असेम्बली सचिवालय के कर्मचारियों के विरुद्ध है, उनके आचरण पर लांछन है। अगर किसी पर्चे के बारे में या किसी प्रश्न के बारे में यह कहा जाता कि सचिवालय के बाहर उस पर दस्तखत बना लिये, तब तो किसी हद तक ठीक भी हो सकता था लेकिन यह कहना कि सचिवालय में जाकर अपना नाम बढ़ा लिया, इस तरह की चीज सचिवालय के कार्मचारियों पर आक्षेप है, सदन के कर्मचारियों पर आक्षेप है। इसलिये यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसमें एक श्री महातम सिंह जी को छोड़ दिया गया है क्योंकि कन्ट्रोवर्सियल स्टेटमेंट्स थे और उनके विरुद्ध कोई ठीक सबूत नहीं मिल सका। तीन आदमियों, जिन्होंने एक तरीके पर माफी भी मांगी है, उन लोगों के खिलाफ जो यह प्रतिवेदन उपस्थित किया गया है, मैं आशा करता हूं कि यह सदन उसको स्वीकार करेगा।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मैं इसका विरोध करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य ने इस प्रतिवेदन को पढ़ा नहीं, मैंने उसको ध्यान से पढ़ा है। इसमें बहुत विरोधाभास है। विशेषाधिकार समिति के सदस्यों नें जो गोरखपुर के समाजवादियों से भिन्न-भिन्न सवाल किये हैं, अगर उनको देखा जाय तो यह बात साफ जाहिर होती है कि गोरखपुर सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं को संविधान के अन्तर्गत यह पूरा अधिकार था कि वैसा पर्चा वह छपाते जब विशेषाधिकार समिति के सदस्यों ने श्री महातम सिंह, खुबलाल और श्री श्याम नारायण सिंह से पूछा तो उन्होंने कहा कि जो मामला सही है उस के बारे में हर तरह से हमें कहने का अधिकार है और उसको हम छाप कर, लिख कर और पर्चे बांट कर भी कह सकते हैं।

जब नहर रेट का आन्दोलन छिड़ा था तो स्टेट वर्सेस लोहिया केस में जस्टिस अग्रवाल ने बहुत सफाई के साथ कहा था कि संविधान की धारा १९ (१) के अनुसार किसी भी नागरिक को अधिकार है कि वह सही बात कह सकता है, सरकार के और किसी के माफिक कहने का तो अधिकार सब को है ही लेकिन संविधान के अनुसार स्पीच की आजादी है, चाहे कोई बात दूसरों को पसन्द न हो लेकिन उसको भी कहने का और लिखने का सब को अधिकार है और पूरी आजादी है हर व्यक्ति को। उस आर्टिकिल का विशेषाधिकार समिति के सामने बार-बार जिक्र किया गया और सदस्यों ने उनसे पूछा कि क्या आप की मन्शा श्री नरसिंह नारायण को बेइज्जत और अपमानित करने की या जनजीवन में अपमानित करने की तो नहीं है, तो उस के उत्तर में उन्होंने साफ कहा है कि ऐसी मन्शा कभी नहीं थी बल्कि केवल मन्शा यह थी कि जनजीवन में साफ चीज सामने आ जाय और श्री नरसिंह नारायण जी, जो गलत बात कहते रहते हैं उस तरह की हरकत वह आगे के लिये छोड़ दें और सही काम करें और उनकी प्रतिष्ठा बाहर और यहां और समाज में ऊंची हो।

मैं यह भी कहूंगा कि इस तरह से जो चार्ज और विरोधी चार्ज लगाये गये उनमें विशेषाधिकार समिति का सवाल नहीं था लेकिन जब कोई सवाल यहां आता है तो सदन के सदस्य अपने को आम जनता से भिन्न समझ कर, प्रिविलेज्ड होकर राय देते हैं और समझते हैं कि हम तो आम लोगों से ऊपर हैं और कोई आलोचना हमारे बारे में नहीं हो सकती। इन शब्दों के साथ मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं।

दूसरे, मैं जरा श्याम नारायण सिंह का बयान और पढ़ कर सुनाना चाहता हूं जिसमें लिखा है, यह पेज ५४ पर है, कि "यह कारतूस का मामला विधान सभा में पेश करने के लिये ७ फरवरी को दिया गया पार्टी के सेक्रेटरी हुबलाल जी के द्वारा। उन्होंने फाइल तैयार कर के दी थी।

[श्री काशीनाथ मिश्र]

जिस वक्त यह फाइल कारतूस की चोरबाजारी के बारे में तैयार करके दी थी उस वक्त नरसिंह नारायण जी के एक मित्र—श्री शिव गोविन्द के खिलाफ अधिकारियों ने ब्लेकमार्केटिंग का मुकदमा चलाया था। वे जेल में हैं। वे फर्जी नामों में श्री सक्सेना और श्री नरसिंह नारायण के नामों में परमिट लेकर ब्लैक मार्केटिंग करते थे। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि इजलास में रहने के कारण हो सकता है कहीं सबजुडिस न हो जावे। तो वह कारतूस वाला मामला विधान सभा में आने वाला था। श्री नरसिंह नारायण को अधिकारियों ने बुलाया। कलेक्टर के मीटिंग रूम में ये और अधिकारी लोग बैठे। कारतूसों का लाइसेंस देने वाले श्री जसवन्त सिंह भी बैठे थे, और भी कुछ लोग बैठे थे, रोटरी क्लब के लोग थे। उसके बारे में गोरखपुर शहर में बड़ा दंगा मचा कि नरसिंह नारायण ने इस में दो बड़े काम किये। एक तो यह कि "नेपाल बार्डर पर जो ढाई लाख के कारतूस जाकर बिके उन पर पर्दा डाल दिया, दो हजार रुपया ले लिया और शिव गोविन्द लाल के खिलाफ जो मुकदमा था वह कलेक्टर के कोर्ट में बड़ा दंगा और शोर हुआ और कहा कि अगर कलेक्टर के कोर्ट में ही यह केस खत्म कर दिया गया तो हम इसके खिलाफ गोरखपुर में आन्दोलन करेंगे। इसमें गोरखपुर में हम बहुत आगे हैं। इससे अधिकारियों ने इतना जरूर किया कि उसको सेशन कमिट कर दिया, फाइनल रिपोर्ट नहीं लगाई। मेरा खयाल है कि आप मेरी बात नहीं मानेंगे लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि .....

इस तरह से जब माननीय सदस्यों ने आपके सामने, और जो अध्यक्ष थे समिति के और सदस्य थे सबके सामने यह जानते हुये भी कि एक साधारण सोशलिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता जो देहात में रहता है, जो समझता है कि बड़ी से बड़ी सजा यह समिति दे सकती है तब भी समिति के सामने भयभीत न होकर पर्चे में जितने आरोप थे माननीय नरसिंह नारायण के खिलाफ उस से भी जबरदस्त आरोप विशेषाधिकार समिति के सामने लगाता है। तो इसके क्या माने होते हैं? बार-बार समिति की ओर से धमकाया गया। इस किताब को पढ़ें तो मालूम होगा कि माननीय नरसिंह नारायण पांडेय गोरखपुर जिले के अन्दर माननीय शिब्बन लाल सक्सेना और अन्य साथियों के साथ किस तरह का अवैध व्यापार चलते हैं। अगर इसकी चर्चा हमारे कार्यकर्ता करते हैं तो विशेषाधिकार का प्रश्न कहां बनता है? समिति के लोगों ने पूछा कि इस तरह की कार्यवाही क्यों की। तो उन्होंने कहा कि समिति के सामने हमने यह कार्य इसलिये किया कि हमारी पार्टी जनतांत्रिक है और वह बदनाम न हो इसलिये हमने ऐसा किया।

जिस समय का यह प्रश्न है माननीय नरसिंह नारायण हमारी पार्टी में थे, लेकिन बजाय इसके कि वह उस प्रश्न को यहां उठाते, वह अधिकारियों से सांठ-गांठ करने लगे। जब लोगों ने देखा कि पार्टी बदनाम हो रही है, जब इन्होंने कारतूस का मामला नहीं उठाया तो माननीय कल्पनाथ सिंह ने यह सवाल दिया, और जब माननीय नरसिंह नारायण जी को मालूम हो गया कि सवाल लग गया है तब धीरे से जाकर अपना नाम भी जोड़ दिया। इसलिये सोशलिस्ट पार्टी के लोगों ने यह सोचकर कि पार्टी बदनाम न होने पाये मजबूर हो कर इस तरह का उन्होंने पर्चा निकाला। तो कहां विशेषाधिकार का सवाल उठता है? इसलिये इस पर विचार न किया जाय और इस रिपोर्ट को फिर से विशेषाधिकार समिति को भेजा जाय, नहीं तो इसमें संविधान की मर्यादा के खिलाफ काम होगा। माननीय श्याम लाल, हुबलाल दुबे आदि जो जनजीवन में काम करते हैं और जो सही मामले को जनता के सामने लाना चाहते हैं ऐसे लोगों के अधिकारों का हनन होगा और हमेशा के लिये इस सदन पर कलंक हो जायगा अगर इस रिपोर्ट पर सदन विचार करके इसको पास कर देता है। इसलिये ऐसा कार्य ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता के खिलाफ़ नहीं होना चाहिये। अगर इस केस के बयानात और जिरह को देखा जाय तो जिस निर्णय पर समिति पहुंची है उस पर नहीं पहुंच सकती थी। कोई तारतम्य नहीं है।

अगर इस किताब को (रिपोर्ट को) किसी भी हाई कोर्ट के जज को अध्ययन के लिये दे दी जाय तो इस पर हुई जिरह और केस को पढ़ कर इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगा कि वे लोग बेगुनाह

हैं। अतः मैं माननीय कमला सिंह के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इसे पुनः विशेषाधिकार समिति को रेफर कर दिया जाय और वह इस पर पुनः विचार करे।

श्री गेंदासिंह (जिला बेलरिया)—

मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि आज जितने संक्षेप में भाषण दिये गये हैं वे काफी नहीं हैं। कुछ रिपोर्टें ऐसी हैं जो महत्वपूर्ण हैं और जिन्हें, उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुनना चाहिये। अतः मैं निवेदन करता हूं कि सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री रामलखन शुक्ल (जिला गोरखपुर)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप इस प्रतिवेदन का अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि इसका स्वरूप और इसका नेचर बड़ा सिम्पिल प्रतीत होता है। उसका कारण यह है कि जितने लोगों पर यह अभियोग लगाया गया है उन्होंने उसके बहुत अंशों को स्वीकार किया है। उन्होंने एक बात पर अधिक जोर दिया है कि उनका कोई इरादा नहीं है कि इससे माननीय सदस्य का अपमान हो। उनकी मंशा केवल यह थी कि गलत काम करने वाले का जो हश्र होता है, वह हो। यही उस नोटिस का मन्तव्य है। मैं समझता हूं कि जिस साहस के साथ उन्होंने पार्टी फीलिंग से प्रभावित न हो कर कबूल किया है, वह हिम्मत का काम है। सन् १९४१ के व्यक्तिगत सत्याग्रह में हम लोग हिम्मत के साथ कहते थे कि हमने यह कार्य किया तो उन्होंने भी कार्यकर्ता के नाते जो भी जनहित में होता है, किया। विशेषाधिकार समिति को भी यह देखना चाहिये कि कितने स्पष्ट रूप से उन्होंने स्वीकार किया है। इस पर मेरी यह प्रार्थना है और आप से विनम्र निवेदन है कि इस पर पुनः विचार करे।

श्री महात्तम सिंह के विरुद्ध यह सिद्ध नहीं हो सका कि उन्होंने पत्रों के वितरण में कोई भाग लिया। अभियोग लगाने वाले महाशय ने स्वयं उनका नाम नहीं लिया है। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि उनका क्लीयर एक्वीटल किया जाय। इसलिये आप फिर से इसको विशेषाधिकार समिति को भेजिये जिससे इस पर पुनः विचार किया जाय और इन कार्यकर्त्ताओं का फ्री एक्वीटल कर दिया जाय।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्,.....

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का खास मामला है, हमें समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अभी बैठिये।

श्री काशीनाथ मिश्र—

और लोगों को पहले सुन लीजिये, श्रीमन्, तब उनको जवाब देने के लिये बुलाइये। मुझे भी तो जवाब देने का मौका आप देंगे न ?

श्री उपाध्यक्ष—

उन्हें अपनी बात कहने दीजिये आप (श्री नरसिंह नारायण पांडेय से) १० मिनट में समाप्त कीजिये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मैं स्वयं जितना कम से कम समय लेना चाहूंगा। आज बहुत साफ नक्शा इस सदन के सामने आ रहा है। जब किसी भी आदरणीय सदस्य की मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा का या सदन

[श्री नरसिंहनारायण पांडेय]

के नियमों की अवहेलना होती है तो यह आदरणीय सदन उस मामले को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करती है। श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे खिलाफ एक पर्चा बांटा गया। उस पर्चे का मन्तव्य केवल एक था कि मैंने सोशलिस्ट पार्टी छोड़ दी। मैं सोशलिस्ट पार्टी छोड़ने के कारणों पर प्रकाश नहीं डालना चाहता, केवल इतना कहना चाहता हूं कि अगर ऐसी पार्टी हिन्दुस्तान में चलती रही तो हिन्दुस्तान कहां जायगा, इसको कोई भी जनतंत्र प्रेमी आदरणीय सदन का सदस्य अच्छी तरह से समझ सकता है। यह पार्टी, यह गिरोह, मैं समझता हूं कि विशुद्ध प्रतिक्रियावादी, राजनीतिक कुछ ऐसे लोगों का गिरोह है जो कि हमेशा असामाजिक तत्वों को उभाड़ कर जुर्म करवाते हैं और गुटबन्दी करके आदरणीय सदन के किसी भी सदस्य को सदन से बाहर और अन्दर भी बदनाम कर सकते हैं। उसी के तहत यह पर्चा निकाला गया। इसके निकालने वाले कौन हैं ? गोरखपुर सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य हैं। आज हमारे सोशलिस्ट पार्टी के भाई बड़ी हिम्मत के साथ यह फरमा रहे हैं कि वे बड़े बहादुर हैं। इस प्रतिवेदन को पढ़ा जाय जिसके लिये वे बहुत कह रहे थे। इसमें जितने शब्द लिखे हुए हैं और जो वक्तव्य मैंने समिति के समक्ष दिया था, जो पेज ९३ पर छपा है, उनको देख लें। उसमें माननीय श्री श्याम नारायण सिंह, माननीय श्री हुबलाल दुबे और माननीय श्री केशव सिंह आदि के बयान को पढ़ने से पता चलेगा कि ये लोग खुद कहते हैं कि मेरे बारे में उनको कोई ऐसी जानकारी नहीं थी, चाहे वह माननीय श्याम नारायण सिंह का, चाहे माननीय हुबलाल जी दुबे का और चाहे केशव सिंह जी, सभी ने यह मत व्यक्त किया है कि हम बिलकुल नहीं जानते कि नरसिंह नारायण पांडेय इस तरह के व्यक्ति हैं। आज इन सोशलिस्ट पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा जिन लोगों के व्यक्तित्व की बात की जाती है वे विशेषाधिकार समिति के सामने क्या कहते हैं व जरा पढ़ें। केशव सिंह जी ने तो यहां तक कह दिया कि मेरे सामने तो पर्चा लिखा नहीं गया, माननीय हुबलाल जी दुबे ने लिख कर मुझ से दस्तखत करा लिये और मैं जानता भी नहीं था कि उसमें क्या लिखा गया है। जितना लिखा गया वह बेबुनियाद है, गलत है। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, केवल मुझ से दस्तखत करा लिये गये। श्री श्याम नारायण सिंह के जो बयानात हैं उनको पढ़ें लेकिन वे ऐसा नहीं कहते हैं कि नरसिंह नारायण पांडेय सौदेबाजी करते हैं।

आप गौर फरमायें, "लोग ऐसा कहते हैं"। उसके बाद हुबलाल दुबे के बयानों को देखिये .....

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र—

व्यवस्था का प्रश्न है। इस किताब की कोई बात माननीय पांडेय जी कहें तो बजाय इसके कि यह है, वे पढ़ दें, जैसा कि मैंने पढ़ा, वे टुइस्ट करके कहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

जैसा वे कहना चाहें उनको कहने दीजिये, उन्हें डिक्टेट मत कीजिये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

उसके बाद अगर आप हुबलाल दुबे का बयान पढ़ें तो उन्होंने कहा है कि मैं केवल इतना जानता हूं कि चूंकि राइफ़ल क्लब के बारे में मैंने प्रश्न करने के लिये श्री नरसिंह नारायण को दिया और उन्होंने विधान सभा में प्रश्न नहीं किया, जब प्रश्न आया तो प्रश्न के घंटे में सदन से उठकर चले गये, सदन में पूरक प्रश्न तक नहीं किया। श्रीमन्, मैंने अल्पसूचित प्रश्न राइफल क्लब के बारे में किया जो परिशिष्ट १५ पर दिया गया है। ७ फरवरी, १९६२ का मेरा अल्पसूचित तारांकित प्रश्न है, जिसको मैंने और माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने किया था। माननीय कल्पनाथ सिंह जी इत्तफाक से उस दिन सदन में मौजूद नहीं थे। मैं ही मौजूद था जिसने पूरक

प्रश्न किये थे और मैंने इस सदन के अन्दर कहा था कि कारतूस नैपाल को जाते हैं जिसके ऊपर माननीय उप-गृह मंत्री ने जांच करायी। मेरा लेटर भी है और आप कहते हैं कि मैं अधिकारियों से मिल जाता हूं। आप जरा मेरे लेटर पर गौर करें जो मैंने माननीय गुप्ता जी को लिखा था।

श्री कृष्णनन्द राय (जिला गाजीपुर)—

व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय पांडेय जी इसमें खुद वादी रहे हैं और इनको एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट कमेटी के सामने भी देने का अवसर मिला है। तो क्या यह उचित होगा कि वे फिर अपना स्टेटमेंट दोहरायें ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मैंने दो-पत्र माननीय गुप्ता जी को लिखे हैं ....

श्री उपाध्यक्ष—

आप दो मिनट में समाप्त करें, आप स्वयं वादी हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि परिशिष्ट १५ को आप पढ़ें। मैंने जो दूसरा पत्र श्री गुप्ता जी को लिखा है उसमें मैंने कहा कि माननीय श्री गुप्ता जी, मैंने आप से बार-बार कहा कि वहां से कलेक्टर का ट्रांस्फर कीजिये, सिटी मैजिस्ट्रेट का ट्रांस्फर कीजिये, डी० आई० जी० पुलिस का ट्रांस्फर कीजिये, लेकिन आपने नहीं किया। इसका मतलब है कि आप भ्रष्ट अधिकारियों से मिलकर यह व्यापार करा रहे हैं और उनको कोई सजा नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब है कि सरकार भ्रष्टाचार को दूर करना नहीं चाहती।

मैंने पत्र लिखे हैं। सारी बातों को रखने के बाद आप कहते हैं कि मैंने क्वेश्चन नहीं किये ! अल्पसूचित तारांकित प्रश्न और पूरक प्रश्न किये। राइफल क्लब के बारे में सबसे पहले गवर्नमेंट को पत्र लिखा और गवर्नमेंट ने ऐक्शन लिया और जिसके फलस्वरूप सिटी मैंजिस्ट्रेट हटाया गया। क्लब का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। मुकदमा चल रहा है और गवर्नमेंट ने उसको नोटिस दिया है। सोशलिस्ट पार्टी के नेता उग्रसेन जी तथा उनके सदस्यों ने क्या किया ? एक मैं ही १४ विधायकों में इतना लायक हूं। मेरी सारी जिम्मेदारी इसलिये है कि मैं उनके साथ नहीं हूं। आप असामाजिक तत्वों से मिल कर, कम्युनल पार्टियों से मिल कर, देश और प्रदेश को नष्ट कर रहे हैं। आज वह हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। वह हमारे खिलाफ साजिश इस सदन में मंत्रियों से मिल कर कर रहे हैं और इसलिये कर रहे हैं कि उनका अभिप्राय यह है कि नरसिंह नारायण पांडेय को हटाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

इन बातों से क्या ताल्लुक है ?

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

आपने विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द यह मामला किया। उस समय आपको बड़ा जोश था कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को जाय और जब विशेषाधिकार समिति ने प्रतिवेदन दे दिया तो आप कहते हैं कि इसको मंजूर न किया जाय। आप सोचते हैं कि माननीय बनारसीदास तथा बंशीधर पांडेय आपका साथ दे देंगे क्योंकि आपने उनका साथ दिया है। मेरा नम्र निवेदन है कि यह प्रतिवेदन मंजूर किया जाय और ऐसे लोग, जो इस सदन की गरिमा, मर्यादा को नष्ट करना चाहते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। उनको इस सदन में बुलाया जाय और रेप्रिमेंड किया जाय।

श्री राधेश्याम शर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय पांडेय जी ने बड़े गुस्से में अपनी बात कही । माननीय पांडेय जी सोशलिस्ट पार्टी के अनुशासन में और उसी के घोषणा पत्र पर चुन कर यहां आये थे ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

श्री राजनारायण आपके घोषणा-पत्र पर खड़े हुए हैं, आप देखेंगे कि उनकी जमानत जब्त हो जायगी ।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

जब तक मैं सफाई नहीं करूंगा तब तक मामला नहीं सुलझेगा ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

मैं पांडेय जी से निवेदन करूंगा कि जिस तरह हमने संतोष के साथ उनकी बात को सुना, वह भी हमारी बात सुन लें । सोशलिस्ट पार्टी के घोषणा-पत्र में साफ लिखा है, यदि हमारा कोई मेम्बर गलती करेगा और मतदाताओं के खिलाफ बात करेगा .....

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या प्रस्तुत विषय इसलिये रखा गया है कि दो पार्टियां या दो व्यक्ति सदन के बाहर जो काम कर रहे हैं उसकी यहां सफाई हो और गोरखपुर में जो वोटिंग होने जा रही है उस पर प्रभाव पड़े ? यह सदन का अपमान है और इससे इस सदन की गरिमा और मर्यादा नष्ट होती है । आपको इसे रोकना चाहिये वरना इस तरह से प्रजातंत्र का गला घुटेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कह चुके । अब आप बैठें ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

मान्यवर, सोशलिस्ट पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र में साफ लिखा है कि जब मतदाता ५१ परसेंट से ज्यादा विधान सभा के हमारी पार्टी के सदस्य नाराज हो जायेंगे तो उसको इस्तीफा देकर वापस आना पड़ेगा । यह सोशलिस्ट पार्टी एक ही पार्टी है जिसने ऐसी बात कही है । जब हमारे कार्यकर्ताओं को यह पता लगा तो १६ जुलाई को फाइल तैयार करके पांडेय जी को दी गई ।

(व्यवधान)

श्री दीपनारायणसिंह—

मान्यवर, यह विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं है ....

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय दीपनारायण सिंह जी, आप कृपया बैठ जायं ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

मान्यवर, अगर इस तरह से हुल्लड़बाजी की जायगी तो सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य किसी को नहीं बोलने देंगे । १६ जुलाई को बड़ी मेहनत के बाद फाइल तैयार करके माननीय पांडेय जी को दी गयी । सब्र की भी हद होती है, जुलाई से लेकर जनवरी आ गई और उन्होंने प्रश्न नहीं उठाया और सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया । इससे क्या मालूम होता है ? इसके बाद माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने प्रश्न उठाया । मैं आप से कहता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सही बात कही । अगर गलत बात कहते

तो मुकर जाते क्योंकि कोई डाकूमेंटरी प्रूफ नहीं था। लेकिन वे नहीं मुकरे। इसलिये स्पष्ट है कि उन्होंने सही बात कही।

श्रीमन्, मैं एक बार नहीं, बल्कि अनेक बार कहता हूं कि माननीय शिब्बनलाल जी और नरसिंह नारायण जी ऐसे व्यक्ति हैं जो वहां पर रोज-रोज इस तरह की चीजें करते रहते हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये, इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिये।

श्री राधेश्याम शर्मा—

श्रीमन्, जैसा कि नरसिंह नारायण पांडेय जी ने कहा है, हमारी बात भी सुन लें। यहां की बात छोड़ दीजिये। इन्होंने जैपुरिया.....

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

इन्होंने, श्रीमन्, शान्ति प्रसाद जैन से.....

श्री उपाध्यक्ष—

इस तरह से लांछन लगाये जायेंगे तो ठीक नहीं होगा।

श्री राधेश्याम शर्मा—

श्रीमन्, मैं कह रहा था कि ....

(व्यवधान)

श्री दीपनारायणसिंह—

श्रीमन्, सदन को कंट्रोल कीजिये, नहीं तो यहां की कार्यवाही सदन के लिये अपमानजनक होगी।

श्री उपाध्यक्ष

कोई इधर-उधर की बात नहीं होनी चाहिये।

श्री राधेश्याम शर्मा—

श्रीमन्, जितना यह तंग करेंगे उतनी ही बात बढ़ेगी। जब जनता ने सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लांछन लगाया, उलहना दिया और यह कहा कि हमारा प्रतिनिधि सही काम नहीं करता है। (व्यवधान)। अगर मैं कोई गलत बयानी करूं तो मेरे खिलाफ भी पर्चा छाप सकते हैं। जिस समय माननीय पांडेय जी के खिलाफ यह पर्चा बांटा गया उस समय मैं भी उनके पास यहां बैठा हुआ था। मुझे भी उस समय बड़ा खेद हुआ था और मैंने कहा था पांडेय जी से कि इसको सदन में न दें और पार्टी में दें। जब तक पार्टी कोई कार्यवाही न करे तब तक आप कोई कार्यवाही न करें।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें।

श्री राधेश्याम शर्मा—

लेकिन माननीय पांडेय जी ने पार्टी के अनुशासन को तोड़ कर जो बात सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सही कही थी, विश्वासघात किया।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठ जाइये ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

उन्होंने सही बात कही थी ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठ जाइये ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

जो सही चीज है उसे मैं आपके सामने रख रहा हूं ...

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त कीजिये ।

प्रश्न यह है कि तृतीय विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ) ।

*श्री कृष्णानन्द राय—

उपाध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन सर्वश्री श्यामनारायण सिंह, केशवसिंह, हुललालदुबे तथा महात्तमसिंह के विरुद्ध श्री नरसिंहनारायण पांडेय, सदस्य विधान सभा तथा कुछ अन्य माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के सम्बन्ध में तृतीय विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन को स्वीकार करता है और यह निर्णय करता है कि सर्वश्री श्यामनारायण सिंह, केशव सिंह, तथा हुबलाल दुबे ने श्री नरसिंह नारायण पांडेय के खिलाफ पर्चा छपवा कर व वितरित करके श्री नरसिंह नारायण पांडेय के विशेषाधिकार की अवहेलना की है तथा सदन का अवमान किया है । अतः सर्वश्री श्याम नारायण सिंह, केशव सिंह तथा हुबलाल दुबे की शास्ति की जाय ।

*श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विशेषाधिकार समिति की जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, समिति ने इस गम्भीर प्रश्न के ऊपर विचार किया कि कोई माननीय सदस्य जो इस सदन में कार्य करता है, यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिससे उसके यहां स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने में बाधा पहुंचती है, उसको अपमानित करता है या इस प्रकार का आरोप लगाता है, जिसका कोई आधार न हो, तो वह विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है या नहीं । जिस समय इस प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति विचार कर रही थी उस वक्त हमने इस बात को ध्यान में नहीं रखा है कि किस पार्टी का प्रश्न है, किस पार्टी का सदस्य है । हमने केवल इस बात का ध्यान रखा है कि किसी पार्टी का सदस्य हो अगर उसके कार्यों के निर्वहन में बाधा पड़ती है तो यह सदन का काम है कि ऐसी प्रवृत्ति को रोके । विशेषाधिकार समिति में लगभग सभी पार्टियों का प्रतिनिधित्व था । सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य डाक्टर रघुनाथ सिंह भी उस विशेषाधिकार समिति के सदस्य थे । उस समिति ने एक राय से इस बात की सिफारिश की है कि इन तीन व्यक्तियों को, श्यामनारायण सिंह, केशवसिंह और हुबलालदुबे ने जो पर्चा बंटवाया, जिस प्रकार के निराधार आरोप लगाये उनसे यह बात निश्चित है कि एक सदस्य के रूप

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में स्वतंत्रतापूर्वक कोई सदस्य कार्य नहीं कर सकता। माननीय नरसिंह नारायण के विरुद्ध जो आरोप थे वह गम्भीर थे। माननीय नरसिंह नारायण ने कुछ प्रश्न किये थे, वह अधिकारियों के खिलाफ पड़ते थे। उसके बाद वह अधिकारियों से मिल कर सौदा पटा लिया और प्रश्नों को वापस ले लिया। यह एक गम्भीर आरोप लगाया उनके काम करने की विधि के ऊपर।

दूसरा विधान सभा सचिवालय के ऊपर भी आरोप था। माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने कुछ प्रश्न दिये थे। माननीय नरसिंह नारायण ने प्रश्नों को वापस ले लिया था लेकिन जब यह बात मालूम हो गयी तो विधान सभा सचिवालय से मिल कर अपना नाम बाद में उन प्रश्नों में जुड़वा दिया। यह बिलकुल निराधार आरोप था। नियम के अन्दर यदि कोई माननीय सदस्य प्रश्न देता है और बाद में उसी तरह का कोई दूसरा माननीय सदस्य प्रश्न देता है तो उसका नाम उसमें जोड़ दिया जाता है। वह नियम के अनुसार कार्य हुआ। यह आरोप काफी गम्भीर था। समिति इसमें जेल की भी सजा दे सकती थी लेकिन यह सोच कर कि वह राजनैतिक कार्यकर्त्ता हैं, बहुत से नियमों की जानकारी उनको नहीं है, लीनिएंट व्यु लिया। उन्होंने जो अपराध किया था उसको स्वीकार किया। हमने इस बात की प्रशंसा की। आज हर माननीय सदस्य इस बात की कोशिश करता है कि सदन की गरिमा और मर्यादा का निर्वहन करे। हम यह भी कोशिश करते हैं कि सदस्य के नाते कार्य के निर्वहन में बाधा नहीं होनी चाहिए। और हम खासतौर से विरोधी दल के सदस्यों की तरफ से ज्यादा सावधानी इस बात में बरतनी है और बरतनी चाहिए भी। मैं यह आशा करता हूं कि यह जो सिफारिश विशेषाधिकार समिति ने की है, उन सारी परिस्थितियों के ऊपर गौर करते हुए जो कम से कम उन्हें सजा दी जा सकती थी, उसकी सिफारिश की है। इसलिए मेरा यह अनुरोध है सदन से कि इस सिफारिश को एक मत से हम सदन में भी स्वीकार करें, क्योंकि किसी भी ऐसे आदमी को जो इस बात का प्रयास करता है कि वह इस सदन की प्रतिष्ठा को गिराये, किसी सदस्य को अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन ठीक प्रकार से न करने दे, उसको प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो प्रजातंत्र सफल नहीं हो सकता। इसलिए हमें पार्टी स्तर से ऊपर उठ कर इस सिफारिश को मानना चाहिए और यही मेरा निवेदन है।

(अनेक सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं पन्द्रह मिनट सदन का समय बढ़ाता हूं इस शर्त के साथ कि इसे आज ही समाप्त कर दिया जाय और दो-दो मिनट तीन, चार सदस्य बोल लें।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

मुझे एक स्पष्टीकरण देना है क्योंकि मेरा नाम लिया गया है। (व्यवधान) मान्यवर, माननीय चन्द्र जीत यादव जी ने अपने बयान में यह कहा कि सोशलिस्ट पार्टी के एक सदस्य, डाक्टर रघुनाथ सिंह जी, उस समिति में थे और उनकी सहमति से यह फैसला हुआ। श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि अन्तिम दिन की बैठक में जब आप लोग उन लोगों से माफी मंगवाने की बात कर रहे थे, सम्मानित सदस्य प्रतिवेदन पुस्तिका देख लें, तो मैंने कहा था कि मुझे इस पर एतराज है। जब कमेटी किसी निश्चय पर नहीं पहुंची, माफी मांगने का प्रश्न कहां उठता है? तो सभापति की हैसियत से और आप इस सदन के उपाध्यक्ष भी हैं, आपकी रूलिंग हुई, उस रूलिंग के बाद अगर मैं उसका पालन न करता, एतराज करता जाता, तो यह आपका अपमान होता.....

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने कोई रूलिंग नहीं दी। (शोर)

श्री रघुनाथसिंह—

आपकी रूलिंग हमारी जबान को बन्द कर दे तो इसके माने यह नहीं कि वह हमारी राय मान ली जायगी। मेरी कतई राय नहीं थी। (शोर)

श्री कमला सिंह यादव—

प्वाइंट आफ आर्डर है, श्रीमन्। विशेषाधिकार समिति के जो लोग सदस्य हैं वह तो बहुत ही पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं और एक तरीके पर जज के रूप में वह वहां थे और जजमेंट उन्होंने यहां प्रतिवेदन के रूप में उपस्थित किया है, उसके साथ कोई विमति की टिप्पणी नहीं है। और जब कोई विमति की टिप्पणी नहीं है तो क्या कोई सदस्य ऐसा कह सकता है कि हम उससे सहमत नहीं हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

बाद में वह अपनी राय बदल सकते हैं।

श्री दीपनारायणसिंह—

प्वाइंट आफ आर्डर है। यह बहुत ही गम्भीर आरोप है। विशेषाधिकार समिति के एक सदस्य का चार्ज है विशेषाधिकार समिति और आपके ऊपर कि आपने उनके व्यू को नहीं इनकारपोरेट किया रिपोर्ट में। तो या तो यह गलत चार्ज लगा है आपके ऊपर या सही है, दो में से एक बात जरूर सही है। (व्यवधान) आप सभापति हैं उस समिति के। अगर यह चार्ज सही है तो आपने विशेषाधिकार की अवहेलना की है और आप सदन के अवमान के दोषी हैं।

श्री जे० पी० मिश्र—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार समिति की जो सिफारिश है मैं उसका समर्थन करने के लिये आपके सन्मुख उपस्थित हुआ हूं। प्रश्न यह है कि नोटिसबाजी की जो आदत है, हर रोज गेट से लेकर इस सदन के अन्दर तक, जिस तरह की नोटिसबाजी सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य करते हैं, सदस्यों के विरोध में, और सरकार के विरोध में, यह उसके लिये जो सजा है, वह, श्रीमन्, बहुत कम है। मेरी राय यह है कि विशेषाधिकार समिति में अगर इसको भेज दें और सजा बढ़ाने के लिये भेज दें, तो जो यह इनकी आदत पड़ गई है नोटिसबाजी की, वह खत्म हो।

दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का बड़ा सौभाग्य है और कांग्रेस सरकार का सौभाग्य है कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी आपस में अपने मतभेदों का भंडाफोड़ करने लगी। यह प्रजातंत्र की जीत है और प्रजातंत्र प्रणाली के सिद्धान्त की विजय है। इस किस्म के चार्ज और काउन्टर चार्ज से बिलकुल स्पष्ट हो गया है और उत्तर प्रदेश की और देश की जनता जान गई है कि सोशलिस्ट पार्टी क्या चाहती है। सोशलिस्ट पार्टी का केवल एक लक्ष्य है।...

श्री राधेश्याम शर्मा—

सोशलिस्ट पार्टी का यहां पर कोई...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट तक ही सीमित रहें।

श्री जे० पी० मिश्र—

मैं आपके सामने यह राय प्रस्तुत करना चाहता हूं कि विशेषाधिकार समिति ने बहुत कम सजा दी है। यह फैसिस्ट मनोवृत्ति लेकर जिस तरह से इंडीवीजुअल पर और पार्टीज पर चोट करते हैं नोटिस से, पैम्फलेट से, इस सदन में और बाहर, यह विशेषाधिकार समिति के दायरे से

बहुत ज्यादा गुजर जाना है। रिप्रिमांड की सजा कोई सजा नहीं है। सजा के लिये काफी मजबूत कदम उठाने चाहिये। मैं फिर दोहराता हूं शिष्टाचार की हत्या करने का प्रयत्न पहले से ही सोशलिस्ट पार्टी का है। श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं पूरे सदन से निवेदन करूंगा कि यह तभी रुक पायेगा। विशेषाधिकार समिति ने सिफारिश की है यह बहुत कम है और इनको ज्यादा सजा मिलनी चाहिये। मेरा निवेदन आपकी सेवा में है।

श्री दीपनारायणसिंह—

एक पार्टी का यदि एक आदमी खराब हो गया तो उससे सारी पार्टी खराब नहीं हो जायगी।

श्री वीरसेन (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक वरबल अमेंडमेंट करना चाहता हूं। इस प्रस्ताव में, "शास्ति" शब्द का प्रयोग किया है। मैं चाहता हूं उसके स्थान पर भर्त्सना रख दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो रिपोर्ट है उसमें शास्ति शब्द "रिप्रिमांड" के लिये प्रयोग किया गया है। तो जो परपज रिपोर्ट का है वह रिप्रिमांड का है। इसका सही तर्जुमा भर्त्सना है। इसमें जो शास्ति शब्द दिया गया है उसका मतलब शासन करने से होता है। शास्ति शब्द शासन करने के मतलब में आता है। शासन करने से मतलब रूलिंग है। मैं समझता हूं कि शास्ति के स्थान पर भर्त्सना कर दिया जाय तो उचित होगा।

श्री काशीनाथ मिश्र—

उपाध्यक्ष महोदय, इस पर माननीय चन्द्रजीत यादव ने वकालत की है कि इस प्रकार का नोटिस बांटने से माननीय सदस्यों के सदन में कार्य करने में बाधा पड़ती है और उनके आचरण पर प्रहार होता है। इस तरह की नोटिसबाजी न होनी चाहिये। इसलिये प्रतिवेदन को स्वीकार करके उनको दंड दिया जाय। इसी सिलसिले में मिश्र जी ने कहा कि यह शिष्टाचार की शोभा के परे है। मैं, निहायत अदब से माननीय सदस्यों से, जानना चाहूंगा कि क्या जोर जुल्म के विरुद्ध किसी तरह की आवाज उठाना मानव सभ्यता के परे है। अगर सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ताओं की राय में नरसिंह नारायण जी का आचरण गलत हो और वे पैसा लेकर विधान सभा में नहीं आते तो (व्यवधान).....

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करिये।

श्री काशीनाथ मिश्र—

तो मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि संविधान के अन्दर जो भाषण की स्वतंत्रता है उसका आप हनन् न करें। जनजीवन के कार्यकर्त्ता जो जोर जुल्म के विरुद्ध आवाज उठाते हैं, उनको दंडित करने की यह प्रथा इस आदरणीय सदन से उठनी चाहिये। यह मेरी प्रार्थना है और मैं चन्द्रजीत जी तथा मिश्र जी जैसे सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आखिर वह क्या चाहते हैं। अगर ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध भी नोटिस न बांटा जाय तो क्या समाज में कोई आदर्श कायम हो सकता है? कोई व्यवस्था बन सकती है? इसलिये मेरा सुझाव है कि इस शास्ति के प्रस्ताव को वापस लिया जाय।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय वीरसेन जी का एक संशोधन है। पहले मैं उसी को लेता हूं। प्रश्न यह है कि 'शास्ति' के स्थान पर 'भर्त्सना' कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन सर्वश्री श्याम नारायण सिंह, केशवसिंह, हुबलाल दुबे तथा महात्तम सिंह के विरुद्ध श्री नरसिंह नारायण पांडेय, सदस्य विधान सभा, तथा कुछ अन्य माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के संबंध में तृतीय विधान सभा की विशेषाधिकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन को स्वीकार करता है और यह निर्णय करता है कि सर्व श्री श्यामनारायण सिंह, केशव सिंह तथा हुबलाल दुबे ने श्री नरसिंह नारायण पांडेय के खिलाफ पर्चा छपवा कर व वितरित करा के श्री नरसिंह नारायण पांडेय के विशेषाधिकार की अहेवलना की है तथा सदन का अवमान किया है। अतः सर्वश्री श्याम नारायण सिंह, केशव सिंह तथा हुबलाल दुबे की शास्ति की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं, सदस्य प्रवर समिति, जो प्रतिवेदन को सदन में प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत किया गया हूं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर नियुक्त प्रवर समिति के प्रतिवेदन की पांडुलिपि प्रस्तुत करता हूं। उसकी प्रतियां मुद्रणोपरान्त सदस्यों को वितरित की जायंगी।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १३२–१४६ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, श्री बंशीधर पांडेय जी ने जो रिपोर्ट आपके सामने रखी है, वह हम लोगों की टेबिल पर नहीं है। इस प्रकार से पहले उसके हाउस में रखने का क्या कारण है? २४ घंटे पहले रखने के नियम को वह इसके द्वारा पूरा करना चाहते हैं और वह हमारी टेबिल पर आयी नहीं है। इसे आपको सदन में रखने की इजाजत नहीं देनी चाहिये। यह नियम के विरुद्ध है।

श्री उपाध्यक्ष—

उसकी आज आखिर तारीख थी इसलिये उसको रखा गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

अगर आज रिपोर्ट तैयार नहीं थी तो १–२ या ५–१० दिन का समय ले लेना चाहिये था।

श्री बंशीधर पांडेय—

मैंने पहले ही निवेदन कर दिया था कि आज लास्ट डे था। प्रतिवेदन छपवा कर बंटवा दिया जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

अच्छा है कि ५ दिन का समय मांग लिया जाय।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

मैं आपका ध्यान धारा १७७ की ओर दिलाना चाहता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप दूसरे दिन जब यह आये तब कहियेगा। अब हम उठते हैं और कल साढ़े दस बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बज कर ४४ मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
१८ दिसम्बर, १९६३।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६ पर)

प्रतिलिपि क्षेत्रीय समिति प्रस्ताव संख्या ८, दिनांक ६–२–६३ ।

प्रस्ताव—१—

लखनी मुबारकपुर के काश्तकारों को हल न प्राप्त करने के लिये संबंधित कर्मचारी की असावधानी के कारण उन्हें दण्डित करने पर विचार ।

पंचायत मंत्री श्री झारखंडे राय परमिट काश्तकारों को देकर चुप बैठे रहे। इस पर समिति ने विचार विमर्श के बाद उनकी असावधानियों को ध्यान में रखते हुये कड़ी चेतावनी का दण्ड दिया और भविष्य में इस प्रकार की असावधानी की पुनरावृत्ति न करने का निर्देश दिया गया ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५ पर)

हस्तांतरण किये जाने के बाद हाई स्कूल व इंटर कालिजों को भवन, फर्नीचर तथा अन्य प्रकार से जिला परिषद् द्वारा दी गई सहायता

क्रमांक	जिला परिषद् के जूनियर हाई स्कूलों के नाम जिनको इमारतें हस्तांतरित की गईं	कितना व्यय और किया गया	अब तक कुल कितना किराया वसूल किया जाने को था	कितना किराया वसूल हुआ
		भवन पर	सज्जा के लिये	
१	२	३	४	५	६
		रु०	रु०	रु०	रु०
१—	जूनियर हाई स्कूल, बरेली	२७,५३६	५००	३,२५०	२,०००
२—	जूनियर हाई स्कूल, शाही	..	५००	८००	६००
३—	जूनियर हाई स्कूल, मीरगंज	..	५००	१,६००	४००
४—	जूनियर हाई स्कूल, गैनी	१०,९५५	३,०००	६००	६००
५—	जूनियर हाई स्कूल, राजपुर नवादा	२७,३१८	३,०००	८७५	३७५
६—	जूनियर हाई स्कूल, सिरौली	१३,७०८	२,०००	७००	३००
७—	जूनियर हाई स्कूल, बलिया	१२,६९०	५००	८००	१००
८—	जूनियर हाई स्कूल, फतेह-गढ़ पच्छिमी	..	२,०००	१००	७५
९—	जूनियर हाई स्कूल, राजपुर	१३,९१६	२५०	१००	७५
१०—	जूनियर हाई स्कूल, रिठौरा	..	२,०००	१००	७५

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४७ पर)

विवाद संख्या	वर्ष		श्रमिक का नाम	प्रार्थी यूनियन का नाम
१	२		३	४
१२३(बी)	१९६०	..	१९६० श्री महेन्द्र प्रताप शर्मा	चीनी मिल कर्मचारी यूनि. यन, बाजपुर (नैनी-ताल ।)
९३(बी)	१९६३	..	१९६३ श्री उमा शंकर गुप्ता	तराई चीनी मिल मजदूर यूनियन, बाजपुर ।
१००(बी)	१९६३		१९६३ समस्त श्रमिक ..	तराई चीनी मिल मजदूर यूनियन, बाजपुर ।
१११(बी)	१९६३	..	१९६३ श्री शांती स्वरूप मेह-रोत्रा ।	तराई चीनी मिल मजदूर यूनियन, बाजपुर ।

मत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४० का उत्तर पीछे पृष्ठ ४८ पर)

जिला बलिया

क्रमांक	ब्लाक का नाम	जन-मार्ग का नाम	अन्य विवरण
१	२	३	४
१	बेलहारी ..	सहतवार हल्दी रोड (४–४मील)	द्वितीय चरण
२	नगरा ..	नगरा सिकन्दरपुर रोड (५ मील)	द्वितीय चरण
३	पन्डा ..	नगरा सिकन्दरपुर रोड (३ मील)	तृतीय चरण
४	नवा नगर ..	नगरा सिकन्दरपुर रोड (५ मील)	तृतीय चरण
५	रेवती ..	सहतवार हल्दी रोड (३–४ मील)	तृतीय चरण

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४९ पर)

List of Departmental Economics

	Department	*Economy* Rs.
1.	Education	5,39,823
2.	Agriculture	12,07,009
3.	Animal Husbandry	10,72,700
4.	Revenue	13,17,037
5.	Police	4,01,800
6.	Jails	2,46,800
7.	Housing	5,046
8.	Local Self-Government	19,300
9.	Medical and Public Health	2,44,950
10.	Information	4,12,800
11.	Legislative	2,70,000
12.	Transport	19,73,578
13.	Co-operative	6,85,993
16.	Food and Civil Supplies	7,60,000
15.	Industries	3,95,734
16.	Labour	4,08,200
17.	Judicial	3,23,400
18.	Irrigation	8,90,000
19.	Public Works	70,000
20.	Panchayati Raj	2,57,900
21.	Planning	6,08,980
22.	Excise	13,500
23.	Commissioner and District Administration	2,63,000
24.	Stationery and Printing	10,89,400
25.	Election	16,55,000
25.	Power	1,24,000
27.	Harijan Sahayak and Social Welfare	26,69,900
28.	General Administration Department (Reorg).	37,000
29.	General	2,90,760
30.	Repairs of Government Buildings to be carried out every alternate years instead of annually	33,04,000
	Total ..	2,15,57,610
31.	Suspension of Building works of various departments ..	7,09,30,000

जो विभाग कम किये हैं या विभाग एक दूसरे में मिला दिये गये हैं ।

(i) Office of Animal Husbandry Commissioner merged in the office of the Directorate, Animal Husbandry.

(ii) Animal Husbandry circles, Varanasi and Naini Tal merged in Animal Husbandry Circles, Gorakhpur and Bareilly.

(iii) Law Commission suspended.

(iv) Merger of Tourist scheme in the Transport Department.

(v) Combination of three separate offices of Parliamentary, Local Bodies and Panchayat Elections into one.

(vi) Merger of Harijan and Social Welfare Directorate.

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ ५८ पर)

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) विधेयक, १९६३

(जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २४, १९५३ ई०

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ को संशोधित करने के लिये

विधेयक

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, १९६३ कहलायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २४, १९५३ ई० की धारा २ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा २ में—

(१) खंड (ग) में शब्द "फैक्ट्री" और शब्द "में प्रयोग के लिये" के बीच में शब्द "अथवा गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई" बढ़ा दिये जायं ;

(२) खंड (ञ-१) में शब्द "सुरक्षित" और शब्द "क्षेत्र" के बीच में शब्द "अथवा अभ्यर्पित" बढ़ा दिये जायं ;

(३) खंड (ढ) १७ अक्तूबर, १९६३ से निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायगा और प्रतिस्थापित किया गया समझा जायगा ;

"(ढ) 'सुरक्षित क्षेत्र' का तात्पर्य डिफेंस आफ इंडिया रूल्स, १९६२ के नियम १२५-बी के अधीन गन्ना क्षेत्रों के सुरक्षण के लिये दी गई आज्ञा के अधीन किसी फैक्ट्री के लिये सुरक्षित क्षेत्र से है और जब ऐसी कोई आज्ञा प्रचलित न हो तो, धारा १५ के अधीन दी गई आज्ञा में निर्दिष्ट क्षेत्र से है ।"

(४) खंड (थ) में शब्द "नियुक्त हो" और तत्पश्चात् आये हुये पूर्ण विराम के बीच में शब्द "और इसमें धारा १० के अधीन नियुक्त अतिरिक्त चीनी कमिश्नर भी सम्मिलित हैं" बढ़ा दिये जायं ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २४, १९५३ ई० की धारा ३ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ३ में—

(१) उपधारा (२) में खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(क) उद्योग के प्रभारी मंत्री;

(कक) गन्ना विकास के प्रभारी मंत्री,"

(२) उपधारा (३) में शब्द "कृषि मंत्री" के स्थान पर शब्द "गन्ना विकास के प्रभारी मंत्री" रख दिये जायं ।

४—मूल अधिनियम की धारा १० के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:— उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २४, १९५३ ई० की धारा १० का संशोधन

१०—राज्य सरकार किसी व्यक्ति या किसी सरकारी अधिकारी को अतिरिक्त, उप अथवा सहायक गन्ना कमिश्नर या अतिरिक्त, उप अथवा सहायक चीनी कमिश्नर नियुक्त या नामोद्दिष्ट कर सकती है ।"

५—मूल अधिनियम की धारा १६ की उपधारा (२) के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :— उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २४, १९५३ ई० की धारा १६ का संशोधन

"(घ) परिस्थितियां जिनमें निम्नलिखित के लिये अनुज्ञा दी जा सकती है :—

(१) उस फैक्ट्री से जिसके लिये क्षेत्र सुरक्षित या अभ्यर्पित किया गया हो, भिन्न किसी अन्य फैक्ट्री, गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई अथवा किसी व्यक्ति द्वारा किसी सुरक्षित या अभ्यर्पित क्षेत्र में उत्पन्न गन्ने की खरीद,

(२) उस फैक्ट्री से जिसके लिये क्षेत्र सुरक्षित या अभ्यर्पित किया गया हो, भिन्न किसी अन्य फैक्ट्री, गुड़, राब या खंडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई अथवा किसी व्यक्ति के हाथ किसी सुरक्षित या अभ्यर्पित क्षेत्र में उत्पन्न गन्ने की बिक्री"

६—मूल अधिनियम की धारा १७ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :— उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २४, १९५३ ई० की धारा १७ का संशोधन

"(१) फैक्ट्री का अध्यासी अपने द्वारा खरीदे गये गन्ने के मूल्य का शीघ्र भुगतान करने की ऐसी व्यवस्था करेगा जो नियत की जाय ।"

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ में 'गन्ना' की परिभाषा 'फैक्ट्री' में प्रयोग के लिये उद्दिष्ट गन्ना दी गयी है। चूंकि इकाइयों में प्रयोग के लिये अपेक्षित गन्ने की पूर्ति को भी विनियमित करना अभिप्रेत है और इस कारण भी कि गुड़ तथा खंडसारी इकाइयों द्वारा उपयुक्त गन्ने पर क्रय कर लगाया जाता है, यह इष्टकर तथा आवश्यक समझा गया है कि उत्तर प्रदेश मन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ का प्रसार फैक्ट्री में या अन्य प्रकार से प्रयोग किये जाने वाले सभी गन्ने पर कर दिया जाय। इसके लिये विधि में संशोधन करना आवश्यक है।

२—यह सुनिश्चित करने के लिये कि सुरक्षित क्षेत्रों में फैक्टरियों को गन्ने की पूर्ति विनियमित करने के लिये बनाई गयी विधियां अभ्यर्पित क्षेत्रों में भी उसी प्रकार लागू हों, अभ्यर्पित क्षेत्रों में स्थापित किसी इकाई को सम्मिलित करने के लिये "इकाई" की परिभाषा में परिष्कार किया जा रहा है। इसके लिये मूल अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक है।

३—उक्त अधिनियम में उत्तर प्रदेश गन्ना बोर्ड स्थापित करने की व्यवस्था है। पहले, सहकारिता तथा गन्ना या कृषि तथा गन्ना विभाग एक मंत्री के अधीन था किन्तु वर्तमान व्यवस्था में गन्ना विभाग स्वतंत्र रूप से एक मंत्री के अधीन है। अतएव, विधि में संशोधन करना आवश्यक है जिससे कि कृषि तथा सहकारिता मंत्री के स्थान पर गन्ना विकास मंत्री बोर्ड के सदस्य हो सकें। इसके अतिरिक्त कतिपय आनुषंगिक संशोधन करने का भी प्रस्ताव है, जैसा कि विधेयक के प्रारूप में समविष्ट है।

४—हाई पावर शुगर इंडस्ट्री ऐडवाइडरी कमेटी ने विधि में अधिक कठोर उपबन्धों की व्यवस्था करने की सिफारिश की है जिससे कि फैक्टरियों द्वारा खरीदे गये गन्ने के मूल्य का शीघ्र भुगतान हो सके। इसके लिये अधिनियम की धारा १६ तथा १७ में आवश्यक संशोधन करके विधि में संशोधन करना आवश्यक है।

उपर्युक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ में संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है।

सुचेता कृपालानी,
मुख्य मंत्री।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६३ के संबंध में वित्तीय विवरण-पत्र का ज्ञापन-पत्र

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह गन्ना कमिश्नर को उसके कार्य-सम्पादन में सहायता देने के लिये सरकारी अधिकारियों को अतिरिक्त, उप अथवा सहायक गन्ना कमिश्नर नियुक्त या नामोद्दिष्ट करे। गन्ना कमिश्नर, चीनी कमिश्नर भी होता है और चीनी कमिश्नर की हैसियत से उसका कार्य-भार बहुत बढ़ गया है। उसे अपने अत्यधिक कार्य-भार से अवमुक्त करने के लिये राज्य सरकार का विचार है कि चीनी कमिश्नर की सहायता के लिये किसी व्यक्ति को या ज्येष्ठ सरकारी अधिकारियों को अतिरिक्त, उप अथवा सहायक चीनी कमिश्नर नियुक्त या नामोद्दिष्ट किया जाय। अतएव, संशोधन विधेयक में सरकार के ऐसे अधिकारियों को, जिन्हें वह उचित समझे, अतिरिक्त, उप अथवा सहायक चीनी कमिश्नर नियुक्त या नामोद्दिष्ट करने की व्यवस्था की गयी है। इस संबंध में वर्तमान अधिकारियों, अर्थात् उप गन्ना कमिश्नरों तथा सहायक गन्ना कमिश्नरों को उप चीनी कमिश्नर तथा सहायक चीनी कमिश्नर भी नामोद्दिष्ट किया जायगा और इस समय कोई नयी नियुक्तियां नहीं की जायेंगी। इस समय कोई अतिरिक्त चीनी कमिश्नर नियुक्त करने का भी प्रस्ताव नहीं है। इस प्रकार इसमें कोई तात्कालिक वित्तीय उपाशय (financial implications) अन्तर्ग्रस्त नहीं हैं।

सुचेता कृपालानी,
मुख्य मंत्री।

ज्ञापन-पत्र

जिसमें उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, १९६३ में अन्तर्ग्रस्त विधायी अधिकारों के प्रतिनिधान संबंधी प्रस्ताव को स्पष्ट किया गया है।

खंड ६

खंड ६ द्वारा राज्य सरकार को नियमों में ऐसे उपबन्ध नियत करने का अधिकार दिया गया है जिससे कि फैक्टरी का अध्यासी अपने द्वारा खरीदे गये गन्ने के मूल्य का शीघ्र भुगतान करेगा।

विधायन प्रतिनिधान का यह प्रस्ताव सामान्य प्रकार का है।

सुचेता कृपालानी,
मुख्य मंत्री।

परिशिष्ट 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ १२० पर)

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर नियुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन

मैं, उस प्रवर समिति की सभापति, जिसे उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६३ निर्दिष्ट किया गया था, समिति की ओर से उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को प्राधिकृत की गयी हूं। अतः मैं समिति का प्रतिवेदन उसके द्वारा संशोधित विधेयक सहित प्रस्तुत करती हूं।

२—यह विधेयक विधान सभा में २३ सितम्बर, १९६३ को पुरःस्थापित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १२७ के अनुसार २३ सितम्बर, १९६३ के असाधारण गजट, उत्तर प्रदेश में प्रकाशित किया गया। ११ दिसम्बर, १९६३ को माननीया मुख्य मंत्री के सभा सचिव का निम्नलिखित प्रस्ताव इस विधेयक के संबंध में स्वीकृत हुआ :—

"उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६३ को सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो अपनी रिपोर्ट १८ दिसम्बर, १९६३ तक प्रस्तुत करे।"

उसी दिनांक को उक्त समिति में कार्य करने के लिये परिशिष्ट १ में उल्लिखित १८ सदस्य निर्वाचित हुये। उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २५२ (२) के अन्तर्गत मैं इस समिति की पदेन सदस्या हूं।

३—समिति की कुल ४ बैठकें हुईं। समिति की बैठकों का संक्षिप्त कार्य विवरण परिशिष्ट २ में दिया गया है।

४—समिति ने १६ तथा १७ दिसम्बर, १९६३ की बैठकों में विधेयक पर खंडशः विचार किया।

५—समिति ने प्रतिवेदन पर विचार करके उसे १८ दिसम्बर, १९६३ को स्वीकार किया।

६—विधेयक में प्रस्तावित मुख्य-मुख्य परिवर्तनों के संबंध में समिति की अभ्युक्तियों का विवरण नीचे दिया गया है :—

(१) समिति ने यह सिफारिश की है कि इकाई की परिभाषा में अभ्यर्पित क्षेत्र सम्मिलित न किया जाये। तदनुसार खंड २ के उपखंड (क) में प्रस्तावित खंड (ग) को संशोधित रूप में प्रतिस्थापित करने का सुझाव दिया गया है।

(२) इकाई के स्वामी द्वारा गन्ने के खरीद पर ३२ नये पैसे प्रति क्विंटल के क्रय-कर को घटा कर २५ नये पैसे प्रति क्विंटल कर दिया जाये।

(३) कर निर्धारण, ब्याज की मांग या दंड के आरोपण से क्षुब्ध व्यक्ति को अपील करने के लिये केवल उतनी ही धनराशि का भुगतान करना अनिवार्य रखा जाय जो उसके द्वारा देय धनराशि के रूप में स्वीकार की गयी हो और निर्धारित कर, अभियाचित ब्याज या आरोपित दण्ड की धनराशि के कम से कम आधे के बराबर की धनराशि को जमा करना आवश्यक न रखा जाये।

(४) विधेयक के खंड ५ में नये लाइसेन्स देने तथा पुराने लाइसेन्सों के नवीकरण की शर्तें समान थीं। समिति की यह राय है कि पुराने लाइसेन्सों के नवीकरण के लिये ये शर्तें रखना आवश्यक नहीं है कि उससे इकाइयां अलाभकर रूप में एकत्र न हो जायें तथा रक्षित क्षेत्र में किसी फैक्ट्री को गन्ने के पर्याप्त सम्भरण करने के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर नहीं है। इस उप-खंड में यह भी उपबन्ध था कि जब लाइसेन्स दिये जाने या उसके नवीकरण करने का प्रार्थना पत्र कर निर्धारण वर्ष के प्रारम्भ होने तक या उस दिनांक से जब प्रार्थना-पत्र दिया जाय ३ मास के भीतर इसमें जो भी पश्चात्वर्ती हो, निस्तारित न किया जाय तो लाइसेन्स, यथास्थिति, दिया गया या नवीकृत किया गया समझा जायेगा। समिति की राय में नये लाइसेन्स देने के लिये यह अवधि ठीक है किन्तु लाइसेन्स के नवीकरण के लिये प्रार्थना-पत्र की दशा में इस अवधि को घटाकर २ माह कर दिया जाना उचित होगा। नये लाइसेन्स देने तथा पुराने लाइसेन्सों के नवीकरण के लिये अधिनियम व तदधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों और लाइसेन्स की शर्तों के केवल उल्लंघन मात्र पर ही विचार करना आवश्यक नहीं होना चाहिये वरन् उक्त उल्लंघन के लिये दंडित होना आवश्यक है। तदनुसार समिति ने उक्त खंड के उपखंड (३) में मूल अधिनियम की धारा ४ की प्रस्तावित उपधारा (३) के स्थान पर नयी उपधारा रखने का सुझाव दिया है।

(५) खंड ५ के उप-खंड (४) में प्रस्तावित उपधारा (३–ख) में राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि उसका यह समाधान होने पर कि किसी क्षेत्र में फैक्टरियों को गन्ने का पर्याप्त सम्भरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर है तो वह यह निदेश दे सकेगी कि नये लाइसेन्स नहीं दिये जायेंगे तथा पुराने लाइसेन्सों का नवीकरण नहीं किया जायेगा। समिति की राय में पुराने लाइसेंसों के नवीकरण के संबंध में राज्य सरकार को यह अधिकार देना उचित नहीं है। अतः उक्त उपधारा में तद्नुसार संशोधन कर दिया गया है।

(६) खंड ७ में यह उपबन्ध है कि शक्कर आयुक्त किसी लाइसेन्स को अन्य आधारों के साथ इस आधार पर रद्द या निलम्बित कर सकता है कि लाइसेन्स प्रभावी होने के पश्चात् लगातार ३ महीने से अधिक अवधि तक पर्याप्त कारणों के बिना इकाई को चालू नहीं रखा गया है। इस समिति ने इस आधार को निकाल दिये जाने की सिफारिश की है।

(७) समिति द्वारा की गई सिफारिशों के सदन द्वारा स्वीकार हो जाने पर विधेयक के उद्देश्य और कारणों के विवरण में कुछ अंश अनावश्यक हो जायेंगे। अतः समिति संस्तुति करती है कि सदन द्वारा प्रतिवेदन स्वीकृत होने के उपरान्त उद्देश्य और कारणों के विवरण में तदनुसार संशोधन कर दिये जायें।

(८) समिति ने सरकार के इस आश्वासन को संतोषपूर्वक नोट किया कि फैक्ट्री के रक्षित क्षेत्र में १० मील अर्धव्यास के बाहर क्रय-कर में ९ नये पैसे की छूट दी जायेगी।

(९) विधेयक में कुछ शाब्दिक एवं आनुषंगिक संशोधन भी कर दिये गये हैं।

(१०) प्रतिवेदन में जो विमति टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं वे परिशिष्ट ३ में दी गयी हैं।

सुचेता कृपालानी,
सभापति,
उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर नियुक्त प्रवर समिति।

लखनऊ:
दिनांक १८ दिसम्बर, १९६३।

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६३

(जैसा कि प्रवर समिति द्वारा संशोधित किया गया। समिति द्वारा निकाला गया विषय कोष्ठकों [ ] में है, तथा बढ़ाया गया विषय अधोरेखांकित है।)

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, १९६१ को संशोधित करने के लिये।

उ० प्र० अधिनियम संख्या ९, १९६१

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के चौदहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) अधिनियम, १९६३ कहलायेगा।

उ० प्र० अधिनियम संख्या ९, १९६१ की धारा २ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, १९६१ (जिसे आगे 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा २ में—

[(क)] खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(ग) 'इकाई' का तात्पर्य गुड़, राब या खांडसारी शक्कर बनाने वाली ऐसी इकाई से है जो किसी रक्षित [या अभ्यर्पित] क्षेत्र में गुड़, राब या खांडसारी शक्कर बनाने में लगी हो या साधारणतया लगी रहती हो, जो यंत्रशक्ति द्वारा चालित कोल्हू की सहायता से निकाले गये गन्ने के रस का प्रयोग करने में समर्थ हो ;"

उ० प्र० अधिनियम संख्या ९, १९६१ की धारा ३ का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा ३ में—

(१) उपधारा (१) में—

(क) खंड (ख) में शब्द "प्रति क्विंटल गन्ने पर सोलह नये पैसे" के स्थान पर शब्द "प्रति क्विंटल गन्ने पर [बत्तीस] पच्चीस नये पैसे" रख दिये जायं ;

(ख) इस उपधारा के अन्त के पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन रख दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय:—

"प्रतिबन्ध यह है कि किसी इकाई की दशा में वास्तविक रूप से क्रय किये गये गन्ने की मात्रा पर या, इकाई के स्वामी के विकल्प पर गन्ने की उस मात्रा पर जो उपधारा (१—क) के उपबन्धों के अनुसार उसके द्वारा क्रय की गयी समझी जाय, कर देय होगा।"

(२) उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारायें (१—क) और (१—ख) बढ़ा दी जायं :—

"(१—क) इकाइयों की पेराई की क्षमता तथा अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रख कर राज्य सरकार गन्ने की ऐसी मात्रा नियत कर सकती है जो उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड के प्रयोजनों के लिये, विभिन्न श्रेणियों की इकाइयों के स्वामियों द्वारा क्रय की गई समझी जायगी; "

"(१–ख) इकाई के स्वामी द्वारा उपधारा (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड में अभिदिष्ट विकल्प का ऐसे दिनांक तक और ऐसे प्रपत्र में जो नियत किया जाय, प्रयोग किया जायगा और वह पूरे कर-निर्धारण वर्ष के लिये होगा। एक बार प्रयोग किया गया विकल्प उस वर्ष के लिये अपरिवर्त्तनीय (irrevocable) होगा ;"

(३) उपधारा (५) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(५) इस अधिनियम के अधीन कर-निर्धारण के आदेश या उपधारा (३) के अधीन ब्याज की मांग या उपधारा (४) के अधीन दंड के आरोपण से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, फैक्टरी की दशा में गन्ना आयुक्त और इकाई की दशा में शक्कर आयुक्त या ऐसे अन्य अधिकारी के समक्ष, जो शक्कर उप-आयुक्त के पद से नीचे के पद का न हो, और जिसे राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ नियुक्त करे, अपील कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जायगी जब तक कि उसके साथ इस बात का संतोषजनक प्रमाण न हो कि अपीलकर्ता ने उसके द्वारा स्वीकार की गई देय धनराशि का [या निर्धारित, अभियाचित या यथास्थिति, कर, ब्याज अथवा दंड के रूप में आरोपित कुल धनराशि के कम से कम आधे के बराबर की धनराशि का, इसमें जो भी अधिक हो,] भुगतान कर दिया है ;"

(४) उपधारा (५) के पश्चात् निम्नलिखित नई उपधारा (५–क) बढ़ा दी जाय:—

"(५–क) अपीलीय प्राधिकारी, सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् अपील में ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे और ऐसे आदेश की प्रति अपीलकर्त्ता, कर निर्धारण प्राधिकारी और ऐसे अन्य प्राधिकारी को भेजेगा, जो नियत किया जाय;" और

(५) उपधारा (९) में, अंग्रेजी रूपान्तर में, शब्द कोष्ठक तथा अंक "sub section (5)" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक तथा अंक "Sub-section (4)" रख दिये जायं।

नयी धारा ३–क और ३–ख का बढ़ाया जाना। भूल सुधार

४—मूल अधिनियम की धारा ३ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारायें ३-क और ३-ख बढ़ा दी जायं:—

"(३–क) कोई कर निर्धारण प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी स्वत: या करदाता अथवा राज्य सरकार के प्रार्थना-पत्र पर, जो उस आदेश के दिनांक से जिसे ठीक करना हो, एक वर्ष के भीतर दिया जायगा, ऐसी किसी भूल को सुधार सकता है जो यथास्थिति कर-निर्धारण या अपील में प्रत्यक्षत: स्पष्ट हो :

प्रतिबन्ध यह है कि संबद्ध पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर दिये बिना ऐसी कोई भूल-सुधार न किया जायगा।"

पुनरीक्षण

"(३–ख) फैक्टरी की दशा में गन्ना आयुक्त, और इकाई की दशा में शक्कर आयुक्त या कोई अन्य अधिकारी, जो शक्कर आयुक्त द्वारा तदर्थ प्राधिकृत शक्कर उप आयुक्त के पद से नीचे के पद का न हो, इस अधिनियम के अधीन कर-निर्धारण प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी आदेश की वैधता या औचित्य के विषय में अपना समाधा न

करने के लिये, स्वतः या करदाता अथवा राज्य सरकार के प्रार्थना-पत्र पर जो आदेश के दिनांक से छः मास के भीतर दिया जायगा, कर-निर्धारण की किन्हीं कार्य-वाहियों का अभिलेख मंगा सकता है और ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा प्रार्थना-पत्र किसी ऐसे पक्ष की प्रेरणा पर ग्रहण नहीं किया जायगा जिसे अपील करने का अधिकार था किन्तु जिसने उसका उपयोग नहीं किया;

प्रतिबन्ध यह भी है कि इस उपधारा के अधीन कर में वृद्धि नहीं की जायगी जब तक कि करदाता को वृद्धि के विरुद्ध सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया जाय ।"

५—मूल अधिनियम की धारा ४ में—

धारा ४ का संशोधन

(१) उपधारा (१) के अन्त के सेमीकोलन के स्थान पर पूर्ण विराम रख दिया जाय और इस उपधारा का प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिया जाय;

(२) उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(२) उपधारा (१) के अधीन लाइसेंस देने या उसके नवीकरण के लिये प्रार्थना-पत्र शक्कर आयुक्त को ऐसे दिनांक तक, व ऐसे प्रपत्र में तथा विलम्ब शुल्क के सहित, यदि कोई हो, ऐसे शुल्क के भुगतान के ऐसे प्रमाण के साथ दिया जायगा जो नियत किये जायं ।

(३) उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

["(३) लाइसेंस देने या नवीकरण के लिये दिये गये प्रार्थना-पत्र का निस्तारण शक्कर आयुक्त द्वारा शीघ्रता के साथ किया जायगा और सिवाय उस दशा के जब प्रार्थना पत्र नियत दिनांक तक या नियत प्रपत्र में न दिया गया हो या किसी दशा में अपूर्ण हो या उसके साथ विलम्ब शुल्क सहित, यदि कोई हो, अपेक्षित शुल्क के भुगतान करने का प्रमाण न हो, या शक्कर आयुक्त की यह राय हो कि लोक-हित में—

(क) इकाइयों द्वारा गुड़ या राब बनाये जाने को विनियमित करने; अथवा

(ख) किसी क्षेत्र में इकाइयों को अलाभकर रूप में एकत्र न होने देने, अथवा

(ग) रक्षित या अभ्यर्पित क्षेत्रों में किसी फैक्टरी को गन्ने के पर्याप्त संभरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर है, अस्वीकृत नहीं किया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि लाइसेंस दिये जाने या उसका नवीकरण करने के लिये प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण करते समय शक्कर आयुक्त निम्नलिखित पर भी विचार करेगा:—

(क) प्रार्थना-पत्र के दिनांक के पूर्व, इकाई को, यदि कोई हो, चलाने में प्रार्थी का आचरण, जिसमें अधिनियम, व तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों और लाइसेंस की शर्तों का, यदि कोई हो, पूर्व उल्लंघन भी सम्मिलित है;

(ख) इस अधिनियम के अधीन देयों का भुगतान करने में प्रार्थी द्वारा की गई चूक, यदि कोई हो; और

(ग) वह कुल सतत् अवधि जिसके लिए प्रार्थी के पास, प्रार्थना-पत्र के दिनांक के पूर्व, लाइसेंस रहा हो;

प्रतिबन्ध यह भी है कि लाइसेंस के नवीकरण के लिए प्रार्थना-पत्र तब तक अस्वीकार नहीं किया जायगा जब तक कि प्रार्थी को सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया जाय ;

प्रतिबन्ध यह भी है कि जब लाइसेंस दिये जाने या उसके नवीकरण करने का प्रार्थना-पत्र, कर-निर्धारण वर्ष के प्रारम्भ होने तक या उस दिनांक से, जब प्रार्थना-पत्र दिया जाय, तीन मास के भीतर, इसमें जो भी पश्चात्वर्ती हो, निस्तारित न किया जाय तो लाइसेंस यथास्थिति, दिया गया या नवीकृत किया गया समझा जायगा ।]

"(३) लाइसेंस देने या नवीकरण के लिये दिये गये प्रार्थना-पत्र का निस्तारण शक्कर आयुक्त द्वारा शीघ्रता के साथ किया जायगा और सिवाय उस दशा के जब प्रार्थना-पत्र नियत दिनांक तक या नियत प्रपत्र में न दिया गया हो या किसी दशा में अपूर्ण हो या उसके साथ विलम्ब शुल्क सहित, यदि कोई हो, अपेक्षित शुल्क के भुगतान करने का प्रमाण न हो, या शक्कर आयुक्त की यह राय हो कि लोक हित में--

(१) लाइसेंस देने के लिये प्रार्थना-पत्र की दशा में--

(क) इकाइयों द्वारा गुड़ या राब बनाये जाने को विनियमित करने, अथवा

(ख) किसी क्षेत्र में इकाइयों को अलाभकर रूप में एकत्र न होने देने, अथवा

(ग) रक्षित क्षेत्रों में किसी फैक्ट्री को गन्ने के पर्याप्त संभरण को सुनिश्चित करने,

(२) लाइसेंस के नवीकरण के लिये प्रार्थना-पत्र की दशा में इकाइयों द्वारा गुड़ या राब बनाये जाने को विनियमित करने के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर है, अस्वीकृत नहीं किया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि लाइसेंस दिये जाने या उसका नवीकरण करने के लिये प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण करते समय शक्कर आयुक्त निम्न-लिखित पर भी विचार करेगा:--

(क) प्रार्थना-पत्र के दिनांक के पूर्व, इकाई को, यदि कोई हो, चलाने में प्रार्थी का आचरण, जिसमें अधिनियम, व तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों और लाइसेंस की शर्तों का, उल्लंघन करने के लिये पूर्व दोष सिद्धि भी यदि कोई हो, सम्मिलित है ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन देयों का भुगतान करने में प्रार्थी द्वारा की गई चूक, यदि कोई हो ; और

(ग) वह कुल सतत् अवधि जिसके लिये प्रार्थी के पास, प्रार्थना-पत्र के दिनांक के पूर्व, लाइसेंस रहा हो :

प्रतिबन्ध यह भी है कि ला इसेंस के नवीकरण के लिये प्रार्थना-पत्र तब तक अस्वीकार नहीं किया जायगा जब तक कि प्रार्थी को सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया जाय :

प्रतिबन्ध यह भी है कि जब लाइसेंस दिये जाने या उसके नवीकरण के लिये प्रार्थना-पत्र कर-निर्धारण वर्ष के आरम्भ होने तक या

(१) लाइसेंस दिये जाने के लिये प्रार्थना-पत्र की दशा में ऐसे प्रार्थना-पत्र से तीन मास के भीतर, और

(२) लाइसेंस के नवीकरण के लिये प्रार्थना-पत्र की दशा में ऐसे प्रार्थना-पत्र से दो माह के भीतर ,

इसमें जो भी पश्चात्वर्ती हो, निस्तारित न किया जाय तो लाइसेंस यथास्थिति, दिया गया या नवीकृत किया गया समझा जायगा ।"

(४) उपधारा (३) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें (३-क) और (३-ख) बढ़ा दी जायं:—

"(३-क) शक्कर आयुक्त उपधारा (३) के अधीन प्राप्त सभी या किसी अधिकार को, अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को जो शक्कर उप-आयुक्त के पद से नीचे के पद का न हो, प्रतिनिहित कर सकता है ।

(३-ख) राज्य सरकार का यदि यह समाधान हो जाय कि लोक-हित में, किसी क्षेत्र में फैक्टरियों को गन्ने का पर्याप्त संभरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर है तो वह गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह निदेश दे सकती है कि किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में किसी इकाई को नया लाइसेंस नहीं दिया जायगा । [और न उसका नवीकरण किया जायगा], और जब ऐसा निदेश जारी कर दिया जाय तो उस क्षेत्र के संबंध में लाइसेंस दिये जाने [या उसके नवीकरण] के लिये कोई प्रार्थना-पत्र ग्रहण नहीं किया जायगा;" और

(५) उपधारा (६) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"(६) यदि लाइसेंस-गृहीता उसे दिये गये लाइसेंस को, उसके प्राप्त होने के एक मास के भीतर लौटा दे और लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी का यह समाधान कर दे कि उसने किसी भी रीति से उसका उपयोग नहीं किया है तो वह जमा किये गये लाइसेंस शुल्क का तीन-चौथाई वापस पाने का हकदार होगा ।"

धारा ५ का प्रतिस्थापन

६—मूल अधिनियम की धारा ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"५—इस अधिनियम के अधीन दिया गया या नवीकृत किया गया लाइसेंस ऐसी शर्तों के अधीन होगा जो नियत की जायं और उस कर निर्धारण वर्ष के लिए वैध होगा, जिसके संबंध में वह दिया गया या नवीकृत किया गया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि कर-निर्धारण वर्ष के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी समय दिया गया या नवीकृत किया गया लाइसेंस, यथास्थिति, लाइसेंस दिये जाने या नवीकृत किये जाने के आदेश के दिनांक से प्रभावी होगा ।"

धारा ६ का संशोधन ।

७—मूल अधिनियम की धारा ६ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"६—(१) शक्कर आयुक्त, किसी ऐसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिसे वह अधिनियम के अधीन करने के लिये प्राधिकृत हो, किसी लाइसेंस को रद्द या निलंबित कर सकता है, यदि लाइसेंस-गृहीता ने—

(क) लाइसेंस दिये जाने या उसका नवीकरण किये जाने के संबंध में त्रुटिपूर्ण सूचना दी हो या सारवान् तथ्यों को छिपाया हो ;

(ख) ऐसा लाइसेंस दिये जाने या नवीकरण किये जाने के संबंध में कोई कपट या मिथ्या निरूपण किया हो, या

(ग) अपने लाइसेंस की किसी शर्त या अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया हो [; और]:

[(घ) लाइसेंस प्रभावी होने के पश्चात् लगातार तीन महीने से अधिक अवधि तक, पर्याप्त कारणों के बिना इकाई को चालू न रक्खा हो :]

प्रतिबन्ध यह है कि शक्कर आयुक्त लाइसेंस रद्द या निलंबित करने का कोई आदेश देने के पूर्व लाइसेन्स गृहीता को सुनवाई का उचित अवसर देगा ।"

धारा ७ का प्रतिस्थापन

८—मूल अधिनियम की धारा ७ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"७—(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये शक्कर आयुक्त—

(क) फैक्टरी या इकाई के स्वामी से ऐसे अभिलेख, आधार सामग्री (Data) या सूचना रखने, देने या प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है जो नियत की जाय; और

(ख) यदि उसकी यह राय हो कि किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध का अथवा लाइसेंस की किसी शर्त का उल्लंघन किया है या उसके द्वारा उल्लंघन किये जाने की संभावना है तो,

(१) किसी फैक्टरी या इकाई के भू-गृहादि में प्रवेश कर सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है ।

(२) गन्ने का रस, गुड़ या राब के, या उनसे निर्मित की जाने वाली किसी वस्तु के, बनाने या उत्पादन या सम्बद्ध किन्हीं उपकरणों या अभिलेखों को जब्त कर सकता है और उन्हें अपनी अभिरक्षा में ले सकता है, यदि उसे ऐसी जब्ती अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध के या लाइसेंस की किसी शर्त के उल्लंघन करने के साक्ष्य की सुरक्षा के लिये आवश्यक प्रतीत हो; और

(३) इकाई पर अथवा यदि इकाई बिना लाइसेंस के चलाई जा रही हो गुड़ या राब बनाने की किसी प्रक्रिया में प्रयुक्त अभिकरणों, पर नियत रीति से मुहर लगा सकता है, और इस प्रकार मुहर लगाई गई इकाई या अभिकरण किसी व्यक्ति द्वारा तब तक प्रयुक्त नहीं किये जायेंगे जब तक कि मुहर वित् हटा न दी गई हो।"

धारा ८ का प्रतिस्थापन

९—मूल अधिनियम की धारा ८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"८—यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध का या लाइसेंस की किसी शर्त का उल्लंघन करता है, या जानबूझ कर किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में, मिथ्या कथन करता है या मिथ्यापूर्ण विवरणी प्रस्तुत करता है, जिसके सम्बन्ध में उससे इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या लाइसेंस की शर्तों के अधीन सूचना देने की अपेक्षा की जाय तो वह सिद्ध-दोष ठहराये जाने पर धारा ३ के अधीन यथास्थिति ब्याज या अर्थ-दंड अथवा दोनों का भुगतान करने के उसके दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, बिना किसी भी प्रकार के कारावास के दण्ड से दण्डित होगा, जो एक वर्ष तक हो सकता है अथवा अर्थ-दण्ड से दण्डित होगा, जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है, अथवा दोनों से दण्डित होगा और निरन्तर उल्लंघन करते रहने की दशा में ऐसे अतिरिक्त अर्थ-दंड का भागी होगा जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जब सिद्ध दोष ठहराये जाने के पश्चात् ऐसा उल्लंघन जारी रहे, एक हजार रुपये तक हो सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि लाइसेंस प्राप्त किये बिना किसी इकाई को चलाने के लिए, न्यायालय इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को सिद्ध-दोष ठहराते समय, विशेष या पर्याप्त कारणों के, जो उल्लिखित किये जायंगे, न होने पर अर्थ-दण्ड सहित या बिना अर्थ-दण्ड के कारावास का दण्ड देगा।"

धारा ९ का प्रतिस्थापन

१०—मूल अधिनियम की धारा ९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"९—(१) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा जब तक कि फैक्टरी की दशा में गन्ना आयुक्त अथवा जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा, जिसके अधिक्षेत्र में फैक्टरी स्थित हो, या उनमें से किसी के प्राधिकार के अन्तर्गत हो, और इकाई की दशा में शक्कर आयुक्त या जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा, जिसके अधिक्षेत्र में इकाई स्थिति हो, ऐसा लिखित प्रतिवेदन न दिया जाय जिसमें ऐसे अपराध के तथ्य दिये हों।

ऐक्ट संख्या ५, १८९८

(२) प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध पर विचार नहीं करेगा।

(३) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ के अधीन संज्ञेय और जमानत योग्य होगा।

(४) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोषारोपित व्यक्ति द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, फैक्टरी की दशा में, गन्ना आयुक्त या, गन्ना आयुक्त की सहमति से, सम्बद्ध जिला मैजिस्ट्रेट, और इकाई की दशा में शक्कर आयुक्त या, शक्कर आयुक्त की सहमति से, सम्बद्ध जिला मैजिस्ट्रेट, ऐसा अभिसंधान शुल्क (composition fee) आरोपित करके, जो पांच हजार रुपये से अधिक न होगा, किसी भी स्थिति में उक्त अपराध का अभिसंधान (compound) कर सकता है।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश गुड़ और राब खांडसारी एसोसियेशन ने इस आशय का एक प्रत्यावेदन दिया है कि अनेक बहियों को रखने और विवरणियां प्रस्तुत करने में होने वाली परेशानियों को दूर करने के उद्देश्य से एक मुश्ती आधार पर क्रय-कर की वसूली की व्यवस्था की जाय। परेशानियों को कम करने तथा अधिक राजस्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अगले कर-निर्धारण वर्ष (१९६३–६४) से एक मुश्ती उगाही की नई प्रथा चालू करने और उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट की धारा ७-ङ के अनुरूप ही उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, १९६१ को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे कि इकाइयों के स्वामियों को क्रय-कर के बदले में, वास्तविक रूप से क्रय की गयी गन्ने की मात्रा पर, या इकाई के स्वामी द्वारा क्रय की गयी गन्ने की कल्पित मात्रा पर एक मुश्ती उगाही का भुगतान करने का विकल्प मिल सके। इसके अतिरिक्त अधिनियम में कतिपय अनुवर्ती संशोधन, जैसा कि विधेयक के प्रारूप में समाविष्ट है, करने का भी प्रस्ताव है।

२––भारत सरकार ने चालू वर्ष के लिए शक्कर के उत्पादन का लक्ष्य १५ लाख टन निश्चित किया है, जब कि हमारा पिछले वर्ष (१९६२–६३) का कुल उत्पादन केवल ८.५ लाख टन था। यह इष्टकर तथा आवश्यक समझा गया है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये जायं और गुड़ तथा खांडसारी के उत्पादन के लिए गन्ने की बड़ी मात्रा में होने वाली निकासी को रोका जाय। शक्कर के नियंत्रित मूल्य की अपेक्षा गुड़ और खांडसारी का वर्तमान बाजार मूल्य बहुत अधिक है, अतएव यह आवश्यक है कि शक्कर फैक्टरी के कम से कम १० मील के अर्द्ध-व्यास में गुड़ और खांडसारी बनाना अपेक्षाकृत महंगा कर दिया जाय। तदनुसार यह प्रस्ताव किया जाता है कि समस्त इकाइयों के सम्बन्ध में क्रय-कर १६ नये पैसे से बढ़ा कर ३२ नये पैसे प्रति क्विन्टल कर दिया जाय और बाद में, फैक्टरियों के भू-गृहादि से १० मील के अर्द्ध-व्यास से अधिक दूरी पर स्थित इकाइयों के सम्बन्ध में, इस कर में, मूल अधिनियम की धारा १४ (२) के अधीन १६ नये पैसे तक की छूट दे दी जाय। इस प्रयोजन के लिए विधि में संशोधन करना आवश्यक है।

३––अभ्यर्पित क्षेत्रों को सम्मिलित करने के लिए 'इकाई' की परिभाषा में संशोधन किया जा रहा है जिससे कि शक्कर का उत्पादन बढ़ाने के लिए शक्कर फैक्टरियों को उनके रक्षित और अभ्यर्पित दोनों ही क्षेत्रों से गन्ने का अधिक सम्भरण सुनिश्चित किया जा सके क्योंकि यह पदार्थ विदेशी मुद्रा की आय का महत्वपूर्ण स्रोत है।

उपर्युक्त उद्देश्यों से उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, १९६१ को संशोधित करने का प्रस्ताव है।

चन्द्रभानु गुप्त,
मुख्य मंत्री।

ज्ञापन-पत्र

जिसमें उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, १९६३ में अन्तर्ग्रस्त विधायी अधिकारों के प्रतिनिधान सम्बन्धी प्रस्तावों का स्पष्टीकरण किया गया है ।

खंड ३

खण्ड ३ का उप-खण्ड (२) राज्य सरकार के नियमों द्वारा गन्ने की ऐसी मात्रा नियत करने का अधिकार देता है जो इकाइयों की पराई क्षमता तथा एक मुश्ती आधार पर कर-निर्धारण और उसकी वसूली के प्रयोजनों के लिए अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुये विभिन्न श्रेणियों की इकाइयों के स्वामियों द्वारा क्रय किया गया माना जायगा ।

खण्ड ३ के इस उप-खण्ड (२) द्वारा राज्य सरकार को नियमों में निम्नलिखित को नियत करने का भी अधिकार दिया गया है---(१) इकाई के स्वामी को एक मुश्ती आधार पर क्रय-कर भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग करने के सम्बन्ध में अन्तिम दिनांक, और (२) प्रपत्र जिसमें इकाई के स्वामी द्वारा कर निर्धारण वर्ष में एक मुश्ती आधार पर कर का भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग किया जायगा ।

खण्ड ३ का उप-खंड (४) राज्य सरकार को नियमों द्वारा कर-निर्धारण प्राधिकारी के अतिरिक्त ऐसे अन्य प्राधिकारी को नियत करने का भी अधिकार देता है जिसे अपील पर दिये गये आदेश की एक प्रति अपीलीय प्राधिकारी द्वारा भेजी जायगी ।

खंड ५

खण्ड ५ के उप-खंड (२) द्वारा राज्य सरकार को नियमों में निम्नलिखित नियत करने का अधिकार दिया जाता है---(१) लाइसेंस दिये जाने या नवीकरण किये जाने के लिए प्रार्थना-पत्र ग्रहण करने का दिनांक, (२) लाइसेंस दिये जाने या नवीकरण किये जाने के लिए प्रार्थना-पत्र का प्रपत्र और (३) लाइसेंस दिये जाने या नवीकरण किये जाने के लिए शक्कर आयुक्त को दिये गये प्रार्थना-पत्र पर विलम्ब शुल्क के साथ शुल्क की दर ।

खंड ६

खण्ड ५ द्वारा राज्य सरकार को नियमों में लाइसेंस की ऐसी शर्तों को नियत करने का अधिकार दिया जाता है जिनके अधीन लाइसेंस दिया या नवीकृत किया जायगा ।

खंड ८

खण्ड ८ के उप-खंड (क) द्वारा राज्य सरकार को नियमों द्वारा ऐसे अभिलेख, आधार सामग्री या सूचना नियत करने का अधिकार दिया जाता है जिनको शक्कर आयुक्त फैक्टरी या इकाई के स्वामी से इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए रखने, देने या प्रस्तुत करने की अपेक्षा करे ।

खण्ड ८ के उप-खंड (ख) (३) द्वारा राज्य सरकार को नियमों द्वारा वह रीति नियत करने का अधिकार दिया जाता है जिसके अनुसार शक्कर आयुक्त इकाई पर किन्तु यदि इकाई बिना लाइसेंस के चलाई जा रही हो तो गुड़ या राब बनाने की किसी प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले अभिकरणों पर मुहर लगा सके ।

विधायन--प्रतिनिधान के ये सभी प्रस्ताव सामान्य प्रकार के हैं ।

चन्द्रभानु गुप्त,
मुख्य मंत्री ।

विवरण-पत्र जिसमें मूल अधिनियम की ऐसी विभिन्न धारायें दी गई हैं जिनमें संशोधन करने का प्रस्ताव है

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, १९६१ (उ० प्र० अधिनियम संख्या ९, १९६१) — परिभाषाएं

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में शब्द तथा पद—

× × ×

(ग) "इकाई" का तात्पर्य गुड़, राब या खांडसारी शक्कर बनाने वाली इकाई से है, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, १९५३ में पारिभाषित है; तथा — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २४, १९५३ ई०

× × ×

३—(१) गन्ने के क्रय कर— — कर आरोपित करना

(क) फैक्टरी, यदि वह फैक्टरी के स्वामी द्वारा हो, तो प्रति क्विन्टल गन्ने पर सरसठ नये पैसे की दर से; और

(ख) यदि वह इकाई के स्वामी द्वारा हो तो प्रति क्विन्टल गन्ने पर सोलह नये पैसे की दर से; — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३४, १९६१ द्वारा संशोधित ।

ऐसी रीति से कर लगाया और वसूल किया जायगा, जो नियत की जाय ।

(२) उपधारा (१) के अधीन लगाया गया कर यथास्थिति फैक्टरी के स्वामी या इकाई के स्वामी द्वारा देय होगा और उसका भुगतान ऐसे दिनांक को, ऐसे स्थान पर और उतनी किस्तों में किया जायगा, जो नियत की जायं ।

(३) यदि इस अधिनियम के अधीन देय किसी कर का भुगतान उस दिनांक तक न किया जाय जो उसके भुगतान के लिए नियत किया गया हो, तो उस पर ऐसे दिनांक से भुगतान के दिनांक तक ६ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा ।

(४) यदि इस अधिनियम के अधीन देय किसी कर या उसके ब्याज अथवा दोनों, जैसी भी स्थिति हो, का भुगतान उसके भुगतान के लिए नियत दिनांक से पन्द्रह दिन से अधिक न किया गया हो तो, उसको देनदार व्यक्ति बकाया कर और उसके ब्याज की धनराशि के अतिरिक्त दण्ड स्वरूप, उतनी धनराशि का और देनदार होगा, जो ऐसी दर या दरों से, जो नियत की जायं, निर्धारित (calculated) की जायगी और कुल देय धनराशि के दस प्रतिशत से अधिक न होगी ।

(५) इस अधिनियम के अधीन कर-निर्धारण के आदेश या उपधारा (३) के अधीन ब्याज अथवा उपधारा (४) के अधीन दण्ड के आरोपण से क्षुब्ध कोई व्यक्ति यथास्थिति, उस आदेश या आरोपण की सूचना प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर गन्ना आयुक्त के समक्ष अपील कर सकता है ।

(६) इस अधिनियम के अधीन देय कर किसी अन्य रीति से वसूली के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति, कर, ब्याज या दण्ड की धनराशि किसी भी ऐसी धनराशि से समायोजित (adjust) करके वसूल की जा सकती है, जो राज्य सरकार द्वारा उस व्यक्ति को देय हो, जिसके द्वारा कर, ब्याज या दण्ड की धनराशि देय है ।

(७) राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन देय कर के निर्धारण और उसकी वसूली के प्रयोजनार्थ अधिकारियों तथा प्राधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगी ।

(८) कर वसूल करने के लिए अधिकृत किया गया अधिकारी या प्राधिकारी उस जिले के कलेक्टर के पास, जहां पर यथास्थिति फैक्टरी या इकाई स्थिति हो, अपने द्वारा हस्ताक्षरकृत एक ऐसा प्रमाण-पत्र भेज सकता है, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा देय कर की बकाया और ब्याज की, यदि कोई हो, धनराशि का उल्लेख होगा और ऐसा प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर कलेक्टर, निर्दिष्ट धनराशि को उस व्यक्ति से वसूल करने की उसी प्रकार कार्यवाही करेगा मानो वह धनराशि मालगुजारी की बकाया हो ।

(९) उपधारा (४) के अधीन दण्ड स्वरूप आरोपित कोई भी धनराशि उपधारा (८) में व्यवस्थित रीति से भी वसूल की जा सकती है ।

गुड़ या राब बनाने के लिए लाइसेंस देना

४—(१) उस इकाई के अतिरिक्त, जिसने उत्तर प्रदेश खांडसारी शक्कर निर्माताओं को लाइसेंस देने की आज्ञा, १९६० के अधीन लाइसेंस प्राप्त किया हो, दूसरी कोई भी इकाई शक्कर आयुक्त से लाइसेंस प्राप्त किये बिना गुड़ अथवा राब बनाने या उसका उत्पादन करने से संबंधित कोई प्रक्रिया न करेगी और न जारी ही रखेगी:

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९५६

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे लाइसेंस को, जो उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर अधिनियम, १९५६ के अधीन दिया गया अथवा नवीकृत किया गया हो या उसके अधीन दिया गया या नवीकृत किया गया अभिप्रेत हो, इस अधिनियम के अधीन उस अवधि के लिए, यथास्थिति दिया गया नया नवीकृत किया गया लाइसेंस माना जायगा, जिस अवधि के लिए वह दिया गया या नवीकृत किया गया था मानों यह अधिनियम पूर्वोक्त अवधि में तथा सभी सारवान दिनांकों पर प्रचलित था ।

(२) उपधारा (१) के अधीन लाइसेंस के लिए प्रार्थना-पत्र शक्कर आयुक्त को ऐसे प्रपत्र में तथा ऐसे शुल्क के खजाना-चालान के साथ दिया जायगा जो नियत किये जायं ।

(३) उपधारा (२) के अधीन लाइसेंस देने अथवा उसका नवीकरण करने के लिए दिये गये प्रार्थना-पत्र का निस्तारण शक्कर आयुक्त द्वारा शीघ्रता के साथ किया जायगा और उसे अस्वीकृत नहीं किया जायगा, सिवाय उस दशा के जब कि शक्कर आयुक्त की यह राय हो कि ऐसी अस्वीकृति लोकहित में आवश्यक अथवा इष्टकर है, और विशेषतः उस दशा के जब कि लाइसेंस देने या उसका नवीकरण करने से किसी फैक्टरी को गन्ना सम्भरण करने के विनियमन पर अथवा किसी क्षेत्र में गन्ने के विकास पर, प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो ।

(४) यदि उपधारा (३) के अधीन शक्कर आयुक्त के किसी आदेश से कोई व्यक्ति क्षुब्ध हो, तो वह उक्त आदेश की सूचना प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकता है जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा ।

(५) लाइसेंस दिये जाने के लिए प्रार्थना-पत्र देने वाला—

(१) उसके प्रार्थना-पत्र के अस्वीकार कर दिये जाने पर, और

(२) उपधारा (४) के अधीन अपील प्रस्तुत की जाने की दशा में, अपील के अस्वीकार कर दिये जाने पर,

भुगतान किये गये शुल्क की वापसी का हकदार होगा ।

(६) यदि लाइसेंस गृहीता उस लाइसेंस को, जो उसे दिया गया हो, उसके प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर लौटा दें और लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी का यह समाधान कर दे कि उसने किसी भी रीति से उसका उपयोग नहीं किया है तो वह लाइसेंस शुल्क वापस पाने का हकदार होगा ।

लाइसेंस का नवीकरण

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ७, १९६२ द्वारा संशोधित

५—धारा ४ की उपधारा (३) के अधीन दिया गया या इस धारा के अधीन नवीकृत किया गया, लाइसेंस उस पर कर निर्धारण वर्ष के लिए वैध होगा, जिसके संबंध में वह दिया गया या नवीकृत किया गया हो; किन्तु उक्त अवधि के व्यतीत होने के पश्चात् अधिक से अधिक दो कलेन्डर महीनों के भीतर शक्कर आयुक्त को प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर और ऐसा शुल्क, जो नियत किया जाय, भुगतान करने पर उसके द्वारा समय-समय पर उसका नवीकरण किया जा सकता है:

प्रतिबन्ध यह है कि शक्कर आयुक्त के समाधान के लिए पर्याप्त कारण दिखाये जाने पर उपर्युक्त अवधि के बाद भी प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर और ऐसे अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने पर, जो नियत किया जाय, लाइसेंस का नवीकरण किया जा सकता है ।

लाइसेंस के निलंबन या रद्द किये जाने की शर्तें

६—(१) शक्कर आयुक्त इस अधिनियम या तदन्तर्गत बने नियमों के किसी उपबन्ध या लाइसेंस की किसी शर्त के उल्लंघन की दशा में इस अधिनियम के अधीन दिये गये या नवीकृत किये गये लाइसेंस को निलम्बित या रद्द कर सकता है या उसका नवीकरण करने से इनकार कर सकता है ।

(२) यदि उपधारा (१) के अधीन दिये गये शक्कर आयुक्त के आदेश से कोई व्यक्ति क्षुब्ध हो, तो वह उस आदेश की सूचना प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकता है, जिसका निर्णय अन्तिम होगा ।

(३) उपधारा (१) के अधीन लाइसेंस के रद्द या निलम्बित किये जाने से लाइसेंस गृहीता किसी प्रतिकर का या उस लाइसेंस के संबंध में दिये गये किसी शुल्क की वापसी का हकदार न होगा ।

शक्कर आयुक्त के अधिकार

७—(१) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए शक्कर आयुक्त—

(क) फैक्टरी के स्वामी या इकाई के स्वामी से ऐसे अभिलेख, आधार सामग्री (data) या सूचना जो नियत की जाय, रखने, देने या प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है; और

(ख) यदि उसकी यह राय हो कि लाइसेंस-गृहीता ने इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध का अथवा लाइसेंस की किसी शर्त का उल्लंघन किया है या उसके द्वारा उसका उल्लंघन किये जाने की सम्भावना है तो, किसी फैक्टरी या इकाई के भू-गृहादि में प्रवेश कर सकता है और उनकी तलाशी ले सकता है और गन्ने का रस, गुड़ या राब के या उनसे बनने वाली किसी वस्तु के बनाने या उत्पादन से सम्बद्ध किन्हीं उपकरणों या अभिलेखों को जब्त कर सकता है और उन्हें अपनी अभिरक्षा में ले सकता है ।

(२) शक्कर आयुक्त उपधारा (१) के अधीन प्राप्त अपने समस्त या किसी भी अधिकार को अपने अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को प्रतिनिहित कर सकता है ।

अर्थ दंड तथा दंड

८—यदि कोई व्यक्ति धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन लगाये गये कर के भुगतान में चूक करे या इस अधिनियम या तदन्तर्गत बने नियमों के किसी भी

उपबन्ध का उल्लंघन करे, तो धारा ३ की उपधारा (३) या उपधारा (४) के अधीन, यथास्थिति, ब्याज या दंड अथवा दोनों का भुगतान करने के उसके दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े बिना वह अभियोग चलाये जाने और सक्षम क्षेत्राधिकार युक्त न्यायालय द्वारा सिद्ध-दोष ठहराये जाने पर कारावास के दंड का, जो छः महीने तक हो सकता है अथवा अर्थ-दंड का, जो पांच हजार रुपये से अधिक न होगा अथवा दोनों का भागी होगा और निरन्तर उल्लंघन करते रहने की दशा में ऐसे अतिरिक्त अर्थ दंड का भागी होगा, जो प्रत्येक दिन के लिये, जब ऐसा उल्लंघन जारी रहे, एक हजार रुपये से अधिक न होगा ।

कार्यवाहियों का संस्थापन

९—(१) इस अधिनियम के अधीन कोई भी अभियोग संस्थित (instituted) नहीं किया जायगा सिवाय जब तक कि गन्ना आयुक्त अथवा उस जिले के जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा, जहां पर यथास्थिति फैक्टरी या इकाई स्थित हो, अथवा उनमें से किसी के प्राधिकार के अन्तर्गत कोई परिवाद-पत्र प्रस्तुत न किया जाय ।

(२) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषारोपित व्यक्ति द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर, गन्ना आयुक्त अथवा गन्ना आयुक्त की पूर्व सहमति से जिला मजिस्ट्रेट, ऐसा अभिसंधान शुल्क (composition fee) आरोपित करके, जो पांच हजार रुपये स अधिक न होगा, किसी भी स्थिति में उक्त अपराध का अभिसंधान (compound) कर सकता है ।

(३) द्वितीय श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर न्यायालय इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बने किसी नियम के अधीन किसी अपराध पर विचार न करेगा ।

सत्यमेव जयते

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—१८१ एल० ए०—१९६४—८६० ।